# वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

## SW-08

## Community Organization and Social Action

## सामुदायिक संगठन और सामाजिक क्रिया

**अनुक्रमणिका**


| इकाई व इकाई का नाम | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| इकाई **1** समुदाय एक परिचय | 1-17 |
| इकाई 2 सामुदायिक विकास की अवधारणा | 18-32 |
| इकाई 3 सामुदायिक संगठन दर्शन एवं अवधारणा | 33-44 |
| इकाई 4 सामुदायिक संगठन – प्रकार एवं सिद्धान्त | 45-52 |
| इकाई 5 सामुदायिक संगठन – पद्धति एवं अवस्थाएं | 53-62 |
| इकाई 6 सामुदायिक संगठन के चरण | 63-70 |
| इकाई 7 सामुदायिक संगठन के प्रारूप | 71-80 |
| इकाई 8 सामुदायिक संगठन में निपुणताएं एवं कार्यकर्ता की भूमिका | 81-92 |
| इकाई 9 सामुदायिक संगठन तथा पंचवर्षीय योजना | 93 -99 |
| इकाई 10 सामाजिक क्रिया की अवधारणा | 100-108 |
| इकाई 11 सामाजिक क्रियाः अर्थ एवं पद्धति | 109-114 |
| इकाई 12 सामाजिक क्रिया की रणनीतियाँ | 115-123 |
| इकाई 13 सामाजिक क्रिया के सिद्धान्त | 124-138 |

इकाई-**1**

# समुदायः एक परिचय

**इकाई की रूपरेखा**


1.0 उद्देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.2 समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा

1.3 समुदाय की विशेषताएं

1.4 समुदाय का आकार

1.5 समुदाय तथा समाज की इकाइयों में अन्तर

1.6 समुदाय के प्रकार

1.7 ग्रामीण समुदाय

1.8 नगरीय समुदाय

1.9 ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय में अन्तर

1.10 सारांश

1.11 अभ्यासार्थ प्रश्न

1.12 सन्दर्भ ग्रन्थ


## 1.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप ---

---- समुदाय के अर्थ एवं विषेशताओं को जान सकेंगे।

--- समुदाय के आकार एवं अन्य प्रक्रियाओं से सम्बन्ध से परिचित हो सकेंगे।

--- समुदाय के प्रकार से परिचित हो सकेंगे।

--- ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय में अन्तर को समझ सकेंगे।

## 1.1 प्रस्तावना

समुदाय सामान्यतः एक सामान्य, निश्चित और सीमांकित भू-भाग में रहने वाले परिवारों के संग्रह को कहते हैं जो एक साथ रहने के कारण सामाजिक सम्बन्ध विकसित कर लेते हैं। समुदाय, निवास की इकाई ,सामुदायिक संगठन

की प्रक्रिया समुदाय के पर्यावरण तथा वहां के लोगों के विभिन्न चरणों तथा निपुणताओं के द्वारा विकास की ओर ले जाने में कार्य करते हैं।

## 1.2 समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा

समुदाय शब्द लैटिन भाषा के com और munis शब्दों से बना है। com का अर्थ है together अर्थात् एक साथ या साथ-साथ तथा munis का अर्थ है service अर्थात् सेवा करना। इस प्रकार समुदाय का अर्थ है एक साथ मिल कर सेवा करना । एक साथ मिलकर सेवा करने की प्रवृत्ति का विकास एक निश्चित भू-भाग में रहने से ही सम्भावित होने लगता है। इतने बड़े समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ रहना अर्थात् सबके साथ मिल कर सेवा करना असम्भव है। इसलिये व्यक्ति एक निश्चित भू-क्षेत्र में जब निवास करता है तो धीरे-धीरे अन्य व्यक्तियों से उसके संबंध विकसित होने लगते है I समुदाय के विस्तृत अर्थ को विभिन्न विद्वानों द्वारा व्यक्त परिभाषाओं द्वारा समझा जा सकता है -

1. मैकाइवर के अनुसार -

''समुदाय सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते हैं, जिसे सामाजिक सम्बन्धता अथवा सामंजस्य की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जा सके।''

2. आगबर्न एवं न्यूमेयर के अनुसार -

''समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है जो एक सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में रहना हो, जिसकी गतिविधियों एवं हितों के समान केन्द्र हों तथा जो जीवन के प्रमुख कार्यों में इकट्ठे मिलकर कार्य करते हों।''

3. बोगार्डस के अनुसार -

''समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना हो तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता हो।''

4. ऑगबर्न और निमकोंफ के अनुसार -

''समुदाय किसी सीमित क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का पूर्ण संगठन है।''

5. एच0टी0 मजूमदार के अनुसार -

''समुदाय किसी निश्चित भू-क्षेत्र, क्षेत्र की सीमा कुछ भी हो पर रहने वाले व्यक्तियों का समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं।''

6. डेविस के अनुसार -

''समुदाय लघुत्तम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों को सम्मिलित करता है।''

7. ग्रीन के अनुसार -

''समुदाय व्यक्तियों का समूह है जो समीपस्थ छोटे क्षेत्र में निवास करते हैं तथा सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं।''

8. जिन्सबर्ग के अनुसार -

''समुदाय सामाजिक प्राणियों का एक समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, जिसमें अनन्त प्रकार के एवं जटिल सम्बनध सम्बन्धित हैं, जो उस सामान्य जीवन के कारण उत्पन्न होते हैं अथवा जो इसका निर्माण करते हैं।''

9. सदरलैण्ड के अनुसार -

''समुदाय एक सामाजिक क्षेत्र है जिस पर रहने वाले लोग समान भाषा का प्रयोग करते हैं, समान रूढ़ियों का पालन करते हैं, न्यूनाधिक समान भावनाएं रखते हैं तथा समान प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं।''

10. जी0डी0एच0 कोल के अनुसार -

''समुदाय से मेरा अभिप्राय सामाजिक जीवन के एक जटिल स्वरुप से है, ऐसे स्वरुप से जिसमें अनेक मानव प्राणी सम्मिलित है, जो सामाजिक सम्बन्धों की परिस्थितियों के अन्तर्गत रहते हैं, जो सामान्य यद्यपि परिवर्तनशील रीतियों, प्रथाओं एवं प्रचलनों द्वारा परस्पर सम्बद्ध हैं तथा कुछ सीमा तक सामान्य सामाजिक उद्देश्यों एवं हितों के प्रति जागरूक हैं।''

विभिन्न विद्वानों द्वारा व्यक्त उपर्युक्त परिभाषाओं को सरल एवं समझने योग्य बनाने के लिए इन विद्वानों के मतों को दो भागों में बांटकर रख् सकते हैं। प्रथम भाग में मैकाइवर ऑगबर्न एवं बोगार्ड्स जैसे विद्वानों के विचार को सम्मिलित किया जा सकता है जो समुदाय को एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र एवं उस क्षेत्र के सदस्यों के आपसी तालमेल, लगाव एवं हम की भावना से जोड़ते हैं। दूसरे भाग में आगबर्न और निमकाफ, मजूमदार, ग्रीन, बिन्सबर्ग एवं जी0डी0एस0 कोल जैसे विद्वानों के विचारों को सम्मिलित किया जा सकता है जो समुदाय को एक विशेष क्षेत्र के व्यक्तियों के सामाजिक जीवन निर्वाहों, उनकी समान भावनाओं, प्रवृत्तियों, प्रथाओं, रीति-रिवाजों एवं प्रचलनों से जोड़ते हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त विद्वानों द्वारा व्यक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समुदाय एक ऐसे क्षेत्र का नाम है जहां के मानव प्राणियों के कार्य, व्यवसाय, संस्कृति एवं सभ्यता में समानता के साथ-साथ उनमें आपसी जिम्मेदारियों को महसूस करने तथा वहन करने की सामूहिक चेतना होती है।

## 1.3 समुदाय की विशेषताएँ

समुदाय की उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर उसकी कुछ मूल विशेषतायें बताई जा सकती हैं जो निम्नलिखित हैं -

### 1. निश्चित भू-भाग -

निश्चित भू-भाग का तात्पर्य यहां उस सीमा एवं घेरे से है जो किसी विशेष सामाजिक-आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं वाले नागरिकों को अपनी परिधि में सम्मिलित करता है। मानव जाति की एक परम्परागत विशेषता रही है कि जब मानव परिवार किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसने के लिए प्रस्थान करता है तो वह उस स्थान को प्राथमिकता देता है जहां उसके समान सामाजिक-आर्थिक एवं धार्मिक विचारों वाले लोग निवास करते हैं। इस प्रकार धीरे-धीरे काफी परिवार उस समान विशेषता वाले परिवार के समीप आकर बस जाते हैं। इन सभी एक क्षेत्र में बसे परिवारों की समानता एवं समीपता के आधार पर इसे एक नाम दिया जाता है जो इस पूरे समुदाय क्षेत्र का परिचायक होता है। समुदाय के इस निश्चित भू-भाग में बसने के आधार पर ही उसके प्रशासन एवं सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना निर्धारित की जाती है।

## 2. व्यक्तियों का समूह -

समुदाय व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो अपनी सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक समरूपताओं के आधार पर एक निश्चित सीमा में निवास करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि समुदाय में हम मानवीय सदस्यों को सम्मिलित करते है न कि पशु-पक्षियों को।

## 3. सामुदायिक भावना -

सामुदायिक भावना का तात्पर्य यहां सदस्यों के आपसी मेल - मिलाप, पारस्परिक सम्बन्ध से हैं। वैसे तो सम्बन्ध कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां सदस्यों में एक दूसरे की जिम्मेदारी महसूस करने तथा सार्वजनिक व सामुदायिक जिम्मेदारी को महसूस करने तथा निभाने से है। आज बदलते परिवेश में मानव अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं समस्याओं से अधिक जुड़ा हुआ है न कि सामुदायिक से। प्रारम्भिक काल में व्यक्तियो में एक दूसरे के विकास एवं कल्याण के प्रति अटूट श्रद्धा थी। लोग व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों की अपेक्षा सामुदायिक जिम्मेदारियों को अधिक महत्व देते थे और सामुदायिक जिम्मेदारियों को महसूस करने में अपना सम्मान समझते थे। इस प्रकार समुदाय में 'हम की भावना' व्यापक थी। आज भी ग्रामीण समुदाय के पुराने सदस्य सामुदायिक जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देते हैं।

समुदाय में 'हम' भावना की व्यापकता का मुख्य कारण उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समीपता से है। सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से समीप सदस्यों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं में भी एकरूपता होने के कारण लोग एक दूसरे के काफी निकट रहते हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एक समुदाय का प्रशासन उस समुदाय के सम्पूर्ण सदस्यों द्वारा होता है न कि व्यक्ति विशेष द्वारा।

## 4. सर्वमान्य नियम -

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि प्राथमिक रूप से समुदाय का प्रशासन समुदाय के सदस्यों द्वारा बनाये गये नियमों पर निर्भर होता है। औपचारिक नियमों के अतिरिक्त समुदाय को एक सूत्र में बांधने, समुदाय में नियंत्रण स्थापित करने, सदस्यों को न्याय दिलाने, कमजोर सदस्यों को शोषण से बचाने तथा शोषितों पर नियंत्रण रखने या सामुदायिक व्यवहारों को नियमित करने के लिए प्रत्येक समुदाय अपनी सामुदायिक परिस्थितियों के अनुसार अनौपचारिक नियमों को जन्म देता है। इन निर्धारित नियमों (मूल्यों) का पालन प्रत्येक सामुदायिक सदस्य के लिए आवश्यक होता है। इनका उल्लंघन करने वालों को दण्डित किया जाता है।

## 5. स्वतः उत्पत्ति -

वर्तमान समय में कार्यरत विभिन्न शहरीय आवासीय योजनायें आवास की सुविधा प्रदान कर समुदाय के निर्माण में अवश्य ही सहायक साबित हो रही हैं, लेकिन प्रारम्भिक काल में समुदाय की स्थापना एवं विकास में स्वतः उत्पत्ति की प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण थी।

मानव अपने  समरूप समुदाय की स्थापना स्वयं करता है जैसे-जैसे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने की आवश्यकता महसूस करते है उनके सामने कुछ प्रश्न जा जाते है जैसे ऐसे समुदाय या स्थान पर अपना निवास स्थान बनाना जो अपनी परिस्थितियों के अनुरूप एवं सुविधाजनक हो। इसलिए सदस्यगण अपनी सुविधानुसार उपयुक्त स्थान का चयन करते हैं। धीरे-धीरे अधिकाधिक सदस्य उस स्थान को प्राथमिकता देने लगते है और वह स्थान समुदाय के रूप में परिवर्तित हो जाता है।

### 6. विशिष्ट नाम -

प्रत्येक समुदाय के स्वतः विकास के पश्चात् उसे एक नाम मिलता है। लुम्ले के अनुसार यह समरूपता का परिचायक है, यह वास्तविकता का बोध कराता है, यह अलग व्यक्तित्व को इंगित करता है, यह बहुधा व्यक्तित्व का वर्णन करता है। कानून की दृष्टि में इसके कोई अधिकार एवं कर्तव्य नहीं होते। इस प्रकार एक समुदाय अपने विशिष्ट नाम से पहचाना जाता है I

### 7. स्थायित्व -

बहुधा एक बार स्थापित समुदाय का संगठन स्थिर होता है। एक स्थिर समुदाय का उजड़ना आसान नहीं होता है। कोई विशेष समुदाय किसी विशेष समस्या के कारण उजड़ता है, अन्यथा स्थापित समुदाय सदा के लिए स्थिर होता है।

### 8. समानता -

एक समुदाय के सदस्यों के जीवन में समानता पाई जाती है। उनकी भाषा, रीति-रिवाज, रूढ़ियों आदि में भी समानता होती है। सभी सामुदायिक परम्पराएं एवं नियम सदस्यों द्वारा सामुदायिक कल्याण एवं विकास के लिए बनाये जाते है। इसलिए समुदाय में समानता पाया जाना स्वाभाविक है।

## 1.4 समुदाय का आकार

समुदाय के आकार का निर्धारण करना अत्यंत कठिन कार्य है। समुदाय का आकार बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा दोनों प्रकार का भी हो सकता है। बड़े से बड़े समुदाय में एक राष्ट्र को समुदाय की श्रेणी में रखा जा सकता है क्योंकि एक विशेष राष्ट्र के लोगों की एक भाषा एवं संस्कृति होती है जो उस राष्ट्र की विशेषता के अनुसार निर्धारित होती है। एक विशेष राष्ट्र की संस्कृति एवं सभ्यता दूसरे देश की सभ्यता एवं संस्कृति से भिन्न होती है। समुदाय के और बढ़ते आकार में हम विश्व को भी रख सकते हैं यदि एक दूसरे देश की सामाजिक-आर्थिक दूरी को कम किया जाए। विश्व का भी एक निश्चित भू-भाग है और उनका आपस में ताल-मेल है तथा विश्व का सामाजिक - आर्थिक दूरी को कम किया जाए। तथा विश्व का सामाजिक-आर्थिक विकास विश्व के सदस्यों पर निर्भर है।

छोटे समुदाय के भी अनेक उदाहरण है। राष्ट्र से छोटा यदि एक प्रान्त को देखें तो उसका भी एक निश्चित क्षेत्र है, निवासियों की सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं में एकता हे, सभी नागरिक परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा प्रान्तीय जिम्मेदारियों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी होते हैं। इसी प्रकार एक प्रान्त के अन्तर्गत हम ग्रामीण और शहरीय समुदाय देख सकते हैं।सामान्यतः गांव को समुदाय का एक उपयुक्त उदाहरण माना जाता है।

## 1.5 समुदाय तथा समाज की इकाइयों में अन्तर

समुदाय समाज एक अभिन्न अंग है। स्पष्ट है कि समुदाय समाज का वह विशिष्ट पक्ष है जिसमें समाज के सदस्य विभिन्न समूहों में निवास करते है तथा जीवन निर्वाह करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि समुदाय समाज का वह प्राथमिक आधार है। जहां के निवासियों का सम्बन्ध सामाजिक सम्बन्ध की पहचान कराने में सहायक होता है।

## समुदाय और समाज में अन्तर

1. समुदाय और समाज में समानता होते हुए भी उनमें अन्तर पाया जाता है। दोनों में सर्वप्रथम भेद यह है कि समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, जबकि समाज का कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं है जिसके आधार पर समाज की पहचान की जा सके।

2. प्रत्येक समुदाय को उसकी प्रशासन की सुविधा एवं वहां के निवासियों की सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं के कारण एक विशेष नाम दिया जाता है। कभी-कभी यह भी पाया गया है कि किसी समुदाय विशेष का नाम उस भू-क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के व्यवसाय के आधार पर निर्भर होता है। समाज में ऐसी विशेषता का अभाव पाया जाता है।

3. समुदाय एक समान सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशेषता वाले हम समूह का नाम है, किन्तु समाज में ऐसी बात नहीं है। समाज का तात्पर्य औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से सम्बन्धित विभिन्न सदस्यों द्वारा अपने जीवन निर्वाह एवं पारस्परिक विकास के लिए स्थापित सम्बन्धों से है।

4. एक समुदाय विशेष में रहने वाले सदस्यों में सामाजिक दूरी कम होने की सम्भावनायें होती हैं क्योंकि एक समुदाय में सदस्यों के मध्य हम की भावना होती है। लोग एक दूसरे के समीप आपस में मिलकर विचार-विमर्श करते हैं तथा निर्णय लेते हैं जबकि समाज का आकार बड़ा होने के कारण इन सदस्यों का सम्बन्ध दूर का और औपचारिक हो सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि समुदाय में व्यक्तिगत भावना की अपेक्षा हम भावना पायी जाती है जबकि समाज में ऐसा सम्भावित नहीं है।

5. समुदाय के सदस्यों में सामुदायिक भावना पाई जाती है। इसलिए वहां के लोग अन्य सामुदायिक सदस्यों की जिम्मेदारियों एवं समस्याओं को अपने समस्या मानकर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं तथा सहायक होते हैं। समाज में ऐसी सम्भावनायें नहीं होती है।

6. एक समुदाय के सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं तथा सामुदायिक भू-क्षेत्र का अवलोकन सरल है किन्तु पूर्ण समाज के सदस्यों के सम्बन्धों का अवलोकन कठिन हैं।

## समुदाय और समिति में अंतर :--

विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए संगठन को समिति कहते हैं। एक समुदाय में कई समितियां हो सकती हैं जैसे - महिला समिति, वृद्ध नागरिक समिति इत्यादि। स्पष्ट है कि समिति इत्यादि। स्पष्ट है कि समिति समुदाय का एक छोटा भाग है।

1. समुदाय और समिति की अपनी समताओं के अतिरिक्त इनमें अनके विषमतायें भी है। उदाहरणार्थ समुदाय किसी एक निश्चित भू-भाग से संबंधित है जबकि समिति के लिए निश्चित भू-भाग आवश्यक नहीं।

2. एक समुदाय में रहने वाले सभी सदस्य उस समुदाय के अनौपचारिक सदस्य होते हैं। समिति में सदस्यों का सम्बन्ध औपचारिक होता है। एक समुदाय के सभी सदस्य समिति के सदस्य नहीं हो सकते हैं। केवल ऐच्छिक एवं चयनित सदस्य ही किसी समिति के सदस्य हो सकते हैं।

3. समुदाय का जन्म स्वतः होता है अर्थात् अपनी इच्छा और मेल-मिलाप को सुविधानुसार लोग एक स्थान पर आकर बसने लगते हें और वह समुदाय का रूप धारण कर लेता है। समिति सोच विचार कर बनायी जाती हैं।

समुदाय के सदस्यगण समुदाय की पुरानी परम्पराओं और सामाजिक मूल्यों के माध्यम से कार्य करते हैं, जबकि समिति के सदस्य समिति के लिये बनाये गये लिखित कानून के अनुसार कार्य करते हैं।

4. समुदाय में स्थिरता पायी जाती है। इसलिये एक समुदाय अनिश्चित वर्षों तक स्थिर रहता है। समिति किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिये बनायी जाती है। उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात् इसे भंग कर दिया जाता है।

5. समुदाय के सदस्यों में अनौपचारिक सम्बन्ध होने के कारण उनका आपस में मेल-मिलाप होता है और किसी प्रकार के निर्णय लेते समय लोग एक-दूसरे के आमने-सामने बैठ निर्णय लेते हैं, जबकि समिति में औपचारिक सम्बन्धों के कारण समिति का निर्णय औपचारिक नियमों के अनुसार ही हो पाता है।

### समुदाय और संस्था में अन्तर --

जिस प्रकार व्यक्तियों को समाज के साथ तालमेल स्थापित करने, उनके पारस्परिक सामाजिक विकास एवं उनके व्यवहारों को नियमित करने के लिये नियमों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार समुदाय के सदस्यों का आपस में तालमेल स्थापित करने, उनके व्यवहारों को समुदाय के अनुरूप बनाने तथा उनके पारस्परिक सामुदायिक विकास के लिए संस्था नियम बनाती है जिससे सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित होता है। इस प्रकार स्पष्ट हे कि समुदाय के व्यवहारों को नियमित रूप देने के लिये सामुदायिक नियम की आवश्यकता होती है जिसकी रचना संस्था करती है। इस प्रकार स्पष्ट हे कि समुदाय और समिति में घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। लेकिन इसके बावजूद समुदाय और संस्था भी एक दूसरे से भिन्न हैं।

1. यदि संस्था को नियमों एवं मूल्यों की व्यवस्था कहा जाये तो समुदाय व्यक्तियों का समूह है। अतः समुदाय व्यक्तियों पर आधारित है जबकि संस्था नियमों पर।

2. संस्था उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए स्वीकृत एक कार्य-विधि का नाम है, जबकि समुदाय एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सदस्यों के अनौपचारिक सम्बन्धों का नाम है।

3. संस्था नियम, कानून एवं रीतियों पर आधारित है जबकि समुदाय सदस्यों की हम भावना पर।

इस प्रकार स्पष्ट है कि समुदाय,समाज,समिति,और संस्था में अंतर होने के बावजूद भी ये सभी इकाईयां एक दूसरे से सह-सम्बंधित है I

## 1.6 समुदाय के प्रकार

विभिन्न पहलुओं जैसे आयाम, गतिशीलता, सदस्यों की संख्या एवं जीवन को प्रभावित करने वाले तरीकों इत्यादि के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने समुदाय को दो प्रमुख संरचनाओं के अन्तर्गत विभाजित किया है जो इस प्रकार है :-

1. ग्रामीण समुदाय
2. नगरीय समुदाय

## 1.7 ग्रामीण समुदाय

प्रारम्भिक काल से ही मानव जीवन का निवास स्थान ग्रामीण समुदाय रहा है। धीरे-धीरे एक ऐसा समय आया जब हमारी ग्रामीण जनसंख्या चरमोत्कर्ष पर पहुंच गयी। आज औद्योगिकीकरण, शहरीकरण का प्रभाव

मानव को शहर की तरफ प्रोत्साहित तो कर रहा है लेकिन आज भी शहरीय दूषित वातावरण से प्रभावित लोग ग्रामीण पवित्रता एवं शुद्धता को देख ग्रामीण समुदाय में बसने के लिए प्रोत्साहित हो रहे है।

आज ग्रामीण समुदाय के बदलते परिवेश में ग्रामीण समुदाय की परिभाषित करना कठिन है। ग्रामीण समुदाय की कुछ प्राचीन प्रचलित विशेषतायें जैसे कृषि का मुख्य व्यवसाय होना, हम भावना, साधारण जीवन स्तर आदि सार्वभौमिक थीं, लेकिन आज औद्योगिकीकरण, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का प्रभाव ग्रामीण समुदायों में कुछ आश्चर्यजनक परिवर्तन ले आया है। इसलिये ग्रामीण जीवन शहरी जीवन के समीप आता दिखाई दे रहा है। अतः शहरी समुदाय से भिन्न ग्रामीण समुदाय को परिभाषित करना कठिन है।

## ग्रामीण समुदाय का अर्थ

विभिन्न विद्वानों द्वारा ग्रामीण समुदाय की कुछ परिभाषायें निम्नलिखित है -

1. एन0एल0 सिम्स के अनुसार -

''समाजशास्त्रियों में ग्रामीण समुदाय शब्द की कुछ ऐसे विस्तृत क्षेत्रों तक सीमित कर देने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति है जिनमें कि सब या अधिकतर मानवीय स्वार्थों की पूर्ति होती है।''

स्पष्ट है कि आप ग्रामीण समुदाय को अधिकाधिक मानवीय स्वार्थों की पूर्ति का विस्तृत क्षेत्र मानते हैं।

2. मेरिल और एलरिज के अनुसार -

''ग्रामीण समुदाय के अन्तर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है, जो छोटे से केन्द्र के चारों और संगठित होते हैं तथा सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लते हैं।''

आप ने अपनी परिभाषा में ग्रामीण समुदाय को संस्थाओं और व्यक्तियों का संकलन माना है जो प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं।

इन उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हे कि ग्रामीण समुदाय एक ऐसे भू-क्षेत्र का नाम है, जहाँ के व्यक्तियों का जीवन कृषि एवं सम्बन्धित कार्य पर निर्भर है और उनमें एक-दूसरे के प्रति कुछ अधिक लगाव, नजदीक का सम्बन्ध तथा उन का जीवन सामाजिक मूल्यों एवं संस्थाओं में प्रभावित होता है।

### ग्रामीण समुदाय की विशेषतायें

ग्रामीण समुदाय की कुछ ऐसी विशेषतायें होती है जो अन्य समुदायों में नहीं पयी जाती हैं। ग्रामीण समुदाय में पाये जाने वाला प्रतिमान एक विशेष प्रकार का होता है जो आज भी कुछ सीमा तक नगर समुदाय से भिन्न है। ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं में निम्नलिखित प्रमुख हैं -

### 1. कृषि व्यवसाय -

ग्रामीण अंचल में रहने वाले अधिकाधिक ग्रामवासियों का खेती योग्य जमीन पर स्वामित्व होता है, खेती करना और कराना उन्हें उनके परिवार के वयोवृद्ध सदस्यों द्वारा प्राप्त होता है। धीरे-धीरे आज सरकार के बढ़ते कृषि विकास कार्यक्रम एवं उपलब्ध आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के फलस्वरूप उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। यद्यपि एक ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं जिनके पास खेती योग्य जमीन नहीं होती। वे लोहारी, सोनारी जैसे छोटे-छोटे उद्योग धन्धों में लगे रहते हैं। लेकिन उनके भी दिल में कृषि के प्रति लगाव होता है। कृषकों को वे बराबर सम्मानित करते हैं तथ महससू करते है कि काश उनके पास भी खेती योग्य जमीन होती। इस प्रकार

स्पष्ट है कि उनमें भूमि के प्रति अटूट श्रद्धा होती है। कुछ गरीब और कृषि योग्य जमीन न रखने वाले ग्रामीण वासियों का भी जीवन कृषि कार्य से जुड़ा होता है अर्थात् उनका जीवन भी कृषि कार्य पर निर्भर होता है।

### 2. प्राकृतिक निकटता -

जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके है कि ग्रामवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं उससे सम्बन्धित कार्य होता है। सभी जानते हैं कि खेती का सीधा सम्बन्ध प्रकृति से है। स्पष्ट है कि ग्रामीण जीवन प्रकृति पर आश्रित रहता है। इसीलिए मैक्समूलन ने लिखा है - यही कारण है कि भारत वर्ष में, जो कि गांवों का देश है, सूर्य, चन्द्र वरूण, गंगा आदि भी देवी-देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। स्पष्ट है कि ग्रामीण नागरिक प्रकृति के भयंकर एवं कोमल रूप से पूर्ण परिचित होता है और उसके रमणीक रूप की आकांक्षा करता है।

### 3. जातिवाद एवं धर्म का अधिक महत्व-

रूढ़िवादिता एवं परम्परावाद ग्रामीण जीवन के मूल समाजशास्त्रीय लक्ष्य है। फलस्वरूप आज भी हमारे ग्रामीण समुदाय में अधिकाधिक लोगों की जाति वाद, धर्मवाद में अटूट श्रद्धा है। देखा जाता है कि ग्रामीण निवासी अपने-अपने धर्म एवं जाति के बड़प्पन में ही अपना सम्मान समझते हैं। ग्रामीण समुदाय में जातीयता पर ही पंचायतों का निर्माण होता है। ग्रामीण समाज में छुआ-छूत व संकीर्णता पर विशेष बल दिया जाता है। इसी प्रकार उनको विश्वास होता है कि पुण्य कार्यों के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वर्ग की उपलब्धि भी उसी पर निर्भर है। स्वर्ग व नरक की भावना से ही व्यक्ति पापों से दूर रहता है।

### 4. सरल और सादा जीवन -

ग्रामीण समुदाय के अधिकाधिक सदस्यों का जीवन सरल एवं सामान्य होता है। इनके ऊपर शहरीय चमक-दमक का प्रभाव कम होता है। उनका जीवन कृत्रिमता से दूर सादगी में रमा होता है। उनका भोजन, खान-पान एवं रहन-सहन सादा एवं शुद्ध होता है। गांव का शिष्टाचार, आचार-विचार एवं व्यवहार सरल एवं वास्तविक होता है तथा अतिथि के प्रति अटूट श्रद्धा एवं लगाव होती है।

### 5. संयुक्त परिवार -

ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवार का अपना विशेष महत्व है। इसीलिए ग्रामीण लोग पारिवारिक सम्मान के विषय में सर्वदा सजग रहते हैं। परिवार को टूटने से बचाना तथा पारिवारिक समस्याओं को अन्य परिवारों से गोपनीय रख निपटाने का वे भरसक प्रयास करते हैं। पारिवारिक विघटन का सम्बन्ध उनकी सामाजिक परिस्थिति एवं सम्मान से जुड़ा होता है। इसलिये परिवार का मुखिया एवं बड़े-बूढ़े सदस्य इसे अपना सम्मान समझ कर परिवार की एकता को बनाये रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।

### 6. सामाजिक जीवन में समीपता -

वास्तव में ग्रामीण जीवन में अत्यधिक समीपता पाई जाती है। अधिकाधिक ग्रामीण समुदायों में केवल व्यवसायिक समीपता ही नहीं, अपितु उनके सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन में अत्यधिक समीपता पाई जाती है। इस समीपता का मुख्य कारण कृषि एवं उससे सम्बन्धित व्यवसाय है। यदि कृषि को ग्रामीण समुदाय की धुरी माना जाय तो गलत न होगा जो कि सम्पूर्ण ग्रामीण परिवार को एक दूसरे के समीप लाता है। इस समीपता का दूसरा प्रमुख कारण ग्रामीण समुदाय में समान धर्म के लोगों की बाहुल्यता का होना है।

### 7. सामुदायिक भावना -

ग्रामीण समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनमें व्याप्त सामुदायिक भावना है। ग्रामीण समुदाय के सदस्यों में व्यक्तिगत निर्भरता के स्थान पर सामुदायिक निर्भरता अधिक पायी जाती है। इसलिये लोग एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। सामुदायिक विकास एवं विघटन के लिए न केवल समुदाय का व्यक्ति विशेष जिम्मेदार होता है बल्कि सम्पूर्ण सदस्यों को जिम्मेदार समझा जाता है। सामुदायिक नियंत्रण एवं सदस्यों के व्यवहारों का नियमन भी वहां के सदस्यों पर निर्भर होता है। सामुदायिक सदस्य बुराइयों के जिम्मेदार सदस्यों को दण्ड देने, आपसी ताल-मेल को बनाये रखने तथा पारस्परिक विकास के लिये नियम भी बनाते हें। ग्रामीण समुदाय के एक सीमित क्षेत्र में बसने के कारण सदस्यों की आपसी समीपता बड़ जाती है, उनमें स्वभावता, हम भावना का विकास हो जाता है जिसे सामुदायिक भावना का नाम दिया जाता है।

### 8. स्त्रियों की निम्न स्थिति -

ग्रामीण समुदाय की अशिक्षा, अज्ञानता एवं रूढ़िवादिता का सीधा प्रभाव ग्रामीण स्त्रियों की स्थिति पर पड़ता है। भारतीय ग्रामीण समुदाय में अभी भी अशिक्षा काफी अधिक है, परिणामस्वरूप ग्रामीण सदस्यों का व्यवहार रूढ़ियों एवं पुराने सामाजिक मूल्यों से प्रभावित होता है। कुछ भारतीय ग्रामीण बस्तियों में शिक्षा का प्रभाव ग्रामीण महिलाओं के जीवन में ऐच्छिक परिवर्तन लाने में सहायक ही रहा है लेकिन आज भी अधिकाधिक ग्रामीण समुदाय में बाल-विवाह, दहेज-प्रथा, पर्दा-प्रथा, लड़कियों की शिक्षा एवं नौकरी पर रोक लगाना, विधवाओं को पुनर्विवाह से वंचित करना आदि तथ्य सार्वभौमिक रूप से दिखाई देते हैं जो स्त्रियों की दयनीय दशा के लिये उत्तरदायी है।

### 9. धर्म एवं परम्परागत बातों में अधिक विश्वास -

ग्रामीण लोग धर्म, पुरानी परम्पराओं एवं रूढ़ियों में विश्वास करते हैं। तथा उनका जीवन सामुदायिक व्यवहार, धार्मिक नियमों एवं परम्पराओं से प्रभावित होता है। ग्रामीण समुदाय का सीमित क्षेत्र उसे बाहरी दुनिया के प्रभावों से मुक्त रखता है और इसी कारण उसमें विस्तृत दृष्टिकोण भी, आसानी से नहीं पनप पाता। अतः ग्रामीण लोग नयी चीजों से दूर अपनी पुरानी परम्पराओं में लुप्त रहते हैं तथा धर्मपरायण बने रहते हैं।

### 10. भाग्यवादिता एवं अशिक्षा का बाहुल्य -

ग्रामीण समुदाय में शिक्षा का प्रचार-प्रसार अभी भी कम है। शिक्षा के अभाव में ग्रामवासी अनेक अन्धविश्वासों और कुसंस्कारों का शिकार बने रहते हैं तथा भाग्यवादिता पर अधिक विश्वास करते हैं।

इन उपर्युक्त ग्रामीण विशेषताओं से स्पष्ट है कि परम्परावादिता उनकी सर्वप्रमुख विशेषता है। जैसे-जैसे सरकार एवं स्वयं सेवी संगठनों के प्रयास से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का कार्यन्वयन बढ़ता जा रहा है वैसे-वैसे उनके जीवन में परिवर्तन आता जा रहा है। आज कुछ गांवों में हो रहे ऐच्छिक परिवर्तनों एवं विकासात्मक विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समुदाय शहरी समुदाय की विशेषताओं के नजदीक आता जा रहा है। कुछ ग्रामीण समुदाय आज भी ऐसे विकसित दिखाई देते हैं जिनकी देखने से ज्ञात होता है कि इनमें और शहरी समुदाय में बहुत कम दूरी रह गयी है।

## ग्रामीण समुदाय का बदलता स्वरूप

परिवर्तन समाज का परम्परागत नियम है। इसलिये समय के साथ-साथ समाज बदलता रहता है भले ही बदलाव की गति मन्द हो या तीव्र। भारतीय समाज का जो वर्तमान रूप है वह शताब्दी पूर्व के भारतीय समाज से पूर्णतया भिन्न है। आज सामाजिक औद्योगिकी अर्थतन्त्र, सामाजिक संस्थाएं, विचार दर्शन, कला तथा धर्म आदि में निरन्तर परिवर्तन आ रहा है।

इन परिवर्तनों के फलस्वरूप ग्रामीण समाज में दर्शनीय परिवर्तन आये हैं। यह परिवर्तन विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। इन सभी परिवर्तनों का सम्बन्ध ग्रामीण समाज के बाह्य और आन्तरिक दोनों पक्षों से है। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली, यातायात और संचार की सुविधायें, औद्योगिकीकरण, प्रौद्योगिकी, राजनैतिक तथा समाज सुधार आन्दोलन, सामाजिक अधिनियम तथा सामाजिक विकास कार्यक्रम इत्यादि कुछ ऐसे कारक हैं जिनके परिणामस्वरूप ग्रामीण समुदाय में परिवर्तन की गति तीव्र हुई है। इन सब कारकों ने ग्रामीण संस्कृति एवं सभ्यता को प्रभावित किया है, जिससे ग्रामीण समाज बदलने लगा है। ग्रामीण समाज के विभिन्न पक्षों में यह परिवर्तन दिखाई देने लगा है। कुछ प्रमुख परिवर्तनों का उल्लेख निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है।

### 1. कार्य और पद में परिवर्तन -

भारतीय समुदाय में व्यक्तियों के कार्य एवं पद का बंटवारा उनके जन्मे परिवार एवं उनके कर्म के साथ निर्धारित था इसलिए व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म से माना गया है। भारतीय ग्रामीण समुदाय जातिगत है। प्रत्येक जाति की परिस्थिति पहले से ही निर्धारित होती थी उदाहरणार्थ लुहार को लोहे का कार्य, सुनार को सोने का कार्य, वैश्य को व्यापार का, ब्राह्मण को पठन-पाठन का कार्य इत्यादि। लेकिन विगत वर्षों में इस परम्परात्मक कार्य में काफी परिवर्तन आया है। आज ग्रामीण समुदाय में भी व्यक्ति के जन्मगत स्तर के साथ-साथ उसके अर्जित स्तर को भी मान्यता दी जाने लगी है। आज अधिकाधिक व्यक्तियों के कार्य एवं पद के निर्धारण में उनकी योग्यता, प्रशिक्षण एवं रूचियों पर ध्यान दिया जाता है न कि जन्म पर।

### 2. जाति विशेष की प्रभुता में कमी -

प्राचीन काल में ग्रामीण सामाजिक संगठन के अन्तर्गत प्रारम्भ में कुछ जातियां अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक प्रभुत्वपूर्ण थीं। आर्थिक सम्पन्नता के कारण वे निम्न जातियों पर नियंत्रण कायम करने में पूर्ण सक्षम थी। इसलिये उन्हें अन्य जातियों की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता था। लेकिन आज इन जातियों की प्रभुत्ता में कमी आयी है। इसके साथ-साथ पंचायतें जो पहले उच्च जाति द्वारा नियंत्रित होती थीं, अब उनकी संरचना में भी परिवर्तन आ रहा है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिकता के स्थान पर अब व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिल रहा है।

### 3. आत्मनिर्भरता का ह्रास -

आरम्भ में भारतीय गांव एक क्षेत्रीय इकाई होने के साथ-साथ आत्मनिर्भर भी होते थे। ग्रामीण जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। लेकिन आज बढ़ती हुई महंगाई, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण के परिणामस्वरूप कृषि मुख्य व्यवसाय होते हुये भी ग्रामीण अंचल में आत्मनिर्भरता नहीं के बराबर है।

### 4. सामुदायिक भावना में कमी -

पहले ग्रामीण सदस्यों का दृष्टिकोण सामुदायिक था। वे व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा पूरे गांव के हितों को विशेष महत्व देते थे। लेकिन कुछ विगत वर्षों से इस दृष्टिकोण में बदलाव आया है। परिणामस्वरूप अब गोत्र की अपेक्षा व्यक्तिगत हितों पर विशेष बल दिया जाने लगा है।

### 5. नेतृत्व में परिवर्तन -

ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन पंचायत राज्य की स्थापना, मताधिकारों की स्वतन्त्रता तथा आर्थिक परिवर्तन नवीन नेतृत्व प्रणाली को जन्म दे रहा है। इसके पहले गांवों में परम्परागत नेतृत्व का बोलबाला था, जो व्यक्ति के सम्मान, आयु एवं उसकी जाति पर आधारित था। गांव के कुछ व्यक्तियों को गांव के अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक कुशल एवं दूरदर्शी माना जाता था जिन्हें लोग नेता मान लेते थे। समयानुसार ऐसे परिवार के बच्चों को भी उसी प्रकार का नेतृत्व एवं प्रशिक्षण प्रदान कर नेता के योग्य बनाया जाता था जिससे भविष्य में वे सामुदायिक नेतृत्व सम्भाल सकें। लेकिन आज सभी नागरिकों को सवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वे अपने विश्वसनीय व्यक्ति को नेता बतायें। अतः आज कोई भी नेता बन सकता है। यहां तक कि अब पिछड़ी जातियों एवं महिलाओं के प्रोत्साहन के लिये कुछ नेतृत्व की सीटे आरक्षित रखी जा रही हैं।

### 6. संयुक्त परिवार का विघटन -

प्रारम्भ में गांव में संयुक्त परिवार का बाहुल्य था। परिवार का आकार बहुत बड़ा होता था और सब लोग मिल जुल कर रहते थे लेकिन विगत वर्षों में आर्थिक संरचना में आये परिवर्तन संयुक्त परिवार के सदस्यों को स्वतंत्रता एवं व्यक्तिवादिता की तरफ ले जा रहे हैं। परिणामस्वरूप लोग संयुक्त परिवार के स्थान पर एकांकी परिवार को अपनाने लगे हैं।

### 7. अपराधों में वृद्धि -

ग्रामीण समुदाय में बढ़ रही जनसंख्या, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्हें चारों तरफ से जकड़ रही है। यहां तक कि ग्रामीण जीवन को राजनीति भी बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। इन सबके कारण ग्रामीण समुदाय में अपराधों की संख्या भी बढ़ रही है। यद्यपि सरकारी सुधारात्मक एवं विकासात्मक प्रयास जारी हैं लेकिन उनके साथ-साथ अनेक प्रकार के अपराध भी बढ़ रहें हैं। परिणामस्वरूप आज कुछ ग्रामीण जनसंख्या शहरी निवास को प्राथमिकता दे रही है।

उन उपर्युक्त परिवर्तित परिस्थितियों एवं बढ़ रही समस्याओं से स्पष्ट है कि आज कार्यरत सरकारी एवं गैर-सरकारी कल्याणकारी सेवायें एवं साधन सीमिति है या इनका उचित लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अतः प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता एवं स्वयं सेवी संगठनों को चाहिये कि वे ग्रामीण समुदाय में परिवर्तनशील कारकों एवं वर्तमान स्थितियों का अध्ययन कर वहां के निवासियों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के अनुसार जरूरतमन्द योजना बनाने में सदस्यों की सहायता करें और सामुदायिक कल्याण, परिवर्तन, सुधार एवं विकास को साकार बनाने का प्रयास करें।

## 1.8 नगरीय समुदाय

नगर के विकास के इतिहास से पता चलता है कि कुछ नगर तो नियोजित ढंग से बसाये गये हैं, लेकिन कुछ ग्रामीण समुदाय के आकार के बढ़ने से नगर का रूप धारण कर गये हैं। आज भी स्पष्ट है कि नियोजित ढंग से

बसाये जा रहे शहरी समुदायों के अतिरिक्त, स्थान विशेष में निवास करने वाले सदस्यों के उच्च जीवन-स्तर एवं विकसित संस्कृति, सभ्यता तथा बढ़ती हुयी जनसंख्या को देख उसको उचित श्रेणी के शहर का दर्जा दिया जाता है।

## नगरीय समुदाय का अर्थ -

नगरीय शब्द 'नगर' से बना है जिसका अर्थ शहर से सम्बन्धित है। वैसे शहरी समुदाय को एक सूत्र में बांधना अत्यन्त कठिन है। यद्यपि हम नगरीय समुदाय को देखते हैं, वहां के विचारों से पूर्ण अवगत हैं लेकिन उसे पारिभाषित करना आसान नहीं हैं। कुछ समाजशास्त्रियों ने नगरीय समुदाय को पारिभाषित किया है जिनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं -

1. मैकाइवर के अनुसार -

''ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय के मध्य कोई ऐसी सुस्पष्ट विभाजन रेखा नहीं हैं, जो यह निश्चित कर सके कि नगर का अमुक बिन्दु पर अन्त होता है तथा देहात का अमुक बिन्दु पर प्रारम्भ होता है।''

2. विलकावस के अनुसार -

''नगरों के अन्तर्गत उन समस्त क्षेत्रों को लिया जा सकता है जिनमें जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग मील एक हजार से अधिक हो और जहां वास्तव में कोई कृषि नहीं हेाती हो।''

3. सोमवार्ट के अनुसार -

''नगर वह स्थान है जो इतना बड़ा है कि उसके निवासी परस्पर एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं।''

4. ई0ई0 बर्गेल के अनुसार -

''इस प्रकार हम उस बस्ती को एक नगर कहेंगे जहां के अधिकांश निवासी कृषि कार्यों के अतिरिक्त उद्योगों में व्यस्त हों।''

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि नगरीय समुदाय उस समुदाय का नाम है जहां की जनसंख्या तुलनात्मक दृष्टि से ग्रामीण समुदाय से अधिक हो, निवासियों का जीवन-स्तर उच्च हो, उनका जीवन कृषि से अलग अन्य व्यवसायों पर निर्भर हो तथा वहां की संस्कृति एवं सभ्यता में आधुनिकता की छाप हो। इस परिभाषा में अत्यधिक पक्षों को सम्मिलित किया गया है लेकिन फिर भी यह देखा जाता है कि नगरीय समुदाय में ही झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले भी लोग आते हैं जिनका जीवन-स्तर ग्रामीण समुदाय से भी निम्न कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

## नगरीय समुदाय की विशेषताएं -

विभिन्न विद्वानों द्वारा व्यक्त परिभाषाओं के अतिरिक्त, नगरीय समुदाय की स्पष्टता के लिये आवश्यक है कि इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं की चर्चा की जाय जिससे सम्बन्धित प्रत्येक पक्ष नगरीय समुदाय को चित्रित कर सके। इसकी कुछ प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं -

**जनसंख्या का अधिक घनत्व –**

रोजगार की तलाश में गांवों से शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगार व्यक्ति शहर में आते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण आज सीमित जमीन में लोगों को जीवन निर्वाह करना कठिन पड़ रहा है। फलस्वरूप लोग रोजगार की

तलाश में शहरों को प्राथमिकता देते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण पिछड़ापन एवं विकसित सुविधा एवं साधनों के कारण कुछ लोग बच्चों को उचित शिक्षा देने तथा आवश्यक वातावरण देने के लिये शहर की तरफ प्रस्थान करते हैं। इन सब कारणों से नगरीय जनसंख्या का घनत्व ग्रामीण समुदाय से अधिक पाया जाता है।

**विभिन्न संस्कृति का केन्द्र –**

कोई नगर किसी एक विशेष संस्कृति के जन समुदाय के लिये आरक्षित नहीं होता। इसलिये देश के विभिन्न गांवों से लोग नगर में आते हैं और वहीं बस जाते हैं। ये लोग विभिन्न रीति-रिवाजों में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मानते हैं। इसलिए नगर एक भारतीय संस्कृति का केन्द्र होते हुये भी विभिन्न संस्कृतियों का केन्द्र है।

**औपचारिक सम्बन्ध –**

नगरीय समुदाय में औपचारिक सम्बन्धों का बाहुल्य होता है। देखा जाता है कि सदस्यों का व्यक्तिगत जीवन एवं उनकी व्यक्तिगत निर्भरता के कारण उनका आपसी सम्बन्ध औपचारिक होता है। उनके पारस्परिक सम्बन्धों का कानून से नियमन होता है। अतएवं नगरीय समुदाय में सदस्यों के सम्बन्धों में घनिष्टता नहीं पाई जाती है और वे औपचारिक होते हैं।

**अंध-विश्वासों में कमी –**

नगरीय समुदाय में विकास के साधन एवं सुविधाओं की उपलब्धता के साथ-साथ यहां शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता का स्तर ग्रामीण समुदाय से अधिक पाया जाता है। अतएवं स्पष्ट है कि यहां के लोगों का पुराने अंध-विश्वासों एवं रूढ़ियों में कम विश्वास होगा। इसके अतिरिक्त नगरीय सामुदायिक जीवन व्यस्त होने के कारण उनको समय नहीं मिल पाता है कि वे पुराने रीति-रिवाजों एवं अन्ध विश्वासों का पालन कर सकें।

**अपरिचितता –**

नगरीय समुदाय की विशालता एवं उसके व्यस्त जीवन के कारण लोगों को पता नहीं होता कि पड़ोस में कौन रहता है और क्या करता है। बहुधा देखा गया है कि लोग एक दूसरे के विषय में जानने तथा उनके साथ ताल-मेल रखने में कम रूचि रखते है अनेक नगरवासी सामाजिक रिक्तता में निवास करते हैं। उनके सामाजिक व्यवहार को नियमित अथवा नियंत्रित करने वाले संस्थात्मक आदर्श नियम प्रभावी नहीं होते। यद्यपि वे अपने चारों ओर अनेक संस्थागत संगठनों से परिचित होते हैं, लेकिन अपने आस-पास के लोगों से तथापि वे किसी समूह अथवा समुदाय के प्रति अपनापन अनुभव नहीं करते। सामाजिक रूप में वे प्रचुरता के मध्य निर्धन होते हैं।

**आवास की समस्या –**

आज विभिन्न कार्यकारी आवासीय येाजनाओं के बावजूद भी बड़े-बड़े नगरों में आवास की समस्या अति गम्भीर होती जा रही है। अनके गरीब एवं कमजोर लोग अपनी रातें सड़क,बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर व्यतीत करते हैं। अधिकाधिक मध्यवर्गीय व्यक्तियों के पास औसतन केवल एक या दो कमरों के मकान होते हैं। कारखानों वाले नगरों में नौकरी की तलाश में श्रमिकों की संख्या बढ़ जाती है जिसके कारण उनके रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाता है और झुग्गी-झोपड़ी जैसी बस्तियां बढ़ने लगती हैं।

**वर्ग-अतिवाद –**

नगरीय समुदाय में धनियों में धनी और गरीबों में गरीब वर्ग के लोग पाये जाते हैं अर्थात् यहां भव्य कोठियों में रहने वाले, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले तथा दूसरे तरफ मकानों के अभाव में गरीब एवं कमजोर सड़क पर सोने वाले, भर पेट भोजन न नसीब होने वाले लोग भी निवास करते हैं। इसी प्रकार अच्छे से अच्छे पढ़े-लिखे व्यवहार कुशल लोग भी मिलेंगे, दूसरे तरफ निम्न स्तर के धोखा-धड़ी करने वाले भी नगर में ही पाये जाते हैं।

**श्रम-विभाजन –**

नगरीय समुदाय में अनेक व्यवसाय वाले लोग होते हैं। जहां ग्रामीण समुदाय में अधिकाधिक लोगों का जीवन कृषि एवं उससे सम्बन्धित कार्यों पर निर्भर होता है वहीं दूसरी तरफ नगरीय समुदाय में व्यापार-व्यवसाय, नौकरी, अध्ययन आदि पर लोगों का जीवन निर्भर होता है। नगरीय समुदाय में स्त्रियों को भी बाहर निकलने तथा पारिवारिक आर्थिक भार में हाथ बंटाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। वे भी पुरूषों के समान विभिन्न व्यवसायों में पुरूषों का हाथ बंटा रही हैं।

**एकाकी परिवार की महत्ता –**

नगरीय समुदाय में उच्च जीवन-सतर की आकांक्षा के फलस्वरूप संयुक्त परिवार की जिम्मेदारियां वहन करना कठिनतम साबित होता है। अतएवं शहरी समुदाय में एकाकी परिवार का बाहुल्य होता है। इन परिवारों में लगभग स्त्री एवं पुरूषों की स्थिति में समानता पायी जाती है। इन परिवारों में नियंत्रण के अभाव के कारण पारिवारिक विघटन की प्रक्रिया तीव्र रहती है।

**धार्मिक लगाव की कमी –**

शहरी जीवन में व्याप्त शिक्षा एवं भौतिकवाद उन्हें धार्मिक पूजा-पाठ एवं अन्य सम्बन्धित कर्मकाण्डों से दूर कर देते हैं। इसलिए यहां धर्म को कम महत्व दिया जाता है।

**सामाजिक गतिशीलता –**

शहरी जीवन में अत्यधिक गतिशीलता पायी जाती है। जहां गांव का जीवन शांत और सरल होता है वहीं शहर का जीवन अत्यधिक व्यस्तम होता है।

**राजनैतिक लगाव –**

नगरीय जीवन में बढ़ती शिक्षा, गतिशीलता एवं परिवर्तित सभ्यता राजनैतिक क्षेत्र में लोगों की रूचि बढ़ा देती है। इनको अपने अधिकारों, कर्तव्यों एवं राजनैतिक गतिविधियों का ज्ञान होने लगता है और इससे राजनैतिक क्षेत्र में झुकाव बढ़ जाता है।

इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध समाजशास्त्री किग्सलैं डैविस ने नगरीय समुदाय की निम्नलिखित विशेषतायें बतायी हैं -

1. सामाजिक विविधता
2. द्वैतीयक समितियां
3. द्वैतीयक नियंत्रण
4. ऐच्छिक समितियां

5. व्यक्तिवाद

6. सामाजिक गतिशीलता

7. सामाजिक सहिष्णुता

8. क्षेत्रीय पृथकता

9. सामुदायिक भावना का अभाव

10. गतिशील जीवन

## 1.9 ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में अन्तर

ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय की विभिन्न परिभाषाओं एवं विशेषताओं से स्पष्ट है कि दोनों में व्याप्त समानताओं के बावजूद दोनों में काफी भिन्नता है जिसे निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है -

1. ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवार का बाहुल्य होता है और परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है जबकि नगरीय समुदाय में एकाकी परिवार का बाहुल्य होता है और परिवार में सदस्यों की संख्या कम होती है

2. ग्रामीण समुदाय में सदस्यों का जीवन संयमित एवं नियंत्रित होता है।जबकि नगरीय समुदाय में व्यक्तियों के पथभ्रष्ट होने की सम्भावना अधिक रहती है।

3. ग्रामीण समुदाय में परिवारिक प्रथाओं, रीति-रिवाजों व मूल्यों एवं परम्पराओं द्वारा सामाजिक नियंत्रण स्थापित होता है। जबकि नगरीय समुदायों में सामाजिक नियंत्रण कानूनों द्वारा होता है।

4. ग्रामीण समुदाय में प्राथमिक समूहों का महत्व होता है और सदस्यों में आपसी सम्बन्ध अनौपचारिक होते है। जबकि नगरीय समुदाय में द्वैतीयक समूहों का महत्व होता है और सदस्यों के बीच औपचारिक सम्बन्धों का प्राधान्य होता है।

5. ग्रामीण समुदाय में सामान्यतया रूढ़िवादिता का जोर होता है। जबकि नगरीय समुदाय में लोग रूढ़ियों एवं सामाजिक परम्पराओं से अपेक्षाकृत कम प्रभावित होते हैं।

6. ग्रामीण समुदायों में घनिष्ठता, स्थायित्व, सहयोग तथा अपरिवर्तनशीलता पायी जाती है। जबकि नगरीय समुदाय में जटिलता,व्यस्तता, औपचारिकता तथा परिवर्तनशीलता पायी जाती है।

7. ग्रामीण समुदाय में कृषि एकमात्र प्रमुख व्यवसाय है। जबकि नगरीय समुदाय में विभिन्न व्यवसाय होते हैं।

8. ग्रामीण समुदाय में सांस्कृतिक एकरूपता पायी जाती है।जबकि नगरीय समुदाय में कई संस्कृतियां पायी जाती है अर्थात् सांस्कृतिक भिन्नता पायी जाती है।

9. ग्रामीण सदस्यों का जीवन सरल, निष्कपट एवं सादा होता है। जबकि नगरीय समुदाय में बनावट, जटिलता और चालाकी अधिक पायी जाती है।

10. ग्रामीण समुदाय के सदस्यों में सामुदायिक भावना पायी जाती है। जबकि नगरीय समुदाय में व्यक्तिगत भावना का बोलबाला होता है।

11. ग्रामीण समुदाय में भाग्यवादिता, सहिष्णुता एवं अन्धविश्वास अधिक पाया जाता है। जबकि नगरीय समुदाय में अपने परिश्रम एवं कर्तव्यों पर ज्यादा विश्वास किया जाता है।

## 1.10 सारांश

प्रस्तुत इकाई के अन्तर्गत समुदाय के मूल तत्वों, अर्थों, परिभाषाओं तथा अवधारणा को समझाने का प्रयास किया गया है। इसके साथ-साथ समुदाय के प्रकारों का भी वर्णन किया गया है। अंत में ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय के मध्य अंतर स्पष्ट किया गया है I

## 1.11 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. समुदाय का क्या अर्थ है
2. समुदाय और समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए।
3. ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में अन्तर बताइये |

## 1.12 सन्दर्भ-साहित्य


1. अहमद, मिर्जा रफीउद्दीन- समाज कार्य दर्शन एवं प्रणालियाँ,ब्रिटिश बुक डिपो, लखनऊ, 1967।
2. आगवर्न एण्ड निमकाफ- ए हैण्डबुक ऑफ सोशियोलोजी, राउटलेज एण्ड केगनपाल लि0, लंदन 1957।
3. आप्टेकर हरवर्ट - बेसिक कान्सेप्ट्स इन सोशल वर्क, यूनिवर्सिटी आवनार्थ कैरोलिना प्रेस, चैपेल हिल, 1941.
4. आरथर हिलमैन - कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन एण्ड प्लानिंग, द मैकमिलन कम्पनी, न्यूयार्क, 1957.
5. आसबर्न, एल0 उी0 न्यूमेयर, एम0 एच0 - द कम्यूनिटी एण्ड सोसाइटी।
6. इण्डियन कान्फ्रेन्स आफ सोशल वर्क, स्पेशल ऐन्निवर्सरी, नवम्बर-दिसम्बर, 1957.
7. इण्डिया - कम्यूनिटी डवैलपमेन्ट प्रोग्राम इन इण्डिया, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1963.
8. इण्डिया - कम्यूनिटी डवैलपमेन्ट ऐट ऐ ग्लान्स, दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1962.
9. इण्डिया - कम्यूनिटी डवैलपमेन्ट एण्ड कोआपरेशन, गाइड टू कम्युनिटी डैवलपमेंन्ट सैकेन्ड रेव0 इड0, दिल्ली, गवर्नमेन्ट प्रेस, 1957.
10. इण्डिया - ए रिपोर्ट ऑन द ऐनुअल कान्फ्रेन्स आन कम्युनिटी डैवलपमेंन्ट एण्ड पंचायत राज, न्यू दिल्ली , जुलाई 1964, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1964.
11. इण्डिया - द स्कोप आफ एक्सटेन्सन इन कम्युनिटी डैवेलपमेंन्ट, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1961.
12. ऐण्डरसन, जे0 - सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन, सोशल वर्क इयर बुक, रसेल सेज फाउन्डेशन, न्युयार्क, 1947.

इकाई -2

# सामुदायिक विकास की अवधारणा

**इकाई की रूपरेखा**


2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 सामुदायिक विकास की अवधारणा

2.3 सामुदायिक विकास के मूल्य

2.4 सामुदायिक विकास में धारणाएं

2.5 सामुदायिक विकास का अर्थ एवं परिभाषा

2.7 सामुदायिक विकास के उद्देश्य

2.8 सामुदायिक विकास कार्यक्रम और जवाबदेही

2.9 सामुदायिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

2.10 सारांश

2.11 अभ्यासार्थ प्रश्न

2.12 सन्दर्भ ग्रन्थ


## 2.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप

-- सामुदायिक विकास की अवधारणा एवं अर्थ को जान सकेंगे।

-- सामाजिक विकास के उद्देश्य एवं मूलतत्वों से परिचित हो सकेंगे।

-- सामुदायिक विकास कार्यक्रमों एवं जवाबदेही से परिचित हो सकेंगे।

-- सामुदायिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जान सकेंगे।

## 2.1 प्रस्तावना

सामुदायिक विकास आधुनिक सदी की एक अत्यन्त प्रचलित व महत्वपूर्ण अवधारणा है। एक कार्यक्रम के रूप में इसका प्रसार विगत कई वर्षों से आरम्भ हुआ है। आज सामुदायिक विकास को विशेष रूप से अविकसित देशों में अपनाया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को जनता का समन्वित विकास करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक विकास से सम्बन्धित गतिविधियां जैसे कृषि, पशुपालन, ग्रामोद्योग और संचार साधन तथा समाज कल्याण कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

## 2.2 सामुदायिक विकास की अवधारणा

सामुदायिक विकास में दो शब्द समुदाय और विकास निहित है जिनके बारे में कुछ जानना जरूरी है। समुदाय की अवधारणा की चर्चा अध्याय-1 में पहले ही की जा चुकी है।

समुदाय का अर्थ उन लोगों से है जो विशिष्ट क्षेत्रों में रहते हैं तथा जो हितार्थ सामान्य हों। पिछली तीन शताब्दियों ने समुदाय की अवधारणा में प्रमुख परिवर्तन देखे हैं। हम प्रमुख रूप से कृषि समाज और ग्रामींण समाज से शहरी औद्योगीकृत समाज की ओर बढ़े हैं तथा अब उत्तर-औद्योगिक समाज की अवधारणा विकसित हो रही है। वि-औद्योगिकीकरण की इस बाद की अवधि में, सामुदायिक जीवन की कमी और नागरिक समाज संगठनों में ह्रास होता रहा हैं इससे परंपरागत परिवार के संबंधो में गिरावट, लोगों के समूहों के बीच अत्यधिक असमानता तथा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्थाओं का विकास हुआ है और ये आवश्यकताएं अब तक स्वयं समुदाय द्वारा पूरी की गई है।

अवधारणा के रूप में विकास का अर्थ है कि प्रगति अथवा बेहतरी के लिए परिवर्तन इस प्रकार से है ताकि लोगों के समूहों की सुरक्षा, स्वतंत्रता, गरिमा, आत्म-निर्भरता और आत्म-विकास में वृद्धि की जा सके। इसमें सामाजिक और आर्थिक विकास की दोनों अवधारणाएं सम्मिलित होंगी।

शाब्दिक रूप से सामुदायिक विकास का अर्थ – समुदाय के विकास या प्रगति से है | सामुदायिक विकास को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा स्वयं लोगों के प्रयासों को सरकारी प्राधिकारियों के प्रयासों के साथ मिला कर समुदायों की आर्थिक, और सांस्कृतिक दशाओं को सुधारा जा सके और इन समुदायों को राष्ट्रीय जीवन में समन्वित किया जा सके जिससे कि वे राष्ट्रीय प्रगति में पूर्णयता योगदान कर सकें।

सामुदायिक विकास उन लोगों द्वारा की जाने वाली सहयोगात्मक, सुविधा प्रदान करने वाली प्रक्रिया है (समुदाय, संस्थान अथवा शैक्षिक भागीदार) जिसका क्षमता निर्माण का सामान्य उद्देश्य है ताकि जीवन की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़े।

सामुदायिक विकास, सक्रिय और स्थायी समुदायों को विकसित करने की प्रक्रिया है जो सामाजिक न्याय और परस्पर सम्मान पर आधारित होता है। यह उन बाधाओं को दूर करने के लिए शक्ति संरचनाओं को प्रभावित करते है जो लोगों को उनके जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों में भागीदारी करने से रोकते है। समुदाय कार्यकर्ता इस प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता को सुविधाजनक बनाते है। वे संबंधो को समुदायों में और व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों कें साथ इन संबंधों को सक्षम बनाते हैं। विकास निष्पक्षता, समानता, जवाबदेही, अवसर, चयन, सहभागिता, पारस्पारिकता आदान-प्रदान और सतत् शिक्षा को अभिव्यक्त करता है।

सामुदायिक विकास में प्रयोग होने वाले उपागम निम्नलिखित हैः

--परिसंपत्ति आधारित उपागम का प्रयोग करना जो क्षमताओं और मौजूदा संसाधनों पर आश्रित है;

--समावेशी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करना जिनमें समुदाय विविधता सम्मिलित है; और

--सहयोगात्मक रूप से योजनाबद्ध और निर्देशित पहल के माध्यम से समुदाय का स्वामित्व;

सामुदायिक विकास के उद्देश्य सामुदायिक विकास के उद्देश्य निम्नलिखित हैः-

-- स्वास्थ्य और कल्याण के लिए समान दशाएं और परिणाम सृजित करना।

-- पूरे समुदाय के स्वास्थ्य और समृद्धि में सुधार करना|

-- समुदाय के प्रयासों को प्रोत्साति करना;

-- संलग्न लोगों के लिए स्थायी आत्म-निर्भरता को प्रोत्साहित करना;

-- निजी महत्व, गरिमा और मूल्य में वृद्धि करना; तथा

-- समुदाय की जागरूकता सृजित करना और समुदाय के मुद्दों का समाधान करना

## 2.3 सामुदायिक विकास के मूल्य

सामुदायिक विकास के सहज मूल्य होते हैं। इनका उल्लेख स्थायी निम्नलिखित रूप से किया जा सकता हैः

सामाजिक न्याय:- लोगों को मानव अधिकारों की मांग करने, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाली निर्णय -निर्धारण प्रक्रियाओं पर नियंत्रण करने में सक्षम बनाना।

सहभागिता:- ऐसे मुद्दों में लोगो की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना जो पूरी नागरिकता, स्वायत्ता और साझा शक्ति (सत्ता), कौशलों, ज्ञान तथा अनुभव पर आधारित उनके जीवन को प्रभावित करते है।।

समानताः- उन व्यकितयों के दृष्टिकोणों और संस्थाओं तथा समाज के व्यवहारों को चुनौती देना जो लोगों के साथ भेदभाव करते हैं और उन्हें अलग-थलग रखते है।

अध्ययन अथवा सीखनाः- ऐसे कौशलों, ज्ञान और विशेषज्ञता की पहचान करना जिन्हें लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणी समस्याओं पर नियंत्रण करने की कार्रवाई करके योगदान देते और विकसित करते हैं।

सहयोग: विविध संस्कृतियों और योगदान के पारस्परिक सम्मान पर आधारित कार्रवाई की पहचान करना और कार्यन्वित करना।

## 2.4 सामुदायिक विकास में धारणाएं

सामुदायिक विकास में कुछ अप्रत्यक्ष धारणाएं होती है। ये धारणाएं हैः

-- व्यक्तियों, समूहों और स्थानीय संस्थाओं के समुदाय क्षेत्रों के अंदर सामान्य हित होते हैं जो उन्हें एक साथ बांधते हैं |

-- यह सामान्यता उन्हें एक साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

-- विभिन्न समूहों के हित परस्पर-विरोधी नहीं होते।

-- राज्य, शीर्ष निकाय होता है जो संसाधनों के आवंटन में निष्पक्ष होता है और यह अपनी नीतियों के माध्यम से असमानताओं को नहीं बढ़ाता।

-- लोगों की पहल उनके सामान्य (साझा) हितों के कारण समुदायों में संभव हो पाती हैं सामुदायिक विकास कार्यकर्ता निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध होते है;

-- संगठनों, संस्थाओं और समुदायों के अंदर भेदभाव और दमनकारी कार्यों को चुनौती देना।

-- पर्यावरण को संरक्षित करने वाले व्यवहार और नीति को विकसित करना।

-- समुदायो और संगठनों के बीच संबंधों और संपर्को को प्रोत्साहित करना।

-- समाज के अंदर सभी समूहों और व्यक्तियों के लिए पहुँच और चयन सुनिश्चित करना।

-- समुदायों के दृष्टिकोण से नीतियों और कार्यक्रामों को प्रभावित करना।

-- गरीबी और सामजिक बहिष्कार झेलने बाले लोगों के संबधित मुद्दों को प्राथमिकता देना।

-- सामजिक परिवर्तन का संवर्धन करना जो दीर्धकालिक और स्थायी हो।

-- समाज में शक्ति-संबंधों की असमानता और असंतुलन को समाप्त करना।

-- समुदाय प्रेरित सामूहिक कार्रवाई का समर्थन करना।

## 2.5 सामुदायिक विकास का अर्थ एवं परिभाषा

'सामुदायिक विकास' आधुनिक युग का एक अत्यन्त लोक प्रचलित शब्द है। एक कार्यक्रम के रूप में इसका प्रसार विगत वर्षों में प्रारम्भ हुआ जिसे मुख्य रूप से अविकसित देशों में अपनाया गया। सामुदायिक विकास योजना की व्यवस्था के लिये अनेक प्रयत्न किये गये है। वास्तव में सामुदायिक विकास एक ऐसी योजना है जो आत्म सहायता व सहयोग के सिद्धान्तों के आधार पर स्वावलम्बी उपायों से सामाजिक और आर्थिक उन्नति पर बल देती है। विभिन्न संगठनों और विद्वानों ने सामुदायिक विकास की अनेक परिभाषाएं दी हैं। जिनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं -

योजना आयोग के अनुसार -

" जनता द्वारा स्वयं ही अपने प्रयासों से ग्रामीण जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाने का प्रयास सामुदायिक विकास है।''

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार -

''सामुदायिक विकास योजना एक विधि है जो समुदाय के लिये उसके पूर्ण सहयोग से आर्थिक और सामाजिक विकास की परिस्थितियों को पैदा करती है और पूर्णरूप से समुदाय की पहल पर निर्भर करती है।''

राष्ट्रीय सहयोग प्रशासन के अनुसार -

''सामुदायिक विकास एक ऐसा अवसर है जिसके द्वारा सामुदायिक स्तर पर राजकीय कर्मचारी लोगों की पहल के आधार पर उनकी स्थिति सुधारने का प्रयत्न करते हैं।''

आई0सी0 जैकसन के अनुसार -

''सामुदायिक विकास किसी समुदाय को अपने आप काम करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा भौतिक और आध्यात्मिक रूप से सामुदायिक जीवन को समृद्ध बनाने के लिए कदम उठाने को प्रेरित करता है।''

इन उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सामुदायिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामुदायिक जनशक्तियों का प्रयोग उनके स्वयं के प्रयासों से एकत्रित करने, सम्बन्धित सरकारी एवं गैर-सरकारी कर्मचारियों द्वारा सामुदायिक आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को उच्च करने तथा सामुदायिक जीवन को राष्ट्रीय जीवन में परिवर्तित करने जैसे कार्यो को सम्मिलित किया जाता है। मूलरूप से सामुदायिक

विकास में दो बातें सम्मिलित है। प्रथम अपनी वर्तमान स्थिति को उठाने के लिये सदस्यों की विकास कार्यों में सहभागिता और द्वितीय विकास के लिए तकनीकी एवं अन्य आवश्यक साधनों की उपलब्धता। इस कार्य में न केवल समुदाय की आर्थिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक स्थितियों में ही परिवर्तन लाया जाता है बल्कि सामुदायिक मूल्यों एवं व्यावहारिक पद्धतियों में भी परिवर्तन लाया जा सकता है I परम्परा में जकड़े होने के कारण ग्रामीण लोग धीरे-धीरे ही आधुनिक बातों में विश्वास करते हैं। अतः आवश्यक है कि सदस्यों के विचारों, मनोवृत्तियों एवं भावनाओं में धीरे-धीरे परिवर्तन लाया जाये जिससे वे अपनी परम्परागत रूढ़ियों में अनुकूल परिवर्तन ला सकें और उपलब्ध सरकारी एवं गैर-सरकारी साधनों का उपयोग कर अपने व्यावहारिक जीवन को परिवर्तित कर सकें। इसके लिये शिक्षण, प्रशिक्षण, चलचित्र प्रदर्शनी, पोस्टर, बैनर, रेडियो, टेलीफोन आदि माध्यमों का सहारा लेना चाहिये जिससे सामुदायिक जीवन में आमूल परिवर्तन आ सके और सामुदायिक विकास सम्भव हो सके।

## 2.6 सामुदायिक विकास के मूल तत्व

सामुदायिक विकास के अध्ययनों से ज्ञात होता है कि इसके चार मूल तत्व हैं जो निम्नलिखित हैं -

1. नियोजित कार्यक्रम जिसे समुदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
2. विकास कार्यों में ग्रामीणों की सहभागिता और पहल।
3. विशेषज्ञ, सामग्री और साधन के रूप में सहायता।
4. समुदाय की सहायता के लिये विभिन्न विशेषज्ञों का सामंजस्य जैसे कृषि पशुपालन, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज सेवा आदि।

## 2.7 सामुदायिक विकास के उद्देश्य

अन्य विकास योजनाओं के समान सामुदायिक विकास कार्य के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति के लिये समय-समय पर जरूरतमन्द समुदायों में विकासात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मूल रूपेण सामुदायिक विकास योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सरकारी सहायता एवं जन सहयोग से ग्रामीण जीवन का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना है। इसके अतिरिक्त सामुदायिक विकास के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

1. कृषि उत्पादन एवं ग्रामीण उद्योगों में बढ़ोतरी कर पारिवारिक आमदनी को बढ़ावा देना।
2. जन सहयोग के माध्यम से लोक कल्याणकारी कार्यों जैसे सड़क निर्माण, विद्यालय भवन निर्माण आदि कार्यों को प्रोत्साहन देना।
3. स्वास्थ्य एवं सफाई को बनाये रखना तथा बढ़ावा देना।
4. शिक्षा, मनोरंजन एवं बाल प्रशिक्षण कार्यों को बढ़ावा देना।
5. ग्रामीण संस्कृति, रूढ़ियों, मूल्यों एवं कल्याणकारी कार्यों की विकसित करना।
6. स्थानीय सरकार को प्रोत्साहन देना।
7. सहकारिता एवं सहकारी कार्यों को बढ़ावा देना।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये समय-समय पर अनेक राज्यों द्वारा अनेक प्रकार की जरूरतमन्द विकास योजनाओं का संचालन किया गया, जिनका समय-समय पर मूल्यांकन भी कराया गया यद्यपि सहकारिता, उत्तम किस्म के बीज, खाद तथा उत्पादक मशीनों के प्रयोग में कुछ वृद्धि अवश्य हुयी लेकिन स्थानीय सरकार, जिसको सामुदायिक विकास कार्य की धुरी मानकर प्रोत्साहित किया गया था, के क्षेत्र में कोई सन्तोषजनक सफलता न मिल सकी। सन् 1956-57 में बलवन्त राय मेहता के नेतृत्व में स्थापित समिति के सुझाव तथा भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्व. श्री राजीव गांधी द्वारा चयनित अध्ययन दल के सुझाव पर आज पंचायत राज को सामुदायिक विकास का मूल आधार मानकर इसे सम्पूर्ण राज्यों के तीन महत्वपूर्ण स्तरों (ग्राम, ब्लाक एवं जिला) पर स्थायी बनाया जा रहा है जिससे सभी जाति, वर्ग तथा महिला समूह के सदस्य भी चयनित होकर सामुदायिक विकास की आवश्यकता एवं कल्याण योजनाओं के निर्माण में हाथ बंटा सकें।

## 2.8 सामुदायिक विकास कार्यक्रम और जवाबदेही

कार्यक्रमों का निर्माण करने और उन्हें निष्पादित करने में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लोगों की सहभागिता पर आधारित होते है। इसका अर्थ विकास और अनेक स्थानीय संस्थाओं और स्वैच्छिक समूहों तथा समूह कार्य तकनीकों के प्रयोग और स्थानीय नेतृत्व एवं प्रशासन के विकास से भी है। यह प्रशासन, नौकरशाही दृष्टिकोण की अपेक्षा विकासोन्मुख होता है, तथा जीवन के विभिन्न पहलुओं में सुधार करने के लिए प्राकृतिक और मानव संसाधनों को जुटाने में सरकारी और गैर-सरकारी एजेसियों के साथ सक्रिय भागीदारी करते हैं।

इस प्रकार, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जैसेः

-- समुदायों के साथ कार्य करके सामाजिक परिवर्तन और न्याय लाना;

-- उनकी आवश्यकताओं, अवसरों, अधिकारों और उत्तरदायित्वों की पहचान करना;

-- योजना, व्यवस्था करना और कार्रवाई करना;

-- कार्रवाई की प्रभाविता और प्रभाव का मूल्यांकन करना; तथा

-- ऐसे सभी उपाय करना जो उत्पीड़न को चुनौती देते हैं और असमानताओं पर नियन्त्रण करते हों।

### सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में जवाबदेही

सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की सफलता, इस प्रकार से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में निहित है कि जवाबदेही से जुड़े मुद्दों का ध्यान रखा जाए। किसी भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम में निगरानी और मूल्यांकन के अंतर्निहित घटक तथा पारदर्शी जवाबदेही की प्रक्रियाएं शामिल करनी पड़ती हैं। आगे बढ़ने से पहते जवाबदेही की अवधारणा को समझना भी जरूरी है।

### जवाबदेही की अवधारणा

जवाबदेही की अवधारणा में दो तत्व शामिल हैः उन लोगों की जवाबदारी जो नागरिकों को असफल होने की दशा में अधिकार प्रदान करते हैं और दंड की प्रवर्तनीयता अर्थात लागू करने का अधिकार देते है। (गोएत्ज् और जेकिन्स 2001)

जवाबदेही को राजनीतिक और प्रबन्धकीय जवाबदेही के रूप में जाता है। राजनीतिक जवाबदेही, निर्णयों (सामाजिक) की जवाबदेही से सम्बन्धित है जबकि प्रबन्धकीय जवाबदेही, स्वीकृत कार्यनिष्पादन के मानदंड के

अनुसार कार्यो को करने में जवाबदेही से सम्बन्धित है (निवेश, उत्पादन, वित्तीय आदि) दूसरे मामले में कुछ लेखक, राजनीतिक जवाबदेही, सामुदायिक जवाबदेही और नौकरशाही जवाबदेही की बात करते हैं।

विभिन्न प्रश्न जैसे – किसकी, किसके प्रति, कब और किन मुद्दों पर जवाबदेही, जवाबदेही के उद्देश्य और यह किस तरह संचालित होनी चाहिए कुछ ऐसे मुख्य आधार हैं जो उचित जवाबदेही के तन्त्र को उपयुक्त स्थान देते हैं।

जवाबदेही के तन्त्रों में, सार्वजनिक नीति निर्माण में, नागरिकों की भागीदारी, सहभागी बजटिंग और सार्वजनिक सेवा पर नागरिकों की निगरानी, नागरिक सलाह बोर्ड तथा समर्थन अभियान शामिल हैं।

जवाबदेही को एक समूह अथवा व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो इसके कार्यकलापों के व्यावसायिक अथवा वित्तीय खाते (अथवा स्पष्टीकरण) को किसी अन्य भागीदारी समूह अथवा व्यक्ति को प्रदान करता है। यह अपेक्षा की जाती है किसी संगठन अथवा संस्था की स्पष्ट नीति है कि, किसकी,किसके प्रति जवाबदेही है और किस लिए जवाबदेही है। इसमें यह अपेक्षा भी शामिल है कि जवाबदेह ठहराया गया समूह, सलाह और आलोचना स्वीकार करेगा तथा सलाह और आलोचना के प्रकाया में अपना संशोधन करेगा।

### जवाबदेही की विशेषताएं एवं सिद्धान्त -

जवाबदेही वैयक्तिक होती है - प्राधिकार केवल किसी एक व्यक्ति को प्रत्यायोजित किये जा सकते हैं।

जवाबदेही उध्र्वाधर होती हैं - उत्तरदायित्व और प्राधिकार पद्मवेक्षक से अधीनस्थ को प्रत्यायोजित किये जाते हैं। (पर्यवेक्षक अधनीस्थ को जवाबदेही ठहराता है)।

जवाबदेही तटस्थ होती है - यह न तो सकारात्मक और न ही नकारात्मक अवधारणा है, उत्कृष्ट परिणामों को मान्यता मिलती है परन्तु असफलता में प्रतिबन्ध शामिल हो सकते हैं जिनमें कार्य प्रणालियों को हटाना अथवा उनमें संशोंधन शामिल हैं।

(क) उत्तरदायित्व और प्राधिकार का उल्लेख करना।

(ख) मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करना।

(ग) लक्ष्यों और मानदंडों के लिए परिणामों की उद्देश्यपरक तुलना करना।

(घ) उपयुक्त कार्रवाई करना।

## 2.9 सामुदायिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत गांवों का देश है। कृषि यहां की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। स्वतन्त्रता के पूर्व भारतीय ग्रामीण जीवन विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त था। विदेशी (मुगल एवं अंग्रेजी) शासकों के आक्रमण तथा जमीदारों के शोषण ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया जिससे कृषकों की स्थिति दयनीय हो गयी थी खेती करने के लिये पर्याप्त जमीन होते हुए भी आर्थिक रूप से उन्हें अपंग बना दिया गया जिससे दिन-प्रतिदिन उनकी स्थिति चिंताजनक होती गयी। यातायात के साधनों का अभाव था और कृषि तथा पशुपालन की स्थिति भी चिंताजनक थी। औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को खोखला बना दिया था। किसानों को बाध्य होकर जमीदारों एवं पूंजीपतियों का सहयोग लेना पड़ा। अतः वे कर्ज के बोझ से लद गये। इन समस्याओं को दूर करने, बढ़ते हुए हुए शोषण को समाप्त करने, सुधारकों तथा समाज कार्यकर्ताओं का ध्यान आकर्षित हुआ जिनके सहयोग से समय-समय पर अनेक योजनायें बनाई गयीं तथा कार्यान्वित की गयी।

स्वाधीनता के पूर्व ग्रामीण उत्थान के लिये किये गये अनेक प्रयासों में स्वर्गीय महात्मा गांधी का वर्धा, रवीन्द्र नाथ ठाकुर का शान्ति-निकेतन, स्पेन्सर हैज का केरल, एफ0एल0 वायले का गुड़गांव तथा एस0के0 डे का नीलोखेड़ी में चलाये गये कार्यक्रम को महत्वपूर्ण स्थान है। महात्मा गांधी का विचार था कि प्रत्येक गांव को सबसे पहले पर्याप्त कपड़ा तैयार करने के लिये पर्याप्त रूई पैदा करनी चाहिए। उन्होनें खादी के प्रयोग, ग्रामोद्योग द्वारा आर्थिक उन्नति, धान कूट कर चावल तैयार करना, गुड़ बनाना, तेल पेरना, कपड़ा बुनना नीम का तेल बनाना, मूल और प्रौढ़ शिक्षा एवं प्राकृतिक चिकित्सा पर जोर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों कों आत्मनिर्भर देखने के लिये वे बराबर चिंतित तथा इच्छुक थे। वे चाहते थे कि गांव की प्रत्येक वस्तु गांव से ही निर्मित की जाए और भारत का प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर हो जाये। उन्होनें अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की जिसका मुख्य कार्य निष्प्राण एवं आवश्यक कुटीर उद्योग-धन्धों को जीवित करना था।

श्री रवीन्द्र नाथ ठाकुर का नाम ग्राम पुनर्निर्माण के लिये सर्वदा स्मरणीय रहेगा। उनके विचार से ग्रामीण पुनर्निर्माण की प्रमुख समस्या गरीबी और बेकारी तक की सीमित नहीं थी बल्कि उनकी योजना का उद्देश्य ग्रामवासियों के जीवन में आनन्द और स्फूर्ति का संचार करना था। सन् 1914 में श्री ठाकुर ने बोलपुर में श्रीनिकेतन की स्थापना की जिससे ग्रामवासियों को अपनी समस्याओं को सुलझाने में काफी सहायता मिली। निकेतन के कर्मचारियों द्वारा ग्रामीण वासियों को उत्तम खेती करने की विधि सिखाने के साथ-साथ कृषि की उन्नत विधियों पर विचार-विमर्श तथा पशुओं की नस्ल सुधारने, उत्पादन को उचित मूल्य पर बेचने, स्वास्थ्य एवं सफाई रखने की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया जाता था। मुख्य रूप से यह केन्द्र खेती, ग्रामीण उद्योग धन्धों, ग्राम-कल्याण, सहकारिता, स्काउट संगठन एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता था।

पूना की सर्वेन्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी ने ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिये मद्रास, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में कृषि तथा प्रशिक्षण के लिये स्कूलों की स्थापना की। इस सोसाइटी के अन्तर्गत बीजों का वितरण, बालिका विद्यालय की स्थापना, मलेरिया निरोधक आन्दोलन तथा उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन आदि सम्मिलित था। सन् 1940 में ग्वालियर में स्थापित आदर्श सेवा संघ ग्रामीण जनता को कम्पोष्ट की खाद बनाने तथा प्रयोग करने, गहरा हल चलाकर खेती करने एवं उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करने जैसे विषयों पर शिक्षित करता था। सन् 1940 में ही डैंनियल हैमिण्टन ने बंगाल में एक आदर्श बस्ती बसाई। इसके पूर्व 1916 में एक साख समिति की स्थापना की।

सन् 1921 में वाई0एम0सी0ए0 के कुछ नेताओं ने त्रिवेन्द्रम से 25 मील दक्षिण सार्थनदम में ग्रामीण कल्याण की योजना प्रारम्भ की जिसका मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से ग्रामीण जीवन को उच्च करना था। इसके अतिरिक्त स्वतन्त्रता पूर्व कुछ प्रान्तों में स्थापित ग्रामीण किसान सभाओं ने भी इस दिशा में सराहनीय भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनता के जीवन को ऊंचा उठाना, कृषि का वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग करना, ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देना, साक्षरता का प्रसार करना, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन की व्यवस्था करना तथा पंचायतों को पुनः विकसित करना था।

स्वतन्त्रता के पश्चात् ग्राम पुनर्निर्माण के क्षेत्र में राजकीय प्रयासों ने अनेक योजनाओं को जन्म दिया। इसमें श्री एफ0एल0 ब्रायेन के द्वारा बनाई गई गुड़गाव योजना का अपना विशेष महत्व है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जीवन का उत्थान करना, पूरे जिले को कार्य क्षेत्र बनाना, विकास कार्यों को प्रोत्साहन देना व सुधार कार्य को जन आन्दोलन के रूप में विकसित करना आदि थे।

मद्रास के 34 फिरकों में प्रारम्भ की गयी सन् 1946 की फिरका योजना का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता में आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता पैदा करना था। इस योजना के

अन्तर्गत जल की व्यवस्था, सफाई कार्यक्रम, पंचायत एवं सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने के साथ-साथ उत्तम खेती, सिंचाई, पशु नस्ल सुधार और कुटीर उद्योग विकास जैसे कार्यों को भी सम्मिलित किया गया था। सन् 1949-50 में श्री एस0के0डे0 के नेतृत्व में संचालित नीलोखेड़ी की मजदूर मंजिल योजना का मुख्य उद्देश्य लोहा इस्पात, पेट्रोलियम, सीमेन्ट तथा इनसे सम्बन्धित उत्पादनों को छोड़ कर जीवन की अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति ग्रामवासियों द्वारा स्वयं पूरा कराना था।

## सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का इतिहास

सामुदायिक विकास के प्रयासों का लंबा इतिहास स्वन्त्रता पूर्व समय का है। सेवाग्राम और मुंबई राज्य का सर्वोदय ग्राम विकास प्रयोग, मद्रास राज्य की फिरका विकास योजनाएं इटावा और गोरखपुर की प्रारम्भिक परियोजनाओं जैसे अनेक कार्यक्रम थे। ये प्रयास, विकास कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए नई तकनीकों, नई पहलों और विश्वास के कारण थे। इनमें से कुछ कार्यक्रमों में ग्रामीण पुनर्निर्माण प्रयोग शामिल किए गए जिनके लिए राष्ट्रवादी चिन्तकों और समाज सुधारकों का चिन्तन और समर्थन शामिल था।

### ग्रामीण जनजातीय और शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम -

सरकार और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अनेक सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरम्भ किए गए। इन सभी कार्यक्रमों का मूल्य लोगों की सहभागिता और विकास है। हम अब ग्रामीण, शहरी और जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे ही कार्यक्रमों का अवलोकन करेंगे। ये कार्यक्रम केवल संकेतात्मक हैं तथा इनके निर्माण और कार्यात्मक पहलुओं की जानकारी देने का प्रयास किया गया है।

### ग्रामीण सामुदायिक विकास कार्यक्रम -

सामुदायिक विकास कार्यक्रम को भारतीय स्वतंत्रता - प्राप्ति से कुछ वर्ष पहले 1920 के दशक में तत्कालीन ग्राम विकास परियोजना से प्रेरणा और कार्यनीति प्राप्त हुई तथा ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका में विकसित सामुदायिक विकास परियोजना पर अन्तरराष्ट्रीय प्रभाव भी पड़े।

सर्वप्रथम प्रमुख ग्राम विकास कार्यक्रम अक्टूबर 1952 में 55 विकास खण्डों में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् आरम्भ किया गया जिसके निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य थे -

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक और मानव संसाधनों का सम्पूर्ण विकास प्राप्त करना।

(ख) स्थानीय नेतृत्व और स्वशासी संस्थाएं विकासित करना।

(ग) खाद्य और कृषि उत्पादन में तीव्र करके ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को उठाना।

(घ) लोगों के मन में उच्च मानकों के उद्देश्य का संचार करके परिवर्तन सुनिश्चित करना।

इन उद्देश्यों को संसार विकास जैसे लघु सिंचाई और मृदा संरक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ करके, कृषि निवेश आपूर्ति प्रणालियों की प्रभावित को सुधार कर, और किसानों को कृषि विस्तार सेवाएं प्रदान करके, खाद्य और कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि के माध्यम से प्राप्त करना था। इसमें कृषि पशुपालन, ग्रामीण उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, प्रशिक्षण अनुपूरक रोजगार, समाजकल्याण तथा ग्रामीण संचार विकसित करने के लिए व्यापक संचार थे।

परियोजना क्षेत्र को तीन विकास खंडों में बांटा गया था। प्रत्येक क्षेत्र में लगभग 100 गांव और लगभग 65000 लोगों की जनसंख्या थी। वे क्षेत्र जिनमें पूरी परियोजना को व्यावहारिक नहीं माना गया वहां शुरू में एक अथवा दो

विकास खण्उ आरम्भ किए गए। बाद में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम बन गया जिसमें देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया |

## संगठन -

सामुदायिक विकास परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिए विशेषरूप से संगठनात्मक संरचना सृजित की गई। संगठनात्मक संरचना केन्द्रीय, राज्य जिला और खण्ड स्तरों पर मौजूद है। सितम्बर 1956 में, सामुदायिक विकास का एक नया मंत्रालय स्थापित किया गया। इसके बाद, देश के दस कार्यक्रम पर पूरा प्रभार कृषि और ग्राम विकास मंत्रालय को सौंपा गया। इस समय केन्द्र द्वारा पूरा प्रायोजित कार्यक्रम ग्राम विकास मंत्रालय का हिस्सा है। यह केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम 1969 में राज्य प्रायोजित कार्यक्रम हो गया।

## मूल्याकंन -

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन एक समिति द्वारा किया गया जिसके अध्यक्ष बलवंतराय मेहता थे। समिति ने स्थानीय शासन की तीन-स्तरीय प्रणाली की सिकारिश की जिसे पंचायती राज कहा जाता है। निचले स्तर अथवा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों, मध्य अथवा खण्ड स्तर पर पंचायत समितियों और शीर्ष स्तर अथवा जिला स्तर पर जिला परिषदों का निर्माण (स्थापना) किया जाना था। इसने प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण की सिफारिश की और निर्वाचित निकायों को नियंत्रण प्रदान किया।

पंचायती राज संस्थाओं की तीन-स्तरीय संरचना, जनवरी 1958 में अस्तित्व में आई। बाद में इन उद्देश्यों को भारत में संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम में सम्मिलित किया गया और इसका उद्देश्य पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित करना था।

### सामुदायिक विकास कार्यक्रम की आलोचनाएं -

-यह लोगों का कार्यक्रम नहीं रहा।

-ग्राम विकास के लिए इसने ब्लूप्रिंट दृष्टिकोण अपनाया है।

-इसमें ऐसे असंख्य अप्रशिक्षित विस्तार कार्यकर्ता लगाए गए हैं जिनमें समन्वय और सहयोग का अभाव था।

-खंड स्तर पर कार्यात्मक उत्तरदायित्व का अभाव था जिससे पर्याप्त भ्रम और अंतर-विभागीय ईष्या उत्पन्न हुई।

-खंड स्तर पर कार्यात्मक उत्तरदायित्व का अभाव था जिससे पर्याप्त भ्रम और अंतर-विभागीय ईष्या उत्पन्न हुई।

सामुदायिक विकास उपागम से विशिष्ट कार्यक्रमों की ओर परिवर्तन हुआ जिसने यह बल दिया कि कौन सी कृषि विकास कार्यनीतियां (नई कृषि कार्यनीति में) विशेष क्षेत्रों पर ध्यान देंगी। इसने कार्यक्रम में सामुदायिक भागीदारी के स्वरूप को बदल दिया। इसके लिए लक्ष्य उपागम को अपनाया गया। इनकी पहचान, प्रशिक्षण और विकास, अनुसंधान वैज्ञानिकों तथा विकास अधिकारियों का उत्तरदायित्व हो गया और संघन कृषि विकास कार्यनीति में वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रबंधकीय पहलुओं पर बल दिया गया।

## अन्य कार्यक्रम और समुदाय घटक -

इन कार्यक्रमों में परिवर्तन, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम के आरम्भ होने से हुआ तथा समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम ने परिसम्पत्ति सृजन अथवा मजदूरी रोजगार पर बल सहित विशिष्ट समूहों को लक्ष्य बनाते हुए

ग्राम विकास की संकलपना की। वाद में छठी योजना में शुरू हुए समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम में, परिसंपत्ति सृजन ने स3मूह-उन्मुख उपागम ले लिया है जिसने भागीदारी और प्रबंध के लिए समूहों के सृजन पर बल दिया। समूह उपागम वानिकी (संयुक्त वन प्रबंधन), वाटरशैड, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अथवा प्रारम्भिक शिक्षा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और मध्याहन भोजन योजना (मातृ-समितियां भी बननी चाहिए) से संबंधित सभी ग्राम विकास कार्यक्रमों का केन्द्र-बिन्दु बन गए। इसके अतिरिक्त सहभागी प्रबंधन पर बल दिया गया और उपर्युक्त कार्यक्रमों में पड़ोसी समूहों की अनिवार्य आवश्यकता पर जोर दिया गया।

डी0डब्ल्यू0सी0आर0ए0 (ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास) स्व-सहायता समूह की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने में सक्रिय रहा है और सरकार द्वारा तथा स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों में सामुदायिक क्रिया और विकास स्वरूप और मात्रा आवश्यक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण रहे हैं। कार्यक्रमों का समुदाय-स्वमित्व सरकारी उपेक्षा बन गया है और सरकारी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए वाहकों के रूप में पंचायतों को महत्व प्रदान किया गया है। यद्यपि अनेक मामलों में पंचायतों के पास पर्याप्त निधियां (धनराशियां) नहीं होती अथवा वित्तीय वर्ष में उनके पास धन आवंटन देर से पहुंचता है। यहां पर सदैव खतरा होता है कि स्थानीय जाति और वर्ग पूर्वाग्रह सामने आ सकते हैं और यथास्थिति बना रह सकता है।

बाद में, स्वर्ण जयंति ग्राम स्वरोजगार योजना आरम्भ की गई जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में असंख्य सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने पर बल दिया गया। यह कार्यक्रम गरीबों की योग्यता और प्रत्येक क्षेत्र की क्षमता पर आधारित था। इसमें स्थायी आय-सृजन के लिए भूमि आधार और अन्य आधार पर बल दिया गया। इस कार्यक्रम में उन समूहों की अवधारणा का प्रयोग किया गया जिन्हें समुदाय प्रेरित पहलों को निर्मित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता था।

स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बने स्वरोजगार समूहों में 10-20 सदस्य हो सकते हैं और लघु सिंचाई के मामले में और विकलांग व्यक्तियों तथा दुर्गम क्षेत्रों अर्थात पर्यतीय, मरूस्थल और छितरी आबादी वाले क्षेत्रों के मामले में, यह संख्या न्यूनतम पांच हो सकती है। स्व-सहायता समूह-गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की उस सूची से भी लेने चाहिए जो ग्राम सभा द्वारा मंजूर की गई हो।

स्वं-सहायता समूह विकास की तीन अवस्थाओं से गुजरते हैं, जैसे परिक्रामी निधि और कौशल विकास के माध्यम से समूह निर्माण, पूंजी निर्माण और आय सृजन के लिए आर्थिक कार्यकलाप आरम्भ करना।

समूह उपागम के बावजूद इन कार्यक्रमों को वास्तव में समुदाय प्रेरित विकास कार्यक्रम बनाने के सम्बन्ध में कुछ सीमाएं हैं। गांवों और लघु उद्यमों के लिए अनेक अन्य कार्यक्रम हैं जिनमें कुछ विशेष योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रो में स्वरोजगार के संवध्रन के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। ये क्षेत्र मुख्य रूप से ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के लिए स्व-सहायता समूहों के निर्माण पर और आर्थिक कार्यकलाओं को शुरू करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने का निर्भर करते हैं।

मजूदरी (दिहाड़ी) रोजगार कार्यक्रम जैसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार और हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम ने रोजगार के 100 दिन प्रदान किए हैं परन्तु इसमें स्वयं समुदाय बनाने और समूह बनाने का प्रावधान नहीं है। तथापि, गैर-सरकारी संगठन तथा कार्यकर्ता भागीदारी के कारण, ये कार्यक्रम समुदाय किया और विकास के लिए आंदोलनों का भी आकार ले रहे हैं तथा सरकार द्वारा सर्वाधिक की गई रोजगार योजनाओं में अपना उचित भाग मांग रहे हैं।

## जनजातीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम -

जनजातीय समुदायों को 1954 के अन्त में सृजित, विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय विकास परियोजनाओं के माध्यम से कुछ सहायता प्राप्त हुई। ये परियोजनाएं जनजातीय लोगों के हितों को पूरा नहीं कर सकीं क्योंकि योजनाओं की संख्या बहुत अधिक थी। बाद में समुदाय विकास खण्ड, जिनमें जनजातीय जनसंख्या का संकेन्द्रण 66 प्रतिशत और उससे अधिक था, जनजातीय विकास खण्डों में बदल गए। जनजातीय समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में असफल होने के कारण जनजातीय लोगों के तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए जनजाति उपयोजना कार्य-नीति विकास की गई, यह अभी भी चल रही है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य है -

1. जनजातियों का सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक विकास करना और उन्हें गरीबी के स्तर से उपर उठाना।

2. जनजातीयों को शोषण के विभिन्न रूपों से बचाना।

जनजातीय विकास खण्डों के अन्तर्गत योजना/कार्यक्रम और परियोजनाओं को समान्वित जनजातीय विकास परियेाजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। ये समन्वित विकास योजनाएं उन खण्डों अथवा खंडों के समूहों में स्थापित की गई थीं जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या, कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक है। भारत सरकार ने जनजातीय विकास तेज करने के लिए अक्टूबर 1999 में जनजातीय कार्यमंत्रालय बनाया इस मंत्रालय में वर्ष 2004 में जनजातीयों पर राष्ट्रीय नीति संबंधी प्रारूप प्रस्तुत किया। इस प्रारूप नीति में कहा गया है कि अधिकतर अनुसूचित जनजातियां गरीबी रेखा से नीचे रहती हैं, उनकी सक्षरता दर कम है, कुपोषण और रोगों से पीड़ित हैं तथा उन्हें विस्थापन का खतरा बना रहता है। इस प्रारूप में यह भी माना गया है कि अनुसूचित जातियां आमतौर पर अनेक प्रकार के स्वदेशी ज्ञान और बुद्धिमता का भण्डार हैं। राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य प्रत्येक समस्या को ठोस ढंग से दूर करना है। गैर-सरकारी संगठन के अनेक जनजातीय सामुदायिक विकास के अनेक पहलू हैं और इन संगठनों ने जनजातीय समुदायों के मुद्दों, विशेषकर उनकी क्षमता निर्माण और सत्ता विकास पर कार्य किया है।

जनजातीय विकास से संबंधित अनेक पहलों में सहभागी उपागम अपनाए गए हैं, ताकि परियोजनाओं के लक्ष्यों को सफलता-पूर्वक पूरा किया जा सके।

10-15 वर्षों में विकास मध्यस्थाताओं की प्रभावित को बढ़ाने के लिए लोगों की सहभागिता के महत्व की बढ़ती मान्यता के कारण क्षेत्रक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए गांवों में जनसंख्याओं की व्यापक व्यवस्था की गई है। इनमें वन विभाग द्वारा, संयुक्त वन प्रबंधन समितियां, शिक्षा विभाग द्वारा, शिक्षा समितियां जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियां, जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा, जल एवं स्वास्थ्य समितियां, सिचांई विभाग द्वारा जल प्रयोग कर्ता संघ और महिला एवं बाल विकास द्वारा महिला मण्डल (महिला संघ) स्थापित किए जा रहे हैं।

सबसे सफल एक परियोजना आंध्र प्रदेश जनजातीय विकास परियाजना है। आंध्र प्रदेश जनजातीय विकास परियोजना ने स्थानीय स्तर के अनेक संस्थान स्थापित किए हैं, जिनमें स्व-सहायता समूह, समूहों के समूह स्तर संघ, प्रयोगकर्ता समूह/ग्राम विकास समितियां (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सिचांई, मृदा संरक्षण और खाद्यानन भण्डार) और वी0टी0डी0ए0 के रूप में मा ॅडल संस्था शामिल हैं। वी0टी0डी0ए0 की समुदायों की प्राथमिकताओं और चिन्ताओं की अभिव्यक्ति के लिए एक मंच के आधार पर औरा दूसरे समुदायों को परियोजनाओं और कार्यक्रम वितरित या आवंटित करने के साधान के रूप में संकल्पना की गई थी।

वी0टी0डी0ए0 नेताओं और सदस्यों का चयन, उनके प्रतिनिधियों के रूप में समुदायों द्वारा किया गया और आमतौर पर इस चयन वृद्धों की परम्परागत परिषदों की मंजूरी की आवश्यकता पड़ी ताकि नए अज़ैर पुरानों के बीच अनोपचारिक आधार पर संबंध बना रहे।

इसके अतिरिक्त, समुदाय समन्वय दलों की रचना की गई। इनमें समर्पित व्यावसायिकों के समूह थे जो उस सामाजिक लाभवंदी, जागरूकता निर्माण और आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं की पहचान में सहायता करने के लिए जनजातीय गांवों में रहते थे जिनके इर्द-गिर्द विकास मध्यस्थताओं को निर्मित किया जा सकता था।

कुल मिलाकर, परियोजना ने आदिवासियों पर विशेष ध्यान के साथ बहु-भागीदार उपागम के लिए कार्यान्वयन के दौरान एक अन्तराल पैदा कर दिया है। इस परियोजना ने जनजातीय लोगों को अपने प्राकृतिक संसाधन आधार में सुधार करने और आजीविका के साधन में भागीदारी बनाया है तथा समुदाय के कार्यक्रम प्रबन्धन को शुरू किया है, उसे कार्यान्वित किया तथा उसकी निगरानी की है। थ्रिफट और क्रेडिट समूहों की स्थापना ने बचत की उनकी आदत में वृद्धि की है। कार्यक्रमों ने विभिन्न पहलुओं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आय सृजन कार्यकलापों, कृषि विकास, स्व-सहायता समूहों आदि पर बल दिया।

## शहरी सामुदायिक विकास कार्यक्रम -

शहरी सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का संवर्धन सरकार अथवा स्वैच्छिक संगठनों या सदस्य संगठनों द्वारा भी किया जा सकता है। समुदाय की ऐसी पहल, शहरी सफाई के काम, शहरी आवास, शहरी स्वास्थ्य में देखी गई है। यह सभी सहायता अथवा पहल के तत्व में अपेक्षित है जो कुछ व्यक्तियों अथवा समूहों से मिलता है।

नीचे प्रस्तुत कुछ केस अध्ययन उस सीमा के सूचक हैं जिसके लिए समुदाय समूह नागरिकता का दावा करने और श्रेष्ठ रहन-सहन के लिए सक्रिए रूप से कार्य कर सकते हैं।

स्लम एंड शैक ड्वैलर्स इंटरनेशनल जैसे विश्वव्यापी संगठन और विभिन्न देशों के भागीदारों ने आवास और सफाई मुद्दों में एक अलग विश्व बनाया है। बैंगलौर के ''स्लम जगाथू'' जैसे संस्थाओं ने समुदाय जागरूकता पैदा करने और उन लोगों में नैतिक जिम्मेदारी उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है जो शासन करते हैं जिसमें नौकरशाही और विधायिका भी शामिल है।

शहरी क्षेत्रों में कुछ सफल सामुदायिक कार्यक्रम नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

### स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना -

1997 में आरम्भ की गई इस योजना में शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम और शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम दो घटक है। ये कार्यक्रम शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए पहले से चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बदले थे। यह योजना स्वरोजगार मुद्दों को सुलझाने के लिए सामूहिक उपागम पर आधारित है।

### कुटुम्बाश्री कार्यक्रम -

कुटुम्बाश्री कार्यक्रम महिलाओं की गरीबी उन्मूलन का एक सरकारी कार्यक्रम है जिसका प्रयोग अलापुज्झा में शहरी परिवेश में सर्वप्रथम किया गया। इस योजना में एक वार्ड (क्षेत्र) में सभी पड़ौसी (निटकवर्ती) क्षेत्रों की महिला प्रतिनिधियों को एक क्षेत्र विकास सोसाइटी में समूहबद्ध प्रतिशत टी0आई0 जाता हैं, जिसका अध्यक्षता पंचायत सद्स्य द्वारा की जाती है। पंचायत में सभी वार्डों की क्षेत्र विकास सोसायटी को पंचायत स्तर की विकास समिति में एकीकृत किया जाता है जिसकी अध्यक्षता पंचायत अध्यक्ष द्वारा की जाती है। दूसरें शब्दों में, यह गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सरकारी छत्रछाया में लघु ऋण के लिए सभी गरीब महिलाओं को संगठित करना है। इसका परिवेश (निकटवर्ती) समूह उपागम में मूल है।

यह कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन के लिए अलापुज्झा में वर्ष 1993 ममें एक अलग ढंग से आरम्भ किया गया। इसका उद्देश्य स्थानीय सरकारों के नेतृत्व मेमं समन्वित समुदाय क्रिया के माध्यम से गरीबी दूर करना था। इसके लिए गरीबों को गरीबी के बहुआयामों और रूपों को नियंत्रित करने के लिए उपलब्ध सेवाओं और संसाधनों के मांग प्रेरित विलय के साथ स्व-सहायता को पूरी तरह मिलाना था। क्षेत्र स्तर पर, क्षेत्र विकास सोसाइटी के रूप में प्रतिवेशी समूह बुनियादी इकाई था और इन्हें नगर स्तर पर सामुदायिक विकास सोसाइटी बनाने के लिए एकीकृत किया गया था। अनेक विभागीय कार्यक्रम चलाए गए जैसे, जल-आपूर्ति और महिला प्रशिक्षण, आब सृजन इकाइयां प्रबंधकीय प्रशिक्षण अथवा क्षेत्र विकास सोसाइटी और सामुदायिक विकास सोसाइटी के निर्वाचित सदस्य के लिए प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और शिक्षा शिविर, दोहरे पिट शौचालयों का निर्माण आदि अलापुण्झा के समुदाय आधारित संगठनों ने गरीबी उन्मूलन हेतु सहभागिता के लिए सहभागी उपागम की सफलता में योगदान किया। संबंधित प्रतिवेश के जोखिम परिवारेां के 20-40 महिला सदस्यों के प्रतिवेश समूह, एक महिला को अपना नेता चुनते हैं और वह 'निवासी समुदाय स्वयंसेवक' मनोनीत होती हैं। दूसरी महिल एन0एच0जी0 की अध्यक्ष निर्वाचित हुई तीन अन्य महिलाएं, समुदाय स्वयंसेविकाएं निर्वाचित हुई और इन स्वयंसेविकाओं निर्वाचित हुई और इन स्वयंसेविकाओं के विशिष्ट उत्तरदायित्व और कार्य होते हैं, स्वास्थ्य, ये बुनियादी संरचना और आय सृजन कार्यकलापों पर ध्यान देती हैं। एन0एच0जी0 की समिति में ये पांच निर्वाचित महिलाएं थी। एन0एच0जी0 सूक्ष्म योजनाएं बनाती हैं जिन्हे लघु योजना के अन्तर्गत क्षेत्र विकास सोसाइटी में शामिल किया जाता हैं। इस लघु योजना का सामुदायिक विकास सोसाइटी द्वारा नगर योजना में समेकित किया गया, जो 1955 की ट्रावनकोर-कोचिन, लाइब्रेरी, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसाइटी अभिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाइटी है। कुदम्बाश्री परियोजना ने अपनी अंतर्निर्मित सहभागी विशेषता के कारण प्रबल सफलता प्राप्त की है। इससे केरल सरकार ने समुदाय वितरण सोसाइटी प्रणाली को सरकारी आदेश के माध्यम से केरल में सभी 57 कस्बों (नगरों) तक विस्तार कर दिया है। इस आदेश ने गरीब महिलाओं की सहायता करने के लिए पूरी परियोजना को वैधता प्रदान की है।

एस0पी0ए0आर0सी0 (स्पार्क) के केस अध्ययन और महिला पटरी और मलीन बस्ती निवासी (महिला मिलन) के सहकारी समितियों तथा राष्ट्रीय मलीन बस्ती संघ के साथ इसके कार्य अनेक कार्यकलाप प्रदर्शित करते हैं। जिसमें हजारों-हजारों शहरी गरीब सम्मिलित हैं और इन्हें बहुत कम विदेशी धन मिला है।

गैर सरकारी संस्था 'स्पार्क' मुम्बई में पटरी निवासियों के साथ उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थान देने और उनकी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए पहले कार्य कर रही थी। इसने बचत और ऋण के लिए महिला समूहों के निर्माण तथा महिला पटरी निवासी संगठन महिला मिलन की स्थापना की। महिला मिलन ने सामान्य संकटों से निपटने के रास्ते विकसित करने की चुनौती स्वीकार की। ये संकट थे-बेदरवाली, पुलिस उत्पीड़न और पानी और राशन कार्ड प्राप्त करना। विभिन्न समूहों के अनुभवों का विश्लेषण, सामूहिक और लगातार संगठन की शक्ति विकसित करने और प्राधिकारियों के साथ शक्ति (सत्ता) का सौदा करने के लिए किया गया। इसके पश्चात्, स्थानीय परिसंघों का एक समूह, राष्ट्रीय मलीन बस्ती निवासी परिसंघ (एन0एस0एफ0डी0) के बीच एक समझौता हुआ जो अनेक नगरों और महिला मिलन के अन्दर सक्रिय थे। इस गठबंधन ने प्रारम्भिक परियेाजनाओं के साथ शिक्षा समुदायिक के लिए शैक्षिक और संगठनात्मक कार्यनीति विकसित करना आरम्भ किया। यह शिक्षा अल्प आय बस्तियों के बीच निरन्तर आदान-प्रदान के माध्यम से विस्तारित की गई, तब से इसका यह मुख्य कार्य है।

इस गठबंधन ने सुरक्षित मकानों (पट्टे के संबंध में) को बनाने की खोज आरम्भ की। यह अनेक कार्यकलापों के माध्यम से किया गया जिसमें सदस्यों का ज्ञान और विश्वास निर्माण अज़ैर इन कार्यों को शामिल

करना शामिल था। समुदाय द्वारा आरम्भ और संचालित किए गए सर्वेक्षणों और मानचित्रों के माध्यम से की गई झौपड़-पट्टी की गणना ने उनका समस्याओं की पहचान करने तथा उनकी प्राथमिकताओं को विकसित करने में सहायता की। इसने उनकी स्थिति का दृश्यात्मक निरूपण भी प्रस्तुत किया जिसने भौतिक-सुधारों के विकास के साथ-साथ बाहरी एजेंसियों के साथ बातचीत में सहायता की। समुदाय सदस्यों ने अपने घरों को विकसित करना सीखा - घर के लिए जमीन कैसे प्राप्त की जाती है इसे कैसे बनाया जाता है, लागत कम कैसे रखी जाती है, व्यावसायिकों का प्रबंध कैसे किया जाता है, नई सामग्रियां कैसे विकसित की जाती हैं, बुनियादी ढांचा किस प्रकार स्थापित किया जाता है और सरकारी एजेंसियों से किस प्रकार बातचीत की जाती है। उन्होंने सामूहिक मा ॅडल निर्माण के माध्यम से डिजाइनों को विकसित किया जिनमें प्रायः पूर्ण माडल विकसित करना शामिल था जिनकी चर्चा समुदाय के आदान-प्रदानों के माध्यम से की गई है। इस कारण 3500 से अधिक मकानों की स्थायी सामूहिक पट्टे (अवधि) के साथ निर्माण हुआ तथा 5000 लोग ऋणी हो गए थे।

## 2.10 सारांश

प्रस्तुत इकाई के अन्तर्गत सामुदायिक विकास के मूल तत्वों, अर्थों, परिभाषाओं तथा अवधारणा को समझाने का प्रयास किया गया है। इसके साथ-साथ सामुदायिक विकास के उद्देश्यों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं जवाबदेही के मध्य अन्तर तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी वर्णन किया गया है।

## 2.11 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. सामुदायिक विकास की अवधारणा एवं अर्थ का स्पष्ट कीजिए।
2. सामुदायिक विकास के उद्देश्यों एवं मूलतत्वों को बताइये।
3. सामुदायिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिये।

## 2.12 सन्दर्भ-साहित्य


1. इण्डियन कान्फ्रेन्स आफ सोशल वर्क, स्पेशल ऐन्निवर्सरी, नवम्बर-दिसम्बर, 1957.
2. इण्डिया - कम्यूनिटी डवैलपमेन्ट प्रोग्राम इन इण्डिया, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1963.
3. इण्डिया - कम्यूनिटी डवैलपमेन्ट ऐट ऐ ग्लान्स, दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1962.
4. इण्डिया - कम्यूनिटी डवैलपमेन्ट एण्ड कोआपरेशन, गाइड टू कम्युनिटी डैवलपमें न्ट सैकेन्ड रेव0 इड0, दिल्ली, गवर्नमेन्ट प्रेस, 1957.
5. इण्डिया - ए रिपोर्ट आन द ऐनुअल कान्फ्रेन्स आन कम्युनिटी डैवलपमेंन्ट एण्ड पंचायत राज, न्यू दिल्ली , जुलाई 1964, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1964.

इकाई-3

# सामुदायिक संगठन : दर्शन एवं अवधारणा

**इकाई की रूपरेखा**


3.0 उद्देश्य

3.1 प्रस्तावना

3.2 सामुदायिक संगठन का दर्शन

3.3 सामुदायिक संगठन की अवधारणा

3.4 सामुदायिक संगठन की परिभाषा

3.5 सामुदायिक संगठन कार्य की विशेषताएँ

3.6 सामुदायिक संगठन के उद्देश्य

3.7 सारांश

3.8 अभ्यासार्थ प्रश्न

3.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची


## 3.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप :-

-सामुदायिक संगठन के अर्थ एवं अवधारणा को जान सकेंगे।

- सामुदायिक संगठन के उद्देश्य एवं मूलतत्वों से परिचित हो सकेंगे।

-सामुदायिक संगठन के दर्शन से परिचित हो संकेंगे

-सामुदायिक संगठन के सामान्य एवं विशेष उदेश्यों को जान सकेंगे।

## 3.1 प्रस्तावना

सामुदायिक संगठन समाज कार्य के प्रमुख तरीकों में से एक है, ठीक वैसे ही जैसे वैयक्तिक कार्य, समाज कल्याण प्रशासन तथा समाज कार्य शोध। जहाँ वैयक्तिक कार्यकर्ता का संदर्भ व्यक्ति से होता है, और समूह कार्यकर्ता का संदर्भ समूह होता है, वहीं सामुदायिक संगठनकर्ता समुदाय के संदर्भ में काम करता है। वैयक्तिक कार्यकर्ता का उद्देश्य व्यक्ति सेवार्थी को अपनी समस्याओं की पहचान करने, इन समस्याओं से निपटने के लिए इच्छाशक्ति विकसित करने, इनके सम्बन्ध में कार्रवाई में सहायता करने, तथा ऐसा करते हुए व्यक्ति के एकीकरण के लिए स्वयं को और स्वयं की क्षमता की समझ को बढाने में मदद करना होता है। इसी प्रकार सामुदायिक संगठनकर्ता सम्पूर्ण

समुदाय के साथ सेवार्थी के रूप में काम करता है। संक्षेप में सामुदायिक संगठन शब्द सामुदायिक समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से समुदाय के जीवन में मध्यस्थता के लिए प्रयुक्त समाज कार्य के एक तरीके को परिभाषित करने के लिए किया जाता है।

## 3.2 सामुदायिक संगठन का दर्शन

मानवतावादी दृष्टिकोण से देखा जाए तो समुदायों के साथ काम करना इतना ही पुराना है जितना कि स्वयं समाज। सामुदायिक कार्य का एक न एक रूप हमेशा विद्यमान रहा है, किन्तु समाज कार्य के व्यवसाय के तरीकों के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो समुदाय कार्य तुलनात्मक रूप् से हाल ही के मूल का है। यह लेन समिति रिपोर्ट (1939) थी, जिसमें सबसे पहले सामुदायिक संगठन को समाज कार्य के तरीके के रूप में मान्यता दी।

सामुदायिक संगठन को समाज कार्य में अभ्यास का एक वृहत तरीका(फिंक, 1978) अथवा वृहत स्तर का समाज कार्य माना जाता है, चूँकि इसका प्रयोग लोगों के एक बड़े समूह को प्रभावित करने वाली व्यापकतर सामुदायिक समस्याओं का सामना करने के लिए किया जाता है। वृहत शब्द का उपयोग, सामूहिक रूप से सामुदायिक समस्याओं का समाधान करने में बड़ी संख्या में लोगों को शामिल करने की इसकी सक्षमता की वजह से किया जाता है। इस प्रकार यह तरीका हमें मध्यस्थता के कार्यक्षेत्र/स्तर में वृद्धि करने में सक्षम बनाता है। वैयक्तिक कार्य जिसमें एक समय में एक ही व्यक्ति के साथ व्यवहार किया जाता है, के विपरीत सामुदायिक संगठन में किसी भी समय में कई लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है।

वैयक्तिक दृष्टिकोण उस संदर्भ में व्यावहारिक नहीं होता जहाँ समस्या/समस्याओं का आकार खतरनाक हो जाता है। ऐसे मामलों में हमें ऐसा तरीका उपयोग करना पडता है जो एक साथ लोगों की बड़ी संख्या में सहायता कर सके। यह विषेशकर विकासशील देशों के मामले में सत्य है जहाँ लोगों के समक्ष अनेक समस्याओं की मात्रा अत्यधिक होती है और इस तरह बड़े क्षेत्रों में साथ काम करने की तात्कालिक आवश्यक्तता पडती है। ऐसे में सामुदायिक संगठन इन देशों के सामने व्याप्त आर्थिक तथा सामुदायिक समस्याओं के निवारण के लिए समाज कार्य के अभ्यास के एक प्रभावी तरीके के रूप में उभरता है।

सामुदायिक संगठन को इसलिए भी एक वृहत तरीके के रूप में चित्रित किया जाता है क्योंकि सामुदायिक संगठन द्वारा स्थानीय स्तर (जैसे किसी परिवेश ) अथवा राज्य स्तर पर अथवा यहाँ तक कि क्षेत्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सकता है।

## 3.3 सामुदायिक संगठन की अवधारणा

वर्तमान सामुदायिक जीवन के अध्ययन एवं अवलोकन से ज्ञात होता है कि समुदाय का मौजूदा रूप शताब्दी पूर्व के सामुदायिक जीवन से पूर्णतया भिन्न है। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, यातायात और संचार की सुविधाओं, सामाजिक अधिनियम एवं राजनैतिक तथा समाज सुधार आन्दोलनों ने न केवल नगरीय समुदायिक जीवन को ही प्रभावित किया है बल्कि ग्रामीण सामुदायिक जीवन को भी प्रभावित किया है । फलस्वरूप वर्तमान सामुदायिक जीवन अपनी वास्तविक विशेषताओं जैसे - सामुदायिक सहयोग, आपसी जिम्मेदारी, सामुदायिक कल्याण, सुरक्षा एवं विकास से दूर सामुदायिक विघटन की तरफ बढ़ा जा रहा है। मात्रा की दृषि से कहा जा सकता है कि नगरीय समुदाय का विघटन ग्रामीण समुदाय से अधिक हुआ है। इन दोनों समुदायों के पुनर्गठन एवं विकास के लिए सामुदायिक संगठन अत्यन्त आवश्यक है।

समाज कार्य की इस प्राथमिक (सामुदायिक संगठन) प्रणाली का आविर्भाव वैसे तो मानव जीवन के साथ-साथ माना जाता है लेकिन प्रमाणित रूप में एक दान समिति के प्रयासों (चैरिटी आर्गेनाइजेशन सोसाइटी मूवमेंट) से हुआ है। यह तब हुआ जब इस दान समिति ने विभिन्न अन्य कार्यरत गैर-सरकारी कल्याण समितियों के मजबूत सम्बन्धों, सहयोग एवं इन समितियों के माध्यम से उपलब्ध सहायता कोष के धन के उचित उपयोग के विषय में कदम उठाया। इन प्रयासों से जन्मी प्रणाली को सामुदायिक संगठन का नाम दिया गया।

सामान्य बोलचाल की भाषा में सामुदायिक संगठन का अर्थ किसी निश्चित क्षेत्र या भू-भाग के व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं एवं उस भू-भाग में उपलब्ध आन्तरिक एवं बाह्य विभिन्न साधनों के बीच समुचित एवं प्रभावपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करते हुए उन व्यक्तियों में अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों का अध्ययन करने तथा उपलब्ध साधनों से समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास करना है।

सामुदायिक संगठन कार्य में विघटित समुदाय के सदस्यों को आपस में एकत्रित कर उनकी सामुदायिक कल्याण एवं विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को खोज निकालने तथा उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक साधनों के जुटाने की योग्यता का विकास किया जाता है अर्थात् सामुदायिक कार्यकर्ता का काम सामुदायिक सदस्यों के साथ मिलकर उनकी अपनी समस्याओं का अध्ययन करने, अपनी आवश्यकताओं को महसूस करने, उपलब्ध साधनों के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने, सामूहिक समस्या समाधान के लिये उचित रास्ता अपनाने, एक होकर संघ बनाने, आपसी सहयोग से योग्य नेता का चुनाव करने तथा वैधानिक ढंग से अपनी समस्या का समाधान करने की योग्यता का विकास करना है। इस प्रकार समुदायिक संगठन की प्रक्रिया में सामुदायिक समस्याओं के अभिकेन्द्रीकरण से लेकर उनके समाधान तक किये गये समुचित कार्यों एवं चरणों की शामिल जाता है।

सामुदायिक संगठन कार्य की सफलता का ज्ञान लोगों में उसी समय हुआ जब प्रथम विश्व युद्ध में इसने दान संगठन एवं कल्याण समिति के रूप में कार्य करके अभूतपूर्व सफलता हासिल की।

## 3.4 सामुदायिक संगठन की परिभाषा

सामुदायिक संगठन, समाज कार्य की एक प्रमुख प्रक्रिया है जिसमें एक प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता द्वारा समुदाय के सदस्यों की इस प्रकार सहायता की जाती है कि वे लोग अपनी समस्याओं का समाधान विभिन्न उपलब्ध साधनों के माध्यम से स्वयं कर सकें। इसकी अवधारणा को और स्पष्ट करने के लिये कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं -

1. लिण्डमैन -

इनके अनुसार ''सामुदायिक संगठन सामाजिक संगठन का वह चरण है जिसमें समुदाय द्वारा प्रजातांत्रिक तरीके से अपने मामलों या कार्यों को नियोजित करने और अपने विशेषज्ञों, संस्थाओं, संगठनों के मान्य परस्पर सम्बन्धों द्वारा उच्चतम सेवा प्राप्त करने के सचेत सम्मिलित हैं।'' ..... '' सामुदायिक संगठन की मुख्य समस्या प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं ओर विशेषज्ञों में एक कार्यात्मक सम्बन्ध स्थापित करना है। ''

इस प्रकार लिण्डमेन के अनुसार सामुदायिक संगठन एक ऐसा कार्य है जिसमें किसी निश्चित भू-भाग मे निवास करने वाले व्यक्ति अपनी समस्याओं को जानते हुए समस्या समाधान के लिये प्रजातांत्रिक तरीके से आपस में योजना बनाते हैं और इस कार्य में विशेषज्ञों द्वारा दिये ज्ञान, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं एवं संगठनों के नियमों

का आदर करते हुए समस्या समाधान के लिये सतत् प्रयास करते हैं। इस प्रकार इनकी परिभाषा में मुख्य रूप से पांच तत्व दिखाई देते हैं।

1. समस्या की पहचान

2. प्रजातान्त्रिक नियोजन

3. विशेषज्ञों, संस्थाओं एवं संगठनों को मान्यता

4. पारस्परिक सहयोग

5. समाधान का सतत् प्रयास आदि।

2. पैटिट ( 1925) -

इनके अनुसार ''सामुदायिक संगठन का अर्थ व्यक्तियों के एक समूह को अपनी सामान्य आवश्यकताओं को पहचानने और उन आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता देना है।''

3. लेन ( 1939) -

इसके अनुसार ''सामुदायिक संगठन का सामान्य उद्देश्य समाज कल्याण आवश्यकताओं और समाज कल्याण साधनों के बीच प्रगतिशील एवं अधिक प्रभावशाली समयोजन लाना और उसे बनाये रखना है। इसका तात्पर्य है कि सामुदायिक संगठन का संबंध (क) आवश्यकताओं की खोज और परिभाषा (ख) सामाजिक आवश्यताओं और अयोग्यताओं की जहां तक सम्भव हो रोकथाम और समाप्ति, (ग) बदलती हुई आवश्यकताओं को अच्छे तरीके से पूरा करने के लिये साधनों के समुचित उपयोग से है।''

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि इनकी परिभाषा में मुख्यतया –

(1) समाज कल्याण आवश्यकताओं,

(2) समाज कल्याण संस्थाओं,

(3) कल्याण सेवाओं एवं कल्याण संस्थाओं के साथ पारस्परिक सम्बन्ध एवं समायोजन बनाये रखने से सम्बन्धित बातों पर विशेष जोर दिया गया।

4.सैन्डर्सन एवं पालसन ( 1939)

इनके मतानुसार ''सामुदायिक संगठन का लक्ष्य समूहों और व्यक्तियों में ऐसे सम्बन्धों को विकसित करना है जो एक साथ कार्य करने के योग्य बना सकें और ऐसी सुविधाओं एवं संस्थाओं का निर्माण और रख रखाव करने के योग्य बना सकें जिसके माध्यम से वे अपने सर्वोच्च मूल्यों को समुदाय के सभी सदस्यों के सामान्य कल्याण के लिए प्राप्त कर सकें।

5. रौस 1955

इनके अनुसार ''सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज कार्यकर्ता अपनी अन्तर्दृष्टि एवं निपुणता का प्रयोग करके समुदायों (भौगोलिक एवं कार्यात्मक) को अपनी-अपनी समस्याओं को पहचानने और उनके समाधान हेतु कार्य करने में सहायता देता है।''

आपने अपनी इस परिभाषा में

(1) सामुदायिक कार्यकर्ता की निपुणता,

(2) सामुदायिक सदस्यों की अपनी समस्याओं की पहचान और

(3) समस्या समाधान हेतु सहायता जैसी बातों पर विशेष बल दिया है।

अपनी इस परिभाषा के साथ-साथ रौस ने एक और विस्तृत एवं आधुनिक परिभाषा देकर इसके अर्थ और उद्देश्य के साथ प्रक्रिया को भी बड़े ही सारगर्भित एवं साधारण शब्दों में स्पष्ट करने का प्रयास किया है।

आपके अनुसार ''सामुदायिक संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है - जिसके द्वारा समुदाय अपनी आवश्यकताओं या उद्देश्यों को पहचानता या निश्चित करता है, उन आवश्यकताओं या उद्देश्यों को क्रमबद्ध करता है, अपने अन्दर इन आवश्यकताओं या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रयास करने का विश्वास एवं इच्छा उत्पन्न करता है, इन आवश्यकताओं या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रयास करने का विश्वास एवं इच्छा उत्पन्न करता है, इन आवश्यकताओं या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये साधनों (आन्तरिक और बाहरी) का पता लगाता है, उनकी प्राप्ति के लिये कार्यवाही करता है, और ऐसा करने में समुदाय में सहयोग एवं सहकारिता की मनोवृत्तियों और व्यवहारों में वृद्धि एवं विकास करता है।''

रौस द्वारा दी गयी परिभाषा में ''समुदाय'' शब्द का प्रयोग विशेष रूप से दो अर्थो में किया गया है-

1.एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले समूह के अर्थ में एक ग्राम, एक नगर, एक पड़ोस या नगर का एक छोटा जनपद या मोहल्ला;

2.व्यक्तियों के उस समूह के अर्थ में जो समान रूचियों या समान कार्य से संबन्धित है जैसे कल्याण, कृषि, शिक्षा या धर्म।

''समुदाय'' शब्द वैज्ञानिक अर्थों में दो विशेषतायें रखता है:-

1. भौतिक, भौगोलिक और भू-खण्डीय सीमायें जो एक समूह की एकलता और पृथकता जाहिर करती हो, और

2. सामाजिक एवं सांस्कृतिक समानता, आत्म सहायता या दूसरे सामान्य व्यवहार या अन्तक्रियात्मक सम्बन्धों का होना।''

''अपनी आवश्यकताओं या उद्देश्यों को निश्चित करने'' का अर्थ उस तरीके से है जिससे समुदाय के सदस्य अपनी समस्याओं को स्वयं ढूंढने के योग्य होकर चिन्ताजनक विषयों या समस्याओं पर आवश्यक ध्यान देते हुये समस्या समाधान के लिय आवश्यक एवं उचित तरीकों का निर्धारण सामूहिक निर्णय के आधार पर करते हैं तथा इस कार्य के लिये सामुदायिक सदस्यों के घर जा कर उनसे विचार-विमर्श करके योजना तैयार करते है।

इतना ही नहीं आपके अनुसार, ''अपनी आवश्यकताओं या उद्देश्यों को क्रमबद्ध करने'' का अर्थ यह भी है कि सामुदायिक सदस्यों में इस बात का पूर्ण बोध हो जाए कि वे अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को उनकी प्राथमिकता के आधार पर एक प्राथमिकता क्रम में रख सकें। इस प्रकार की योग्यता सामुदायिक कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका पर निर्भर होती है। इसमें सदस्यगण अपनी सम्पूर्ण आवश्यकताओं में एक के बाद एक आवश्यकता की पूर्ति के लिये उद्देश्य निर्धारित करने के योग्य हो जाते है।

''साधनों (आन्तरिक एवं बाहरी)'' का तात्पर्य उन सभी आन्तरिक एवं बाह्य माध्यमों से है जिनको सामुदायिक सदस्य अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान, आवश्यकताओं की पूर्ति तथा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के समय प्रयोग में लाते हैं। इन साधनों में व्यक्ति, उपकरण विधियां, सामग्री आदि आते हैं।

6. फ्रीड लैण्डर (1955) के अनुसार ''समाज कल्याण के लिये सामुदायिक संगठन को समाज कार्य की एक ऐसी प्रक्रिया कहकर पारिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा एक भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर समाज कल्याण आवश्यकताओं और समाज कल्याण साधनों के बीच एक प्रगतिशील एवं अधिक प्रभावी समायोजन स्थापित किया जाता है।''

सामुदायिक प्रक्रिया के रूप में सामुदायिक संगठन कार्य एक नहीं अनेक अवस्थाओं से गुजरता है जैसे -

1. सामुदायिक कल्याण की संरचना और सामाजिक संस्थाओं और उनके कार्यों का ज्ञान,

2. जनता की सर्वोत्तम सेवा देने के लिये सरकारी और निजी संस्थाओं की विद्यमान सुविधाओं में समन्वय,

3. निजी और सरकारी संस्थाओं के स्तर में सुधार,

4. वर्तमान अपूरित मानवीय आवश्यकताओं की निर्धारित करने के लिये सर्वेक्षण एवं अनुसन्धान कार्य का प्रयोग,

5. उपलब्ध साधनों के सन्दर्भ में इन आवश्यकताओं का विश्लेषण,

6. सूचनाओं का संश्लेषण, तथ्यों का परीक्षण और आवश्यकताओं की महत्ता एवं जरूरत के अनुसार प्राथमिकता निर्धारित करना,

7. आवश्यक सेवाओं का समायोजन और आवश्यकतानुसार नयी सेवाओं का विकास,

8. जनता एवं सभी समूहों के समक्ष वर्तमान सेवाओं के ज्ञान का विस्तार या नयी सेवाओं के निर्माण की आवश्यकता का अर्थ निरूपण,

9. समाज कल्याण क्रिया-कलापों के लिये आर्थिक साधनों एवं नैतिक समर्थन का जुटाव और

10. शिक्षा एवं सूचनाओं द्वारा समाज कल्याण की आवश्यकताओं के विषय में समुदाय में ज्ञान का सृजन करना।

विभिन्न विद्वानों द्वारा व्यक्त उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सामुदायिक संगठन का उद्देश्य सामुदायिक सदस्यों में अपनी समस्याओं, आवश्यकताओं एवं उपलब्ध कल्याणकारी साधनों को पहचानने, समस्या समाधान के लिये योजना बनाने तथा निदान ढूंढ़ने की योग्यता का विकास करना है।

## 3.5 सामुदायिक संगठन कार्य की विशेषताएँ

विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गयी परिभाषाओं एंव उनमें व्यक्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सामुदायिक संगठन कार्य की कुछ सामान्य और प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित है।

1. यह एक निर्धारित भू.भाग में निवास करने वाले विभिन्न जाति धर्म एवं समूहों के सदस्यों के विकास का कार्य है। एक समुदाय के लिए निश्चित भू.भाग का तात्पर्य यहां एक गांव ,मुहल्ला, शहर,प्रान्त राज्य एवं राष्ट्र से है।

2. सामुदायिक संगठन कार्य में प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता के ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग आवश्यक है। इसमें समस्या का अध्ययन करने की योग्यता का विकास किया जाता है I

3. सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को पूर्ण ज्ञान होता है कि सामुदायिक संगठन कार्य की सफलता सामुदायिक सदस्यों पर ही निर्भर है। इसलिए सामुदायिक कार्यकर्ता अपने उपयोगी ज्ञान को जो सामुदायिक सदस्यों के लिए आवश्यक है उनमें संचारित करता है।

4. समस्या के समाधान के उचित रास्तों का चयन करने के लिए आवश्यक है कि समस्या का अध्ययन किया जाए। इसलिए सर्वप्रथम समाज कार्यकर्ता सदस्यों की समस्याओं का अध्ययन करते हुए सदस्यों में अध्ययन करने की स्वयं योग्यता का विकास करता है जिससे वे स्वयं समस्या का अध्ययन करते हुए इसकी वास्तविक रूप.रेखा जान सके।

5. सामुदायिक संगठन कार्य प्रजातान्त्रिक निर्णय पर आधारित है I

6. साधनों को जानने एवं उसे संचालित करने का प्रयास किया जाता है I

7. सामुदायिक कार्यकर्ता अपने व्यावहारिक ज्ञान से सदस्यों को लाभान्वित होने के लिए उनमें आवश्यक कदम उठाने की योग्यता का विकास करता है जिससे कल्याण सेवा प्रदान करने वाली संस्थायें अपनी सेवाओं को नियमित कर सकें और सदस्यगण लाभान्वित हो सके।

8. सामुदायिक नियोजन एंव एकता का विकास किया जाता है I

9. सामुदायिक कल्याण के विकास को जनकल्याण में बदला जाता है I

इन कार्यक्रमों के लिए न केवल प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता की ही आवश्यकता होती है बल्कि उन सभी सरकारी, गैर-सरकारी कर्मचारियों एवं स्वयं सेवी कार्यकताओं की भी आवश्यकता होती है जिन्हें विभिन्न कार्यक्रमों के विषय में पूर्ण जानकारी है या वे विभिन्न प्रकार की संचालित सरकारी एवं गैर-सरकारी कल्याण सेवाओं के संचालन कार्यक्रमों के एक अंग है। साथ-साथ इन कार्यो में उन विशेषताओं एवं अनुभवशील कर्मठ कर्मचारियों के योगदान की आवश्यकता पड़ती है जो लोगों के ज्ञान स्तर को पहचानते हुये आवश्यक ज्ञान वालों को सरल एवं स्पष्ट रूप से लोगों के समक्ष रख सकें, जिससे जरूरतमंद इसे आसानी से समझ कर अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए इस का प्रयोग सामुदायिक एवं राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में लगा सकें। इस प्रकार सामुदायिक विकास कार्य सरकारी विस्तार कार्यों पर निर्भर होता है। इन विस्तार कार्यों में विभिन्न प्रकार के उपलब्ध संचालित कार्यक्रमों के विषय में, जो समुदाय विशेष के लोगों के लिए आवश्यक है चाहे वह कृषि के विकास में सम्बन्धित हो या ग्रामिण विकास से सम्बन्धित क्यो न हो को इस योग्य बनाने का प्रयास किया जाता है जिससे सभी सदस्य अपने आपसी सहयोग, सहायता एवं सहभागिता के साथ संचालित आवश्यक कार्यक्रमों द्वारा आवश्यकताओं एवं उपलब्ध सरकारी एवं गैर-सरकारी साधनों के बीच सदस्यों की योग्यता का विकास कर समझौता स्थापित करते है जिससे उपलब्ध साधनों को जरूरतमन्द लोगों तक पहुँचा कर संस्था एवं सेवा के उद्देश्य को पूरा किया जाए साथ-साथ जरूरतमन्द लोगों को आवश्यक सेवायें उनकी आवश्यकतानुसार मिलती रहें और पारस्परिक सहयोग, सहायता एवं सहकारिता को बढ़ावा मिल सके।

इन उपर्युक्त विचारधाराओं से सामुदायिक संगठन कार्य की अवधारणा स्पष्ट होती है तथा यह भी स्पष्ट होता है कि सामुदायिक संगठनकर्ता, सामुदायिक संगठन की एक प्रक्रिया के रूप में किस प्रकार की भूमिका किसके साथ निभाता है। यदि सामुदायिक संगठन कार्य को इसकी अन्य सम्बन्धित अवधाराओं से जोड़ा जाता है तो सभी सम्बन्धित विषय जैसे - सामुदायिक विकास, सामुदायिक कार्य, कार्य योजना, सामुदायिक क्रिया आदि लोगों में भ्रम पैदा करते है। उदाहरणार्थ सामुदायिक विकास कार्य से हमारा तात्पर्य उस प्रकार के विकास कार्य से है जिसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा सामुदायिक सदस्यों की योग्यता एवं उनकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शक्तियों का विकास कर उसे राष्ट्रीय विकास से जोड़ना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामुदायिक विकास कार्य में सामुदायिक सदस्यों, में उनका सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्तर का विकास सरकारी, स्वयं सेवी एवं व्यावसायिक कार्यकर्ताओं के शिक्षण-प्रशिक्षण द्वारा किया जाता है। अतः कहा जा सकता है। कि इस कार्य में भी सामुदायिक

सदस्यों को उनकी अपनी विभिन्न उपलब्ध साधनों एवं सुविधाओं को विकसित कर उसको आवश्यक दिशा में उपयोग करने के लिये उनकी योग्याताओं एवं क्षमताओं का विकास करना सम्मिलित है जिससे सामुदायिक विकास के साथ-साथ राष्ट्रीय विकास कार्य को साकार बनाया जा सकें।

**सामुदायिक संगठन और सामुदायिक विकास में अंतर**

1.सामुदायिक संगठन का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सदस्यों के बीच आपसी सहयोग, सलाह एंव एकता को विकसित करना है। जबकि सामुदायिक विकास में सामुदायिक सदस्यों विशेषकर, अविकसित एवं विकासात्मक समुदायों के आर्थिक विकास पर जोर दिया जाता है।

2.सामुदायिक संगठन कार्य आवश्यक नहीं है कि सरकार द्वारा ही संचालित हो, यह स्वंय सेवी संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित सामुदायिक संगठन कार्यकर्ताओं के सहयोग से भी किया जा सकता है। जबकि सामुदायिक विकास सरकार द्वारा संचालित सामुदायिक सदस्यों के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

3. इस सामुदायिक संगठन कार्य में एक कुशल सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता के मार्गदर्शन से सामुदायिक सदस्यों में अपने आप सामुदायिक योजना तथा संगठन बनाने की क्षमता का विकास करना सम्मिलित है। जबकि सामुदायिक विकास कार्य में सामुदायिक सदस्यों के वर्तमान अवस्था को ऊंचा उठाने के लिये, विशेषरूप से उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिये प्रसार कार्यक्रमों को कार्यान्वित एवं नियमित करना सम्मिलित है।

4. सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता समाजकार्य व्यवसाय में एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता होता है जो अपने ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग सामुदायिक सदस्यों के साथ उनकी सामुदौयिक योजना बनाने तथा सामुदायिक एकता में करता है। जबकि  सामुदायिक विकास कार्यकर्ता एक सरकारी कार्यकर्ता होता है जो समुदाय की वर्तमान अवस्था के विभिन्न कारकों एवं उपायों के विषय में ज्ञान रखता है।

5. सामुदायिक संगठन कार्य वह कार्य है जिसमें सामुदायिक कार्यकर्ता सामुदायिक सदस्यों को उनकी आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधनों के बीच समायोजन लाने की योग्यता एवं सामुदायिक कल्याण की भावना का विकास करता है। जबकि सामुदायिक विकास योजना वह कार्य है जिसमें सामुदायिक सदस्यों द्वारा समुदाय की सामान्य आवश्यकताओं एवं विभिन्न उपलब्ध साधनों के बीच व्यवस्थित सन्तुलन स्थापित करना सम्मिलित है।

**सामुदायिक संगठन और सामुदायिक क्रिया में अंतर**

1. सामुदायिक संगठन कार्य का प्रयोग असंगठित एवं विघटित समुदाय के साथ उनकी अपनी आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधनों के बीच समता स्थापन में किया जाता है। जबकि सामुदायिक क्रिया का प्रयोग सामुदायिक बुराई एवं तनाव में सदस्यों का सत्ता के साथ आपसी एकता एवं सामूहिक विकास के लिये किया जाता है।

2. सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया सीमित है जबकि सामुदायिक क्रिया की प्रक्रिया काफी विकसित है।

3. इसकी प्रक्रिया सीमित होने के कारण इसमें अत्यधिक समय एवं योगदान की आवश्यकता नहीं होती है जबकि सामुदायिक क्रिया के लिये अत्यधिक समय एवं योगदान की आवश्यकता पड़ती है।

## 3.6 सामुदायिक संगठन के उद्देश्य

समाज कार्य के उद्देश्य के समान सामुदायिक संगठन का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सदस्यों की इस प्रकार सहायता करना है जिससे सामुदायिक सदस्य अपनी समस्याओं के कारणों को खोज निकालने, आवश्यकताओं को पहचानने तथा समुदाय में आत्मनिर्भरता का दीप जला सकें और विकसित हो सकें। विशेष रूप से एक समुदाय में सामुदायिक संगठन का मुख्य उद्देश्य समुदाय की विभिन्न सामयिक आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधनों के बीच समुदाय में आवश्यक सहयोग, सहकारिता एवं एकता के माध्यम से समायोजन स्थापित करना है।

जिन विद्वानों ने सामुदायिक संगठन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला है उनमें से कुछ प्रमुख विद्वानों के विचार निम्नलिखित है I

**हार्पर एवं डनहम के अनुसार**

हार्पर एवं डनहम ने 1939 में संगठित नेशलन कॉन्फ्रेंस आफ सोशल वर्क द्वारा नियुक्त केन कमेटी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर सामुदायिक संगठन के निम्नलिखित उद्देश्यों का उल्लेख किया है। इन्हें दो भागों में बाँट कर व्यक्त किया जा सकता है-

### (1) सामान्य उद्देश्य

आपके अनुसार सामुदायिक संगठन का सामान्य उद्देश्य सदस्यों की समाज कल्याण की आवश्यकताओं एवं विभिन्न कल्याणकारी उपलब्ध साधनों के बीच प्रगतिशील समायोजन स्थापित करना है। इसे और स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित भागों में व्यक्त किया गया है।

(क) विभिन्न प्रकार की कल्याण आवश्यकताओं का पता लगाना और उन्हें परिभाषित करना।

(ख) अयोग्यताओं की रोकथाम करना।

(ग) बदलती परिस्थितियों में उत्पन्न विभिन्न आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण करते हुये इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले साधनों का पता लगाना तथा दोनों में समायोजन स्थापित करना।

### (2) द्वितीयक उद्देश्य

हार्पर एवं डनहम ने सामान्य उद्देश्यों के साथ कुछ द्वितीयक उद्देश्यों का भी उल्लेख किया है जो निम्नलिखित है:

(क) प्रभावी नियोजन कार्य के लिये वास्तविक एवं पर्याप्त आधारों की खोज करना तथा उन्हें बनाये रखना।

(ख) आवश्यक कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं उपयुक्त सेवाओं को आरम्भ करना, उन्हें विकसित करना तथा समय-समय पर आवश्यक संशोधन करना जिससे आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधनों के बीच समुचित समायोजन स्थापित किया जा सके।

(ग) समाज कार्य के स्तर को ऊँचा करते हुये वैयक्तिक संस्थाओं की कार्यक्षमता को बढाना।

(घ) पारस्परिक सम्बंधों एवं सहयोग को बनाये रखने वाली विधि को आसान बनाना और विभिन्न कल्याणकारी संगठनों, समूहों एवं व्यक्तियों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध एवं आवश्यक समन्वय को बढाना एवं स्थापित करना।

(ड़) सामुदायिक सदस्यों को समाज कार्य के उद्देश्यों, कार्यक्रमों एवं प्रणालियों के विषय में अवगत कराना।

(च) संचालित किये जाने वाले आवश्यक कल्याणकारी कार्यक्रमों के विषय में जनता को बताते हुए जनता हुये जनता का समर्थन प्राप्त करना तथा उनकी सहभागिता बढाना।

मैकनील के विचार

मैकनील ने सामुदायिक संगठन के लक्ष्य को समाज कार्य के लक्ष्य के समान ही माना है, क्योंकि दोनों का केन्द्र बिन्दु मानव समाज ही है। सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधनों के बीच प्रजातांत्रिक जीवन के सिद्धान्त के आधार पर आवश्यक साधनों को जुटाना सामुदायिक संगठन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

मैकनील ने समाज कल्याण के क्षेत्र में सामुदायिक संगठन के निम्नलिखित उद्देश्यों का उल्लेख किया हैः

1. आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये साधनों का विश्लेषण करना।

2. मानवीय आवश्यकताओं के विषय में तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना।

3. तथ्यों का संश्लेषण, सहसंबंध एवं परीक्षण करना।

4. उपलब्ध सेवाओं एवं मानवीय आवश्यकताओं सम्बंधी तथ्यों को मिलाना।

5. सभी सम्बन्धित व्यक्तियों एवं समूह के प्रतिनिधियों को कार्यक्रम के प्रत्येक चरणों में सहभागी बनाना।

6. उत्पन्न हो रही विभिन्न सामाजिक समस्याओं के प्रति जनता में रूचि को बढाना और उचित शिक्षा एवं सहभागिता द्वारा उनका समाधान खोजने के लिये जनता को प्रोत्साहित करना।

7. प्राथमिकता निर्धारित करना।

8. सेवाओं के स्तरों में सुधार एवं विकास लाना।

9. विभिन्न कल्याणकारी सेवाओं में विद्यमान कमियों का पता लगाना।

10. संचालित कल्याणकारी सेवाओं के समापन, उनका अन्य आवश्यक सेवाओं के साथ समायोजन एवं नयी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये नयी सेवाओं को विकसित करना।

11. सामुदायिक सदस्यों में शिक्षा के माध्यम से उनके ज्ञान में वृद्धि करना।

12. नैतिक एवं आर्थिक समर्थन को जुटाना, आदि।

सैन्डरसन एवं पोलसन के विचार

सैन्डरसन के अनुसार सामुदायिक संगठन का सामान्य उद्देश्य समूहों एवं व्यक्तियों के बीच इस प्रकार के संबंध को विकसित करना है जिससे लोगों में एक साथ मिलकर कार्य करने की योग्यता का विकास हो सके तथा वे ऐसी सुविधाओं व संस्थाओं का निर्माण एवं सम्पादन कर सकें जिनके द्वारा वे अपने सर्वोच्च मौलिक मूल्यों को सामुदायिक कल्याण के लिये प्राप्त सकें।

इसके अतिरिक्त सैन्डरसन ने इन व्यक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की आवश्यकता पर बल दिया है जो निम्नलिखित हैः

1. सामुदायिक तादात्म्य की चेतना।

2. अपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति।

3. लोगों का सामाजिक जीवन में भाग लेना।

4. सामुदायिक भावना द्वारा समाज में सामाजिक नियंत्रण।

5. आपसी संघर्ष एवं कलह को दूर करने के लिये सदस्यों में सहयोग बढाना।

6. अवांछित प्रभावों और दशाओं से समुदाय की रक्षा करना।

7. अन्य विभिन्न समुदायों एवं संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित करके आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं का समाधान करना।

8. समुदाय में एकता स्थापित करना।

9. सामुदायिक कार्य के लिए समुदाय में नेतृत्व का विकास करना।

इस प्रकार सामुदायिक संगठन का उद्देश्य न केवल एक निश्चित भू-भाग के एक या कुछ व्यक्तियों की समस्याओं एवं साधनों में समता स्थापित करना है। बल्कि समुदाय के सम्पूर्ण सदस्यों की आवश्यकताओं एवं समुदाय परिधि के अंदर या बाहर सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध विभिन्न साधनों के बीच संबंध स्थापन के लिए सामुदायिक सदस्यों को उनकी आवश्यकताओं एवं समस्याओं के अनुसार व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से शिक्षित-प्रशिक्षित कर उनकी योग्यताओं का विकास करना है। विभिन्न जाति, वर्ग एवं सम्प्रदाय के लोगों में एक दूसरे के अधिकारों एवं कर्तव्यों के महत्व को विकसित करना है, जिससे प्रजातांत्रि कत्रि रूप से सामुदायिक कल्याण का अधिकाधिक विकास किया जा सके।

## 3.7 सारांश

प्रस्तुत इकाई के अन्तर्गत समुदाय के मूल तत्वों, अर्थों, परिभाषाओं तथा अवधारणा को समझाने का प्रयास किया गया है। सामुदायिक संगठन के रूप में समाज कार्य की प्रणाली को स्पष्ट किया गया है जिसमें सामुदायिक संगठन की अवधारणा, और उसकी विशेषताओं का भी वर्णन किया गया है I

## 3.8 अभ्यासार्थ प्रश्न

1.सामुदायिक संगठन की अवधारणा एवं दर्शन को स्पष्ट कीजिए?

2.सामुदायिक संगठन की परिभाषा एवं सामुदायिक संगठन कार्य की विषेशताओं पर प्रकाश डालिए।

3.सामुदायिक संगठन के उद्देश्य को बताइये।

## 3.9 सन्दर्भ-साहित्य

1. आप्टेकर हरवर्ट - बेसिक कान्सेप्ट्स इन सोशल वर्क, यूनिवर्सिटी आवनार्थ

कैरोलिना प्रेस, चैपेल हिल, 1941.

2. सिंह, ए.एन. - सामुदायिक संगठन, हरियाणा ग्रन्थ अकादमी, पंचकूला, 2012

3. इण्डिया - कम्यूनिटी डवैलपमेन्ट ऐट ऐ ग्लान्स, दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1962.

4. गैंगराडे, के.डी.- कम्यूनिटी आर्गेनाइजेशन इन इण्डिया, पापुलर प्रकाशन, बाम्बे, 1971.

5. आगवर्न एण्ड निमकाफ- ए हैण्डबुक आफ सोसियोलाजी, राउटलेज एण्ड केगनपाल लि0, लंदन 1957.

6. आरथर हिलमैन - कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन एण्ड प्लानिंग, द मैकमिलन कम्पनी, न्यूयार्क, 1957.
7. आसबर्न, एल0 उी0 न्यूमेयर, एम0 एच0 - द कम्यूनिटी एण्ड सोसाइटी।
8. इण्डियन कान्फ्रेन्स आफ सोशल वर्क, स्पेशल ऐन्निवर्सरी, नवम्बर-दिसम्बर, 1957.
9. दयाल, राजेष्वर- कम्युनिटी डेवैलपमेन्ट प्रोग्राम इन इण्डिया, किताब महल, इलाहाबाद, 1960 .

इकाई-4

# सामुदायिक संगठन: प्रकार एवं सिद्धांत

**इकाई की रूपरेखा**

4.0 उद्देश्य

4.1 प्रस्तावना

4.2 सामुदायिक संगठन के प्रकार

4.3 सामुदायिक संगठन के सिद्धान्त

4.4 सारांश

4.5 अभ्यासार्थ प्रश्न

4.6 सन्दर्भ ग्रन्थ

## 4.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप:

-- सामुदायिक संगठन के मूलभूत प्रकारों को जान सकेंगे।

-- सामुदायिक संगठन के सैद्धान्तिक परिपेक्ष्य से परिचित हो सकेंगे।

## 4.1 प्रस्तावना

सामुदायिक संगठन के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न प्रकारों का प्रयोग सामुदायिक संगठन के उद्देश्यों पर आधारित होता है। चूंकि समुदाय के सम्पूर्ण सदस्यों की आवश्यकताओं एवं समुदाय परिधि के अन्दर या बाहर विभिन्न साधनों के बीच सम्बन्ध स्थापन के अनुसार अलग-अलग प्रकारों का प्रयोग होता है जिससे समुदाय का वास्तविक विकास किया जा सके। समुदाय के साथ कार्य करने के विभिन्न सिद्धान्तों का ज्ञान सामुदायिक संगठन के अनुभव पर आधारित है। अतः इन सिद्धान्तों के आधार पर कार्य करते हुए हम सामुदायिक संगठन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके ज्ञान के बिना अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है तथा लक्ष्य पूर्ति में असफल सिद्ध होने की सम्भावना बनी रहती है।

## 4.2 सामुदायिक संगठन कार्य के प्रकार

सामुदायिक संगठन के विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर सामुदायिक संगठन के कुछ प्रकारों को निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है:

### 1. सूचना निर्माण का प्रकार

सामुदायिक संगठन कार्य का प्रथम एवं महत्वपूर्ण प्रकार समुदाय की स्थिति का अध्ययन करना है। सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को सामुदायिक सदस्यों के साथ उनके कल्याण कार्य के लिए सर्वप्रथम उनकी वर्तमान स्थितियों अर्थात् उनकी आवश्यकताओं एवं समस्याओं को जानना चाहिए। साथ ही उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी समस्याओं के विषय में चेतना ओर समस्याओं को दूर करने के लिए किये गये प्रयासों का अध्धयन करना चाहिए। इसके साथ-साथ समुदाय कल्याण एवं विकास कार्य में लगी हुई विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, मनोरंजन, संचार, खेती, व्यापार-व्यवसाय, उद्योग एवं समाज कल्याणकारी सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं का अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन कार्य में कार्यकर्ता को न केवल विभिन्न प्रकार की कल्याण कार्य कर रही सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं का पता लगाना है बल्कि उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को भी जानने का प्रयास करना है कि ये सेवायें किन लोगों को और किस प्रकार दी जाती हैं। इन सूचनाओं के ज्ञान से उद्देश्यों के निर्धारण तथा कार्यक्रम योजना के निर्माण में सहायता मिलती है।

### 2. समस्याओं के समाधान का प्रकार

सामुदायिक संगठन कार्य का दूसरा प्रकार है समस्याओं के समाधान के लिए सामुदायिक सदस्यों को एकत्रित कर विचार करना। फिर सदस्यों को उन साधनों के प्रति सचेत करना जो समुदाय में उपलब्ध हैं और जो समुदाय के बाहर से प्राप्त किये जा सकते हैं। इन साधनों को ध्यान में रखते हुए प्रभावपूर्ण एवं व्यावहारिक योजनाओं पर विचार करना।

### 3. जनकल्याण का प्रकार

एक समुदाय में शिक्षित, अशिक्षित एवं विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित लोग निवास करते है। इनमें अपनी समस्या जानने, समझने और इसके निराकरण की योग्यता होती है। इसलिए सामुदायिक संगठन कार्य का तीसरा प्रकार यह होना चाहिये कि सामुदायिक सदस्य अपनी व्यक्तिगत कल्याण एवं विकास की भावनाओं को जोड़े। इससे प्रत्येक धर्म, जाति एवं वर्ग के लोग स्वेच्छा से एवं उपलब्ध सरकारी एवं गैर-सरकारी कल्याण सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं के सहयोग से जन-कल्याण को बढ़ावा दे सकते हैं।

### 4. जनहित प्रोत्साहन का प्रकार

एक समुदाय कई समूहों एवं उप-समूहों का योग होता है। इन समूहों एवं उप-समूहों का बटंवारा व्यक्तियों के सामाजिक आर्थिक एवं वैचारिक विविधताओं के आधार पर होता है। एक समूह के व्यक्ति विशेषकर अपने समूह या उप-समूह के सदस्यों के साथ अपना तालमेल रखना चाहते है, अतः सामुदायिक संगठन कार्य में सामुदायिक कार्यकर्ता को इन विभिन्न समूहों एवं उपसमूहों के सदस्यों के मनोबल को बढाते हुए इनमें जनहित की भावना का विकास करना चाहिए। उसे ऐसी योजनाओं का निर्माण करना चाहिये जो सभी समूहों व उपसमूहों को लाभकर हो तभी सभी का सहयोग मिल सकता है।

### 5. जन संगठन का प्रकार

इसके लिए एक संगठन स्थापित करने की आवश्यकता होती है। यह संगठन ऐसा होना चाहिए जो विभिन्न लोगों को मान्य हो। इसकी प्रकृति प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। इसमें सभी वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसका नेतृत्व सुयोग्य पदाधिकारियों के हाथ होना चाहिये।

### 6. समाज कल्याण का प्रकार

सामुदायिक कार्य का यह भी एक महत्वपूर्ण प्रकार है कि विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित समुदाय कल्याण सेवाओं के बारें में लोगों को बताया जाये। साथ ही यदि इस समुदाय को किसी विशेष सेवा की आवश्यकता है तो उसके बारें में उन संस्थाओं का ध्यान आकृष्ट किया जाये। संचालित सेवाओं की अधिक आवश्यकता होने पर स्थापित सामुदायिक संगठन द्वारा सम्बन्धित संस्था से निवेदन कर ऐसी सेवाओं को और बढाया जाये जिससे सहायता प्राप्त करने वाले लोग आवश्यकतानुसार पर्याप्त सेवाओं से लाभान्वित हो सकें। साथ-साथ समुदाय के ऐसे वर्ग जिन्हें इन सेवाओं की आवश्यकता है लेकिन किसी कारण से वे इनसे लाभान्वित नही हो पाये है को भी लाभान्वित होने का अवसर प्रदान करना चाहिए।

### 7. सामुदायिक संसाधनों के विकास का प्रकार

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि कुछ सदस्य अपने अज्ञान, पारिवारिक, आर्थिक एवं समाजजिक जिम्मेदारियों तथा विशेषज्ञों की सलाह के अभाव के कारण समुदाय के उपलब्ध साधनों को नही पहचान पाते है। इसलिये वे उन साधनों से लाभान्वित नही हो पाते है अतः सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को चाहिये कि वह एक विशेषज्ञ या सलाहकार के रूप में कार्य करे जिससे समुदाय या समुदाय के आस-पास विभिनन संस्थाओं द्वारा संचालित सेवाओं को सभी लोग जान सकें तथा समयानुसार अपनी मूल भूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उन उपलब्ध साधनों का यथासम्भव प्रयोग कर सकें। सामुदायिक कार्यकर्ता एवं संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं सदस्यों को चाहिये कि वे नियमित कल्याण सेवा न प्रदान करने वाली संस्थाओं तक पहुंचकर उनकी कल्याण सेवा को नियमित बनाने में सहायता कर सकें। इससे उपलब्ध संसाधनों की पर्याप्त मात्रा एवं आवश्यक दिशा में उपयोग हो सकता है।

### 8. सौहार्द विकास का प्रकार

समुदाय में जहां विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्तर के लाग होते है। उन के विचारों में भिन्नता होना स्वाभाविक ही है। इसीलिये सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को सभी के विचारों का ख्याल रखते हुए आपसी सहयोग को बढाने का प्रयास करना चाहिए।

### 9. समुदाय में समन्वय स्थापना का प्रकार

सामुदायिक संगठन कार्य न केवल व्यक्ति विशेष के लिये है, न ही व्यक्ति विशेष के प्रयास से इसके लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव है, बल्कि समुदाय के सम्पूर्ण व्यक्तियों के साथ व्यक्तियों के द्वारा सम्भव है। इसलिए सामुदायिक कार्य की वास्तविक सफलता, पारस्परिक विकास एवं समृद्धि के लिये आवश्यक है कि समुदाय कल्याण कार्य के लिये निर्धारित कार्यक्रमों में समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों, समूहों, उप-समूहों एवं विभिन्न जाति, धर्म एवं वर्ग के संगठनों के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित किया जाये।

### 10. समाज सुधार का प्रकार

सामुदायिक कार्यकर्ता को सामुदायिक बुराइयों को दूर करने तथा समुदाय को कंटक रहित बनाने का प्रयास करना चाहिए। सामुदायिक विकास के लिए परिवर्तनशील विधियों द्वारा समुदाय में उत्पन्न होने वाली समस्याओं से लोगों को आगाह करना चाहिए। उसे समस्याओं को अच्छे ढंग से समझने, श्रेणीकरण करने और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक योग्यता का विकास करना चाहिए।

## 4.3 सामुदायिक संगठन कार्य के सिद्धान्त

सामुदायिक संगठन कार्य के कुछ प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित है -

### 1. स्वीकृति का सिद्धान्त -

सामुदायिक संगठन कार्य का यह प्रथम एवं महत्वपूर्ण सिद्धान्त हैं जिसका ज्ञान कार्यकर्ता के लिए अत्यन्त आवश्यक है। कार्यकर्ता को चाहिए कि (1) वह समुदाय को उसी रूप में स्वीकार करे जिस रूप में समुदाय दिखाई देता है। (2) अपने को समुदाय से स्वीकार कराये अर्थात् कार्यकर्ता को अपने कार्य के प्राथमिक चरण में सामुदायिक सदस्यों द्वारा बतायी गई समस्या को ही नहीं बल्कि समुदाय की रूढ़ियों, परम्पराओं, सभ्यता-संस्कृति एवं सामुदायिक मूल्यों को गहराई से समझना चाहिए और सराहना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक समुदाय की न केवल अपनी अलग संस्कृति होती है वरन् उस समुदाय के लोगों के लिए वह अन्य समुदाय की संस्कृति एवं सभ्यता से उत्तम होती है। इसलिए सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को समुदाय विशेष के प्रत्येक कार्य व्यवहार को भावनात्मक धरातल पर देखना चाहिए। इसके साथ-साथ कार्यकर्ता को अपने विचार-व्यवहार क्रिया-प्रतिक्रिया को समुदाय के व्यवहार से जोड़ते हुए दोनों में तालमेल स्थापित करना चाहिए और समुदाय के साथ अपने आपको इस प्रकार जोड़ना चाहिए ताकि समुदाय उसे अपना ले।

### 2. मूलभूत आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधनों के ज्ञान का सिद्धान्त -

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता समुदाय में सदस्यों के साथ एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इसलिए समुदाय को स्वीकार करने एवं अपने को समुदाय द्वारा स्वीकृत करने के पश्चात् उसे समुदाय की उन तमाम आवश्यकताओं का पता लगाना चाहिए जो समुदाय के सदस्यों की नजर में महत्वपूर्ण हों।

कार्यकर्ता को कभी भी अपने समुदाय की आवश्यकता या जिस समुदाय में वह कार्य कर चुका है कि आवश्यकता को प्रत्येक समुदाय की आवश्यकता नहीं मानना चाहिए। बल्कि जिस समुदाय में वह अब कार्य कर रहा है उसके द्वारा महससू की गयी आवश्यकताओं का पता लगाना चाहिए। हो सकता है कि एक समुदाय के लिए सार्वजनिक टेलीफोन उसकी आवश्यकता हो और दूसरे के लिए उच्च शिक्षण संस्था सामाजिक कार्यकर्ता का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधनों में तालमेल स्थापित करना है। इसलिए सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को स्वयं समुदाय में एवं समुदाय के आस-पास कार्यरत सरकारी एवं गैर-सरकारी, स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध विभिन्न साधनों का पता लगाना चाहिए तथा सामुदायिक कल्याण के विकास के लिए उन्हें संचालित करना चाहिए।

### 3. व्यक्तिकरण का सिद्धान्त -

एक बड़े सामुदायिक भू-भाग में विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक स्तर के लोग निवास करते हैं। विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं के कारण इनकी समस्यायें भिन्न-भिन्न होती हैं। सामुदायिक संगठन कार्यकर्ताओं को समस्यागत विशेषताओं की भिन्नता को स्वीकार करते हुए उनमें व्याप्त विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करना चाहिए तथा सभी की समस्याओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को चाहिए कि वह सभी समूहों एवं उपसमूहों के सदस्यों से मिलकर उनकी समस्याओं का अध्ययन करे। विभिन्न एकत्रित समस्याओं के अध्ययनोपरान्त सामान्य एवं सार्वजनिक लाभ प्रदान करने वाली समस्याओं को प्राथमिकता दे।इसके साथ-साथ किसी वर्ग विशेष की अपनी सामाजिक - आर्थिक स्थिति के कारण अपनी समस्याएं हो सकती

हैं जो अन्य वर्गों से भिन्न हो सकती हैं। इसलिए कार्यकर्ता को वर्ग विशेष की विशेष समस्याओं का भी पता लगाना चाहिए।

### 4. आत्म -संकल्प का सिद्धान्त -

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता सामुदायिक सदस्यों के साथ कार्य कर उनकी योग्यता एवं ज्ञान का विकास उन्हें आत्म निर्भर बनाने में करता है। उसे सामुदायिक संगठन कार्य के प्रत्येक चरण में सदस्यों की शक्तियों एवं योग्यताओं का विकास आवश्यक दिशा में करते रहना चाहिए। उसे सदस्यों में अपनी समस्याओं एवं आवश्यकताओं को पहचानने, उपलब्ध विभिन्न साधनों का पता लगाने तथा दोनों के बीच आवश्यक तालमेल स्थापित करने के लिए आवश्यक निर्णय लेने का पूरा-पूरा खुला अवसर प्रदान करना चाहिए। कार्यकर्ता को आवश्यकतानुसार आवश्यक ज्ञान से उनका ज्ञानवर्द्धन तो अवश्य करना चाहिए। लेकिन उन्हें निर्णय लेने की पूर्ण स्वतन्त्रता देनी चाहिए। इससे वे अपने को जिम्मेदार महसूस करेंगे ओर अपने द्वारा लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन एवं उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील रहेंगे।

### 5. सीमाओं के बीच स्वतन्त्रता का सिद्धान्त -

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को समुदाय में लिये जा रहे प्रत्येक निर्णय में सदस्यों की इस प्रकार सहायता करनी चाहिए जिससे वे ऐसे निर्णय ले सकें जिसमें समुदाय के अधिकाधिक जरूरतमन्द लोगों का कल्याण हो सके। यदि कार्यकर्ता को लगे कि सामुदायिक सदस्य ऐसा निर्णय लेने जा रहे हैं जिससे समुदाय के किसी विशेष पक्ष या वर्ग के लोगों को ही लाभ होगा तो उस समय कार्यकर्ता को सामुदायिक शक्तियों को हाथ में रखने वाले प्रमुख सदस्यों के सहयोग एवं अपने चातुर्य से इसे रोकना चाहिए। यह समझदार कार्यकर्ता समुदाय में लिये जा रहे निर्णयों को आवश्यक मार्गदर्शन देता है, समुदाय अधिकाधिक लोगों के लिए उसे लाभकर बनाने का प्रयत्न करता है, सदस्यों का यथासम्भव ज्ञानवर्द्धन करता है तथा समुदाय की समस्याओं एवं आवश्यकताओं के संबंध में लिए जा रहे निर्णयों में आवश्यक परिवर्तन एवं नियन्त्रण स्थापित करने का प्रयास करता है।

### 6. नियन्त्रित संवेगात्मक सम्बन्ध का सिद्धान्त -

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को सदस्यों की समस्याओं को सूक्ष्मता से ग्रहण करना चाहिए और अपने व्यावसायिक ज्ञान के आधार पर उनका प्रत्युत्तर देना चाहिए। समुदाय की समस्याओं, परिस्थितियों की सत्यता महसूस करते हुए उसे अपने प्रभावपूर्ण एवं कुशल ज्ञान से प्रभावपूर्ण एवं आवश्यक निर्णय लेना चाहिए। कार्यकर्ता को सामुदायिक सदस्यों की समस्याओं को सुनने में अपने ध्यान, ज्ञान, विचार एवं एकाग्रता को सदस्यों के ध्यान, ज्ञान, विचार एवं एकाग्रता के साथ जोड़ना चाहिये, लेकिन चिंतन एवं निर्णय के समय उसको अपने व्यावसायिक पक्षों को ध्यान में रखकर समस्या उन्मूलक प्रभावपूर्ण निर्णय लेना चाहिए।

### 7. लचीले कार्यात्मक संगठन का सिद्धान्त -

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को चाहिए कि वह सभी सदस्यों को इकट्ठा कर एक ऐसे प्रभावपूर्ण संगठन का निर्माण कराये जिसमें समुदाय के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले, विभिन्न जाति, धर्म एवं सामाजिक-आर्थिक वर्ग वाले सदस्य शामिल हों। कार्यकर्ता को इस प्रकार के संगठन के निर्माण में इसके आकार पर भी ध्यान देना चाहिए। आकार ऐसा होना चाहिए जो न ही अधिक बड़ा हो और न ही अधिक छोटा। संगठन के नेता का चुनाव कराने में भी सदस्यों की इस प्रकार सहायता करनी चाहिए जिससे वे ऐसे नेता का चुनाव कर सकें जो संगठन की जिम्मेदारी निभाने, समुदाय की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को पहचानने तथा समुदाय की स्वीकृति हासिल

करने में निपुण हो साथ ही वह ऐसा भी हो जो विरोधी समूहों एवं उपसूहों के तनावों को प्रभावकारी ढंग से रोक सके।

हर संगठन को एक व्यवस्थित नियम में बांधने की आवश्यकता होती है जिससे संगठन के जिम्मेदार चयनित कार्यकर्ता कुछ समय तक कार्य करने के पश्चात् अपनी जिम्मेदारियेां से मुक्त हो सकें। संगठन के कर्मचारियों में संगठन के कार्यों का पूरा बंटवारा होना चाहिए। कार्यों के कार्यान्वयन तथा जिम्मेदार कर्मचारियों की जिम्मेदारियों को कम करने के लिए कुछ समितियों एवं उपसमितियों का निर्माण किया जाना चाहिए।

### 8. उद्देश्यपूर्ण सम्बन्ध का सिद्धान्त -

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता समुदाय में एक व्यावसायिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता है। इसलिए उसे अपने व्यावसायिक उद्देश्य के विषय में सचेत रहना चाहिए। उसे सदस्यों में भी अपने उद्देश्य के विषय में पूर्ण चेतना पैदा करनी चाहिए। उद्देश्यपूर्ण सम्बन्धों की मजबूती के लिए आवश्यक है कि वह समुदाय के उन शक्तिशाली संगठनों, समूह एवं उपसमूह के सदस्यों से भी अपना प्रगाढ़ सम्बन्ध बनाये जिनसे किसी न किसी रूप से समुदाय प्रभावित हो सके।

अपने व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि कार्यकर्ता अपने कार्य में नियमितता बरते। इस नियमितता को तब तक बनाये रखना चाहिए जब तक उसे विश्वास न हो जाये कि सामुदायिक सदस्यों में अब अपनी समस्याओं व आवश्यकताओं को पहचानने और आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधनों के बीच तालमेल स्थापित करने की आत्मशक्ति का विकास हो गया।

### 9. प्रगतिशील कार्यक्रम सम्बन्धी अनुभव का सिद्धान्त -

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता की कार्यक्रम के निर्धारण के समय उसके आधार बिन्दुओं को स्पष्ट करते हुए कार्यक्रम विकास की प्रक्रिया में सदस्यों की अभिरूचियों, आवश्यकताओं ओर योग्यताओं का पता लगाना चाहिए। सामुदायिक कार्यक्रम बाहरी संस्था द्वारा निश्चित नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता को उपलब्ध समुदाय कल्याण के स्तर को देखकर विभिन्न प्रकार के आवश्यक कार्यक्रमों की तरफ संकेत करना चाहिए। आरम्भ में संचालित कार्यक्रम समुदाय की योग्यता एवं क्षमता के अनुसार छोटे, आसान और अल्पकालीन होने चाहिए। इस प्रकार आसान कार्यक्रमों से आरम्भ कर जटिल एवं उपयोगी कार्यक्रमों को बनाने में सदस्यों की मदद करनी चाहिए। कार्यकर्ता को सदस्यों की सामूहिक योजना बनाने, कार्यक्रम तैयार करने, उनका क्रियान्वयन करने, संचालित कार्यक्रमों के मूल्यांकन करने एवं मूल्यांकन के आधार पर कार्यक्रमों में सुधार करने में सदस्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए।

### 10. जन सहभागिता का सिद्धान्त -

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सामुदायिक संगठन कार्य सामुदायिक सदस्यों के लिए, सदस्यों के द्वारा और सदस्यों के साथ किया जाना है। किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए सदस्यों की सहभागिता अत्यन्त आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यकर्ता को न केवल कार्यक्रम की योजना तैयार करने और उसके कार्यान्वयन में ही सदस्यों की सहभागिता पर बल देना चाहिए बल्कि समुदाय के अन्दर एवं आस-पास उपलब्ध साधनों को पहचानने ओर प्रत्येक चरण पर लिए जाने वाले निर्णयों में भी उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें ऐसे सभी लोगों को भी शामिल करना चाहिए जो औपचारिक रूप से समुदाय के कल्याण के लिए कार्यरत हों।

सामुदायिक कार्यकर्ताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सामुदायिक सदस्य सामुदायिक कल्याण योजनाओं एवं कार्यक्रमों को किसी बाहरी संस्था या संगठन का कार्यक्रम न समझ बैठें। यदि सामुदायिक सदस्य प्रत्येक निर्णय में सहभागी होंगे तो वे इसे अपना निर्णय एवं अपना कार्यक्रम मानकर इसे सफल बनाने में अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे।

### 11. साधन संचालन का सिद्धान्त -

सामुदायिक कार्यकर्ता की सफलता के लिए आवश्यक है कि समुदाय के अन्दर एवं आसपास उपलब्ध विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी साधनों के अध्ययनोपरान्त इस बात का निर्णय लें कि समुदाय की आवश्यकता की प्राथमिकता के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में पहले किस साधन को, किसके द्वारा और किस प्रकार संचालित किया जाये। कार्यकर्ता को विभिन्न उपलब्ध साधनों के संचालित कराते समय, समुदाय के विभिन्न संगठनों में आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए साधन संचालन में उनकी शक्तियों को प्रयोग में लाना चाहिए। ऐसा करने में आने वाली समस्याओं से बचने तथा कार्यक्रम को बाधाहीन बनाने के लिए सतत् प्रयत्नशील रहना चाहिए।

### 12. मूल्यांकन का सिद्धान्त -

कार्यक्रम आयोजन एवं संचालन के पश्चात् कार्यकर्ता को कार्यक्रम में रही कमियों एवं त्रुटियों का मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन न केवल पिछले कार्यक्रमों में आयी हुई त्रुटियों को जानने के लिए उपयोगी है बल्कि नए कार्यक्रमों के आयोजन एवं कार्यान्वयन के लिए भी। मूल्यांकन से प्राप्त ज्ञान का उचित सदुपयोग नियोजित की जाने वाली कार्यक्रमों में करने से कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं की सम्भावनायें हट जाती है।

## 4.4 सारांश

प्रस्तुत इकाई के अन्तर्गत सामुदायिक संगठन के मूलभूत प्रकारों तथा सिद्धान्तों को समझाने का प्रयास किया गया है। इसके साथ-साथ सामुदायिक संगठन के उद्देश्यों को आधार मानकर सामुदायिक संगठन के प्रकारों के अनुप्रयोग तथा विष्लेशण का भी वर्णन किया गया है। सामुदायिक संगठन के रूप में समाज कार्य की प्रणाली को स्पष्ट किया गया है जिसमें सामुदायिक संगठन के सिद्धान्तों के द्वारा चिन्तन, अनुभव, अवलोकन एवं अध्ययन से उद्देश्यों को पूर्ण स्वरूप देने हेतु स्पष्ट किया गया है।

## 4.5 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. सामुदायिक संगठन के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए?

2. सामुदायिक संगठन की सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए।

## 4.6 सन्दर्भ-साहित्य


1. आप्टेकर हरवर्ट - बेसिक कान्सेप्ट्स इन सोशल वर्क, यूनिवर्सिटी आवनार्थ कैरोलिना प्रेस, चैपेल हिल, 1941.

2. सिंह, ए.एन. - सामुदायिक संगठन, हरियाणा ग्रन्थ अकादमी, पंचकूला, 2012

3. इण्डिया - कम्यूनिटी डवैलपमेन्ट ऐट ऐ ग्लान्स, दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1962.

4. गैंगराडे, के.डी.- कम्यूनिटी आर्गेनाइजेशन इन इण्डिया, पापुलर प्रकाशन, बाम्बे, 1971.

5. आगवर्न एण्ड निमकाफ- ए हैण्डबुक आफ सोसियोलाजी, राउटलेज एण्ड केगनपाल लि0, लंदन 1957.

6. आरथर हिलमैन - कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन एण्ड प्लानिंग, द मैकमिलन कम्पनी, न्यूयार्क, 1957.
7. आसबर्न, एल0 उी0 न्यूमेयर, एम0 एच0 - द कम्यूनिटी एण्ड सोसाइटी।
8. इण्डियन कान्फ्रेन्स आफ सोशल वर्क, स्पेशल ऐन्निवर्सरी, नवम्बर-दिसम्बर, 1957.
9. दयाल, राजेष्वर- कम्युनिटी डेवैलपमेन्ट प्रोग्राम इन इण्डिया, किताब महल, इलाहाबाद, 1960 .

# इकाई - 5

# सामुदायिक संगठन : पद्धति एवं अवस्थाएं

**इकाई की रूपरेखा**

5.0 उद्देश्य

5.1 प्रस्तावना

5.2 सामुदायिक संगठन की पद्धति

5.3 सामुदायिक कोष

5.4 सामुदायिक कोष का प्रबन्ध

5.5 सामुदायिक कोष में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका

5.6 सामुदायिक संगठन की अवस्थायें

5.7 सारांश

5.8 अभ्यासार्थ प्रश्न

5.9 सन्दर्भ ग्रन्थ

## 5.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप:

1. सामुदायिक संगठन की पद्धति को जान सकेंगे।
2. सामुदायिक कोष से परिचित हो सकेंगे।
3. सामुदायिक कोष की अवस्थाओं से परिचित हो सकेंगे।
4. सामुदायिक संगठन की अवस्थाओं को जान सकेंगे।

## 5.1 प्रस्तावना

सामुदायिक संगठन समाज कार्य के प्रमुख तरीकों में से एक है, ठीक वैसे ही जैसे वैयक्तिक कार्य, समाज कल्याण प्रशासन तथा समाज कार्य शोध। जहाँ वैयक्तिक कार्यकत्र्ता का संदर्भ व्यक्ति होता है, और समूह कार्यकत्र्ता का संदर्भ समूह होता है, वहां सामुदायिक संगठनकर्ता समुदाय के संदर्भ में काम करता है। वैयक्तिक कार्यकत्र्ता का उद्देष्य व्यक्ति सेवार्थी को अपनी समस्याओं की पहचान करने, इन समस्याओं से निपटने के लिए इच्छाशक्ति

विकसित करने, इनके सम्बन्ध में कार्रवाई में सहायता करने, तथा ऐसा करते हुए व्यक्ति के एकीकरण के लिए स्वयं को और स्वयं की क्षमता की समझ को बढाने में मदद करना होता है।

## 5.2 सामुदायिक संगठन की पद्धतियां

निःसंदेह , किसी कार्य को वैज्ञानिक ढंग से सम्पन्न करने के लिए उद्देश्य का होना नितान्त आवश्यक है। उद्देश्य न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हमारे देश की स्वतंत्रता का एक प्रमुख कारण उद्देश्यों का उचित ढंग से चयन एवं उनका समुचित सम्पादन ही है। विभिन्न समाज के कार्यों के उद्देश्य भिन्न-भिन्न हो सकते है जो उनके जीवन की आवश्यकताओं पर निर्भर होता है।

**सामुदायिक संगठन की पद्धतियों का महत्व**

मानव जीवन की विविध समस्याओं के निराकरण एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उद्देश्यों का चयन, कुशल एवं दूरदर्शी व्यक्तियों द्वारा किया जाता रहा है उद्देश्य योजनाबद्ध कार्यक्रम की कड़ी का एक महत्वपूर्ण अंग है जो न केवल सामुदायिक संगठन के कार्यक्षेत्र बल्कि प्रत्येक प्रकार के कार्यक्षेत्र में कार्य संयोजक एवं दिशा निर्देशन का कार्य करता है। स्पष्ट निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर हम उनकी पूर्ति के लिये कार्ययोजना बनाते है, अतः स्पष्ट है कि उद्देश्य की स्पष्टता न केवल कार्ययोजना के निर्माण में ही सहायक होती है बल्कि इसके कार्यान्वन, संचालन, मूल्यांकन एवं पूर्नगठन में भी सहायक होती है । कार्यकुशल एवं प्रशिक्षित कार्यकर्ता उद्देश्यों की महत्ता से पूर्णतया अवगत होता है, अतः वह अपनी कार्ययोजना में उद्देश्य की प्राथमिकता स्वीकार करता है और समयानुसार इसमें यथासम्भव परिवर्तन करता है I किसी भी कार्यक्षेत्र में ' उद्देश्य' हमें इस बात से अवगत कराते है कि हम और हमारे सहयोगी क्या कर रहे है, किस लिये कर रहे है, और कैसे कर रहें है ? इसी प्रकार सामुदायिक संगठन कार्य में सामुदायिक कार्यकर्ता को अपने उद्देश्यों से यह स्पष्ट होता है कि किसके लिये कार्य किया जायेगा तथा किस लिये किया जायेगा आदि।

स्पष्ट उद्देश्यों के आधार पर ही व्यक्ति आवश्यक कार्यक्रम बनाकर कार्य सिद्धि की तरफ आगे बढता है। उद्देश्य हमें सही दिशा प्रदान करते है और अपनाये गये मार्ग को अनुमोदित करते है। ये मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करते है जिससे साधनों के उपयोग में सुगमता होती है। इतना ही नही उद्देश्य, प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करते है, जिसके माध्यम से सम्बन्धित कर्मचारी एवं भागीदार सदस्य निर्धारित कार्य की तरफ अग्रसर होते रहते है।

## 5.3 सामुदायिक कोष

मानव समाज के इतिहास के सभी युगों में सामाजिक रूप से अक्षम जैसे वृद्ध, दुर्बल, निर्धन, रोगी, अनाथ, और अपंग व्यक्ति पाये गये हैं। ऐसे व्यक्तियों के कल्याण तथा उनके जीवन निर्वाह के लिए सम्बन्धित परिवार, जाति, धर्म एवं समुदायिक के लोग हमेशा ही कुछ न कुछ करते रहे हैं। सामाजिक-धार्मिक कार्यक्रमों को सम्पन्न करने तथा गरीबों एवं असहाय सदस्यों की सहायता की जाती थी। इन कल्याण कोषों में केवल उन्हीं लोगों का योगदान हो पाता था जो अपने व्यापार-व्यवसाय की बढ़ोत्तरी की आकांक्षा से, अपने परिवार को सुखमय भविष्य की आकांक्षा से या धार्मिक आकांक्षा से इच्छानुसार सहायता करना चाहते थे। इस प्रकार प्रारम्भिक काल में इस प्रकार के धन का एकत्रीकरण केवल धन सम्पन्न लोगों से किया जाता था पर आज परिस्थितियां बदल गईं हैं। आज जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप जरूरतमन्दों की संख्या में वृद्धि हुई है। साथ ही भौतिकवादी विचारों के प्रभाव की वजह से लोगों की प्रवृतियों और धार्मिक विश्वासों से भी परिवर्तन आया है। इसलिए अब ऐसी सहायता को दया और दान की की भावना के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए अब राज्य की ओर से कुछ

व्यवस्थायें शुरू हुई हैं। आज सामुदायिक सदस्य आर्थिक रूप से सहायता करने में उतनी कठिनाई नहीं महसूस करते जितनी अपनी शारीरिक एवं वैचारिक सहभागिता में। इसलिए आवश्यक है कि सम्पूर्ण सामुदायिक सदस्यों की अधिकाधिक सहभागिता प्राप्त की जाये और समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के अध्ययनोपरान्त उतने ही धन के सहयोग का निर्धारण किया जाये जो सभी सदस्यों के अनुरूप हो। समान

धन सहायता से समूदाय के सभी सदस्यों की कोष के कार्यक्रमों में सामूहिक जिम्मेदारी निभाने की सम्भावना बढ़ जाती है। सामूहिक जिम्मेदारी से सदस्यों में सामूहिक रूप से कार्य करने ,निर्णय लेने एवं विभिन्न परिस्थितियों में सहभागी होने की भावना का विकास होता है। सामूदायिक सदस्यों के आपसी सहयोग एवं सहायता से सामूदायिक दान कोष की निर्धारित धनराशि की प्राप्ति भी आसान हो जाती है।

आज परिवर्तन न केवल सामाजिक -आर्थिक स्थितियों में ही आया है बल्कि समाज कल्याण अवश्यकताओं एवं समाज कल्याण सेवाओं के स्वरूपों में भी। प्रारम्भिक काल में समाज कल्याण सेवाओं का स्वरूप सामान्य था। आज कल्याण सेवाओं के विशेषीकरण , तकनीकी ज्ञान के विकास एवं प्रकाश के कारण समाज कल्याण सेवायें काफी महंगी हो गई हैं। कल्याण सेवाओं में विशेष प्रशिक्षित कर्मचारियों को लगाया जा रहा है और इन सेवाओं में तकनीकी साधनों का सहयोग लेकर कल्याण सेवायें काफी लम्बी अवधि तक प्रदान की जा रही है। आज प्रयास किया जा रहा है कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अक्षम सदस्यों की इस प्रकार सहायता की जाये जिससे वे आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सक्षम होकर समाज के सामान्य लोगो की बराबरी में आ सकें और आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन -यापन कर सकें ,अतः स्पष्ट है कि आज की कल्याण सेवाओं के लिये आंशिक धन की आवश्यकता नही है बल्कि नियमित और अधिकाधिक धन एकत्र करने की आवश्यकता है जिससे आधुनिक वैज्ञानिक समाज कल्याण आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। असहाय एवं गरीब लोग न केवल समुदाय विशेष में ही मिलते है बल्कि वे प्रत्येक समुदाय में होते है,इसलिये आवश्यक है कि प्रत्येक समुदाय में सम्पूर्ण सामुदायिक सदस्यों के सहयोग, सहायता एवं सहभागिता से एक ऐसे सामुदायिक कल्याण कोष की स्थापना की जाये जिससे जन –कल्याण को बढ़ावा मिल सके।

## सामुदायिक कोष का अर्थ

डा0 पाल चौधरी के अनुसार- "एक सामुदायिक दान कोष संगठन कल्याण कार्यो के लिये स्थापित धन एकत्रित करने के इच्छुक नागरिकों एवं सामुदायिक आर्थिक सहायता के लिये आवश्यक स्वयं सेवियों का संगठन है। "

अतः स्पष्ट है कि सामुदायिक दान कोष संगठन ऐसे व्यक्तियों संगठन है जो समुदाय कल्याण के लिये धन एकत्रित करने तथा उसका ब्यौरा रखने से संबंधित है। इस परिभाषा में स्वयंसेवी संगठनो को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

डा0 पाल चौधरी ने प्रत्येक सामुदायिक कोष में निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक माना है:

1. प्रत्येक दान कोष संगठन कानून के अधीन पंजीकृत होना चाहिये ।

2. धन एकत्रीकरण एंव वितरण विधि कानून के अनुसार निर्धारित होनी चाहिये।

3. एक नियमित प्रबन्ध समिति स्थापित होनी चाहिये।

4. संस्था के सदस्यों के लिये निर्धारित धन खर्च करने की सीमा पर नियन्त्रण चाहिये।

अतः स्पष्ट है कि सामुदायिक कल्याण आवश्यकताओं की पूर्ति एवं कल्याण -कारी कार्यक्रमों के संचालन के लिये धन की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये सामुदायिक दान कोष संगठन एक प्रमुख संगठन होगा जो आवश्यक नियमों के अनुरूप सदस्यों के आपसी सहयोग एवं सहभागिता के आधार पर काम करेगा।

**सदस्यता की शर्ते**

सामुदायिक कोष की सदस्यता के लिये कुछ महत्वपूर्ण शर्ते निम्नलिखित हैः

1. सदस्य द्वारा स्थापित संस्था, उपयुक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होनी चाहिये जिससे निर्धारित उद्देश्य अर्थात् धन एकत्र करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त हो सके।

2. इस संस्था में समुदाय विशेष के कल्याणार्थ जरूरतमन्द जाति, वर्ग एवं भू-भाग के लोगों के लिये कल्याणकारी कार्यक्रमों की योजना होनी चाहिये।

3. सभी सदस्यों को दान कोष के निर्धारित उद्देश्यों के विषय में जानकारी होनी चाहिये। संस्था कार्यक्रमों को निर्धारित करने,आवश्यक परिवर्तन लाने तथा आवश्यक निर्णय लेने के लिये एक प्रबन्ध समिति होनी चाहिये।

4. सदस्यों को उनके द्वारा स्थापित सामुदायिक कोष की गरिमा बनाये रखनी चाहिये जिससे संस्थापर किसी प्रकार का आक्षेप न आ सके।

5. स्थापित संस्था में एकत्रित धन का पूर्ण ब्यौरा रखने के लिये आवश्यक है कि सदसयगण एकत्रित धन की पूर्ण सूचना रखें, सम्पूर्ण आय-व्यय का लेखा-जोखा रखें और नियमित ढंग से लेखा परीक्षक से इसकी जांच करायें।

6. संस्था के सदस्यों को चाहिये कि वे अपनी संस्थाके प्रचार -प्रसार,व्यापकता तथा संस्थाके निर्धारित उद्देश्यों की पूर्तिके लिये अन्य संस्थाओं के साथ यथासम्भव पूर्ण समन्वय संथापित करें जिससे संस्थाके निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हो सके और इसके कार्यक्षेत्र में वृद्वि हो सके।

7. संस्थाके सदस्यों को चाहिये कि वे अपनी सेवओं को जरूरतमन्द लोगो को उनकी आवश्यकतानुसार नियमित रूप से संचालित करें जिससे उन्हें अधिकाधिक लाभ मिल सके।

8. संस्थाके सदस्यों को समुदाय के जरूरतमन्द व्यक्तियों की समस्याओं को पहचानने में सावधानी बरतनी चाहिये और सम्पूर्ण एकत्रित समस्याओ में से महत्वपूर्ण, सुविधाजनक, आवश्यक समस्या एवं कल्याण कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिये।

9. सदस्यों को चाहिये कि संस्था की सदस्यता बड़ाने के लिये समुदाय में विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगो को सम्मिलित करें, जिससे आवश्यक निर्णय लेने,उपर्युक्त सुझाव एकत्र करने तथा कर्यान्वयन में अधिकाधिक सहयोग मिल सके और निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।

## 5.4 सामुदायिक कोष का प्रबन्ध

किसी कार्य को व्यक्तिगत ढंग से सम्पन्न करने तथा निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिये आवश्यक है कि उसकी प्रबन्ध व्यवस्था मजबूत बनाई जाये। सामुदायिक कोष के उद्देश्य की पूर्ति के लिये भी आवश्यक है कि इसकी प्रबन्ध व्यवस्था मजबूत बनाई जाये जिससे आने वाली कठिनाइयों से मुकाबला किया जा सके सामुदायिक कोष के उचित प्रबन्ध के लिये प्रमुख बातों को अमल करना आवश्यक है जो निम्नलिखित है:

1. सामुदायिक कोष के पंजीकरण के पश्चात् कल्याणकारी संस्थायें अपनी सदस्यता बढाने के लिये प्रार्थना पत्र देती है। सदस्यता स्वीकार करने वाली संगठित समिति सदस्य की स्थिति की पूर्ण जांच पडताल कर सदस्य बढाने की स्वीकृति देती है।

2. सामुदायिक कोष में एकत्रित धन का पूर्ण लेखा-जोखा रखना आवश्यक है। कार्यक्रमों पर खर्च किये गये मदों का पूर्ण ब्यौरा रखा जाता है तथा लेखा परीक्षक से समय-समय पर नियमित रूप से जांच करायी जाती है। इससे किसी प्रकार की कठिनाई नही आने पाती तथा हिसाब साफ रहता है।

3. प्रत्येक सामुदायिक कोष को संचालित करने के लिये एक कोष समिति बनाना आवश्यक है। संगठित कोष समिति ही कोष के एकत्रित धन को खर्च करने के लिये आवश्यक कदम उठायेगी। इसके अतिरिक्त कोष को संचालित करने वाली कोष समिति यह भी निर्णय लेती है कि किस तरह कल्याणकारी कार्य सुचारू रूप से चल सके।

4. एकत्रित धन को कल्याणकारी कार्यों में लगाने, कल्याणकारी कार्यो को संचालित करने तथा अपने निर्णय को जनता तक चहुंचाने और जनता का सहयोग लेने के लिए आवश्यक है कि जन-सम्बध समिति बनायी जाये। सामुदायिक कोष के अतिरिक्त कल्याणकारी कार्यो में लगे लोगों को इस जन-सम्बन्ध समिति का सदस्य बनाना चाहिये। ये लोग निर्धारित कार्यक्रमों के विषय में जनता को अवगत कराने में महत्वपूर्ण भाग अदा कर सकते है।

5. सामुदायिक कोष की सदस्यता बढाने तथा आवश्यकतानुार निर्धारित धन एकत्र करने के लिये आवश्यक है कि विभिन्न व्यवसायों एवं कार्यो में लगे कर्मचारियों की एक समिति बनायी जाये जिसमें व्यापार-व्यवसाय करने वाले सदस्यों, समाज सेवकों, पढे-लिखे लोग, डाक्टर आदि इच्छुक लोगों को सम्मिलित किया जाये जो अपने-अपने क्षेत्र में धन एकत्रीकरण कार्य को आगे बढा सकें। इसके पश्चात् एकत्रित धन का कल्याणकारी संस्थाओं की आवश्यकतानुसार वितरण किया जाता है जिसका निर्णय सामुदायिक कोष वितरण समिति करती है। इस प्रकार कोष का प्रचार-प्रसार विभिन्न क्षेत्रों में बढता है और सामुदायिक कोष का कार्य जन-कल्याण की तरफ बढता है। यह समिति समय-समय पर कोष का लेखा-जोखा पूर्ण रखने एवं जांच के पश्चात अलग-अलग वर्षों के लिए धन एकत्रित करने की योजनाओं पर भी विचार करती है।

## सामुदायिक कोष की सुविधायें

जैसा कि प्रस्तुत अध्याय के प्रारम्भ में ही व्यक्त किया गया है कि समाज में एक दूसरे की सेवा तथा असहाय लोगों की सहायता धन सम्पन्न लोग अपना धर्म समझ समय-समय पर अपनी शक्ति एवं स्वेच्छानुसार किया करते थे। उस कल्याण सेवा को किसी कानून के अन्तर्गत नही बांधा गया था और न ही उसमें नियमितता थी, अतः इन कमियों को दूर करने के लिये सामुदायिक कोष के स्थापना की आवश्यकता महसूस की गयी। सामुदायिक कोष की सुविधाओं को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता हैः-

1. सामुदायिक कोष की पहली उपयोगिता यह है कि सभी कल्याणकारी कार्यरत संस्थायें धन एकत्रीकरण के लिये कार्य नहीं करती है। इसलिए सामूदायिक कोष द्वारा क्षेत्र की सभी कल्याणकारी संस्थाओं के लिये समयानुसार आवश्यक धन एकत्रित किया जाता है।

2. क्षेत्र विशेष में कार्यरत अनेक कल्याणकारी संस्थाओं में इस बात की भी सम्भावना कम हो जाती है कि कोई विशेष संस्था अपने व्यक्तिगत या संस्थागत प्रभाव एवं परिश्रम के कारण आवश्यकता से अधिक धन एकत्र न कर ले जिसकी वजह से दूसरी जरूरतमंद कल्याणकारी संस्था धनाभाव में कठिनाइयों का सामना करें। इसके लिये सामुदायिक कोष द्वारा एकत्रित धन का वितरण धन वितरण समिति द्वारा कल्याणकारी विभिन्न संस्थाओं के कार्यों

एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ण जाँच के बाद ही किया जाता है। इससे धन के आवश्यक अपव्यय से मुक्ति मिलती है और धन का उचित दिशा में सदुपयोग होता है।

3. सामुदायिक कोष के लिये धन एकत्रित करने वाले कर्मचारियों एवं सदस्यों को लोगों से धन एकत्रित करने की विद्या में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे अपनी योग्यता के आधार पर ऐसे कर्मचारी अन्य व्यक्तियों की तुलना में बिना किसी समस्या के आासानी से और अधिक धन एकत्रित कर लेते है।

4. धन एकत्रित करने तथा बढाने के लिये बनाई गई एवं पंजीकृत सामुदायिक दान संस्था के कारण नियमित ढंग से धन एकत्रित हो पाता है तथा आवश्यकतानुसार कल्याणकारी संस्थाओं को धन मिल पाता है। इससे जन-कल्याण में लगी अन्य संस्थाओं को उनके अनावश्यक प्रयास एवं समय के अपव्यय से मुक्ति मिलती है तथा वे उस समय को कल्याणकारी कार्यो में लगा सकती है।

5. सामुदायिक कोष द्वारा संस्थापित जन-सम्पर्क समिति की स्थापना से कल्याणकारी संस्थाओं में अपने कार्यो के प्रचार-प्रसार के अनावश्यक धन एवं समय के अपव्यय में बचत होती है। क्योंकि जन-सम्पर्क समिति कल्याणकारी संस्थाओं के उद्देश्यों, सेवाओं एवं सेवा प्रारूप के विषय में प्रचार-प्रसार करती रहती है।

6. कार्यरत विभिन्न कल्याणकारी संस्थाओं को धन की नियमित सहायता मिलने का आश्वासन होने से ये संस्थायें अधिक व्यावहारिक कल्याणकारी योजनायें बना पाती है। और अपनी सेवाओं को अधिक सुविधाजनक रूप से जरूरतमंद लोगों तक पहुँचा पाती है।

7. सामुदायिक कोष से धन प्राप्त करने के कारण कल्याणकारी संस्थायें प्राप्त धन का उचित सदुपयोग करने, साफ लेखा-जोखा रखने तथा धन अपव्यय से बचते हुए काम करती है। इससे सामुदायिक कोष द्वारा एकत्रित धन का सही दिशा में सदुपयोग होता है। कल्याणकारी कार्यों को बढावा मिलता है तथा जरूरतमन्दों एवं असहायों का भला होता है।

8. सामुदायिक कोष विभिन्न कल्याणकारी संस्थाओं, स्थापित विभिन्न कार्यकारी समितियों एवं जन-समुदाय से आवश्यक समन्वय स्थापित कर कल्याणकारी सेवाओं को अधिक व्यवस्थित एवं कारगर रूप से बढावा देता है।

9. क्षेत्र विशेष में सामुदायिक कोष की स्थापना एवं विकास से उस क्षेत्र में कार्यरत सभी कल्याणकारी संस्थाओं का पूरा ब्यौरा कोष के पास होता है, अतः इस बात को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है कि एक ही उद्देश्य एवं एक ही प्रकार की कल्याणकारी एक से अधिक कितनी संस्थायें है। इस जानकारी से एक तो एक ही प्रकार की अनेक संस्थाओं की वृद्धि को रोका जा सकता है तथा अन्य प्रकार की कल्याणकारी संस्थाओं को बढावा दिया जा सकता है। विलिन्न् संस्थाओं के कार्यो मे इस प्रकार समन्वय किया जा सकता है ताकि वे एक दूसरे की पूरक संस्थाओं के रूप में काम कर सकें।

## 5.5 सामुदायिक कोष में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका

जिस प्रकार सामुदायिक कोष के सदस्य एवं कर्मचारी अपने प्रशिक्षण के कारण धन एकत्रित करने की कला में कुशल होते है उसी प्रकार सामजिक कार्यकर्ता भी व्यावसायिक प्रशिक्षण के कारण अपने कार्य में कुशल होते है। यह प्रशिक्षण सैद्धान्तिक ज्ञान एवं व्यावहारिक कार्य पर निर्भर होता है। प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को समाजशास्त्र का ज्ञान, मानवीय सम्बन्धों का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान, मानव व्यवहारों का ज्ञान, सामाजिक न्याय एवं कानून का ज्ञान, मानव अधिकारों एवं उनके कर्तव्यों का ज्ञान होता है जो कार्यकर्ताओं को समाज में वैयक्तिक सेवा कार्य, सामूहिक सेवा कार्य एवं सामुदायिक संगठन कार्य में सहायक होता है।

सामुदायिक कोष सामुदायिक संगठन का एक भाग है, जिसका ज्ञान कार्यकर्ताओं के लिये अत्यन्त उपयोगी है। सामुदायिक कोष के संन्दर्भ में सामाजिक कार्यकर्ता निम्नलिखित कार्य करता है -

1. सर्वप्रथम कार्यकर्ता अपने ज्ञान का प्रयोग समुदाय से स्वीकृति प्राप्त करने तथा सामुदायिक समस्याओं का अध्ययन करने और उसकी आवश्यकताओं का पता लगाने में करता है।

2. अगले चरण में कार्यकर्ता सामुदायिक सदस्यों के लिये उनके स्वयं के द्वारा, सरकार द्वारा एवं गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी सेवाओं का पता लगाता है और सामुदायिक सदस्यों को यथासम्भव उनसे अवगत कराता है। इसके पश्चात् सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों को उनके अधिकारों, समस्या के समाधान में उनकी भूमिकाओं तथा उन संस्थाओं एवं कानूनों से भी अवगत कराता है जिनसे सामुदायिक सदस्य एक कुशल सामुदायिक समिति बनाने में समर्थ हो सकें। सामाजिक कार्यकर्ता एक प्रबल समिति के निर्माण करने में उनकी सहायता करता है।

3. सामाजिक कार्यकर्ता सामुदायिक सदस्यों को स्वयं सेवी समिति बनाने, समयानुसार उसका पंजीकरण कराने तथा अधिकाधिक कल्याणकारी कार्यो से उसे जोडने पर बल देता है जिससे सामुदायिक समस्याओं, आवश्यकताओं एवं निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर आधिकाधिक कल्याणकारी कार्यों को संचालित किया जा सके और सामुदायिक कल्याण को बढावा दिया जा सके।

4. कल्याणकारी समितियों के स्थापन एवं विकास के पश्चात् सामाजिक कार्यकर्ता इन समितियों की पूर्ति करने के लिये सेवा भाव एवं दान-पुण्य में विश्वास रखने वाले सदस्यों का इनमें विश्वास बढाता है और कानूनी रूप से स्वीकृत, उत्तम एवं नियोजित धन एकत्र करने के लिये तथा धन के उचित सदुपयोग के लिये सामुदायिक कोष के सदस्यों का ज्ञानवर्द्धन करता है।

5. वह सामुदायिक कोष की सदस्यता बढाने का प्रयास करता है। इसक साथ-साथ आवश्यकतानुसार कल्याणकारी संस्थाओं की धन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ण जांच कराकर उचित धन मन्जूर कराने में समिति की सहायता करता है।

6. वह जन-सम्पर्क समिति के प्रचार-प्रसार कार्यों को नियोजित करता है, उन्हें जन-समुदाय के लिये रोचक बनाकर उनके पास पहुंचाने की कोशिश करता है तथा विभिन्न साधनों की खोज करके जन-सम्पर्क समिति की सहायता करता है।

7. सामुदायिक कोष में एकत्रित धन का पूर्ण एवं स्पष्ट लेखा-जोखा रखने तथा निर्धारित कर्मचारियों से नियमित जांच कराने में कोष की सहायता है।

8. सामान्य जनता से कल्याणकारी कार्यों के लिए धन एकत्रीकरण करने लिए विभिन्न तरीकों से सामाजिक कार्यकर्ता धनवृद्धि में कार्यरत सदस्यों की सहायता करता है। इससे सुविधाजनक रूप से अधिकाधिक धन एकत्रीकरण और कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा मिलता है।

## 5.6 सामुदायिक संगठन की अवस्थाएं

सामुदायिक संगठन कार्य की अवस्था को स्पष्ट करने तथा इसे सरल बनाने के लिये आवश्यक होगा कि इन उद्देश्यों की महत्ता पर प्रकाश डाला जाये। निर्धारित उद्देश्य की निम्नलिखित उपयोगितायें हैं जो कार्यकर्ताओं को उनके कार्य में सफलता प्रदान करते है।

### 1) कार्य की दिशा की स्पष्टता

उद्देश्य की निश्चितता के आधार पर ही कार्य की दिशा का निर्धारण किया जाना सम्भव हुआ है। अन्यथा संगठनकर्ता सही एवं आवश्यक दिशा में न कार्य करते हुए अनावश्यक दिशाओं में इधर-उधर भटकता रहता है। इससे अनावश्यक समय एवं धन का उपव्यय होता है, कार्य की सिद्धि नही हो पाती है, बल्कि कार्य सिद्धि का मार्ग उलझा जाता हैं, अतः उद्देश्य निर्धारण परम आवश्यक है। यह न केवल संगठनकर्ता के लिये ही उपयोगी है बल्कि कार्य संचालक एवं लाभार्थियों के लिये भी महत्वपूर्ण है।

### 2) कार्य क्षेत्र की स्पष्टता

पिछले दो अध्यायों में समुदाय के आकार को स्पष्ट किया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि एक समुदाय में न केवल एक जाति, धर्म एवं स्तर के लोग रहते है बल्कि अनेक जाति एवं धर्म के लोग रहते है। उद्देश्य की स्पष्टता के बिना कार्यकर्ता भ्रमित हो जाता है और उसे पता नही चल पाता है कि समुदाय क्षेत्र के किस वर्ग के जन समुदाय के साथ कार्य करना है। उद्देश्य की स्पष्टता से कार्यकर्ता को उसके सेवार्थियों अर्थात् जिसके साथ उसे कार्य करना है की स्पष्टता दिखाई देती है, जिसके परिणामस्वरूप कार्यकर्ता निश्चित समय पर निर्धारित क्षेत्र के जनसमुदाय के लोगों के साथ कार्य संचालन करता है।

### 3) आवश्यक नेतृत्व का ज्ञान

निर्धारित उद्देश्यों से सामुदायिक संगठन कर्ता एवं सामुदायिक सदस्यों को एक दूसरे से सहयोग के क्षेत्र का ज्ञान हो जाता है। कार्यकर्ता आवश्यक दिशा में सदस्यों को शिक्षित-प्रशिक्षित कर एवं सलाह के माध्यम से कार्य-कुशल बनाने में सहायक सिद्ध होता है। कार्यकता को उसकी भूमिका का स्पष्ट ज्ञान होता है और सदस्यों को कार्यकर्ता के ज्ञान से लाभ होता है। परिणामस्वरूप सामुदायिक सदस्यगण एवं कार्यकर्ता अपनी-अपनी परिस्थिति एवं भूमिका का निभाते हुए दूसरे का सहयोग करते हुये लक्ष्य प्राप्ति की तरफ अग्रसर होते है।

### 4) आवश्यक साधनों को जुटाने में सहायक

सामुदायिक संगठन के जिम्मेदार सदस्यों को किसी विशेष क्रिया एवं उसके विभिन्न चरणों के लिए कौन से साधन एवं सामान की आवश्यकता होगी इस बात का ज्ञान भी स्पष्ट उद्देश्यों से होता है। वे साधन कहां से उपलब्ध होंगें कैसे उपलब्ध होंगें, आदि बातों के निर्धारण में उद्देश्य सहायक होते है। इससे सभी सम्बन्धित जिम्मेदार व्यक्ति साधनों से सुसज्जित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने में ज्यादा प्रभावशाली भूमिका निभा सकते है।

### 5) मूल्यांकन एवं आवश्यक परिवर्तन में सहायक

कार्यकर्ता एवं सदस्यों को अपने कार्य की दिशा एवं लक्ष्य का ज्ञान होने से वे अपने कार्य में लगे रहते है और उनमें अपने कार्यो की उपलब्धियों की जानकारी की उत्सुकता बनी रहती है। वे यह जान पाते है कि कार्य आवश्यक दिशा में चल रहा है या नही, यदि आवश्यक दिशा में चल रहा है तो कितनी सफलता मिली है और अभी कितनी प्राप्त करनी बाकी है। इस प्रकार जिम्मेदार व्यक्तियों को कार्यक्रमों की वास्तविक सफलता की समयबद्ध जानकारी मिलती रहती है। उद्देश्य स्पष्ट होने से कार्यकर्ता को न केवल कार्यक्रम के निर्धारित उद्देश्यों की उपलब्धि के विषय में ही जानकारी होती है।

### 6. अवलोकन में सहायक

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता का मुख्य कार्य समुदाय के सदस्यों के साथ कार्य कर, उनके विचारों एवं कार्यों में आवश्यक परिवर्तन स्थापित कर, उनमें अपनी समस्या समाधान एवं आवश्यकता की पूर्ति करने की योग्यता का विकसा करना है। इसलिये कार्यकर्ता को अपने सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ-साथ समुदाय विशेष जहां उसे कार्य करना हैं, की वास्तविक/व्यावहारिक विशेषताओं को जानना भी आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को समुदाय में भ्रमण कर वहां की सभ्यता एवं संस्कृति का पूर्ण अवलोकन करना चाहिए। कार्यकर्ता को समुदाय के साथ कार्य करना है, इसलिए उसे समुदाय की सभ्यता एवं संस्कृति का पूर्ण अवलोकन करना चाहिए।

### 7. अध्ययन में सहायक

अध्ययन कार्य की सफलता स्वीकृति के अभाव में असम्भव है। स्वीकृति प्राप्त सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को सामुदायिक सदस्यों के साथ द्वितीय चरण में समुदाय की उन सभी समस्याओं एवं अनुभूत आवश्यकताओं का अध्ययन करना चाहिए जो उस समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। अध्ययन करते समय कार्यकर्ता को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि समुदाय के इस निश्चित भू-भाग में रहने वाले सभी जाति, धर्म एवं सामाजिक-आर्थिक स्तर के लोगों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं से सम्बन्धित सूचनाओं को एकत्रित किया जाये।

### 8. आवश्यकता की चेतना के प्रसार में सहायक

सामुदायिक सदस्य अपनी सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण कुछ मूलभूत सामुदायिक आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, सफाई, सामाजिक -आर्थिक उन्नति आदि को भी नही पहचान पाते है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, तथा पूरे समुदाय के साथ विचार-विमर्श कर सामुदायिक आवश्यकताओं के विषय में सभी सदस्यों की चेतना को बढाता है।

### 9. संगठन की रचना में सहायक

कार्यकर्ता, सामुदायिक शक्ति को प्रभावी बनाने के लिए, संगठन में समुदाय की विभिन्न जातियों, धर्म और वर्ग के सदस्यों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे समुदाय में संगठन का विकास होता है और सामुदायिक संगठन में अधिकाधिक सदस्यों का सहयोग प्राप्त होता है।

### 10. नेतृत्व के विकास में सहायक

समुदाय में संगठन की रचना के पश्चात् योग्य नेता के चुनाव की आवश्यकता होती है। योग्य नेता में अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने तथा निर्देशित करने की क्षमता होनी चाहिए। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग व्यक्तियों के विकास में करता है। अपनी चपलता एवं अन्तः क्रियाओं की कुशलता से वह व्यक्तियों में नवीन चेतना का संचार करता है और सामाजिक क्रियाओं को प्रोत्साहन देता है। समय-समय पर वह अपने सुझाव रखता है जो दूसरे लोगों के लिये मान्य होते है। कार्यकर्ता सदस्यों में योग्य एवं जिम्मेदार नेता का प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव करने के लिए सामुदायिक सदस्यों को प्रोत्साहित करता है।

## 5.7 सारांश

प्रस्तुत इकाई के अन्तर्गत सामुदायिक संगठन की पद्धति,समुदाय के सदस्यों में सामुदायिक कोष के द्वारा कोष का निर्माण, संचालन, प्रबन्धन एवं समायोजन की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया गया है। इसके साथ-साथ सामुदायिक संगठन की संरचना को आधार मानकर विभिन्न अवस्थाओं का विश्लेषण किया गया है। जिसमें अवलोकन, अध्ययन, चेतना के प्रसार एवं नेतृत्व विकास की अवस्थाओं को सामुदायिक संगठन की प्राथमिकता को प्रस्तुत किया गया है।

## 5.8 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. सामुदायिक संगठन की पद्धति को स्पष्ट कीजिए?

2. सामाजिक कोष के अर्थ एवं प्रबन्धन की विवेचना कीजिये |

3. सामुदायिक संगठन की अवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए|

## 5.9 सन्दर्भ-साहित्य


1. सिंह, ए.एन. - सामुदायिक संगठन, हरियाणा ग्रन्थ अकादमी, पंचकूला, 2012

2. आगवर्न एण्ड निमकाफ- ए हैण्डबुक आफ सोसियोलाजी, राउटलेज एण्ड केगनपाल लि0, लंदन 1957.

3. आरथर हिलमैन - कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन एण्ड प्लानिंग, द मैकमिलन कम्पनी, न्यूयार्क, 1957.

4. गेंगराडे, के.डी.- कम्यूनिटी आर्गेनाइजेशन इन इण्डिया, पापुलर प्रकाशन, बाम्बे, 1971.

5. आप्टेकर हरवर्ट - बेसिक कान्सेप्ट्स इन सोशल वर्क, यूनिवर्सिटी आवनार्थ कैरोलिना प्रेस, चैपेल हिल, 1941.

6. इण्डिया - कम्यूनिटी डवैलपमेन्ट ऐट ऐ ग्लान्स, दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1962.

7. इण्डियन कान्फ्रेन्स आफ सोशल वर्क, स्पेशल ऐन्निवर्सरी, नवम्बर-दिसम्बर, 1957.

8. दयाल, राजेष्वर- कम्युनिटी डेवैलपमेन्ट प्रोग्राम इन इण्डिया, किताब महल, इलाहाबाद, 1960.

इकाई – **6**

# सामुदायिक संगठन के चरण

**इकाई की रूपरेखा**

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 सामुदायिक संगठन के चरण

6.3 सामुदायिक संगठन के चरण : विभिन्न विचार

6.4 सामुदायिक संगठन के उददेश्यों पर आधारित चरण

6.5 सारांश

6.6 अभ्यासार्थ प्रश्न

6.7 सन्दर्भ ग्रन्थ

## 6.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप:-

-- सामुदायिक संगठन के चरणों को जान सकेंगे।

-- सामुदायिक संगठन के उद्देश्यों पर आधारित चरणों से परिचित हो सकेंगे।

-- विभिन्न विचारकों के मतों के अनुसार सामुदायिक संगठन के चरणों से परिचित हो सकेंगे।

## 6.1 प्रस्तावना

सामुदायिक संगठन में नियोजन की प्रक्रिया की भाँति पूर्व योजना का निर्धारण अत्यन्त आवश्यक होता है। सामुदायिक संगठन के चरण भी इसी प्रक्रिया का एक अंग हैं। जिसमें समुदाय से जुडे हुए विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखते हुए इसके चरणों की प्राथमिकता सुनिश्चित की जाती है। इन चरणों में प्राथमिक तथा द्वितीयक स्तर पर क्रिया विधि को प्रस्तुत किया गया है।

## 6.2 सामुदायिक संगठन के चरण

किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न करने के लिये जिस प्रकार एक क्रमबद्ध योजना की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कार्यक्रम के कार्यान्वन के लिए कई चरणों से गुजरना आवश्यक है। ये चरण न केवल सामुदायिक संगठन से जुडे है बल्कि उन सभी कार्यक्रमों से भी जुड़े है जो एक समुदाय में चल रहे है। जैसे कि वैयक्तिक सेवा कार्य के अभ्यास के लिए तीन प्रमुख चरणों जैसे अध्ययन, निदान, उपचार आदि को आवश्यक माना गया है, उसी

प्रकार सामुदायिक संगठन कार्य के भी विभिन्न विद्वानों ने कुछ चरण बताये है। इनमें से कुछ प्रमुख चरण निम्नलिखित है जिनसे गुजरना सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को सामुदायिक संगठन कार्य के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है :-

### 1. अवलोकन तथा स्वीकृति प्राप्त करना

उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को समुदाय में भ्रमण कर वहां की सभ्यता एवं संस्कृति का पूर्ण अवलोकन करना चाहिए। कार्यकर्ता को समुदाय के साथ कार्य करना है, इसलिए उसे समुदाय की सभ्यता एवं संस्कृति का पूर्ण अवलोकन करना चाहिए। कार्यकर्ता को समुदाय के साथ कार्य करना है , इसलिए उसे समुदाय की सभ्यता और संस्कृति को स्वीकार कर अपने व्यवहार, कार्य एवं अंतःक्रियाओं को उनके अनुसार ढालना चाहिए। उसे समुदाय की प्रत्यके जाति, धर्म, समूह एवं उप-समूह के सदस्यों की स्वीकृति ही सामुदायिक संगठन के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्णायक सिद्ध होते है।

### 2. अध्ययन करना

सामुदायिक संगठन कार्य का दूसरा चरण समुदाय का अध्ययन करना है। अध्ययन कार्य की सफलता स्वीकृति के अभाव में असम्भव है। स्वीकृति प्राप्त सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को सामुदायिक सदस्यों के साथ द्वितीय चरण में समुदाय की उन सभी समस्याओं एवं अनुभूत आवश्यकताओं का अध्ययन करना चाहिए जो उस समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। अध्ययन करते समय कार्यकर्ता को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि समुदाय के इस निश्चित भू-भाग में रहने वाले सभी जाति, धर्म एवं सामाजिक-आर्थिक स्तर के लोगों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं से सम्बन्धित सूचनाओं को एकत्रित किया जाये। इसके साथ-साथ कार्यकर्ता सामुदायिक शक्तियों एवं सामुदायिक कल्याण तथा विकसा सके लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं की सूचनाओं को भी एकत्रित करता है। इससे सामुदायिक सदस्यों की वास्तविक स्थिति जानने तथा सही योजना बनाने में सहायता मिलती है।

### 3. आवश्यकता की चेतना का प्रसार करना

सामुदायिक संगठन कार्य का तीसरा चरण सामुदायिक सदस्यों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं से अवगत कराना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, तथा पूरे समुदाय के साथ विचार-विमर्श कर सामुदायिक आवश्यकताओं के विषय में सभी सदस्यों की चेतना बढाता है।

### 4. संगठन की रचना करवाना

सामुदायिक संगठन कार्य का चौथा महत्वपूर्ण चरण सामुदायिक सदस्यों में संगठन की आवश्यकता एवं संगठित जीवन की उपयोगिता पर बल देते हुए संगठित जवीन को प्रोत्साहन देना है। सामुदायिक शक्ति को प्रभावी बनाने के लिए, संगठन में समुदाय की विभिन्न जातियों, धर्म और वर्ग के सदस्यों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे समुदाय में संगठन का विकास होता है और सामुदायिक संगठन में अधिकाधिक सदस्यों का सहयोग प्राप्त होता है।

### 5. नेतृत्व का विकास करना

समुदाय में संगठन की रचना के पश्चात् योग्य नेता के चुनाव की आवश्यकता होती है।

### 6. कल्याणकारी योजना एवं कार्यक्रम तैयार करना

इसके पश्चात सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता समुदाय की समस्या एवं आवश्यकतानुसार सामान्य कल्याणकारी योजना बनाने एवं कार्यक्रम तैयार करने के लिये मार्गदर्शन देता है। कल्याणकारी योजना एवं कार्यक्रम तैयार करने में कार्यकर्ता सदस्यों की सहभगिता पर बल देता है और सुझाव, सलाह एवं विचार-विमर्श के लिये उन्हें प्रोत्साहित करता है। जिन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सदस्यों की विशेष रूचि देखता है और जिनकी प्राप्ति न्यूनतम प्रयास से संभव हो उन्हें वह प्राथमिकता देता है। अनुभव के साथ-साथ अन्य आवश्यक लम्बे समय में पूर्ण होने वाले कार्यों को कार्यक्रम की सूची मे रखता है।

### 7. साधनों को संचालित करना

कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के निर्धारण के पश्चात कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाता है। अपने व्यावहारिक ज्ञान एवं अनुभव से कार्यकर्ता इस बात से पूर्ण अवगत होता है कि कार्यक्रमों की सफलता सदस्यों की रूचि, दक्षता और सहभागिता पर निर्भर करती है। इसलिये कार्यकर्ता कार्यक्रम के जिम्मेदार सदस्यों को शिक्षित, प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित कर उन्हें अपनी भूमिका निभाने तथा उनकी भूमिकाओं को सरल बनाने का प्रयास करता है। निर्धारित कार्यक्रमों के कार्यान्वन में उत्पन्न रूकावटों एवं विवादों को सदस्यों के समक्ष रख उन्हें दूर करने का प्रयत्न करता है।

### 9. मूल्यांकन एवं ऐच्छिक परिवर्तन

सामुदायिक संगठन में मूल्याकन का एक विशेष महत्व है। मूल्यांकन से हमें सामुदायिक उद्देश्यों की सफलता एवं असफलता का ज्ञान होता है। हमें सदस्यों के कार्य के वास्तविक परिणामों का ज्ञान होता है। इससे सदस्यों की कार्य शक्तियों, निपुणताओं, उनकी कमियों, अक्षमताओं, दोषों एवं संघर्षों को जानने में सुविधा होती है। मूल्यांकन से हमें अपनाये गये तरीकों एवं प्रविधियों, तरीकों में ऐच्छिक परिवर्तन लाया जा सके।

अन्तिम चरण में कार्यकर्ता को यह देखने की आवश्यकता होती है कि सदस्यों मे कहाँ तक स्वयं अपनी सहायता करने की योग्यता का विकास हुआ है। क्या वे बिना कार्यकर्ता के स्वयं सामूहिक निर्णय ले पाते है या नही, और कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर पाते है या नही। उनकी सफलता इसमें है कि वह स्वयं समुदाय के लिये अनावश्यक बन जायें।

## 6.3 सामुदायिक संगठन के चरण: विभिन्न विचार

लिन्डमैन ने लगभग 700 समुदायिक परियोजनाओं का अध्ययन करके 10 चरणों की व्याख्या की है, जो निम्नलिखित हैः

1. आवश्यकता की चेतना।
2. आवश्यकता की चेतना प्रसार।
3. आवश्यकताओं की चेतना का प्रक्षेपण।
4. आवश्यकता को तुरन्त पूरा करने का भावनात्मक आवेग।
5. आवश्यकता पूर्ति के लिये अन्य समाधानों का प्रस्तुतीकरण।
6. आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये समाधानों में संघर्ष।

7. अन्वेषण या जांच पड़ताल।

8. समस्या के विषय में खुली बहस।

9. समाधानों का एकीकरण।

10. कामचलाऊ प्रगति के आधार पर समझौता।

इन उपयुक्त चरणों के अतिरिक्त क्रॉस ने सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में निम्नलिखित छः चरणों की चर्चा की है।

1. सेवा के उद्देश्यों का निश्चित विवरण एवं कथन।

2. तथ्यों की खोज, समस्याग्रस्त व्यक्तियों की विशेषताओ, सामुदायिक साधनों और सेवाओं की समस्याए।

3. आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधनों के बीच वांछित समायोजन के सन्दर्भ में प्रदान की जा सकने वाली सेवाओं का प्रारूप।

4. अस्थायी योजनाओं और चयनित सेवाओं की वैधता की जांच के लिये उसे जनता के सम्मुख प्रेषित करना।

5. मुख्य योजना का विकास जो अस्थायी योजनाओं से भिन्न परीक्षण पर आधारित अनुभवों के कारण विकसित की जाती है।

6. निर्धारित मुख्य योजना को सेवा में बदला जाता है। अर्थात् इसे सेवा में परिवर्तित किया जाता है।

इस प्रकार इसमें वर्तमान सेवाओं का पुर्नगठन, वर्तमान सेवाओं का स्तर ऊँचा करना, उनका विस्तार या नई सेवाओं का निर्माण करना जुडा हुआ है।

इसी प्रकार सैन्डरसन और पीलसन ने सामुदायिक संगठन के सात चरण बताये है। जो निम्नलिखित हैः

1. समुदाय का विश्लेषण एवं निदान

2. गतिकी

3. परिस्थिति की परिभाषा

4. औपचारिक संगठन

5. सर्वेक्षण

6. कार्यक्रम

7. नेतृत्व

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामुदायिक संगठन को व्यवस्थित ढंग से विकसित किया जा सकता है और उसके लिए बताये गये क्रमबद्ध तरीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

सामुदायिक संगठन पर स्थापित समिति, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर, द्वारा सामुदायिक संगठन के निम्नलिखित चरण बताए गए है :

1. उपलब्ध साधनों को संचालित करने, सामाजिक समस्याओं को जानने तथा समस्याओं की रोकथाम के लिए सदस्यों को अवसर प्रदान करना। इसके निम्नलिखित पक्ष हैः

(क) सामुदायिक कल्याण के लिए लोगों में आवश्यक रूचि का विकास करना जिससे वे अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें।

(ख) सामाजिक संस्थाओं के महत्वपूर्ण साधनों को विकसित करना।

(ग) समाज कार्य व्यवसाय के महत्वपूर्ण साधनों का विकास करना।

2 सामुदायिक सदस्यों में अन्तः क्रिया के विकास के लिए निम्न बातों पर बल देना:

(क) विभिन्न जनसमुदायों एवं समूहों को सामुदायिक कल्याण से जोड़ना।

(ख) व्यावसायिक विशेषज्ञों एवं सामुदायिक नेताओं के बीच अन्तः क्रिया का विकास करना।

(ग) विशिष्ट ज्ञान पर आधारित संस्थाओं जैसे विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, कानून व्यवसाय आदि के बीच अन्तः क्रिया का विकास करना।

(घ) राजनैतिक समूह एवं समाज कल्याण समूहों के बीच अन्तः क्रिया का विकास करना।

(3) समुदाय में समाज कल्याण सेवाओं को निम्न माध्यमों से विकसित करना:

(क) समाज कल्याण योजनाओं का विकास करके।

(ख) इन योजनाओं को महत्वपूर्ण बनाकर।

(ग) समाज कल्याण नीतियों और लोक नीतियों में समन्वय स्थापित करके।

(घ) सरकारी एवं गैर-सरकारी धन के पर्याप्त संचालन में सहायता करके।

इन विद्वानों के अतिरिक्त एक अन्य अमेरिकन विद्वान पीटर बलडोक ने सामुदायिक कार्य के निम्नलिखित चरण बताये है:

1. आर्थिक सेवाओं को प्रोत्साहन देना।

2. जागृति को सक्रिय बनाना।

3.व्यक्तिगत समाज सेवाओं को बढ़ावा देना।

4.आधुनिक नागरिकों की उलझनों को सुलझाने के लिए जनता को शिक्षित करना।

5.सामाजिक एवं राजनैतिक पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन को बढ़ावा देना।

## 6.4 सामुदायिक संगठन के उददेश्यों पर आधारित चरण

सामुदायिक संगठन के विभिन्न उददेश्यों के आधार पर सामुदायिक संगठन के कुछ प्रमुख चरणों को निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है:

### 1.सूचना एकत्रित करना

सामुदायिक संगठन कार्य का प्रथम एवं महत्वपूर्ण चरण समुदाय की स्थिति का अध्ययन करना है। साथ ही उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी समस्याओं के विषय में चेतना ओर समस्याओं को दूर करने के लिए किये गये प्रयासों का अध्धयन करना चाहिए। इसके साथ-साथ समुदाय कल्याण एवं विकास कार्य में लगी हुई विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, मनोरंजन, संचार, खेती, व्यापार-व्यवसाय, उद्योग एवं समाज कल्याणकारी सरकारी

एवं गैर-सरकारी संस्थाओं का अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन कार्य में कार्यकर्ता को न केवल विभिन्न प्रकार की कल्याण कार्य कर रही सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं का पता लगाना है बल्कि उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को भी जानने का प्रयास करना है कि ये सेवायें किन लोगों को और किस प्रकार दी जाती हैं। इन सूचनाओं के ज्ञान से उद्देश्यों के निर्धारण तथा कार्यक्रम योजना के निर्माण में सहायता मिलती है।

### 2. समस्याओं का निराकरण

सामुदायिक संगठन कार्य का दूसरा चरण है समस्याओं के समाधान के लिए सामुदायिक सदस्यों को एकत्रित कर विचार करना है। फिर सदस्यों को उन साधनों के प्रति सचेत करना जो समुदाय में उपलब्ध हैं और जो समुदाय के बाहर से प्राप्त किये जा सकते हैं। इन साधनों को ध्यान में रखते हुए प्रभावपूर्ण एवं व्यावहारिक योजनाओं पर विचार करना।

### 3. जनकल्याण की भावनाओं का विकास

एक समुदाय में शिक्षित, अशिक्षित एवं विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित लोग निवास करते है। इनमें अपनी समस्या जानने, समझने और इसके निराकरण की योग्यता होती है। इसलिए सामुदायिक संगठन कार्य का तीसरा उद्देश्य यह होना चाहिये कि सामुदायिक सदस्य अपनी व्यक्तिगत कल्याण कल्याण एवं विकास की भावनाओं से जोड़े। इससे प्रत्येक धर्म, जाति एवं वर्ग के लोग स्वेच्छा से एवं उपलब्ध सरकारी एवं गैर-सरकारी कल्याण सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं के सहयोग से जन-कल्याण को बढ़ावा दे सकते हैं।

### 4. जनहित योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन

एक समुदाय कई समूहों एवं उप-समूहों का योग होता है। इन समूहों एवं उप-समूहों का बटवारा व्यक्तियों के सामाजिक आर्थिक एवं वैचारिक विविधताओं के आधार पर होता है। एक समूह के व्यक्ति विशेषकर अपने समूह या उप-समूह के सदस्यों के साथ अपना तालमेल रखना चाहते है, अतः सामुदायिक संगठन कार्य में सामुदायिक कार्यकर्ता को इन विभिन्न समूहों एवं उपसमूहों के सदस्यों के मनोबल को बढाते हुए इनमें जनहित की भावना का विकास करना चाहिए। उसे ऐसी योजनाओं का निर्माण करना चाहिये जो सभी समूहों व उपसमूहों को लाभकर हो तभी सभी का सहयोग मिल सकता है।

### 5. जन संगठन की पैरवी करना

इसके लिए एक संगठन स्थापित करने की आवश्यकता होती है। यह संगठन ऐसा होना चाहिए जो विभिन्न लोगों को मान्य हो। इसकी प्रकृति प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। इसमें सभी वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसका नेतृत्व सुयोग्य पदाधिकारियों के हाथ होना चाहिये।

### 6. समाज कल्याण के स्तर को ऊंचा करना

सामुदायिक कार्य का यह भी एक महत्वपूर्ण चरण है कि विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित समुदाय कल्याण सेवाओं के बारें में लोगों को बताया जाये। साथ ही यदि इस समुदाय को किसी विशेष सेवा की आवश्यकता है तो उसके बारें में उन संस्थाओं का ध्यान आकृष्ट किया जाये। संचालित सेवाओं की अधिक आवश्यकता होने पर स्थापित सामुदायिक संगठन द्वारा सम्बन्धित संस्था से निवेदन कर ऐसी सेवाओं को और बढाया जाये जिससे सहायता प्राप्त करने वाले लोग आवश्यकतानुसार पर्याप्त सेवाओं से लाभान्वित हो सकें।

साथ-साथ समुदाय के ऐसे वर्ग जिन्हें इन सेवाओं की आवश्यकता है लेकिन किसी कारण से वे इनसे लाभान्वित नही हो पाये है को भी लाभान्वित होने का अवसर प्रदान करना चाहिए।

### 7. संसाधनों को विकसित करना

सदस्य अपने अज्ञान, पारिवारिक, आर्थिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियों तथा विशेषज्ञों की सलाह के अभाव के कारण समुदाय के उपलब्ध साधनों को नही पहचान पाते है। इसलिये वे उन साधनों से लाभान्वित नही हो पाते है अतः सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को चाहिये कि वह एक विशेषज्ञ या सलाहकार के रूप में कार्य करे जिससे समुदाय या समुदाय के आस-पास विभिनन संस्थाओं द्वारा संचालित सेवाओं को सभी लोग जान सकें तथा समयानुसार अपनी अनुभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उन उपलब्ध साधनों का यथासम्भव प्रयोग कर सकें। सामुदायिक कार्यकर्ता एवं संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं सदस्यों को चाहिये कि वे नियमित कल्याण सेवा न प्रदान करने वाली संस्थाओं तक पहुंचकर उनकी कल्याण सेवा को नियमित बनाने में सहायता कर सकें। इससे उपलब्ध संसाधनों की पर्याप्त मात्रा एवं आवश्यक दिशा में उपयोग हो सकता है।

### 8. आपसी तनाव एवं भिन्नता का दूर करना

समुदाय में जहां विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्तर के लोग होते है। उन के विचारों में भिन्नता होना स्वाभाविक ही है। इसीलिये सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता एवं सभी के विचारों का ख्याल रखते हुए आपसी सहयोग को बढाने का प्रयास करना चाहिए।

### 9. समुदाय के कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करना

सामुदायिक संगठन कार्य न केवल व्यक्ति विशेष के लिये है, न ही व्यक्ति विशेष के प्रयास से इसके लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव है, बल्कि समुदाय के सम्पूर्ण व्यक्तियों के साथ व्यक्तियों के द्वारा सम्भव है। इसलिए सामुदायिक कार्य की वास्तविक सफलता, पारस्परिक विकास एवं समृद्धि के लिये आवश्यक है कि समुदाय कल्याण कार्य लिये निर्धारित कार्यक्रमों में समदाय के विभिन्न व्यक्तियों, समूहों, उप-समूहों एवं विभिन्न जाति, धर्म एवं वर्ग के संगठनों के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित किया जाये।

### 10. समाज सुधार को बढाना देना

सामुदायिक कार्यकर्ता को सामुदायिक बुराइयों को दूर करने तथा समुदाय को कंटक रहित बनाने का प्रयास करना चाहिए। सामुदायिक विकास के लिए परिवर्तनशील विधियों द्वारा समुदाय में उत्पन्न होने वाली समस्याओं से लोगों को आगाह करना चाहिए। उसे समस्याओं को अच्छे ढंग से समझने, श्रेणीकरण करने और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक योग्यता का विकास करना चाहिए।

इस प्रकार सामुदायिक संगठन के चरणों का उद्देश्य न केवल एक निश्चित भू-भाग के एक या कुछ व्यक्तियों की समस्याओं एवं साधनों में समता स्थापित करना है। बल्कि समुदाय के सम्पूर्ण सदस्यों की आवश्यकताओं एवं समुदाय परिधि के अंदर या बाहर सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध विभिन्न साधनों के बीच संबंध स्थापन के लिए सामुदायिक सदस्यों को उनकी आवश्यकताओं एवं समस्याओं के अनुसार व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से शिक्षित-प्रशिक्षित कर उनकी योग्यताओं का विकास करना है। विभिन्न जाति, वर्ग एवं सम्प्रदाय के लोगों में एक दूसरे के अधिकारों एवं कर्तव्यों के महत्व को विकसित करना है, जिससे प्रजातंत्रिक रूप से सामुदायिक कल्याण का अधिकाधिक विकास किया जा सके।

हो गए थे।

## 6.5 सारांश

प्रस्तुत इकाई के अन्तर्गत सामुदायिक संगठन के चरणों को स्पष्ट किया गया है जिसमें विभिन्न विचारकों के मत एवं वर्गीकरण को अलग-अलग प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ-साथ सामुदायिक संगठन के विभिन्न उद्देष्यों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक तथा द्वितीयक चरणों के अनुसार क्रियाविधि को समझाने का प्रयास किया गया है।

## 6.6 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. सामुदायिक संगठन के चरणों को स्पष्ट कीजिए।

2. सामुदायिक संगठन के उद्देष्यों पर आधारित चरणों को बताइये।

3. विभिन्न विचारकों के अनुसार सामुदायिक संगठन के चरणों की विवेचना कीजिये।

## 6.7 सन्दर्भ-साहित्य

1. इण्डिया - कम्यूनिटी डवैलपमेन्ट एण्ड कोआपरेशन, गाइड टू कम्युनिटी डैवलपमेंन्ट सैकेन्ड रेव0 इड0, दिल्ली, गवर्नमेन्ट प्रेस, 1957.

2. इण्डिया - ए रिपोर्ट आन द ऐनुअल कान्फ्रेन्स आन कम्युनिटी डैवलपमेंन्ट एण्ड पंचायत राज, न्यू दिल्ली , जुलाई 1964, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1964.

3. इण्डियन कान्फ्रेन्स आफ सोशल वर्क, स्पेशल ऐन्निवर्सरी, नवम्बर-दिसम्बर, 1957.

4. इण्डिया - कम्यूनिटी डवैलपमेन्ट प्रोग्राम इन इण्डिया, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1963.

5. इण्डिया - कम्यूनिटी डवैलपमेन्ट ऐट ऐ ग्लान्स, दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1962.

इकाई : **7**

# सामुदायिक संगठन के प्रारूप

इकाई की रूपरेखा

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 सामुदायिक संगठन के प्रारूप की अवधारणा

7.3 सामुदायिक संगठन के प्रारूप के प्रकार

7.4 सारांश

7.5 अभ्यासार्थ प्रश्न

7.6 सन्दर्भ ग्रन्थ

## 7.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप:

-- सामुदायिक संगठन के प्रारूप की अवधारणा को जान सकेंगे।

-- सामुदायिक संगठन के प्रारूप के प्रकारों को जान सकेंगे।

## 7.1 प्रस्तावना

सामुदायिक संगठन की रणनीतियों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक सशक्त रूपरेखा का निर्माण किया जाना एक आवश्यक शर्त है जिसके अन्तर्गत सामुदायिक संगठन के प्रारूप की संरचना इसी का अभिन्न अंग है। समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में आशा के अनुरूप विकास के लिए प्रारूपों का कार्यक्षेत्र विभाजित किया गया है। सामुदायिक कोष के द्वारा जनकल्याण तथ जनसहयोग को प्रोत्साहन देने हेतु जनकोष का निर्माण, क्रियान्वयन तथा प्रबन्धन को सुनिष्चित किया जाता है।

## 7.2 समुदायिक संगठन के प्रारूप की अवधारणा

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता, अपने व्यवसाय में एक पूर्ण प्रशिक्षित एंव अनुभवशील कार्यकर्ता होता है। इसलिये उसे समुदाय की समस्याओं, आवश्यकताओं, उपलब्ध साधनों के विषय में पूर्ण जानकारी होती है। साथ-साथ कार्यकर्ता को उन सभी सामुदायिक कार्य के प्रारूपों के विषय में भी जानकारी रहती है जिन क्षेत्रों के विकास के लिये वह सदस्यों के साथ कार्य कर सामुदायिक संगठन कार्य को बढावा दे सकता है।

## 7.3 सामुदायिक संगठन के प्रारूप के प्रकार

उन प्रमुख प्रारूपों को, जिनमें समाज कार्यकर्ता एक सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता है को निम्नलिखित भागों में व्यक्त कर स्पष्ट किया जा सकता हैः

इस क्षेत्र के कुछ प्रमुख प्रारूप निम्नलिखित है जिनमें कार्यकर्ता सदस्यों के साथ कार्य करता है:

### 1. आर्थिक प्रारूप

#### (अ) कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित कार्य

प्रायः देखा जाता है कि ग्रामीण सामुदायिक सदस्य अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण कृषि के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न विकास संस्थाओं के विषय में अनभिज्ञ रहते हैं। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार एवं व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण कर्मचारी कृषि से सम्बन्धित सुविधाओं को आम सदस्यों तक नहीं पहुंचने देते हैं। इन कमियों के कारण न तो उपलब्ध साधनों का उचित सदुपयोग ही हो पाता है और न ही आम सदस्य लाभान्वित हो पाते हैं।

कार्यकर्ता अपने व्यावसायिक ज्ञान एवं कार्यकुशलता से सदस्यों को कृषि विकास के लिए उपलब्ध साधनों जैसे अच्छे किस्म के उत्पादक बीज, खाद, नये एवं अधिक कार्यकुशल कृषि यन्त्रों के बारे में उनका मार्गदर्शन करता है।

#### (ब) सहकारी खेती एवं सहकारी बाजार से सम्बन्धित कार्य

ग्रामीण समुदाय के अधिकतर सदस्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि एंव उससे सम्बन्धित कार्य ही हैं। लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण आज खेतिहर भूमि के  टुकड़े होते जा रहे हैं। इससे न तो उसमें आधुनिक मशीनों का प्रयोग हो पाता है और न ही उत्पादन बढ़ पाता है। सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता इस बारे में किसानों का मार्गदर्शन करता है तथा उन्हें सहकारी खेती के लिये प्रोत्साहित करता है। सहकारी खेती की भावना का विकास होने से सदस्यगण सामूहिक रूप से अपने श्रम, पूंजी, संगठन और आधुनिक एवं उत्पादक मशीनों का प्रयोग मिल-जुल कर करते हें। इस प्रकार उत्पादन बढ़ता है और सदस्य लाभान्वित होते हैं। सहकारी खेती में अधिकाधिक सदस्यों का श्रम एवं पूंजी लगायी जाती है जिससे कम श्रम, पूंजी एवं समय में अधिकाधिक उत्पादन होता है और सदस्यगण सामूहिक रूप से लाभान्वित होते हैं।

उत्पादन के बावजूद भी खेतिहर सदस्यों को उनकी गरीबी, अज्ञानता, अशिक्षा एवं क्रय-विक्रय में बढ़ती हुई चोरबाजारी के कारण उत्पादन का उचित लाभ नहीं मिल पाता है। सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं के लिये दिये गये ऋण के बदले पूंजीपति, कृषकों के उत्पादन को अधिक ब्याज के साथ सस्ते मूल्य पर खरीद लेते हैं। कार्यकर्ता, सदस्यों को इन समस्याओं से अवगत कराते हुये उनसे लाभकारी सहकारी बाजार की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा करता है तथा उनमें सहकारी समिति स्थापित करने की योग्यता का विकास करता है, जिससे उनको उत्पादन का उचित लाभ, उचित क्रय-विक्रय प्रणाली के माध्यम से मिल सके। सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता सदस्यों को उनकी आवश्यकताओं एवं कार्यक्षमताओं का आभास कराते हुए अनेक सहकारी समितियां जैसे ऋण वितरण समिति, खाद-बीज वितरण, क्रय-विक्रय समिति इत्यादि की स्थापना कराने का प्रयास करता है।

#### (स) सहकारी दुग्ध केन्द्र स्थापना सम्बन्धी कार्य

प्रायः देखा जाता है कि ग्रामीण समुदायों में पशुपालन का विशेष महत्व हे। पर वहां लोगों को पशुओं के दूध का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। दूसरी तरफ जहां दूध का अभाव है, वहां लोगों को शुद्ध दूध नहीं मिल पाता है और

यदि मिलता है तो उसका मूल्य जनसाधारण की सामर्थ्य के बाहर होता है। इस विडंबना को महसूस करते हुए कार्यकर्ता अपने सामुदायिक अनुभव एवं कार्यकुशलता के कारण सदस्यों के समक्ष इस विषय पर विचार-विमर्श करता है। सदस्यों को लाभकारी निर्णय लेने के लिये प्रोत्साहित करता है तथा कोशिश करता है कि उनके दूर स्थापित सहकारी समिति के माध्यम से खरीद कर उसे उन स्थानों पर ले जाकर बेचा जाये जहां उन्हें उचित लाभ मिल सके। इससे न केवल समूदाय का आर्थिक विकास होता है बल्कि सदस्यों में एकता एवं प्रेम-भाव का विकास होता है। इस प्रकार कार्यकर्ता समुदाय के सदस्यों को पशुपालन एवं सहकारी दुग्ध क्रय-विक्रय केन्द्र स्थापित करने को प्रोत्साहित करता है।

### (द) स्थानीय औद्योगिक विकास सम्बन्धी कार्य

सामूदायिक संगठन कार्यकर्ता अपने ज्ञान एवं सामुदायिक अध्ययन के आधार पर समुदाय में उपलब्ध स्थानीय उद्योगों को भी बढ़ावा देने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार के उद्योगों के संचालन एवं विकास में वह सदस्यों की सहायता करता है। समुदाय में स्थापित विभिन्न संगठनों जैसे नवयुवक मंडल दल, महिला मंडल, कृषक समिति इत्यादि के माध्यम से कार्यकर्ता समुदाय के उन पुरूषों, महिलाओं एवं बेरोजगार नवयुवकों को संगठित करता है जिन्हें रोजगार की जरूरत है। इससे

(1) स्थानीय स्तर पर उपलब्ध उद्योगों के विकास एवं सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है

(2) बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलता है,

(3) इस क्षेत्र में उपलब्ध कच्चे माल की खपत को बढ़ावा मिलता है और

(4) समुदाय का आर्थिक एवं सामाजिक विकास सम्भव होता है।

स्थानीय उद्योग के सार्वजनिक विकास के लिये सामुदायिक कार्यकर्ता न केवल सदस्यों में इसके संचालन के लिये प्रयास करता है, बल्कि उनके द्वारा उत्पन्न सामान का उचित मूल्य दिलाने के लिये, उसके विक्रय के विषय में चर्चा करता है, लाभकारी निर्णय लेता है। उत्पादन को बाजार में उचित मूल्य पर बेचने से उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलता है और उनका जीवन-स्तर ऊपर उठता है।

### (य) कुटीर उद्योग का विकास

समुदाय के आर्थिक विकास के लिये आवश्यक है कि कार्यकर्ता समुदाय के सदस्यों में कुटीर उद्योग सम्बन्धी ज्ञान का विकास करे व सस्ते और सुविधाजनक कुटीर उद्योग जैसे माचिस, साबुन, चमड़ा उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन आदि कार्यो के लिये उन्हें प्रोत्साहित करे। इसके लिये समुदाय में काम कर रहे विभिन्न संगठनों की सहायता लेनी चाहिए। समुदाय के आस-पास उपलब्ध विभिन्न साधनों से इस कार्य को विकसित करने का प्रयास किया जा सकता है। इन उद्योगों के विकास से बेरोजगार सदस्यों को रोजगार उनके समुदाय में ही उपलब्ध हो जाते हैं। कार्यकर्ता इन कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित सामान की बिक्री के लिये भी सदस्यों के साथ विचार -विमर्श करता है तथा उचित मूल्य हासिल करने की योजना बनाने में उनकी सहायता करता है। इससे सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्धों एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

### (र) व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं सलाह सम्बन्धी कार्य

कभी-कभी सदस्यों में कार्य की योग्यता होते हुए भी वे बेरोजगार रहते हैं। कुछ सदस्य किसी विशेष क्षेत्र से लगाव रखते है। लेकिन आवश्यक साधन व सुविधाओं के ज्ञान के अभाव के कारण व ऐछिक व्यवसाय-कार्य को नहीं

अपना पाते हैं। कुछ नवयुवकों को शिक्षा में कोई खास लगाव नहीं होता लेकिन पारिवारिक दबाव के कारण उन्हें विद्यालय तक जाना पड़ता है। दूसरी तरफ कुछ नव-युवक शिक्षा के लिए इच्छुक होते हैं पर पारिवारिक असमर्थता के कारण वे उससे वंचित रहते हैं। ऐसे सभी मामलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं सामुदायिक कार्य के अनुभव के आधार पर इन विषयों में सदस्यों का मार्गदर्शन कर सकता है। रूचि के अनुसार व्यवसाय दिलाने में वह सदस्यों की मदद कर सकता है।

## 2. शैक्षणिक विकास का प्रारूप

समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये आवश्यक है कि शैक्षणिक विकास पर बल दिया जाये । शिक्षा एक ऐसा विषय है जो व्यक्तियों में किसी भी विषय पर योजनाबद्ध तरीके से चिंतन करने की योग्यता प्रदान करती है। शिक्षा नागरिकों का एक संवैधानिक अधिकार होते हुये भी आज देश की लगभग 60% जनसंख्या अशिक्षित है। इसलिए सामुदायिक संगठन कार्य के क्षेत्र मे शैक्षणिक  विकास का अपना महत्व है। शिक्षा के विकास के लिये कार्यकर्ता क्षेत्र में कार्यरत सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाओं का विस्तार करवाने तथा कार्यरत संस्थाओं से सामुदायिक अशिक्षित नवयुवकों, बच्चों एवं अशिक्षित मजदूरों तथा कृषकों को शिक्षित कराने का प्रयास निम्नलिखित प्रकार से करता है:

### (अ) प्राथमिक एवं मूलभूत शिक्षा विकास सम्बन्धी कार्य

उन समुदायों में जहां के नागरिक न तो स्वयं शिक्षित है और न ही बच्चों की शिक्षा पर बल देते है। वहाँ कार्यकर्ता सदस्यों में व्याप्त शिक्षा के प्रति उनके निरूत्साह के विभिन्न आर्थिक, सामाजिक कारणों का पता लगाता है। कारणों की जानकारी के पश्चात् बच्चों के शैक्षणिक अधिकार कार्य पर चर्चा कर इसे प्राथमिक कार्य के रूप में स्वीकार करवा कर उनकी सहायता करता है। शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को शैक्षणिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये सामुदायिक सदस्यों का सहयोग प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता अशिक्षत बच्चों को नियमित शिक्षा प्रदान कराने के लिये उनके माता-पिता, समुदाय के वरिष्ठ सदस्यों, शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों एवं बच्चों के साथ कार्य कर प्राथमिक एवं मूल शिक्षा के विकास के क्षेत्र में सहायक होता है।

### (ब) प्रौढशिक्षा और प्रकार्यात्मक शिक्षा विकास सम्बन्धी कार्य

सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित प्रौढशिक्षा एवं प्रकार्यात्मक शिक्षा के विकास में कार्यकर्ता विभिन्न रूपों में सहायक होता है। सर्वप्रथम वह सदस्यों को इस प्रकार के संचालित कायक्रमों की महत्ता एवं आवश्यकता का बोध कराता है। इसकी दूसरी तरफ प्रौढ शिक्षा एवं प्रकार्यात्मक शिक्षा के जिम्मेदार कर्मचारियों की लाभार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप कार्यक्रम का प्रारूप तैयार करने में सहायता करता है। इन सबसे

(1) सामुदायिक सदस्यों को शैक्षणिक कार्य-क्रमों के विषय में जानकारी होती है,

(2) जरूरतमन्द सदस्यों को लाभ मिलता है,

(3) संस्था के उद्देशयों की पूर्ति होती है,

(4) सरकारी जिम्मेदारियो की पूर्ति होती है,

(5) सामुदायिक संगठन कार्य सम्भव होता है,

(6) सामुदायिक सदस्यों एवं संस्थाओं के बीच सम्बन्ध बढता है,

(7) सामुदायिक कल्याण के साथ-साथ राष्ट्र कल्याण को बढावा मिलता है।

### (स) वाचनालय एवं पुस्तकालय विस्तार सम्बन्धी कार्य

जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का एक दूसरा वृहद् देश होने के कारण यहां की कुछ जनसंख्या ऐसे भागों में निवास करती है जहां देश -विदेश के समाचार तो दूर रहे प्रान्तीय स्तर के भी समाचार नही मिलते। सरकारी समाज कल्याण संस्थायें एवं स्वयंसेवी संगठन भी ऐसे क्षेत्रो में कार्यरत नही है। एक समुदाय में जहां एक बडी जनसंख्या निवास करती है, उनके स्वयं के सहयोग से सामूहिक वाचनालय एवं पुस्तकालय की स्थापनाकी जा सकती है। इस कार्य की सफलता के लिये कार्यकता सदस्यों की पुस्तकालय,एवं वाचनालय सम्बन्धी आवश्यकता के विषय में विचार -विमर्श कर इसके स्थापन एवं संचालन की योजना  तैयार करने में सदस्यों की सहायता करता है। ऐसे कार्यक्रम में सहायता प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों एवं संगठनों के विषय में उन्हे जानकारी देती है जिससे (1) सामुदायिक सदस्यों को विभिन्न प्रकार की उपलब्ध पुस्तकों, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं को पढने का सौभाग्य प्राप्त होता है,(2) सदस्यों का खाली समय अच्छे कार्य में व्यतीत हो जाता है,(3) कार्यरत संस्थाओं के उद्देश्यों की पूर्ति सम्भव होती है और (4) समुदाय म पारस्परिक सहयोग,संगठन एवं कल्याण का विकास सम्भव होता है।

### (द) अपंगों के लिए शिक्षा सम्बन्धी कार्य

अशिक्षित एवं अविकसित समुदायों में अपंग सदस्यों को एक सामाजिक बोझ समझकर इन्हे सामान्य अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता उनकी अनेक प्रकार से सहायता कर सकता है। इनके प्रति परिवार व समुदाय में सदस्यों का दृष्टिकोण बदल सकता है। सामुदायिक सामथ्र्यता के अध्ययनोपरान्त कार्यकर्ता सदस्यों में इन नागरिकों के शैक्षणिक विकास के लिये विशेष विद्यालय की स्थापना में भी इनकी सहायता कर सकता है। अन्य कल्याणकारी संस्थाओं का ध्यान उनकी ओर खीच कर उनके लिये शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है।

### (य) जनसंख्या शिक्षा के विकास सम्बन्धी कार्य

सरकारी ,स्वयं सेवी संस्थाओं एवं स्वयं सेवकों के सतत् प्रयास के बाद भी आज देश की जनसंख्या यहां के उपलब्ध साध्नों से कई गुनी अधिक है। सीमित साधनों के कारण और जनसंख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण अभी भी हम आर्थिक ,शैक्षणिक, स्वास्थ्य एवं विकास की दृष्टि से पीछे है। सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता समुदाय की जनसंख्या समस्या का अध्ययन करता है। जनसंख्या सम्बन्धी सरकारी नीतियों, जनसंख्या वृद्वि के कारणों एवं इसके प्रभावों के विषय में लोगों का ज्ञानवर्धन कर सकता है। इसके साथ-साथ कार्यकर्ता छोटे परिवार के मूल्य को स्थापित करने में उनकी सहायता करता है। जनश्संख्या नियंत्रण के लिये काम कर रही सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं से लोगों को अवगत कराता है जिससे जरूरतमन्द लोग लाभान्वित हो सकें। इसके साथ-साथ जनसंख्या के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं के कर्मचारियों और जरूरतमन्द सदस्यो के बीच सम्बन्ध स्थापित कराने में सहायक होता है।

## 3. स्वास्थ्य विकास सम्बन्धी प्रारूप

मनुष्य को आत्मनिर्भर होने के लिये सामाजिक, मानसिक एवं बौद्विक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। अशिक्षित एवं पिछडे सदस्यों में आज भी लोग स्वास्थ्य की ओर अधिक ध्यान नहीं देते है। वे ओझा, फकीर एवं नीम-हकीमों के चक्कर में पडे रहते है। अपने अज्ञान के कारण सामुदायिक सदस्य न तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर ध्यान देते है और

न ही स्वस्थ्य वातावरण का निर्माण ही कर पाते है। एक स्वस्थ वातावरण के निर्माण के लिये कार्यकर्ता सदस्यों के साथ निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करता हैः

(अ) स्वास्थ्य शिक्षा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में

आज स्वतन्त्रता प्राप्ति के लगभग 65 वर्ष के बाद भी हमारी अधिकाधिक ग्रामीण एवं पिछडे भू भागों में निवास करने वाली जनसंख्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्ञान-शून्य है। सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर समुदाय विशेष की स्वास्थ्य समस्या से सम्बन्धित पहलुओं का अध्ययन कर सदस्यों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। स्वास्थ्य सुरक्षा ,विकास एवं कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं के विषय में लोगों का ज्ञानवर्धन करता है। स्वास्थ्य सम्बन्धी पुरानी परम्पराओं एवं रूढियों के प्रभाव से लोगो को मुक्त कराने तथा उपलब्ध विभिन्न आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लाभान्वित कराने का प्रयास करता है।

(ब) स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के क्षेत्र में

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता सामुदायिक सदस्यों के सहयोग से स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिये सम्बन्धित विभागों से सम्बन्ध स्थापित करता है। इससे आवश्यक स्वास्थ्य किन्द्रों के संस्थापन में सहायता मिलती है। समुदाय के धन सम्पन्न व्यक्तियों एवं उनके सामूहिक आर्थिक सहयोग से एकत्रित धन से आवश्यक स्वास्थ्य केन्द्रों को बढावा दिया जा सकता है।

(स) शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपंगों की देख-रेख में

बहुधा सामुदायिक सदस्य अपनी अज्ञानता के कारण बच्चों में पनपने वाली शारीरिक एवं मानसिक विकृतियों को न ही समझ पाते है और न उनकी देख-रेख कर पाते है। सामुदायिक संगइन कार्यकर्ता अपने ज्ञान एवं अनुभवि के आधार पर इन शारीरिक-मानसिक अपंगताओं के बारे सदस्यों का ज्ञानवर्धन कर सकता है और निवारण के विषय में सहायक हो सकता है।कार्यकर्ता विभिन्न कल्याणकारी संस्थाओं जैसे बाल -निर्देशन केन्द्र, मन्द बुद्वि विद्यालय,मूक-वधिर विद्यालय आदि की सुविधाओं को बताकर इन सुविधाओं से अपंग व्यक्तियों को लाभान्वित होने में उनकी सहायता करता है। अपंग व्यक्तियों के विचारों,भावनाओं एवं आकांक्षाओं को सामान्य लोगों तक पहुंचा कर सामान्य सदस्यों के अपेगों के प्रति व्यवहार को अधिक मानवीय बनाने का प्रयत्न करता है।

## 4 सडक एवं मकान निर्माण सम्बन्धी प्रारूप

विशेषकर अविकसिक ग्रमीण समुदायों में जहां आवागमन के लिये सडक तथा रहने के लिये पर्याप्त हवादार मकानों की सुविधा नहीं है, कार्यकर्ता उस समुदाय के सदस्य से इसकी आवश्यकता के विषय में उनसे विचार-विमर्श करता है। सामुदाय में व्याप्त मानवीय एवं आर्थिक शक्तियों का पता लगाता है। सामुदायिक सदस्यों को संगठित कर पंचायत एवं खण्ड विकास केन्द्र से आवश्यक सुविधा/साधन उपलब्ध कराकर सडक निमार्ण में सदस्यों की सहायता करता है। इससे वर्षा के मौसम में होने वाली कीचड एवं वातावरण को दूषित करने वाले पानी को रोका जा सकता है। कार्यकर्ता निम्नलिखित रूपों में उनकी सहायता करता है।

### (अ) झुग्गी-झोपडी और सफाई की स्थिति में सुधार

औद्योगिकीकरण, नगरीकरण एवं आसमान छूती हुई महंगाई के कारण झुग्गी-झोंपडी वाली बस्तियों की वृद्वि में जीवन का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि किस प्रकार ये लोग नारकीय जीवन जी रहे है। इन झोंपडियों के छोटे-छोटे दरवाजे जिनमें आसानी से आना-जाना भी कठिन है तथा प्रकाश और हवा का अभाव होता है। इन

बस्तियों में फैली गन्दगी ,खुली नाली,खुले पडे हुए कचडे एवं एक झोपडी में 8 से 10 व्यक्तियों को रहते देखकर इन बस्तियों को जलाकर एक स्वस्थ बस्ती के निर्माण की इच्छा होती है।

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता सामुदायिक सदस्यों को इनके बुरे प्रभावों से अवगत कराता है। उनसे एक साफ-सुथरे समुदाय के निर्माण की चर्चा करता है तथा सामुदायिक वातावरण की शुद्वता पर विचार-विमर्श करता है।समुदाय में बिजली एवं पानी कि सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सदस्यों का मार्गदर्शन करता है जिससे सम्बन्धि विभाग के सहयोग से समुदाय में बिजली एवं पानी सम्बन्धी समस्याओं का हल ढुंढा जा सके। समुदाय की स्वच्छता बनाये रखने तथा सफाई को बढावा देने के लिये, सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता समुदाय के शिक्षित/अशिक्षित नवयुवकों,समुदाय के बालकों, महिलाओं एवं वृद्व व्यक्तियों को संगठित करता है और एक स्वच्छ वातावरण के निर्माण में उनकी रूचि पैदा करता है।

**(ब) सरकारी मकान निर्माण अभियान के क्षेत्र में**

इस बारे में सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता सामुदायिक सदस्यों को मकान निर्माण के लिये सहकारी समिति बनाने के लिये प्रोत्साहित करता है। इससे सस्ती दर पर सामूहिक सहयोग से मकानों का निर्माण संभव होता है।

## 5 सामुदायिक मनोरंजन का प्रारूप

मानव विकास में मनोरंजन का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। मनोरंजन का अर्थ न केवल संगीत,नृत्य एवं गाने से लगाया जाता है बल्कि खाली समय के अच्छे उपयोग से भी। बहुधा देखा गया है कि लोग अपने खाली समय को दूसरों की बुराई में लगा देते है। इस खाली समय को अच्छे कामों में भी लगाया जा सकता है। सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता अपने ज्ञान एवं कौशल से सदस्यों के अतिरिक्त समय व शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों को सामुदायिक कल्याण में लगाने के लिये निम्नलिखित कार्य करता हैः

(अ) सदस्यों में विकास की चेतना लाने के लिये कार्यकर्ता सामुदायिक सदस्यों के सहयोग से समाज सुधारकों एवं महापुरूषों के चरित्र पर ड्रामा/नाटक का आयोजन कराने में उनकी सहायता करता है। इससे सामुदायिक मनोरंजन तथा सामूहिक कल्याण एवं विकास को बढावा मिलता है।

(ब) अच्छे चल-चित्रों के माध्यम से समुदाय में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिये कार्यकर्ता चलचित्र का प्रदर्शन कराने ,दूरदर्शन एवं रेडियो उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। इस कार्य की सफलता के लिये वह सदस्यों को सामूहिक रूप में संगठित कर इस प्रकार की सुविधा प्रदान करने वाली संस्थाओं एवं संगठनों से उनका संपर्क कराता है।

(स) बच्चों एवं नवयूवकों में नयी चेतना का संचार करने के लिये कार्यकर्ता विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन कराने की कोशिश करता है। इनमें न केवल खेलकूद की प्रतियोगितायें शामिल हैं बल्कि शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रतियोगितायें भी आती है।

## 6 सांस्कृतिक कार्यक्रमो का प्रारूप

सामुदायिक संगठन कार्य की सफलता एवं सामुदायिक सहयोग को बढावा देने के लिये सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता समुदाय के सांस्कृतिक कार्यकलापों का अध्ययन करता है।सामुदायिक कल्याण कार्य को बढावा देने के लिये वह सामुदायिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाता है।इसके लिये वह निम्न प्रकार के कार्य करता हैः

**(अ) भजन एवं कीर्तन का आयोजन**

बहुधा देखा जाता है कि सामुदायिक सदस्यों का धार्मिक कार्यो जैसे भजन-कीर्तन में अधिक विश्वास होता है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से सदस्यों में धर्म के प्रति आस्था और विश्वास तो बढता है साथ ही एकता का विकास होता है।

**(ब) सामूहिक भोज का आयोजन-**

समुदाय में आपसी सहयोग एवं संगठन के विकास के लिये सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता विभिन्न धार्मिक एवं सामजिक पर्वो एवं अवसरों पर सामूहिक भोज का आयोजन कराता है। इससे सामुदायिक भावना का और अधिक विकास होता है।

**(स) कवि सम्मेलन का आयोजन -**

समुदाय की सांस्कृतिक परम्पराओं की रक्षा एवं सामुदायिक संगठन को बढावा देने के लिये सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता समुदाय में कवि सम्मेलन का आयोजन एवं संचालन कराने में सहायक होता है।

**(द) सामूहिक विचार-विमर्श का आयोजन-**

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता समुदाय के विभिन्न भागों में निवास करने वाले विभिन्न सामाजिक -आर्थिक स्तर के लोगो को एक साथ एकत्र कर सामूहिक विचार-विमर्श का भी आयोजन करता है। इससे सदस्यों में नयी जागृति और उत्साह का संचार होता है।

**(य) राष्ट्रीय दिवस एवं त्यौहारों का आयोजन -**

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता सदस्यों को प्रमुख राष्ट्रीय दिवसों को मनाने के लिये भी प्रोत्साहित करता है। इससे राष्ट्रीय भावना के विकास में मदद मिलती है।

## 7 समाज सेवा का प्रारूप -

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता सामुदायिक सदस्यों में गरीब, असहाय एवं जरूरतमन्द सदस्यों से लगाव एवं दयाभाव रखने तथा उनकी सहायता करने की याग्यता का विकास करता है। सदस्यों में ऐसी भावनाओं का विकास के लिये कार्यकर्ता उन समाज सुधारकों एवं महापुरूषों का उदाहरण प्रस्तुत करता है जिन्होंने मानव सेवा में अपना जीवन लगा दिया। समाज सेवी संगठनों के माध्यम से समुदाय के आस-पास घटित सामाजिक घटनाओं जैसे किसी खास बीमारी का प्रकोप ,बाढ, सूखा ,गैस काण्ड एवं भूकम्प जैसी संकट की घडियों में वह लोगों में सेवा भाव को संचारित करता है ताकि लोग एकजुट होकर ऐसे किसी भी संकट का सामना कर सके।

## 8 सामुदायिक जीवन का प्रारूप -

उपर्युक्त कार्या के अतिरिक्त कार्यकर्ता सामुदायिक जीवन को विकसित करने के लिये सदस्यों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करने में उनकी सहायता करता है। विकास के क्षेत्र में भाग लेने,अपने विचार रखने तथा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सदस्यों की सहायता करता है। इस सब में वह विशेषकर निम्नलिखित ढंगों से सहायता करता है:-

**(अ) सामुदायिक केन्द्र आरम्भ करने में -**

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता समुदाय के विकास के लिये सामुदायिक केन्द्रों को समुदाय क्षेत्र मे ही स्थापित करने के लिये प्रयास करता है। विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों से ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिये सहायता प्राप्त करने का प्रयास करता है। सामुदायिक केन्द्र की स्थापना से

(1) सदस्यों को विकास के सम्पूर्ण क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त होता है ,

(2)विकास कार्य को संचालित करने वाली संस्थाओं के विषय में ज्ञान होता है,

(3) विकास एंव कल्याणकारी साधन एवं सुविधाओं का उपयोग करने में मार्गदर्शन मिलता है।

(ब) पंचायत एवं सहकारी समितियों के संगठन में

कार्यकर्ता सदस्यों से पंचायत की आवश्यकता एवं महत्ता पर चर्चा करता है। सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं एवं सरकारी ग्रामीण पंचायत नीति पर विचार -विमर्श कर प्रजातान्त्रिक आधार पर अनुभवशील पंचों का चुनाव करने में सहायता करता है। इससे

(1) विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं एवं साधनों का समुचित उपयोग होता है,

(2) सामुदायिक संगठन एवं सहयोग को बढावा मिलता है,

(3) समुदाय की सामाजिक परिस्थिति में वृद्वि होती है।

(स) सामूहिक सभा के आयोजन एवं संगठन में

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता समय-समय पर सामूहिक सभा के आयोजन की व्यवस्था करता है। इस प्रकार की सभा में समुदाय के सदस्यगण एवं सामुदायिक विकास सेवाओं के जिम्मेदार अधिकारी भाग लेते है जिससे सामुदायिक संगठन एवं विकास में आने वाली समस्याओं का निपटारा सम्भव होता है और सामुदायिक विकास कार्य को बढावा मिलता है।

अतः स्पष्ट है कि सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता का कार्यक्षेत्र सीमित न होकर व्यापक है। एक अर्थ में वह सामुदायिक विकास की धुरी है। उसकी भूमिका आज के परिवर्तनशील और विकासोन्मुख समय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

## 7.4 सारांश

प्रस्तुत इकाई के अन्तर्गत सामुदायिक संगठन के मूलभूत प्रकारों की व्याख्या की गई है। सामुदायिक संगठन के प्रारूप के प्रकारों द्वारा समुदाय के विभिन्न कार्यक्षेत्रों तथा समुदाय के विकास में आनी वाली सम्भावनाओं को व्यक्त किया गया है।

## 7.5 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. सामुदायिक संगठन के प्रारूप का अर्थ स्पष्ट कीजिए|

2. सामुदायिक संगठन के प्रारूपों के प्रकारों को बताइये।

## 7.6 सन्दर्भ-साहित्य


1. कूले, सी0 एच0 - सोशल आर्गेनाइजेशन, चाल्स स्क्रिनर्स सन्स, न्युयार्क, 1915.

2. कोरा, कारसियन - न्यू डाइरेक्शन्स इन सोशल वर्क, हारपर एण्ड ब्रदर्स, न्यूयार्क, 1915.

3. कौस, एस0 सी0 - द रूट्स आफ सोशल वर्क, न्यूयार्क एसोशियेशन प्रेस , 1966.

4. खिन्डुका, एस0 के0 - सोशल वर्क इन इण्डिया, किताब महल, इलाहाबाद, 1965.

5. गुप्त, रनजीत- कम्यूनिटी डवैलपमेंन्ट कोआपरेशन एण्ड पंचायती राज इन एलीपोर ए याइटल सर्वे,दिल्ली, इण्डियन कोआपरेटिव युनियन, 1964.

6. गैंगराडे, के0 डी0 - कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन इन इण्डिया, पापुलर प्रकाशन, बाम्बे, 1971.

7. गोरे, एम0 एस0 - सोशल वर्क एण्ड सोशल वर्क एजूकेशन, एशिया पब्लिशिंग हाउस, 1965.

8. गवर्नमेंट आफ इण्डिया - मिनिस्टरी आफ वेलफेयर इनसाइक्लोपीडिया आफ सोशल वर्क इन इण्डिया, वाल्यूम, प्र0 द्वि0 और तृ0 1957.

9. ग्रीन अरनोल्ड, डब्ल्यू0 - सोशियोलाजी , न्यूयार्क, मैक गा्र हिल बु0 क0 सन्स, 1956.

इकाई-8

# समुदायिक संगठन में निपुणताएं एवं कार्यकर्ता की भूमिका

**इकाई की रूपरेखा**

8.0 उद्देश्य

8.1 प्रस्तावना

8.2 सामुदायिक संगठन में निपुणताएं

8.3 सामुदायिक संगठन में कार्यकर्ता की भूमिका एवं उसके कार्य

8.4 सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता की भूमिका को प्रभावित करने वाले कारक

8.5 सामुदायिक संगठनकर्ता की भूमिका

8.6 सारांश

8.7 अभ्यासार्थ प्रश्न

8.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

## 8.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप:

-- सामुदायिक संगठन की निपुणताओं को जान सकेंगे।

-- सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता की भूमिका एवं उस को प्रभावित करने वाले कारकों से परिचित हो सकेंगे।

-- सामुदायिक संगठनकर्ता की भूमिका को जान सकेंगे।

## 8.1 प्रस्तावना

सामुदायिक संगठन एक प्राथमिक प्रणाली के रूप में समुदाय की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के निराकरण तथा सामुदायिक विकास की प्रक्रिया को सरल बनाने में सहायक है। इस पूरी प्रक्रिया में सामुदायिक कार्यकर्ता की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। समुदाय में कार्यकर्ता समुदाय तथा सदस्यों के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।

## 8.2 सामुदायिक संगठन में निपुणताएं

सामाजिक कार्यकर्ता की निपुणता का अपना अलग महत्व है। यहाँ कार्यकर्ता की निपुणता का सम्बन्ध उसकी कार्यकुशलता एवं सामुदायिक लक्ष्य की प्राप्ति से है। कार्यकर्ता की निपुणता उसकी सफलता का निर्णायक है। सामुदायिक कार्यकर्ता की निपुणता का संबंध न केवल सामुदायिक सदस्यों में अपनी समस्याओं एवं साधनों को

पहचानने की योग्यता के विकास से है बल्कि विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त निर्णय लेने की योग्यता के विकास से है।

## निपुणता एवं प्रविधि का अर्थ

सामान्यतः निपुणता एवं प्रविधि दोनों को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। इसलिए दोनो का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। वैसे दोनों के स्पष्ट अध्ययन से उनके मूलभूत अन्तरों का पता लगाया जा सकता है। सामान्यतः दोनों का अर्थ कार्यकर्ताओं के कार्य करने की योग्यता एवं दक्षता से लगाया जाता है। अपने जीवन की आवश्यकताओं को सम्पन्न करने के लिए सभी व्यक्तियों को कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। लेकिन एक ही कार्य को पूरा करने के लिए अलग-अलग व्यक्तियों के कार्य करने के तरीके अलग-अलग होते है। कुछ लोग उसी कार्य को अधिक समय लगाकर भी अच्छा नही कर पाते है, जबकि अन्य कम समय एवं कम साधनों के प्रयोग से उसी को अच्छा कर लेते है। यह व्यक्ति के व्यक्तिगत शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुभव, कार्य करने की तत्परता एवं ज्ञान पर निर्भर होता है। स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति को शिक्षण-प्रशिक्षण एवं कार्य करने का अनुभव प्राप्त है वह उसे अधिक अच्छी तरह कर सकेगा बजाय दूसरे के जिसे ये सब प्राप्त नही है।

निपुणता एवं प्रविधि दोनों को अलग-अलग रूपों में व्यक्त करने के लिये निपुणता को व्यक्ति या कार्यकर्ता की कार्य करने की कुशलता एवं उसके कार्य करने के वेग से जोड़ा जा सकता है जबकि प्रविधि से तात्पर्य उन सुनिश्चित विधियों और तरीकों से है जिनसे कार्य को दक्षतापूर्ण ढंग से किया जा सकता है।

1. वेब्स्टर शब्दकोष के अनुसार

वेब्स्टर शब्दकोष के अनुसार निपुणता का तात्पर्य 'कार्य के क्रियान्वन व उसे पूर्ण करने के ज्ञान एवं दक्षता से है। कार्यकर्ता में कार्यक्रम चलाने तथा उद्देश्य प्राप्त करने का ज्ञान एवं सामर्थ्य होनी चाहिये। यही कार्यकर्ता की निपुणता होती है।''

2. वी0 राबिन्सन के अनुसार

''निपुणता का अर्थ विशिष्ट वस्तु नियंत्रण तथा कार्य रूप में परिणत करने की क्षमता से है जिससे वस्तु में होने वाला परिवर्तन प्रभावित होता है।''

इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि निपुणता का विकास व्यक्ति के ज्ञान प्राप्त करने के अवसर एवं अनुभव से होता है। व्यक्तियों की सतत् कार्य करने की योग्यता निपुणता पैदा करती है। सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता में निपुणता का विकास आवश्यक है। निपुणता के अभाव के कारण व्यक्ति को सामुदायिक संगठन कार्य के लक्ष्य की प्राप्ति करना ही नही, समुदाय में स्वीकृति प्राप्त करना एवं अपने को समुदाय से स्वीकार कराना भी असम्भव है।

## सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता में निपुणता

एक कुशल सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता के लिए आवश्यक कुछ प्रमुख निपुणताएं निम्नलिखित हैः

### 1. स्वीकृति प्राप्त करने की निपुणता

सामुदायिक संगठन कार्य की सफलता सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता द्वारा प्राप्त स्वीकृति पर आधारित होती है। जब तक कार्यकर्ता समुदाय के विभिन्न भागों में निवास करने वाले विभिन्न जाति, धर्म, समूह, उप-समूह, संगठन एवं विभिन्न् सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं वाले सदस्यों की परम्पराओं, व्यवहारों, एवं कार्यकलापों को उसी रूप में नही स्वीकारता और अपने व्यवहार, कार्य एवं विचार को समुदाय के व्यवहार, कार्य एवं विचार के अनुरूप

नही साबित करता तब तक उसे समुदाय से स्वीकृति प्राप्त नहीं होती और स्वीकृति हासिल करने के लिए समुदाय के (निश्चित भू-भाग के कई भागों में निवास करने वाले) विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं वाले व्यक्तियों के कार्य-व्यवहार को उसी रूप में स्वीकार कर अपने कार्य-व्यवहार के अनुरूप बनानी चाहिए।

### 2. समुदाय को पहचानने की निपुणता

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता में समुदाय की स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन करने की योग्यता होना आवश्यक है। अर्थात् कार्यकर्ताओं में समुदाय की वर्तमान आवश्यकताओं एवं समस्याओं का अध्ययन करने की निपुणता होनी चाहिये। कार्यकर्ता की व्यक्तिगत निपुणता ही उसे समुदाय के सदस्यों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को विभिन्न अध्ययन विधियों के प्रयोग से पहचानने में सहायक होती है। इसके साथ-साथ कार्यकर्ता की निपुणता उसे समुदाय के अंदर उपलब्ध सरकारी, गैर-सरकारी साधनों तथा समुदाय के बाहर उपलब्ध साधनों को पहचानने में सहायक होती है।

### 3. एकतित्र सूचनाओं को प्रस्तुत करने की निपुणता

एक कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं वाले सदस्यों की समस्याओं, आवश्यकताओं एवं उपलब्ध विभिन्न् साधनों से सम्बन्धित सूचनाओं का श्रेणीकरण कर इस प्रकार प्रस्तुत करें जिससे समस्या एवं आवश्यकता विशेष से सम्बन्धित विभिन्न् जाति, धर्म, समूह, उप-समूह के सदस्यों की संख्या स्पष्ट हो सके। इसके साथ-साथ कार्यकर्ता में एकत्रित सूचनाओं के प्रमुख पक्षों का श्रेणीकरण कर उनको प्रस्तुत करने की निपुणता होनी चाहिए।

### 4. सामुदायिक शक्तियों को आंकने की निपुणता

किसी समुदाय का भावी स्वरूप उस समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विशेषताओं पर निर्भर होता है। इसलिए सामुदायिक कार्यकर्ता में समुदाय में उपलब्ध शक्तियों को आंकने की निपुणता होनी चाहिए। एक निपुण कार्यकर्ता सामुदायिक समस्याओं के निराकरण में सामुदायिक सदस्यों में विद्यमान कमियों का पता लगाता है। वह अपनी निपुणता से समस्या के लिए जिम्मेदार तत्वों का पता लगाता है। और सामुदायिक सदस्यों की कार्यक्षमताओं का मूल्यांकन करता है। निपुण कार्यकर्ता द्वारा समस्याओं के वर्तमान कारकों के आंकलन से समस्या निराकरण के लिये योजना तैयार करने एवं कार्यक्रम बनाने में सुविधा होती है।

### 5. संगठन कायम करने की निपुणता

एक निपुण कार्यकर्ता जानता है कि सामुदायिक संगठन कार्य की सफलता, संगठन की स्थापना के बिना सम्भव नही है। इसीलिए वह अपनी निपुणता से संगठन की आवश्यकता लोगों को महसूस कराता है। इसके साथ-साथ एक एपयुक्त संगठन की स्थापना प्रजातांत्रिक ढंग से कराने पर बल देता है। संगठन में समुदाय के विभिन्न जाति, धर्म, समूह एवं उप-समूह के सदस्यों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है।

### 6. सहभागी निर्णय को प्रोत्साहित करने की निपुणता

एक निपुण कार्यकर्ता को सामुदायिक संगठन कार्य की सफलता के लिए विभिन्न निर्णयों में सदस्यों की सहभागिता के महत्व का पूर्ण ज्ञान होता है। इसीलिए सामुदायिक संगठन कार्य के प्रत्येक निर्णय में वह अपनी निपुणता से समुदाय के उन सभी जाति, समूह, समुदाय के औपचारिक एवं अनौपचारिक सम्पूर्ण सदस्यों को सहभागी बनाता है जो किसी न किसी प्रकार से समुदाय कल्याण एवं विकास से सम्बन्धित है। निपुण कार्यकर्ता इस बात को समझता

है कि सामुदायिक संगठन कार्य का संचालन सामुदायिक सदस्यों द्वारा ही सम्भव है। इसलिए वह सभी सम्बन्धित सदस्यों को सहभागी बनाने का प्रयत्न करता है।

### 7. सदस्यों के सुझाव एकत्रित करने की निपुणता

एक निपुण कार्यकर्ता समय-समय पर कार्यक्रम में उत्पन्न होने वाली रूकावटों, कठिनाईयों एवं परिवर्तन की आवश्यकता के समय सदस्यों से उनके सुझाव एकत्रित कर कार्यक्रम में ऐच्छिक मोड़ लाने का प्रयास करता है। सुझाव एकत्रीकरण के साथ-साथ वह सुझावों की व्यावहारिकता पर भी विचार करता है।

### 8. आवश्यक योजना एवं कार्यक्रम तैयार करने की निपुणता

एक निपुण कार्यकर्ता के लिये आवश्यक है कि वह समुदाय के विभिन्न कार्यक्रमों में से उन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दे जो समुदाय के अधिकाधिक लोगों के लिए कल्याणकारी एवं श्रेयकर हों। ऐसे निर्णयों के लिए कार्यकर्ता को अपनी निपुणता से सदस्यों के समक्ष विभिन्न सामुदायिक आवश्यकताओं की विवेच ना करते हुऐ सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता पर सामुदायिक सदस्यों का ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। साथ-साथ कल्याणकारी योजना बनाने एवं कार्यक्रम तैयार करने में अधिकाधिक सदस्यों को सम्मिलित करना चाहिए।

### 9. कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निपुणता

सक्षम कार्यकर्ता आवश्यक कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उन सभी औपचारिक एवं अनौपचारिक सदस्यों, संगठनों, समूहों, उपसमूहों के सदस्यों को प्रोत्साहित करता है जो किसी न किसी प्रकार से सम्बन्धित है। अधिक सहयोग देने वाले एवं जिम्मेदारी महसूस करने वाले सदस्यों को सम्मानित करवाता है और उनका उदाहरण प्रस्तुत कर अन्य सदस्यों को अधिकाधिक सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करता है।

### 10. समुदाय के अनुरूप कानून एवं नीतियों में परिवर्तन लाने की निपुणता

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता समुदाय के कल्याण की दिशा में कानूनों में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए समुदाय के सदस्यों को संगठित करता है। इसी प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण एवं आर्थिक नीतियों में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए सदस्यों को सम्बन्धित विभाग एवं संगठन तक पहुँचाने में मदद करता है।

### 11. उपलब्ध साधनों के संचालन की निपुणता

एक सफल सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह समुदाय के लिए उपलब्ध विभिन्न शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, रोजगार एवं आर्थिक विकास सम्बन्धी आन्तरिक एवं वाह्य साधनों को संचालित कराये। इस कार्य की सफलता के लिए कार्यकर्ता समुदाय में स्थापित संगठन की शक्तियों का प्रयोग विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी साधनों को सक्रिय बनाने में करता है। निपुण कार्यकर्ता प्रयास करता है कि सामुदायिक कल्याण एवं विकास कार्य के लिए जिम्मेदार संस्थाएं अपनी सेवाओं को समुदाय की आवश्यकतानुसार बनायें और सदस्यों की सुविधानुसार अपनी सेवाओं में ऐच्छिक परिवर्तन लायें जिससे सामुदायिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में मदद मिल सके।

### 12. मूल्यांकन एवं ऐच्छिक परिवर्तन की निपुणता

एक निश्चित समय के पश्चात् निपुण कार्यकर्ता निर्धारित उद्देश्य और उपलब्धियों की तुलना करता है और समुदाय के अधिकाधिक सदस्यों से इस बारें में विचार-विमर्श करता है। कार्यक्रम में आयी हुई रूकावटों को नोट कर उसे

सामूहिक चर्चा के लिए रखता है। तथा परिवर्तन के लिए लोगों के सुझाव आमंत्रित कर परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। आवश्यकतानुसार कार्यक्रम की विधियों, सदस्यों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों में आवश्यक परिवर्तन लाकर कार्यक्रम को पुनर्संगठित करता है और लक्ष्य की दिशा में इसे पुनः कार्यान्वित करता है।

जॉन्सन के अनुसार

उपर्युक्त निपुणताओं के अतिरिक्त जॉन्सन के शब्दों में प्रत्येक व्यवसाय की अपनी कुछ विशेष निपुणताएं होती है। इनमें उस व्यवसाय की क्षमता सम्मिलित होती है। इस क्षमता का विकास निम्नलिखित रूप में होता हैः

1. सौहार्द या घनिष्टता का विकास।

2. प्रतिरोध पर काबू पाने की क्षमता का विकास।

3. व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रबोध का विकास।

4. विचार स्पष्ट करने एवं उद्देश्यों की व्याख्या करने की क्षमता का विकास।

5. आवश्यक माध्यमों का विकास।

6. विचारों की एकता और एकीकरण की विधियों का विकास।

7. उद्देश्य के अनुरूप गति का विकास।

राव के अनुसार

आपके अनुसार ‘‘ विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता से कार्य करने के लिए सामुदायिक कार्यकर्ता को समाज कार्य की मौलिक प्रणालियों में अपने प्रशिक्षण पर अधिक निर्भर रहना पडता है जिसमें उसकी मनोवृतियां ज्ञान, प्रबोध और अभ्यास सम्मिलित होते है। सामुदायिक संगठन में कार्यकर्ता के ज्ञान का आधार सामुदायिक प्रक्रियायें जैसे सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक स्तरीकरण, नेतृत्व, सामूहिक गतिकीय आदि होती है। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक अन्तः क्रियाओं (सकारात्मक एवं नकारात्मक) और सामाजिक नियंत्रण के साधनों का ज्ञान होता है।

राव ने विशेष रूप से निम्नलिखित निपुणताओं पर बल दिया है।

1. व्यक्तियों, समूहों और समूह के आन्तरिक सम्बन्धों को समझने की क्षमता।

2. समयानुसार उपयुक्त व्यावसायिक निर्णय लेने की निपुणता।

3. समुदाय मे रूचि के कम होने या समाप्त होने के प्रति संवेदनशीलता।

4. सामुदायिक कल्याण एवं समस्या समाधान सम्बन्धी योजनाओं के संचालन एवं समापन सम्बन्धी सूझ-बूझ की निपुणता।

5. समुदाय के सामान्य उद्देश्यों के निर्धारण में सामूहिक चिंतन को बढावा देने की निपुणता।

उपर्युक्त के अतिरिक्त राव ने कुछ और निपुणताओं की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है जो ये हैः

साक्षात्कार एवं परामर्श सम्बन्धी निपुणता।

अभिलेखन एवं प्रतिवेदन तैयार करने की निपुणता।

अन्वेषण कार्य की निपुणता।

नीति निर्धारण की निपुणता।

नियोजन एवं कल्याण साधनों के न्यायोचित आवंटन की निपुणता।

संगठन एवं प्रशासकीय कार्यों की निपुणता।

सामाजिक नीति निर्धारण में वैधानिक स्तरों के ज्ञान की निपुणता।

इन उपर्युक्त निपुणताओं एवं प्रविधियों से सम्पन्न सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता, सामुदायिक संगठन के प्रत्येक चरण में निर्धारित भूमिकाओं को निभाते हुए सामुदायिक संगठन के लक्ष्य प्राप्ति में सामुदायिक सदस्यों के लिए एक योग्य एवं अनुभवशील मार्गदर्शक सिद्ध होता है।

### 8.3 सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता की भूमिका एवं उसके कार्य

व्यक्ति एक ऐसा प्राणी है जो समाज से कभी भी पृथक नही रह सकता , जीवन पर्यन्त वह किसी न किसी समूह का सदस्य बनकर अपनी भूमिका निभाता एवं कुछ सीखता रहता है। सर्वप्रथम बच्चा परिवार में जन्म लेता है जहां उसका समाजीकरण होता है। इसके पश्चात् वह समुदाय जिसका परिवार एक छोटी इकाई है के लोगों के साथ रहकर उनसे क्रिया-प्रतिक्रिया कर अनुभव प्राप्त करता है। समुदाय में रहकर व्यक्ति दोहरी भूमिका निभाता है। एक तरफ वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और दूसरी तरफ समुदाय के हित में अपनी इच्छाओं एवं क्रियाओं पर नियंत्रण रखना सीखता है।

व्यक्ति समुदाय का निर्माण कुछ निम्नलिखित प्रमुख कारणों से करता हैः

1. सुरक्षा

2.शिक्षा

3.उन्नति

4.सलाह

5.प्रशासन

6.सहयोग

7. एकीकरण

8. सामुदायिक जिम्मेदारी

9 नियोजन

10.कल्याण

11.नियंत्रण

12.विकास

बहुधा देखा जाता है कि बढती हुई सामाजिक-आर्थिक भिन्नताओं के कारण उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति नही हो पाती है। सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता सदस्यों की वर्तमान स्थितियों का अध्ययन कर उनमें व्याप्त अव्यक्त योग्यताओं को विकसित करने का प्रयास करता है ताकि सामुदायिक जीवन को सुखी बनाया जा सके।

## 8.4 सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता की भूमिका को प्रभावित करने वाले कारक

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता के कार्यक्षेत्र को लिपिबद्ध करना अत्यन्त कठिन है क्योंकि वह एक निश्चित भू-भाग के विभिन्न विचारों वाले व्यक्तियों के साथ अलग-अलग समयों में भिन्न-भिन्न रूप में अपनी भूमिका निभाता रहता है। सर्वप्रथम एक कुशल कार्यकर्ता होन के कारण सदस्यों की समस्याओं, आवश्यकताओं के साथ-साथ उपलब्ध साधनों का अध्ययन करता है। इसके पश्चात निम्नलिखित प्रमुख बातों को ध्यान में रखते हुए सदस्यों में आपसी सहयोग एवं संगठन के साथ आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधनों के बीच समता स्थापित करने की योग्यता का विकास करता है। उसकी भूमिका को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित है।

1. सदस्यों का समाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर
2. सदस्यों की रूचि, आवश्यकता, योग्यता एवं सीमा
3. कार्यकर्ता की अपनी निपुणता एवं क्षमता
4. कार्यकर्ता से सदस्यों की सहायता प्रदान करने की ईच्छा
5. समुदाय का उद्देश्य
6. समुदाय की विशेषताएँ
7. सामुदायिक कल्याण कार्य के जिम्मेदार विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं का ज्ञान।
8. व्यक्तियों को समस्या से निपटने का अनुभव।

## 8.5 सामुदायिक संगठनकर्ता की भूमिका

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता की भूमिकाओं को निम्नलिखित रूपों में बाँट कर अध्ययन किया जा सकता है।

### (क) एक मार्गदर्शक के रूप में

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता सामाजिक परिवर्तन का दिशा निर्देशक होता है। इस प्रकार एक मार्गदर्शक के रूप में वह निम्नलिखित कार्य करता हैः

#### 1. सामुदायिक लक्ष्य निर्धारण एवं लक्ष्य प्राप्ति के साधनों को खोजने में सहायता करना

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को एक योग्य मार्गदर्शक के रूप में आवश्यक है कि वह सदस्यों के जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पहचानने, उनकी पूर्ति के लिए उपयोगी आवश्यक साधनों को ढूंढ निकालने में सदस्यों की इस प्रकार सहायता करे जिससे भविष्य की आवश्यकताओं को वे स्वयं पहचानते हुए आवश्यक कदम उठा सकें। इसकी सफलता के लिए आवश्यक है कि कार्यकर्ता में लोगों की आवश्यकता पहचानने, कार्यक्रम योजना बनाने तथा सदस्यों के साथ मिलजुलकर सामूहिक निर्णय लेने का अनुभव हो।

#### 2. लोगों में साथ कार्य करने के लिए कदम उठाना

सामान्यतः विकासशील देशों में सामुदायिक सदस्य अपने परम्परागत रीति-रिवाजों में अटल विश्वास रखने के कारण परिवर्तन को आसानी से स्वीकार नही करते है। परिणामस्वरूप उनका सामाजिक जीवन पिछडा का पिछड़ा ही बना रहता है। उनमें परिवर्तन कायम किया जा सकता है लेकिन उसके लिये कठिन परिश्रम की आवश्यकता

होती है। कार्यकर्ता को एक मार्गदर्शक के रूप में सामुदायिक सदस्यों द्वारा अपनाये गये परम्परागत पिछडें रास्तों की कमियों को उन्हें महसूस कराते हुए उनके स्थान पर नये उपयोगी रास्तों को पहचानने तथा उनकी पूर्ति के लिए सहायता करनी चाहिए जिससे इन लाभकारी रास्तों को अपनाकर सदस्यगण अपना जीवन-स्तर ऊपर उठा सकें।

इस प्रकार के उपयोगी कदम उठाने के लिए है कि कार्यकर्ता को सामुदायिक सदस्यों के विचारों और भावनाओं का ज्ञान हो और साथ ही नये लाभकारी साधन एवं सुविधाओं का भी ज्ञान हो। साथ ही उसमें ऐसी निपुणता भी होनी चाहिए ताकि वह समुदाय के सदस्यों का विश्वास प्राप्त कर उन्हें यकीन दिला सकें कि ऐसा करना उनके हित में है।

### 3. समुदाय की वर्तमान स्थितियों में वस्तुनिष्ठतापूर्ण व्यवहार करना-

कार्य के प्रारम्भिक काल में कार्यकर्ता अपने उद्देश्य को ही ध्यान में रखकर कार्य नही करता बल्कि सदस्यों की वर्तमान स्थिति को भी बिना किसी शिकायत एवं प्रशंसा के स्वीकार करता है। सदस्यों के विचारों और भावनाओं का अध्ययन करने के पश्चात आवश्यकतानुसार अच्छी बातों की प्रशंसा एवं बुरी व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन की आवश्यकता पर बल देते हुए वह सदस्यों केा लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करता है।

### 4. सम्पूर्ण समुदाय के साथ सहायक होकर

कार्यकर्ता एक कुशल सलाहकार के रूप में न केवल किसी जाति एवं वर्ग विशेष के सदस्यों के साथ कार्य करता है बल्कि वह समुदाय के प्रत्येक वर्ग, जाति एवं धर्म के सदस्यों की भावनाओं को जानने तथा सामुदायिक कल्याण के लिये उन्हें संगठित करने में सहायक होता है। वह समुदाय के सभी सदस्यों के साथ कार्य कर उनमें सामूहिक कार्य करने, निर्णय लेने, योजना बनाने तथा योजना को कार्यान्वित करने की भावना का विकास करता है।

### 5. भूमिका की स्वीकृति एवं इसे सुविधाजनक बनाकर

व्यावहारिक ज्ञान एवं अनुभव से कार्यकर्ता सदस्यों से स्वीकृति प्राप्त कर उनसे व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित करता है। इसलिए विभिन्न परिस्थितियों में सदस्यगण स्वयं सामुदायिक संगठनकर्ता से उसके विचार जानना चाहते है। इसमें कार्यकर्ता अपने विचार एवं ज्ञान से सदस्यों को न केवल निर्देशित करता है बल्कि उनमें निर्णय लेने की योग्यता का विकास भी करता है। सदस्यों के लाभकारी सुझावों की प्रशंसा करता है तथा हानिकारक सुझावों के गुणों-अवगणों को सदस्यों के समक्ष रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उनकी सहायता करता है। इस प्रकार एक कुशल सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता के नाते वह सदस्यों को आवश्यक सलाह देता है।

### 6. भूमिका को सार्थक एवं समझने योग्य बनाना

सामुदायिक संगठनकर्ता सदस्यों को अपने ज्ञान एवं अनुभव की जानकारी देने के साथ कर्तव्यों को भी स्पष्ट करता है। इस प्रकार सदस्य, समुदाय के अन्दर एवं बाहर उपलब्ध सामुदायिक शक्तियों एवं साधनों को पहचानते हुए एक सामुदायिक कल्याण तथा जन कल्याण को बढावा दे पाते है।

## (ख.) एक सामर्थ्य दाता के रूप में

सामुदायिक संगठनकर्ता का कार्य न केवल एक मार्गदर्शक के रूप में सदस्यों के रास्तों को बाधा मुक्त बनाना है, बल्कि एक व्यावसायिक कार्यकर्ता होने के कारण उसे सदस्यों में अपनी समस्याओं, आवश्यकताओं को जानने तथा उनसे मुकाबला करने की योग्यता का निर्माण करना भी है। इस प्रकार एक कुशल सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता का पूर्ण सहयोग लेकर सार्मथ्यदाता के रूप में वह निम्नलिखित कार्य करता हैः-

### 1. सामुदायिक असन्तोषों को केन्द्रित करना

एक सामर्थ्य दाता के रूप में सामुदायिक संगठनकर्ता का प्रथम कार्य सदस्यों में व्याप्त उनकी समस्याओं, असन्तोषों को जानना है। कभी-कभी सदस्यगण अपने असन्तोष को महसूस करते-करते उसे अपने जीवन का एक अंग मान लेते है। कुछ सदस्य अन्य लोगों के समक्ष अपने असन्तोषों को व्यक्त करने में अपना अपमान समझते है। इन सब बातों को घ्यान में रखते हुए कार्यकर्ता को लोगों को सामुदायिक असन्तोष को व्यक्त करने का पूरा अवसर देना चाहिए तथा व्यक्त न करने वाले सदस्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे समूह में अपने विचारों को रख सकें। व्याप्त असंतोषों एवं सदस्यों की अपनी कार्य क्षमताओं के बीच सन्तुलन स्थापित करने के लिए कार्यकर्ता को चाहिए कि वह सदस्यों को उनकी योग्यता एवं शक्ति का अनुभव कराये और कार्यक्रमों में उनकी भूमिका निभाने पर बल दें। उसे सदस्यों के प्रत्येक पक्ष को समझते हुए, उन्हें समूह के समक्ष व्यक्त करते हुए, उनमें आपसी सहयोग एवं सहायता से सामूहिक कल्याणकारी निर्णय लेने की योग्यता का विकास करना चाहिए।

### 2. संगठन का प्रोत्साहित करना

एक समुदाय में सदस्यों की अपनी जातिगत, धार्मिक, सामूहिक एवं वैचारिक भिन्नताओं के कारण वे न तो एक साथ एकत्रित होना चाहते है और न ही अपने-अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते है। कार्यकर्ता को इन बातों का ध्यान रखते हुए सदस्यों को संगठित होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सदस्यों में इस बारें में जो मतभेद हों उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

### 3. अन्तः वैयक्तिक सम्बन्धों को बढावा देना

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर सामुदायिक सदस्यों के विचारों एवं व्यवहारों से पूर्ण परिचित होता है। इसलिए आवश्यकतानुसार सदस्यों में एक साथ कार्य करने तथा अन्य सामूहिक बातों पर बल देने के साथ सदस्यों में अन्तः वैयक्तिक सम्बन्धों को बढाने का प्रयास करता है। इसके लिए वह सर्वप्रथम सदस्यों में अपनी स्वीकृति/विश्वास प्राप्त करता है। धीरे-धीरे अपने विश्वास एवं स्वीकृति से सदस्यों में आपसी सम्बन्धों को विकसित करने तथा सहकारिता स्थापित करने का प्रयास करता है। लोगों में सामूहिक भावना विकसित करने तथा सहकारिता स्थापित करने के लिये कार्यकर्ता सदस्यों में व्याप्त आन्तरिक कुंठाओं एवं तनावों को जानना चाहता है तथा उन्हें दूर करने के लिए सदस्यों को प्रोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त वह समुदाय की वैमनस्यता, अन्तः समूह तनाव एवं वर्ग विभेद को पहचानने का प्रयास कता है। समयानुसार वह इनमें आवश्यक परिवर्तन स्थापित कर सदस्यों के अन्तः वैयक्तिक सम्बन्धों को मधुर बनाने का प्रयत्न करता है।

### 4. सार्वजानिक उद्देश्यों पर बल देना

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता का दायित्व है कि वह सार्वजनिक उद्देश्यों पर बल दे। इसके लिए वह विभिन्न समूहों, जातियों एवं सामाजिक-आर्थिक स्तर के सदस्यों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को सामने रखकर सार्वजनिक समस्याओं एवं आवश्यकताओं का चुनाव करने में सदस्यों की मदद करता है। सदस्यों में समुदाय की सार्वजनिक आवश्यकताओं का चुनाव करने के पश्चात् कार्यकर्ता प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न समस्याओं एवं आवश्यकताओं का श्रेणीकरण करने में उनकी सहसयता करता है। इससे सदस्यों में सार्वजनिक आवश्यकताओं का चुनाव करने, उन पर सामूहिक विचार करने तथा उनकी पूर्ति के लिये योजना बनाने की योग्यता का विकास होता है।

## (ग.) एक विशेषज्ञ के रूप में

व्यावसायिक कार्यकर्ता अपने शिक्षण-प्रशिक्षण एवं व्यावहारिक अनुभव के कारण सामुदायिक संगठन कार्य का एक विशेषज्ञ होता है। उसका सारा सैद्धान्तिक ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित होता है। एक विशेषज्ञ के रूप में सामुदायिक कार्यकर्ता  के कार्यों को निम्नलिखित भागों में बाटंकर व्यक्त किया जा सकता हैः-

### 1. सामुदायिक कठिनाईयों के निदान में सहायता करना

सामुदायिक संगठनकर्ता एक विशेषज्ञ के रूप में समुदाय में उत्पन्न समस्याओं एवं बुराइयों की जानकारी के साथ-साथ अपने विशेष अध्ययन द्वारा समस्याओं को उत्पन्न एवं विकसित करने वाले कारकों का पता लगाता है। उनमें सदस्यों को अवगत कराता है और सामूहिक रूप से उन पर विचार-विमर्श करता है। इसे ध्यान में रखकर सदस्यगण समस्या निवारण के लिये योजन बनाने एवं कार्यक्रम तैयार करने में सहायक होते है। धीरे-धीरे कार्यकर्ता सदस्यों में समस्याओं का निदान करने की योग्यता का विकास करता है जिससे भविष्य में उत्पन्न समस्यओं का वे स्वयं निदान कर सकें।

### 2. अनुसंधान की निपुणता प्रदान करना

कार्यकर्ता, एक विशेषज्ञ के रूप में, सदस्यों में स्वयं अध्ययन कार्य करने तथा अश्ययन नीति तैयार करने की योग्यता का विकास करता है। इसके लिए सर्वप्रथम कार्यकर्ता उन्हें अध्ययन की आवश्यकता महसूस कराता है। सामुदायिक स्थिति को जानने के लिए उन्हें सूचाना एकत्रीकरण की विभिन्न विधियों जैसे, अवलोकन व साक्षात्कार आदि से अवगत कराकर उनमें अध्ययन करने की योग्यता का विकास करता है।

### 3. दूसरे समुदाय की सूचनाओं को उपलब्ध कराना

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता सामुदायिक सदस्यों में दक्षता एवं कर्मठता का विकास करने के लिये अपने व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक ज्ञान के आधार पर अन्य समुदाय के सदस्यों में व्याप्त सामुदायिक जागरूकता, कार्यकुशलता एवं उपकी उपलब्धियों का उदाहारण प्रस्तुत कर, उनके द्वारा अपनायी गयी  प्राविधियों को अपनाने के लिए सदस्यों को प्रोत्साहित करता है जिससे उनमें व्याप्त क्षमताओं एवं ज्ञान का प्रयोग वे सामुदायिक कल्याण एवं विकास कार्य में कर सकें।

### 4. कला विधि एवं उपयोगिता सम्बन्धी परामर्श

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता सामुदायिक संगठन कार्य के एक विशेषज्ञ के रूप में सदस्यों में संगठित होकर सामुदायिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने, समस्या  समाधान के लिये कार्यक्रम का चयन करने तथा कार्यक्रम के कार्यान्वन जैसी विभिन्न उपयोगी विधियों एवं कला के ज्ञान से सदस्यों को अवगत कराता है। इसके लिए कार्यकर्ता समुदाय के विभिन्न भागों में निवास करने वाले योग्य सदस्यों को संगठन को आचार-संहिता के अनुसार व्यवहार करने, कल्याणकारी योजना बनाने, प्रजातंत्रिक निर्णय लेने तथा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सदस्यों का ज्ञानवर्धन करता है। इससे सदस्यगणों में स्वयं सामुदायिक कल्याण कार्य करने की योग्यता का विकास होता है।

### 5. मूल्यांकन करना

कार्यकर्ता अपने ज्ञान एवं कौशल के आधार पर सदस्यों द्वारा किये गये सामूहिक निर्णयों एवं संचालित कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन से प्राप्त निष्कर्षों से सदस्यों को अवगत कराता है। कार्यक्रम पर पुनर्विचार एवं

परिवर्तन की आवश्यकता पर बल देता है। इसके फलस्वरूप सदस्यों में कार्यक्रमों एवं निर्धारित लक्ष्यों के बीच तुलना करने तथा आवश्यक परिवर्तन लाने की योग्यता का विकास होता है।

### (घ) एवं चिकित्सक के रूप में

सामुदायिक कार्यकर्ता संगठन कार्यकर्ता एक समाज चिकित्सक के रूप में समुदाय में समस्याओं के उन महत्वपूर्ण कारकों एवं तत्वों का पता लगाता है जो विकास के बाधक है। रौस के अनुसार समाज चिकित्सक के रूप में कार्यकर्ता उन छिपी उपलब्ध एवं अचेतन शक्तियों से मुकाबला करता है जो सामुदायिक संगठन प्रक्रिया के लिए बाधक एवं भ्रामक सिद्ध होती है।

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता एक समाज चिकित्सक के रूप में सामुदायिक संगठन कार्य में बाधक कारकों का न केवल पता लगाता है बल्कि सदस्यों के साथ उनके निराकरण के उपाय के विषय में विचार-विमर्श करता है। इससे सदस्यों में सामुदायिक संगठन कार्य में आने वाली बाधाओं का मुकाबला करने की योग्यता का विकास होता है।

## (ड.) एक प्रक्रिया कार्यकर्ता के रूप में

एक प्रक्रिया कार्यकर्ता के रूप में सामुदायिक संगठनकर्ता उन क्षेत्रों में सफल सिद्ध हो सकता है जहां अधिकाधिक जनसंख्या अन्याय एवं पक्षपात का शिकार हो रही हो। वैसे सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता की भूमिका विवादास्पद है लेकिन ऐसे क्षेत्र में कार्यकर्ता सदस्यों की सहायता करता है जिससे वे समुदाय की पुरानी जर्जन व्यवस्था में परिवर्तन कर एक कल्याणकारी एवं न्यायिक सामाजिक ढांचे का निर्माण कर सकें। सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता के इस प्रकार के कार्य की आवश्यकता पर बल देते हुए मोरिस और रेइन ने कहा है कि यदि सामुदायिक संगठन को सामुदायिक विकास की प्रक्रिया में कोई भूमिका निभानी है तो पूर्णरूपेण उदासीन नहीं रहा जा सकता और सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका आवश्यक है। इसी प्रकार पानिक ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया है कि सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में समाज कार्यकर्ता विशेषकर सामुदायिक दायिक संगठन कार्यकर्ता की भूमिका एक न्यायिक घटना के समान है।

## (च) एक अधिवक्ता के रूप में

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता एक वकील या अधिवक्ता के रूप में समुदाय के सदस्यों की सहायता के लिए उनकी आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधनों का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् उनका पक्ष लेता है। विभिन्न जिम्मेदार संस्थाओं एवं सगठनों के समक्ष सेवार्थियों के पक्ष को उजागर करता है और उन पर किये गये अन्याय की आलोचना करता है। सामुदायिक संगठनकर्ता उन संस्थाओं, संगठनों, एवं व्यक्तियों के दुराग्रहों एवं एकतरफा बातों को चुनौती देता है जिनके कारण सेवार्थी अन्याय के शिकार बने होते हैं। वह अपने ज्ञान एवं सामुदायिक शक्तियों से संस्थाओं एवं संगठनों एवं संगठनों की उन नीतियों, योजनाओ, कार्यक्रमों और तौर-तरीकों में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है जो सामाजिक न्याय एवं विकास में लिए बाधक है। पानिक के अनुसार सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता का उद्देश्यों एक अधिवक्ता के रूप में किसी संस्था की पद्धति की बुराई करना नहीं है बल्कि आवश्यक परिवर्तन एवं सुधार लाना है।

बहुधा देखा जाता है कि ग्रामीण एवं पिछड़े समुदायों की समाज सेवी संस्थायें अपनी सेवाओं को लाभार्थियों तक नहीं पहुंचाती है। कभी-कभी वे अपनी सेवाएं आवश्यकता समाप्त होने पर पहुंचती हैं। बहुधा उपयोगी सुविधाओं को वे समुदाय के सम्पन्न एवं समृद्ध शक्तिशाली व्यक्तियों में ही बांट देती है, जरूरतमन्द व्यक्तियों में नहीं।

कार्यकर्ता इन सभी बातों का ज्ञान संस्थाओं को देता है तथा जिम्मेदार संस्थाओं एवं संगठनों से सेवाएं नियमित एवं आवश्यकतानुसार प्रदान करने पर बल देता है। साथ-साथ सदस्यों से भी इस ज्ञान को विकसित करने का प्रयास करता है जिससे सदस्यगण जिम्मेदार संस्थाओं एवं संगठनों के विषय में जानकारी रखते हुए आवश्यकतानुसार यथासम्भव लाभान्वित हो सकें।

उपर्युक्त भिन्न रूपों में सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता समस्याओं के अध्ययन से लेकन कार्यक्रम के मूल्यांकन तक एक जिस प्रकार की भूमिका की आवश्यकता सदस्यों के लिए महसूस करता है वह उसे पूरा करता है। कार्यकर्ता यदि अपनी इन भूमिकाओं को सही रूप से निभाता है तो सामुदायिक संगठन और कल्याण का काम आसान हो जाता है।

## 8.6 सारांश

प्रस्तुत इकाई के अन्तर्गत सामुदायिक कार्यकर्ता की भूमिका एवं कर्तव्यों को समझाया गया है। कार्यकर्ता समुदाय में एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो समुदाय तथा समुदाय के सदस्यों की आवश्यकताओं, समस्याओं तथा विचारधारा का भलीभाँति आकलन कर समुदाय को कठिन परिस्थितियों से निकाल कर प्रजातांत्रिक संरचना में फलीभूत करने का प्रयास करता है।

## 8.7 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. सामुदायिक संगठन की निपुणताओं एवं प्रविधि को स्पष्ट कीजिए

2. सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता की भूमिका को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए।

3. सामुदायिक संगठनकर्ता की भूमिका का विवेचन कीजिये।

## 8.8 सन्दर्भ-साहित्य


1. आप्टेकर हरवर्ट - बेसिक कान्सेप्ट्स इन सोशल वर्क, यूनिवर्सिटी आवनार्थ कैरोलिना प्रेस, चैपेल हिल, 1941.

2. सिंह, ए.एन. - सामुदायिक संगठन, हरियाणा ग्रन्थ अकादमी, पंचकूला, 2012

3. इण्डिया - कम्यूनिटी डवैलपमेन्ट ऐट ऐ ग्लान्स, दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1962.

4. गैंगराडे, के.डी.- कम्यूनिटी आर्गेनाइजेषन इन इण्डिया, पापुलर प्रकाशन, बाम्बे, 1971.

5. आगवर्न एण्ड निमकाफ- ए हैण्डबुक आफ सोसियोलाजी, राउटलेज एण्ड केगनपाल लि0, लंदन 1957.

6. आरथर हिलमैन - कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन एण्ड प्लानिंग, द मैकमिलन कम्पनी, न्यूयार्क, 1957.

7. आसबर्न, एल0 उी0 न्यूमेयर, एम0 एच0 - द कम्यूनिटी एण्ड सोसाइटी

8. इण्डियन कान्फ्रेन्स आफ सोशल वर्क, स्पेशल ऐन्निवर्सरी, नवम्बर-दिसम्बर, 1957.

9. दयाल, राजेष्वर- कम्युनिटी डेवैलपमेन्ट प्रोग्राम इन इण्डिया, किताब महल, इलाहाबाद, 1960.

# समुदायिक संगठन तथा पंचवर्षीय योजना

**इकाई की रूपरेखा**

9.0 उद्देश्य

9.1 प्रस्तावना

9.2 पंचवर्षीय योजनाओं के ध्येय

9.3 सामुदायिक संगठन तथा पंचवर्षीय योजनाएं

9.4 सारांश

9.5 अभ्यासार्थ प्रश्न

9.6 सन्दर्भ ग्रन्थ

## 9.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप:

-- पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों को जान सकेंगे।

-- सामुदायिक संगठन में पंचवर्षीय योजनाओं के महत्व को समझ सकेंगे।

## 9.1 प्रस्तावना

सामुदायिक संगठन तथा पंचवर्षीय योजनाओं को प्रजातांत्रिक प्रारूप के द्वारा समाज की संरचना में एक सहायक प्रविधि के रूप में सहसम्बन्धित किया गया है। जहाँ सामुदायिक संगठन एक ओर समाज में सहभागिता तथा एकरूपता लाने का प्रयास किया जाता है वहीं दूसरी ओर पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाती है। जिससे समाज को एक नयी दिशा एवं दशा के निर्माण में सहायता प्राप्त होती है।

## 9.2 पंचवर्षीय योजना के ध्येय

पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हम भारतीय लोक जीवन को एक नवीन रूप प्रदान करना चाहते हैं। हम जिस समाज व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, उसके सामान्य रूप का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान में यह उल्लेख किया गया है कि -

‘‘हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को -

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता -

प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित कराने वाली बन्धुता के लिये दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में एतद् द्वारा हम संविधान को अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।''

संविधान के इन आदर्शों के अनुसार मार्च 1950 में योजना आयोग को संगठित किया गया ताकि वह देश के साधनों को दृष्टि में रखते हुए योजना बनाये। इन योजनाओं को हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। इसी प्रकार गांव का स्थानीय कार्यक्रम पश्चात द्वारा तैयार होता है तथा गांव के लोग इसका संचालन करते है। राष्ट्रीय प्रसार सेवा के अन्तर्गत ग्राम्य विकास का कार्य जनता के परिश्रम व स्थानीय कर्मचारियों के सहयोग द्वारा पूरा किया जाता है। गांव पंचायत, क्षेत्र समिति व जिला परिषद् सामूहिक प्रयत्न को संगठित करने के लिए परम आवश्यक हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। इस देश में लगभग 70 प्रतिशत लोग कृषि कृषि में लगे हुए हैं फिर भी प्रति एकड़ उत्पादन बहुत कम है। स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक सेवाएं तथा सुविधाएं नहीं मिलती हैं। देश का अधिक भाग अविकसित है तथा ऐसे भाग भी है जहाँ प्रगतिशील विचार या वृद्धि स्थिति को और पेचीदा बना देती है तथा वर्तमान जीवन स्तर को कायम रखना कठिन हो जाता है।

देश में उत्पादन के साधन, कुशल व प्रशिक्षित व्यक्ति इत्यादि कम हैं। अतएव उनका प्रयोग इस प्रकार करना है कि कम से कम समय में अधिकतम लाभ हो सके।

## 9.3 सामुदायिक संगठन तथा पंचवर्षीय योजनायें

भारत में राजनैतिक स्वतन्त्रता के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए तीव्र गति से विकास करना, स्वाधीनता और प्रजातन्त्र के मूल्यों के आधार पर सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था की रचना करना जिसमें रोजगार तथा उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो तथा सामाजिक न्याय प्राप्त हो, कठिन कार्य हैं। फिर भी इस सम्बन्ध में भारत सरकार का प्रयास अनूठा है। व्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा संविधान के आदेशों को ध्यान में रखते हुए पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना ने देश में समाजवादी समाज की स्थापना की नींव डालने में भरसक सहायता दी हैं।

पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यः

1. जीवन स्तर ऊँचा करने के लिए राष्ट्रीय आय में 25 प्रतिशत की वृद्धि करना।

2. मूल और भारी उद्योगों पर बल देते हुए शीघ्र औद्योगीकरण करना।

3. रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना।

4.आय, धन तथा आर्थिक साधनों के वितरण की असमानता को कम करना।

ये उद्देश्य एक दूसरे से सम्बन्धित है। राष्ट्रीय आय में बढ़ोत्तरी तथा रहन-सहन में उन्नति उत्पादन एवं विनियोग में वृद्धि के बिना सम्भव नहीं है तथापि अगर औद्योगीकरण में पर्याप्त तेजी लाना है तो राष्ट्र का लक्ष्य मूल उद्योगों को विकसित करना तथा मशीन बनाने वाले कारखानों में वृद्ध करना होना चाहिए। इसके लिए लोहा, इस्पात, कोयला, सीमेन्ट, रसायन तथा अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों में प्रसार करना पड़ेगा। ऐसा केवल इसलिए नहीं कि तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, वरन् भविष्य में विकास कार्य भी करना है।

### प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम

सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का आधार या कार्यात्मक इकाई विकास खण्ड है। अक्टूबर 1952 से अब तक कुल 1200 विकास खण्डों की स्थापना हो चुकी है। इन विकास खण्डों के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में 45,00 रूपये

का बजट रखा गया। इस योजना में 1,23,000 ग्रामों के 60 करोड़ निवासियों के लिए विकास कार्यक्रम जारी किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 14,000 नये स्कूल 5,154 प्राथमिक स्कूलों का बुनियादी स्कूलों में परिवर्तन, 35,000 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, जिनसे 7,73,000 प्रौढ़ो को लाभ पहुंचा है। 3,069 मील पक्की और 18,000 मील कच्ची सड़कों का निर्माण तथा 80,000 ग्राम नालियों एवं शौचालयों का निर्माण हुआ। इनका जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ा। प्रथम योजना में 80,000 से अधिक कर्मचारी उन कार्यक्रमों को पूरा करने में रत थे।

### द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम

द्वितीय योजना में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में से 40 प्रतिश को सामुदायिक विकास खण्डों में परिवर्तित कर दिया गया। फलतः द्वितीय योजना के अन्तः तक (60 - 61), 2800 राष्ट्रीय विस्तार खण्ड तथा 1,120 सामुदायिक विकास खण्डों की स्थापना हुई। द्वितीय योजना में कार्यक्रम का अनुमानित व्यय 200 करोड़ रूपये था। जिसमें से 52 करोड़ कर्मचारी तथा साज-सामान, 55 करोड़ कृषि सुधार कार्यों, 18 करोड़ रूपये संचार विकस, 5 करोड़ रूपये समाज शिक्षा, 20 करोड़ रूपये स्वास्थ्य एवं सफाई कार्यक्रम, 16 करोड़ रूपये आवास, 12 करोड़ रूपये सामुदायिक विकास के अन्य कार्यों पर व्यय किये गये।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम के चलाने हेतु 2,00,000 कर्मचारी सेवायोजित थे। साथ ही 18 विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र, 25 बुनियादी कृषि स्कूल खोले गये।

### तृतीय पंचवर्षीय योजना

तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश में खास तौर से निम्नलिखित कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया -

1. राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष कम से कम पांच प्रतिशत की वृद्धि करना।

2. खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भर होना तथा उद्योग व निर्यात की पूर्ति के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि करना।

3. इस्पात, ईंधन, शक्ति और विशेषकर मशीन बनाने वाले कारखानों की स्थापना करना जिससे राष्ट्र के साधनों से भावी औद्योगीकरण की आवश्यकता की पूर्ति दस वर्ष के अन्दर हो सके।

4. रोजगार के अवसर में काफी बढ़ोत्तरी करना।

5. आर्थिक साधनों के बंटवारे में समानता लाना तथा आय और धन के वितरण की असमानता कम करना।

कृषि में उन्नति करना इस समय सबसे अधिक जरूरी है क्योंकि उन्नतिशील कृषि और अर्थ व्यवस्था से ही औद्योगीकरण अधिक तेजी से हो सकेगा तथा आपत्कालीन परिस्थिति में हम देश के सुरक्षा प्रयासों को मजबूत बना सकेंगे। हमारा उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना है और कृषि के साथ-साथ भारी उद्योगों का निर्माण करना है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरम्भ 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अक्टूबर 1963 तक कार्यक्रम के अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति का लक्ष्य था किन्तु यह पूर्ण न हो सका यद्यपि 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था थी।

तृतीय योजना में ''कृषि उत्पादन वृद्धि'' को विशेष महत्व दिया गया। इस हेतु जो कार्य किये गये उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से हैं -

1. विस्तृत प्रयास -सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए पूरे उद्यम के साथ कार्य करना।

2. छोटी सिंचाई योजनाओं का विस्तार

3. कृषि उपकरण का विकास तथा उन्हें कृषकों को उपलब्ध कराना।

4. प्रसार एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति

5. ग्राम उत्पादन योजना - इसके अन्तर्गत नहरों का विकास, खाद्य निर्माण कार्यक्रम, बांध इत्यादि का निर्माण सम्मिलित है।

6.विकास खण्ड योजनायें -इन योजनाओं में (अ) कृषि, सिंचाई, खाद्य संरक्षण, पुश पालन, (ब) सहकारिता, (स) ग्रामोदय, (द) शिक्षा प्रसार, (ट) शकित निर्माण इत्यादि से सम्बद्ध कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गयी।

7. पंचायती राज व सहकारिता - पंचायती राज के प्रसार पर बल दिया गया। साथ ही सहकारिता के विकास के लिए किसानों को 675 करोड़ रूपये प्रदान किए गये।

### चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और सामुदायिक विकास

चौथी योजना में भी उन्हीं उद्देश्यों की पुष्टि की गयी है, जिनकी प्राप्ति का प्रयास प्रथम तीन योजनाओं के अन्तर्गत किया गया था। चैथी योजना की अवधि में मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है -

1. खाद्यान्न तथा आयात-निर्यात के मामले में देश को जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर बनाना।

2. बढ़ते हुए मूल्यों को स्थिर करना,

3. लोगों के रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करना,

4. लोगों को अच्छा जीवन स्तर सुलभ करने के लिए जनसंख्या की बढ़ती हुई दर को कम करना

5. लोगों के लिए अधिक से अधिक समाज सेवाओं को सुलभ करना।

उपर्युक्त लक्ष्यों को दृष्टि में रखते हुए चतुर्थ योजना को तैयार किया गया है। इसमें सामुदायिक विकास तथा पंचायत राज को कृषि उत्पादन में योग देने की दृष्टि से विशेष महत्व दिया गया है। कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता के विकास के लिए चैथी योजना में 2,410 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है इसमें से 1,944 करोड़ कृषि, 260 करोड़ सामुदायिक विकास तथा पंचायत राज और 206 करोड़ की व्यवस्था सहकारिता के लिए की गई।

चौथी योजना में कुल 2410 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है। निजी क्षेत्र के लिए 7750 करोड़ तथा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 16,000 करोड़ की व्यवस्था है।

पंचायती राज के व्यापक कार्यक्रम करते हुए योजना आयोग की प्रस्तावना में लिखा गया है - सामुदायिक विकास कार्यक्रम अन्य देशव्यापी योजनाओं को कार्यान्वित करने का माध्यम रहेगा। इसके अन्तर्गत परिवार नियोजन, वन्य जाति कल्याण, ग्रामीण युवकों के विकास कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया जायेगा।

### पांचवीं पंचवर्षीय योजना और सामुदायिक विकास

गरीबी का उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना पांचवी पंचवर्षीय योजना के दो प्रधान उद्देश्य थे। समाजवादी समाज के विकास की संकल्पना में निहित प्रगतिशील, समृद्ध प्रजातन्त्र, समतामय और न्यायपूर्ण समाज गरीबी की विद्यमानता के लिए अनुकूल नहीं है। अतः गरीबी के उन्मूलन को सर्वोच्च प्रथमिकता दी गई।

योजना के उद्देश्य - गरीबी के उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए पांचवी योजना की कार्यनीति के प्रमुख तत्व निम्न प्रकार

थे -

1. कुल आन्तरिक उत्पादन में 5.5 प्रतिशत समस्त विकास की दर को प्राप्त करना।

2. उत्पादन व रोजगार के अवसरों का विस्तार करना।

3. प्राथमिक शिक्षा, पीने का पानी, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा, पोषाहार, खेतिहर मजदूरों के लिए मकान बनाने के स्थान, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण और गन्दी बस्तियों का सुधार तथा सफाई की न्यूनतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम।

4. समाज कल्याण का विस्तृत कार्यक्रम।

5. कृषि, आधारभूत उद्योगों तथा आय उपयोग की वस्तुएं पैदा करने वाले उद्योगों पर बल।

6. गरीब वर्गों को आवश्यक उपभोग सामग्री निश्चित मूल्यों पर उपलब्ध करने की सार्वजनिक वसूली और वितरण की प्रणाली।

7. निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी।

8. अनावश्यक उपयोग पर रोक।

9. समान मूल्य, वेतन और आय संतुलन।

10. सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय विषमतायें घटाने के लिए संस्थागत, राजकोषीय और अन्य उपाय अपनाना।

योजना का आकार और परिव्यय - पांचवी्र पंचवर्षीय योजना के लिए 53.411 करोड़ रूप्ये का परिव्यय रखा गया। कुछ परिव्यय में से 37.250 करोड़ रूपये सार्वजनिक क्षेत्र की योजना तथा 16,161 करोड़ रूपये निजी क्षेत्र पर खर्च करना था। सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी निवेश के लिए 31,670 करोड़ रूपये रखे गये।

## छठी पंचवर्षीय योजना और सामुदायिक विकास

छठी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में 18 व 19 मार्च 1978 ई0 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक हुई। इसमें योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। बैठक में योजना के प्रारूप में कुल परिव्यय 1,19,240 करोड़ 69,380 करोड़ रूपये होगा तथा शेष निजी क्षेत्र में प्रयोग किया जायेगा। प्रारूप में 4.7 प्रतिशत विकास की दर से परिकल्पना की गई है। साथ ही यह आशा भी व्यक्त की गई है कि योजना के अन्त तक 5.5 प्रतिशत विकास दर की क्षमता बन जायेगी।

इस योजना के प्रारूप को ग्रामोन्मुखी बनाया गया है। सिंचाई क्षमता को 86 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 170 लाख हेक्टेयर करने का प्रस्ताव है। येाजना में ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के हेतु 8,940 करोड़ रूपये व्यय करने का प्रस्ताव किया गया था। योजना के अन्तिम विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उनमें से अत्यधिक आशावादी दृष्टिकोण अपनाया गया हैं।

### सातवीं पंचवर्षीय योजना और सामुदायिक विकास

सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च, 1990 तक के लिए निर्मित की गई। इस योजना काल के लिये कुल 3,48,848 करोड़ रूपये की वित्तीय व्यवस्था की गई। इसमें से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 1,80,000 करोड़ रूपये तथा निजी क्षेत्र के लिए 1,68,148 करोड़ रूपये निर्धारित किये गये। इस योजना के उद्देश्यों को छठी पंचवर्षीय योजना के अनुभवों के आधार पर निर्धारित किया गया। इस योजना में भोजन, कार्य, रोजगार और उत्पादकता को सर्वोपरि स्थान दिया गया। इसमें सामुदायिक विकास तथा कृषि को मुख्य स्थान दिया गया। साथ ही इस योजना में समन्वित विकास को भी महत्व दिया गया। इस योजना में कृषि विकास तथा रोजगार के अवसरों की वृद्धि हेतु भी विशेष ध्यान दिया गया। इस योजना में वार्षिक विकास दर 5 प्रतिशत निर्धारित किया गया। साथ ही वार्षिक कृषि विकास दर 4 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित की गई।

### आठवीं पंचवर्षीय योजना और सामुदायिक विकास

आठवीं पंचवर्षीय योजना सन् 1990-1995 की अवधि के लिये निर्मित की गई। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार थे -

1. देश में जनसंख्या वृद्धि को रोकना।
2. एक निश्चित समय की अवधि में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
3. विकसित मानव संसाधनों का प्रयोग करना।
4. आयोजन को विकन्द्रीकृत करके अधिकतम जनसहयोग जुटाना।
5. उत्पादक कुशलता को प्राथमिकता देकर अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विज्ञान तथा नवीन तकनीकी का प्रयोग करना।
6. बड़े पैमाने पर उत्पादित रोजगार के अवसर पैदा करना।
7. कुछ विशेष क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और नेतृत्व की स्थिति को प्राप्त करना।
8. वन, जल व भूमि जैसे विकास के संसाधनों को सुरक्षित रखकर उनका सम्वर्द्धन करना।

## 9.4 सारांश

प्रस्तुत इकाई के अन्तर्गत सामुदायिक संगठन एवं पंचवर्षीय योजनाओं के संयुक्त उद्देश्यों को समझाने में सहायता मिलती है। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा के अंतर्गत प्रजातांत्रिक रूप से कल्याणकारी सेवाओं के नियोजन, निष्पादन तथा मूल्यांकन की व्याख्या की गई है। इसी इकाई में सामुदायिक संगठन की निपुणताओं को योजनाओं के निर्माण तथा निष्फलन की प्रक्रिया को समझा जा सकता है।

## 9.5 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. पंचवर्षीय योजनाओं की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए?
2. प्रथम तथा द्वित्तीय पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए?
3. सामुदायिक संगठन में पंचवर्षीय योजनाओं के महत्व की विवेचना कीजिये।

## 9.6 सन्दर्भ-साहित्य


1. आप्टेकर हरवर्ट - बेसिक कान्सेप्ट्स इन सोशल वर्क, यूनिवर्सिटी आवनार्थ कैरोलिना प्रेस, चैपेल हिल, 1941.

2. सिंह, ए.एन. - सामुदायिक संगठन, हरियाणा ग्रन्थ अकादमी, पंचकूला, 2012

3. इण्डिया - कम्यूनिटी डवैलपमेन्ट ऐट ऐ ग्लान्स, दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1962.

4. गैंगराडे, के.डी.- कम्यूनिटी आर्गेनाइजेषन इन इण्डिया, पापुलर प्रकाशन, बाम्बे, 1971.

5. आगवर्न एण्ड निमकाफ- ए हैण्डबुक आफ सोसियोलाजी, राउटलेज एण्ड केगनपाल लि0, लंदन 1957.

6. आरथर हिलमैन - कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन एण्ड प्लानिंग, द मैकमिलन कम्पनी, न्यूयार्क, 1957.

7. आसबर्न, एल0 उी0 न्यूमेयर, एम0 एच0 - द कम्यूनिटी एण्ड सोसाइटी

8. इण्डियन कान्फ्रेन्स आफ सोशल वर्क, स्पेशल ऐन्निवर्सरी, नवम्बर-दिसम्बर, 1957.

9. दयाल, राजेष्वर- कम्युनिटी डेवैलपमेन्ट प्रोग्राम इन इण्डिया, किताब महल, इलाहाबाद, 1960.

इकाई- 10

# सामाजिक क्रिया की अवधारणा

**इकाई की रूपरेखा**

10.0 उद्देश्य

10.1 प्रस्तावना

10.2 सामाजिक क्रियाः एक परिचय

10.3 सामाजिक क्रिया की अवधारणा

10.4 सामाजिक क्रिया की विभिन्न व्यवस्थाएं

10.5 सारांश

10.6 अभ्यासार्थ प्रश्न

10.7 सन्दर्भ ग्रन्थ

## 10.0 उद्देश्य :-

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप :-

-- सामजिक क्रिया की अवधारणा से परिचित हो सकेंगें

-- सामजिक क्रिया की विभिन्न व्यवस्थाओं के सम्बन्ध सकेंगे।

-- समुदाय के प्रकार से परिचित हो सकेंगे।

## 10.1 प्रस्तावना

सामाजिक क्रिया लोगों के साथ काम करने के व्यवसायिक समाज कार्य के सहायक तरीकों में से एक है। सामाजिक क्रिया का उपयोग सामाजिक व्यवस्थाओं, प्रक्रियाओं तथा संरचना में बदलाव लाने के लिए प्रधानतः स्वैच्छिक पहलों के महत्व को बताने के लिए किया गया है। अधिकांशतः सामाजिक कार्यकर्ताओं के विविध सामाजिक क्रिया के कार्यक्षेत्र और प्रासंगिकता के बारे में विविध मत होते है। इस अस्पष्टता ने इस विवाद को तीव्र किया है कि क्या सामाजिक क्रिया को व्यावसायिक समाज कार्य के एक तरीके रूप में मान्यता दी जाए?

इस इकाई में सामाजिक क्रिया के अर्थ, प्रक्रिया, प्रासंगिकता तथा कार्यक्षेत्र पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आप अनुभव करेंगे कि सामाजिक क्रिया भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्रयोग्य तथा उपयुक्त तरीकों में से एक है। नर्मदा बचाओं आंदोलन तथा सूचना प्राधिकार अधिनियम को मूर्तरूप देने वाला आंदोलन यह दर्शाने के लिए सर्वोत्तम उदाहरण है कि सामाजिक क्रिया सम-सामायिक सामाजिक वातावरण में कितना प्रासंगिक और तार्किक है। आइए सामाजिक क्रिया की अवधारणा का विस्तार से अध्ययन करें।

## 10.2 सामाजिक क्रिया: एक परिचय

पहली बार मैरी रिचमण्ड ने 1922 में समाज कार्य में सामाजिक क्रिया का उल्लेख समाज कार्य की चार प्रमुख प्रणालियों में से एक प्रणाली के रूप में किया था | सामाजिक क्रिया लोगों के साथ काम करने के व्यवसायिक समाज कार्य के सहायक तरीकों में से एक है। एक इकाई में आप सामाजिक क्रिया के अर्थ तथा अवधारणा को समझने में सक्षम होंगे। इसमें भारतीय परिदृश्य में सामाजिक क्रिया के उद्भव का इतिहास रेखांकित किया गया है। इसमें समान लक्ष्यों तथा प्रक्रियों वाले संबधित शब्द पदों को भी सम्मिलित किया गया है। इस इकाई में संगत सूक्ष्म तथा स्थूल स्तर के उदाहरणों से सामाजिक क्रिया की विशिष्टताओं का वर्णन किया गया है। समग्र रूप से यह इकाई आपको सामायिक संसार के प्रमुख मुद्दों में सामाजिक क्रिया के अनुप्रयोग का व्यापक बोध कराएगी।

यह उल्लेखनीय है कि व्यावसायिक समाज कार्य के लोगों के साथ काम करने के छह तरीकों की पहचान की गई है वैयक्तिक सेवा कार्य, सामूहिक एवं सामुदायिक संगठन प्रमुख तरीके है। जबकि सामाजिक क्रिया, सामाजिक कार्य शोध तथा समाज कल्याण प्रशासन सहायक अथवा द्वितीयक तरीके हैं। आपको याद होगा कि विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के कारण पश्चिमी देशों में वैयक्तिक सेवा कार्य एवं सामूहिक कार्य का उदय हुआ, जबकि भारत जैसे देशों में सामाजिक क्रिया अधिक लोकप्रिय हुआ।

प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में, हमारा लक्ष्य तनावग्रस्त लोगों को उनकी समस्याओं का निदान करने और विवादों को दूर करने में सहायता करना होता है। किसी सामाजिक स्थिति में हम जो कोई भी तरीका इस्तेमाल करने का विकल्प चुनते हैं, हमारा मकसद लोगों के बीच बाधाओं तथा मतभेदों को दूर करना, सामाजिक संबंधों को मजबूत करने वाले बन्धनों को प्रोत्साहित करना तथा समृद्धि सुनिश्चित करना होता है। कभी-कभी प्रतिकूल शक्ति-समीकरण तथा कुछेक व्यक्तियों के हाथों में सचित संसाधनों की वजह से वंचित सेवार्थियों की समृद्धि सुनिश्चित करने में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तदोपरान्त सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास असमानता और अकल्याण के मौजूदा संरूपण से टकराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। सामाजिक क्रिया के जरिए हम, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक व्यवस्था के भीतर असमानता और अन्याय पैदा करने वाले मूलभूत मुद्दों तथा किसी विशेष जनसमूह को हाशिए पर धकेलने वाली संरचना का सामना करते हैं।

सामाजिक क्रिया, समाज कार्य के व्यवहार के सबसे अधिक विवादास्पद तरीकों में से एक है। जिसकी वजह से सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच बहुत मतभेद उत्पन्न हुआ है। चूंकि यह सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता के लक्ष्यों को हासिल करने के उद्देश्य से सामाजिक स्ववस्था में विद्यमान विवादों का सामना करता है, और इनका इस्तेमाल करता है। सामाजिक कार्यकर्ता समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों के अधिकारों की वकालत करते हैं। उन्हें अपने असंतोष का प्रदर्शन करने के लिए भूख हड़तालों, धरनों, विरोध प्रदर्शनों तथा ऐसे अन्य तरीकों जैसी रणनीतियाँ अख्तियार करनी पड़ सकती हैं। ऐसी रणनीतियों के इस्तेमाल ने ही सामाजिक क्रिया को समाज कार्य में एक बहस का मुद्दा और एक विवादस्पद तरीका बना दिया है।

सामाजिक वातावरण में ऐसी स्थितियां आती हैं जहाँ असमानता और अन्याय होता है जिससे समाज के कतिपय वर्गों की भेद्यताओं तथा गरीबी यंत्रणा तथा शोषण में वृद्धि होती है, जिनका समाधान अनेक प्रयासों के बाद भी नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थितियों में सामाजिक क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। यह समाज कार्य का वह तरीका है जिससे हाशिए पर खड़े लोगों या सीमान्त समूहों के अधिकारों तथा हितों की रक्षा की जाती है। इसके लिए उन व्यवस्थाओं तथा संरचनाओं से संघर्षशील होना होता है जो संसाधनों तथा शक्तियों के संचय को उन कुछ लोगों के हाथों में होने देते हैं जो समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों के प्रति असंवेदनशील होते हैं। सामाजिक क्रिया के जरिए बेमेल संसाधनों और शक्तियों को समाज के वंचित समूहों के उत्थान के लिए पुनः वितरित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त सामाजिक क्रिया के कार्यक्षेत्र में एक लोकतांत्रिक तथा न्यायी, पारदर्शी तथा सौहार्दपूर्ण सामाजिक संरचना का निर्माण भी आता है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भी प्रयास किए जाते हैं।

## 10.3 सामाजिक क्रिया की अवधारणा

सामाजिक क्रिया शब्द पद का उपयोग स्वयंसेवी क्रिया की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। अनेक प्रकार की गतिविधियां जैसे दान-दक्षिणा, राहत कार्य, सेवा आपूर्ति, लोक नीति संबंधी पहलें, जनपैरवी अभियान, सामाजिक आदोंलन, सामाजिक राजनीतिक संचलन, बांधित बदलावों के लिए नेटवर्किंग को एक ही शब्द-पद सामाजिक क्रिया के दायरे में इकट्ठा कर दिया गया है। सामाजिक क्रिया को व्यवसायिक समाज कार्य के एक सहायक तरीके के रूप में लिया जाता है। यह सामाजिक तथा आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन अथवा सुधार का एक संगठित प्रयास होता है। दहेज प्रथा, प्राकृतिक, संसाधनों का क्षय, नशाखोरी, आवास, स्वास्थ्य आदि जैसी कुछ सामाजिक समस्याओं का सामना सामाजिक क्रिया के माध्यम से किया जा सकता है, और किया जा चुका है।

व्यवसायिक समाज कार्य का तरीका सामाजिक कार्य के दर्शन पर आधारित एक मूल्य आधार सहित दृष्टिकोण होता है। जिसमें आसानी से पहचानी जा सकने वाली अवस्थाओं सहित एक स्थापित समाज कार्य संस्थाओं में अनिवार्य परिवर्तन पर बल दिया जाता है। जो दीर्घावधिक होते है। वृहत्तर रूप में, सामाजिक क्रिया में सामाजिक, धार्मिक, तथा राजनीतिक न्याय, मानवधिकार, स्वतंत्रता तथा नागरिक स्वतंत्रता आते है। जब सामाजिक क्रिया को अधिकारिता तथा मानवाधिकार के संदर्भ में देखा जाता है, तो यह सर्वाधिक कारगर तरीका है जो अपने प्रयासें से जनसंख्या के बडें वर्ग को लाभन्वित करने में मद्द करता है। यह दीर्घावधिक परिवर्तनों, निष्कर्षों तथा आम जन को प्रभातिव करते हुए समस्याओं के मूल कारणों का समाप्त करने की ओर निर्दिष्ट होता है। और इस प्रकार धारणीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रवृत्त होता है।

इसके अतिरिक्त समाजकार्य के किसी भी अन्य तरीके की भांति सामाजिक क्रिया में भी मान्य तार्किक व्यवस्थित अवस्थाओं की एक प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। प्रारंम्भिक तौर पर, पक्षपातों व पूर्वाग्रहों का न्यूनतक करके, आकस्मिक तथा अवक्षेपी कारकों के साथ-साथ सामने रखी समस्या के मूल कारणों का पता लगाने के लिए शोध के वैज्ञानिक तरीकों सहित, विवेचनात्मक विश्लेषण किया जाता है। इस संबंध में, समस्या विश्लेषण संबंधित पक्षों के विश्लेषण, तथा ऐसी ही नई वैज्ञानिक रणनीतियां अपनाई जाती है। जिनका विवरण पिछली इकाई में दिया जा चुका है। इसके बाद मौजूदा समस्या के कारण समुदाय के लोगों तक सम्प्रेषित किये जाते है, जिसके लिए संदेश को ध्यानपूर्वक तैयार करने, और समस्या को सुलझाने के लिए सामूहिक और सहयोगात्मक क्रिया सुनिश्चित करने की दृष्टि से, लोगों(प्राप्तकर्ताओं) की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, संवाद-सम्प्रेषण के माध्यमों की आवश्यकता होती है। तीसरी अवस्था, समन्वित तथा निर्दिष्ट मध्यस्थता के लिए लोगों को संगति करने, और लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से क्रिया हेतु उपयुक्त रणनीतियों व तकनीकें तैयार करने और अन्त में क्रिया करने की होती है। समाज कार्य पेशेवर अथवा क्रियावादी इन विभिन्न अवस्थाओं में आवश्यक ज्ञान तथा कौशलों, प्रक्रिया, रणनीतियों, सैद्धान्तिक आधार से सुसज्जित होते है।

सामाजिक क्रिया का उद्देश्य सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण को निश्चित आकार देकर उसका विकास करना है जिसमें सभी नागरिकों के लिए सम्रद्धतर जीवन सम्भव हो सके। समाज कार्य एक उभरती हुई विधा है जहां ऐसे तौर-तरीकों को प्रारम्भ करते, तलाशते, बनाए रखते तथा संशोधित करते हुए मध्यस्थता को गति दी जाती है। जिनके द्वारा व्यक्ति को, व्यक्तिगत तथा/अथवा सामूहिक रूप से उनकी सामाजिक कार्य प्रणाली में अवरोधों के

समाधान में सहायता प्रदान की जाती है। मनुष्य जाति के सामाजिक जीवन को छूने वाली अन्य विधाओं की तरह समाज कार्य को भी मध्यस्थताओं से संबंधित अवधारणात्मक ढांचों , सिद्धांतों तथा माडलों को डिजाइन और रि-डिजाइन करना पड़ता है। जैसे-जैसे सामाजिक स्थितियाँ बदलती हैं, विभिन्न सामजिक स्थितियों का विश्लेषण तथा मापन करने के प्रति नजरिया भी बदलना चाहिए। सामाजिक मध्यस्थता की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करने वाले सिद्धान्तों तथा अवधारणाओं की भी समीक्षा, अद्यतन, संशोधन तथा उपार्जन करना पड़ता है। इसी संदर्भ में समाज कार्य के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण को विकसित किया गया था जिससे आपको व्यवस्थता के सिद्धान्त पर आधारित सामाजिक मध्यस्थता का एक व्यापक ढांचा मुहैया होगा, जो नियोजित, मार्ग-दर्शित सामाजिक परिवर्तन की अधिकांश सामाजिक स्थितियों में अनुकूल होगा।

निकस तथा मिनाहन ने यह ढांचा इस दृष्टिकोण से दिया है कि समाज कार्य मध्यस्थताएं एकपक्षीय नहीं होती है लगभग सारी स्थितियों में लोगों की भागीदारी  की जरूरत होती है। इस दृष्टिकोण में सामाजिक कार्यकर्ता एक व्यवस्था में प्रवेश करता है। और इसके द्वारा सुस्पष्ट लक्ष्यों को पाने के उपाय के रूप में इसकी पूर्ववर्ती अवस्था तथा संतुलन को सचेतम परिवर्तित करता है। समाज कार्य मध्यस्थता के प्रति सकल तरीके अथवा एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने के पीछे अन्तर्निहित मान्यता यह थी कि समाज कार्य के अभ्यास द्वारा धारण किए जाने वाले अनेक रूपों से असम्बद्ध, अवधारणाओं, कौशलों, कार्यों तथा गतिविधियों का एक सांझा समूह है जो समाज कार्य के अभ्यास के लिए अनिवार्य है और एक ऐसा आधार प्रस्तुत करता है जिसके ऊपर अभ्यासकर्ता निर्माण कर सकता है। पारम्परिक समाज कार्य के सिद्धान्त तथा तरीके द्धिभाजक शब्दों के इर्द-गिर्द बुने गए हैं (व्यक्ति तथा वातावरण, क्लीनिकल अभ्यास अथवा सामाजिक क्रिया सूक्ष्म व्यवस्था तथा/अथवा स्थूल व्यवस्था) जो किसी रूप में, सामाजिक यथार्थ को देखने का एक निकटदर्शी दृष्टिकोण उपलब्ध कराते थे। पिनकस तथा मिनाहन ने समाज कार्य के अभ्यास के लिए एक अथवा एकीकृत मॉडल तैयार करने के लिए मापदण्ड बनाए हैं।

1. इस एकिक मॉडल को एक सार्वभौम ढांचा प्रदान करना चाहिए जिसमें द्वियाजक शब्दों जैसे या तो केसवर्क या सामाजिक क्रिया वैयक्तिक अथवा सामूहिक दृष्टिकोण में समाज कार्य के अभ्यास की परिकल्पना करने से बचना चाहिए।

2. सामाजिक कार्यकर्ता के किसी भी नियोजित परिवर्तन प्रयास में विभिन्न प्रकार के लोगों (न कि केवल सेवार्थी और उसके परिवार) के साथ संबंध विकसित करने और अनुरक्षित करने के काम होते हैं।

3. सामाजिक कार्यकर्ता से अपेक्षित होता है कि वह सेवार्थी की सहायता करने के लिए भिन्न-भिन्न आकार तथा श्रेणी की अनेक व्यवस्थाओं (एक दर-एक संबंध, परिवार, सामुदायिक संबंध) के साथ तथा इनके माध्यम से काम करें।

4. सामाजिक स्थितियों को समझने में सिद्धांतों (इगो, सीखना, सम्प्रेषण आदि) का चयनित तथा न्यायोचित इस्तेमाल होना चाहिए।

5. यह मॉडल विविध प्रकार की स्थितियों तथा पृष्ठभूमियों में लागू होना चाहिए।

## 10.4 सामाजिक क्रिया की विभिन्न व्यवस्थाएं

व्यवस्थित दृष्टिकोण पर आधारित समाज कार्य के अभ्यास में केन्द्र बिन्दु सामाजिक वातावरण में लोगों तथा विभिनन व्यवस्थाओं के बीच सहसंबंध होता है। लोग वृद्धि तथा विकास के लिए भौतिक अथवा अभौतिक संसाधन, सेवाएं तथा अवसर पाने के लिए व्यवस्थाओं (जैसे जातीय तथा सांस्कृतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था,

स्वास्थ्य व्यवस्था, कार्यस्थल व्यवस्था) पर निर्भर होते हैं। इस संबंध में सेवार्थी के नजरिए से तीन प्रकार के संसाधन बताए गए हैं।

1. प्राकृतिक अथवा अनौपचारिक व्यवस्था (परिवार, संबंधी, मित्र, पड़ोसी आदि)

2. औपचारिक व्यवस्था (सदस्यता संगठन-श्रम यूनियन, समर्थन समूह, पीटीए) तथा

3. संस्थागत संसाधन व्यवस्था (अस्पताल, कानूनी, सेवाएं, स्कूल, कार्य स्थल)

ऐसा माना जाता है कि लोग अपने कार्यों (जीवन कार्य वे गतिविधियां हैं जो दैनिक जीवन से संबंधित है जैसें परिवार में बड़ा होना, स्कूलों में पढ़ना, कार्यबल में शामिल होना, विवाह, बच्चे पैदा करना, उन्हें पालना) को पूरा करने के लिए इन व्यवस्थाओं के नेटवक से उपलब्ध सहायता के बावजूद, कुछ विशेष स्थितियों में लोग अपने जीवन कार्यों से निपटने तथा अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन सेवाएं अथवा अवसर पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। यह सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका इन व्यवस्थाओं (अथवा किसी एक व्यवस्था) तथा लोगों के बीच सहसंबंध में अपर्याप्तता पर ध्यान देने की होती है। जिनकी वजह से तनाव, समस्याएं तथा गड़बड़ी उत्पन्न होती है। आइए बेहतर बोध के लिए बिंदुओं पर और विस्तार से चर्चा करें।

अनौपचारिक संसाधन व्यवस्था में अपर्याप्तता अनौपचारिक सहायक व्यवस्था की कमी (हो सकता है कोई दोस्त या पड़ोसी न हो, विशिष्ट सामाजिक समूह के लोग सामाजिक सहसंबंध में शामिल न हों) अथवा अनौपचारिक व्यवस्था से सहायता लेने में अनिच्छा (मित्रों , संबंधियों आदि से सहायता मांगने में हिचकिचाहट, विगत अनुभव सम्मान खोने का डर इन अन्तर बाधाओं में वृद्धि कर सकते हैं) अथवा लोगों की जरूरतें पूरी करने में व्यवस्था की अक्षमता हो सकती है। उदाहरणार्थ, भारत के एक गांव में ऐसा हो सकता है कि सामाजिक रूप से पिछड़ा कोई विशेष समूह, भौगोलिक रूप से किसी दूरस्थ स्थान पर रहा हो अथवा आस-पास के लोगों से अपनी जरूरतें बांटने में शर्मिन्दगी महसूस करता हो। इसके अतिरिक्त, हो सकता है कि अनौपचारिक व्यवस्था सहायता की इच्छुक हो किन्तु उसके पास विपदाग्रस्त लोगों की समस्या के समाधान हेतु पर्याप्त साधन न हों।

इसी प्रकार औपचारिक संसाधन व्यवस्था की अपर्याप्तता ये हो सकती हैं- समूह का अस्तित्व हीन हो (जैसे, मजदूरों का शोषण हो रहा है, और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कोई मजदूर यूनियन नहीं है।) अथवा लोग शामिल होने के अनिच्छुक हों (एचआईवी पाजिटिव लोगों को एचआईवी समर्थक समूह से जुड़ने पर अपनी पहचान सामने आने का डर हो सकता है) अथवा उनके अस्तित्व से अनभिज्ञ हों अथवा व्यवस्था जरूरतों को पूरा करने में अक्षम हो सकती है, जैसे, अपने सदस्यों को सेवा मुहैया कराने में आवश्यक संसाधनों तथा प्रभाव की कमी, अथवा उनकी ओर से संस्थागत संसाधन व्यवस्था से वार्ता करने में विफलता।

इसके अतिरिक्त, संस्थागत संसाधन व्यवस्था की अपर्याप्तता हो सकती है- एक, आवश्यक संसाधन अथवा सेवाएं पर्याप्त मात्रा में मौजूद न हों (जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गरीब परिवारों हेतु उपलब्ध अनाज की अपर्याप्त गुणवत्ता तथा मात्रा) इसके अतिरिक्त, आवश्यक संसाधन तथा सेवाएं उपलब्ध न हों (जैसे मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण इलाकों में उपलब्ध नहीं होती है और जरूरतमन्द लोग 'पागल' करार दिए जाने के डर से मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं न ले रहे हों) अथवा मौजूदा संसाधनों या संसाधनों के इस्तेमाल के बारे में लोगों तक कोई सूचना न पहुंचने से समस्या और बढ़ सकती है (जैसे अस्पतालों में मरीजों को एचआईवी पॉजिटिव बता कर उनसे भेदभाव करना।)

इन सब के अतिरिक्त, विभिन्न व्यवस्थाओं के बीच टकराव हो सकता है जिसका असर संसाधनों / सेवा की उपयोगिता पर पड़ सकता है। (स्वास्थ्य सेवा मौजूद हो किन्तु वहनीय नहीं हो अथवा बहुत दूर है और परिवहन

सम्पर्क खराब हो)। कभी-कभी कुछ और खामियां हो सकती है जैसे व्यस्वथा के भीतर की खामियां जिनका असर उसकी प्रभावी सेवा आपूर्ति पर पड़ सकता है (जैसे किसी अस्पताल में डाक्टर हड़ताल पर हैं। अथवा रोगियों के इलाज के लिए उपकरण खरीदने के लिए पैसा नहीं है)। इस तरह, आप महसूस करेंगे कि एक सामाजिक वातावरण में विभिन्न व्यवस्थाओं की कार्य प्रणाली में अनेक समस्याएं हो सकती हैं जिनके लिए समाज कार्य की मध्यस्थता की जरूरत होती है। उपरोक्त लिखित मामलो में समाज कार्य का उद्देश्य लोगों की समस्या का समाधान या सामना करने की क्षमताओं को बढ़ाना तथा लोगों को उन वयवस्थाओं से जोड़ना है जो उन्हें संसाधन/सेवाएं तथा अवसर उपलब्ध कराती हैं। समाज कार्य का लक्ष्य सामाजिक नीति में सुधार के माध्यम से प्रचचविक व्यवस्था को प्रभावोत्पादकता को प्रोत्साहित करना भी होता है जिसके बारे में आप अनुवर्ती खण्डों में विस्तार से पढ़ेगें। आइए समाज कार्य की मध्यस्थता के नजरिए से व्यवस्थाओं को समझें।

समाज कार्य की मध्यस्थता के दृष्टिकोण से चार मूलभूत व्यवस्थाएं निर्धारित की गई है परिवर्तन कारक व्यवस्था, सेवार्थी व्यवस्था, लक्ष्य व्यवस्था तथा कार्यवाही व्यवस्था। इन व्यवस्थाओं की विस्तार से व्याख्या निम्नानुसार हैं-

(क) परिवर्तन कारक व्यवस्था: परिवर्तन कारक किसी व्यवस्था के भीतर अथवा बाहर कोई भी पेशेवर व्यक्ति अथवा समूह हो सकता है जो उस व्यवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयोस कर रहा हो। एक परिवर्तन कारक एक सहायक होता है जिसे नियोजित परिवर्तन सृजित करने के उद्देश्य से विनिर्दिष्ट रूप से नियुक्ति किया जाता है। वह कोई ऐजेन्सी, एनजीओ अथवा सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है।

(ख) सेवार्थी व्यवस्था: यह 'वह विनिर्दिष्ट समूह है जिसकी सहायता की जा रही है'। सेवार्थी व्यवस्था व्यक्ति, परिवार, समूह, संगठन अथवा समुदाय हो सकता है। जो सवाओं का सम्भावित लाभार्थी होने के साथ-साथ एक व्यवस्था होती है जो सहायता मांगती है और एक परिवर्तन कारके के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता लेती है।

(ग) लक्षित व्यवस्था: इस व्यवस्था में वे लोग होते हैं जिन्हें परिवर्तन कारक को लक्षित व्यवस्था से अपने लक्ष्यों को पाने के प्रयोजन से बदलने अथवा प्रभावित करने की जरूरत होती है।

(घ) कार्यवाही व्यवस्था: उन लोगों की व्याख्या करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके साथ परिवर्तन कारक परितर्वन के प्रयासों का लक्ष्य प्राप्त करने और कार्यो को पूरा करने के आपने प्रयासों के दौरान काम करता है। कार्यवाही व्यवस्था का उपयोग किसी व्यक्ति की पहचान अथवा अध्ययन करने, परिवर्तन हेतु लक्ष्य स्थापित करने अथवा परिवर्तन के प्रमुख लक्ष्यों को प्रभावित करने के उद्देश्य से कोई मंजूरी तथा कार्य समझौता अथवा संविदा प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

अब एक उदाहरण लेते हैं: एक महिला (सेवार्थी व्यवस्था) अपनी इस समस्या के साथ सामाजिक कार्यकर्ता (परिवर्तन कारक व्यवस्था) से सम्पर्क करती है कि उसका शराबी पति (लक्षित व्यवस्था) उसे प्रतिदिन पीटता है। सामाजिक कार्यकर्ता मध्यस्थता के एक भाग के रूप में पति से बातचीत करके उसे नशा-मुक्ति केन्द्र की सहायता से उसका पुनर्वास कराता है। यहां वे सभी व्यक्ति डॉक्टर , एनजीओ कार्यकर्ता, नशामुक्ति केन्द्र का स्टाफ जो पुनर्वास प्रक्रिया में भाग लेते हैं, कार्यवाही व्यवस्था कहलाएंगे। परिवर्तन कारक समुदाय में नशाखोरी की समस्या की गंभीरता तथा सीमा का अध्ययन करने का विकल्प चुन सकता है, समस्या शराबखोरी जिसका केवल एक व्यवहारगत पहलू है- के मूल कारणों का पता लगाने के लिए अध्ययन कर सकता है। उसे पता चलता है कि युवाओं तथा वयस्कों में अल्प-रोजगार तथा बेराजगारी, खराब आर्थिक स्थिति तथा शराब की आसानी से

उपलब्धता के साथ-साथ शराबखोरी के प्रति पुरूषों में सांस्कृतिक सहमति इस भयानक समस्या के पीछे प्रमुख कारण हैं, जो, मान लीजिए, समुदाय के 80 प्रतिशत युवाओं के स्वास्थ्य को कुप्रभावित कर रही है।

परिवर्तन कारक द्वारा मध्यस्थता में विभिन्न स्तरों पर काम करना शामिल हो सकता है- राज्य द्वारा आय के अर्जन के कार्यक्रम सुनिश्चित करना, समुदाय में शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाना, शराबखोरी को हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता लाना, घरेलू हिंसा निरोधक कानून के बारे में जानकारी देना। इस मामले में, लक्षित व्यवस्था राज्य (आय अर्जन कार्यक्रम चलाने में प्रशासकों की ओर से अनिच्छा, लालफीताशाही, भ्रष्टाचार), शराब की दुकानें, समुदाय में सारे शराबी तथा वे सब लोग हैं जो यह विश्वास करते हैं कि शराबखोरी मर्दानगी से जुड़ी है और 'पीना' आदमी का अधिकार है।

## 10.5 सारांश

प्रस्तुत इकाई के अन्तर्गत सामजिक क्रिया की अवधारणा, अर्थ, तथा परिभाषाओं को समझाने का प्रयास किया गया है। इसके साथ-साथ सामाजिक क्रिया की विभिन्न अवस्थाओं को भी स्पष्ट किया गया है।

## 10.6 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. सामाजिक क्रिया से आप क्या समझते हैं?

2. सामाजिक क्रिया की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।

3. सामाजिक क्रिया की विभिन्न अवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए।

## 10.7 सन्दर्भ-साहित्य


1. अहमद, मिर्जा रफीउद्दीन- समाज कार्य दर्शन एवं प्रणालियाँ, ब्रिटिश बुक डिपो, लखनऊ, 1967.

2. आगवर्न एण्ड निमकाफ- ए हैण्डबुक आफ सोसियोलाजी, राउटलेज एण्ड केगनपाल लि0, लंदन 1957.

3. आप्टेकर हरवर्ट - बेसिक कान्सेप्ट्स इन सोशल वर्क, यूनिवर्सिटी आवनार्थ कैरोलिना प्रेस, चैपेल हिल, 1941.

4. आरथर हिलमैन - कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन एण्ड प्लानिंग, द मैकमिलन कम्पनी, न्यूयार्क, 1957.

5. आसबर्न, एल0 डी0 न्यूमेयर, एम0 एच0 - द कम्यूनिटी एण्ड सोसाइटी

6. इण्डियन कान्फ्रेन्स आफ सोशल वर्क, स्पेशल ऐन्निवर्सरी, नवम्बर-दिसम्बर, 1957.

7. इण्डिया - कम्यूनिटी डवैलपमेन्ट प्रोग्राम इन इण्डिया, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1963.

8. इण्डिया - कम्यूनिटी डवैलपमेन्ट ऐट ऐ ग्लान्स, दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1962.

9. इण्डिया - कम्यूनिटी डवैलपमेन्ट एण्ड कोआपरेशन, गाइड टू कम्युनिटी डैवलपमेंन्ट सैकेन्ड रेव0 इड0, दिल्ली, गवर्नमेन्ट प्रेस, 1957.

10. इण्डिया - ए रिपोर्ट आन द ऐनुअल कान्फ्रेन्स आन कम्युनिटी डैवलपमेंन्ट एण्ड पंचायत राज, न्यू दिल्ली , जुलाई 1964, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1964.

11. इण्डिया - द स्कोप आफ एक्सटेन्सन इन कम्युनिटी डैवेलपमेंन्ट, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1961.

12. ऐण्डरसन, जे0 - सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन, सोशल वर्क इयर बुक, रसेल सेज फाउन्डेशन, न्युयार्क, 1947.

# सामाजिक क्रिया : अर्थ एवं पद्धति

**इकाई की रूपरेखा**

11.0 उद्देश्य

11.1 प्रस्तावना

11.2 सामाजिक क्रियाः अर्थ एवं परिभाषा

11.3 सामाजिक क्रिया की पद्धतियां

11.4 सारांश

11.5 अभ्यासार्थ प्रश्न

11.6 सन्दर्भ ग्रन्थ

## 11.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप:

-- सामाजिक क्रिया के अर्थ एवं परिभाषा को जान सकेंगे।

-- सामाजिक क्रिया की पद्धतियों को जान सकेंगे |

## 11.1 प्रस्तावना

सामाजिक क्रिया लोगों के साथ काम करने के व्यवसायिक समाज कार्य के सहायक तरीकों में से एक है। इस इकाई में आप सामाजिक क्रिया के अर्थ को समझने में सक्षम होंगे। इस प्रकार, कि सामाजिक क्रिया को व्यवसायिक समाज कार्य के एक तरीके के रूप में देखा जा सकता है जिसका इस्तेमाल हिंसा को छोड़कर अन्य उपयुक्त रणनीतियों का इस्तेमाल करके वांछित परिणाम पाने के लिए लोगों को संगठित करने के लिए संचालित करके तथा उन्हें उनके जीवन को प्रभावित करने वाले आर्थिक यथार्थ के बारे में अवगत कराने की प्रक्रिया के जरिए सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने अथवा होने वाले परिवर्तन को प्रेरित करने वाली एक सार्थक रणनीति कहा जाता है।

## 11.2 सामाजिक क्रिया: अर्थ एवं परिभाषा

भारतीय संदर्भ में, समाज सुधार आंदोलन तथा इसके बाद राजनीतिक स्वतंत्रता हेतु आंदोलन तथा समाज कार्य और सामाजिक क्रिया के लिए गांधीवादी विचारधारा की परम्परा ने दबे कुचलों के उत्थान के लिए सामाजिक क्रिया के परिप्रेक्ष्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसी तरह गांधीवादी नजरिए से सामाजिक क्रिया के परिप्रेक्ष्यों को आकार देने में आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसी तरह गांधीवादी नजरिए से सामाजिक क्रिया एक प्रैक्टिस के रूप में सामाजिक क्रिया के अंतर्गत संरचना और संघर्ष के भिन्न-भिन्न स्तर आते हैं।

आइए सामाजिक क्रिया की अवधारणा को समाज कार्य साहित्य की कुछ परिभाषाओं के माध्यम से समझें।

मैरी रिचमण्ड (1922) ने सामाजिक क्रिया को परिभाषित करते हुए कहा है कि ''प्रचार तथा सामाजिक विधान के माध्यम से जनसमुदाय का कल्याण सामाजिक क्रिया है |'' इस परिभाषा में सामाजिक क्रिया के एक लक्ष्य के रूप में जनसख्या के अधिसंख्य वर्गों की स्थिति को सुधारने को सुधारने पर बल दिया गया है जिसके लिए प्रचार और सामाजिक विधानों को मुख्य रणनीतियां बताया है।

ली(1937) ने कहा, ''सामाजिक क्रिया कानून अथवा सामाजिक संरचना में बदलावों अथवा मौजूदा सामाजिक व्यवहारों के सुधारों के लिए नए आंदोलनों की दिशा में निर्दिष्ट प्रयासों को इंगित करती प्रतीत होती है।'' इस परिभाषा के अनुसार, नियोजित सामाजिक बदलाव सामाजिक क्रिया का लक्ष्य प्रतीत होता है।

ग्रेस क्वायल (1937) ने इंगित किया, ''सामाजिक क्रिया सामाजिक वातावरण में उन तरीकों से परिवर्तन का प्रयास है जिनसे जीवन और संतोषप्रद होगा। इसका लक्ष्य व्यक्तियों को नहीं बल्कि सामाजिक संस्थाओं, कानूनों, रिवाजों, समुदायों को प्रभावित करना है।'' इस परिभाषा ने सामाजिक क्रिया की वैयक्तिक विचारधारा की अपेक्षा सामूहिक विचारधारा पर बल दिया है।

फिल्च (1940) ने कहा कि सामाजिक क्रिया, कानूनी तथा सामाजिक दोनों दृष्टियों से वांछित उद्देश्यों की ओर बढ़ने के प्रयोजनार्थ किसी समूह (अथवा सामूहिक क्रिया को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत किसी व्यक्ति) द्वारा कानूनी रूप से अनुयेय क्रिया है। इस परिभाषा में उन रणनीतियों को शामिल करने पर बल दिया गया है जो सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में कानून सम्मत है।

इसके अतिरिक्त सिडनी मैसलिन (1947) ने सामाजिक क्रिया के सीमित कार्यक्षेत्र को सामाजिक क्रिया को ऐसी प्रक्रिया के रूप में लेते हुए प्रस्तुत किया है जो मुख्यतः बहुजन की समस्याओं का सामना करने क लिए विधान अर्जित करने पर केन्द्रित है। इस परिभाषा में सामाजिक क्रिया के कार्यक्षेत्र को सामाजिक विधान हासिल करने तक सीमित किया गया है।

फ्रीडलैंडर (1963) ने बताया कि, "सामाजिक क्रिया समाज कार्य के दर्शन तथा व्यवहार के ढाँचे के भीतर एक वैयक्तिक, सामूहिक अथवा सामुदायिक प्रयास होता है जिसका लक्ष्य सामाजिक प्रगति पाना, सामाजिक नीतियों को संशोधित करना तथा सामाजिक विधान व स्वास्थ्य एवं कल्याण सेवाओं में सुधार करना है।" सामाजिक नीतियों को संशोधित करना तथा विधानों में सुधार लाना इस परिभाषा के उल्लेखनीय पहलू हैं।

इन सभी परिभाषाओं में सामाजिक क्रिया के भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण दिए गए हैं, फिर भी इनमें कई विशेषताएं सामान्य हैं। आइए सामाजिक क्रिया की कुछ और परिभाषाओं पर नजर डालें, विशेषकर भारतीय समाज कार्य के लेखकों की।

नानावती (1965) ने माना कि सामाजिक क्रिया ''नियोजित सामूहिक तथा सामुदायिक प्रयास के द्वारा वांछित परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है सामाजिक क्रिया सामाजिक विधान के अधिनियमित तथा हस्ताक्षरित होने पर खत्म नही हो जाती, बल्कि इन नीतियों का वास्तविक क्रियान्वयन ही सामाजिक क्रिया की सफलता या विफलता की असली कसौटी होता है।'' इस परिभाषा में सामाजिक क्रिया के दीर्घावधिक प्रभाव पर इसकी सफलता के संकेतक के रूप में केन्द्रित किया गया है।

मूर्थी (1966) ने बताया कि ''सामाजिक क्रिया के कार्यक्षेत्र में सामाजिक विधान बनवाने के अतिरिक्त आगजनी, बाढ़ महामारी, अकाल आदि जैसी आपदा स्थितियों के दौरान किए गए कार्य को रेखांकित किया गया है।''

गांधी अध्ययन संस्थान ने सामाजिक क्रिया को ऐसे शब्द पद के रूप में परिभाषित किया है जो ''समाज कल्याण की ऐसी गतिविधि पर सामान्य तौर पर लागू होती है, जो सामाजिक संस्थाओं तथा नीतियों को आकार देने अथवा उन्हें संशोधित करने की ओर निर्दिष्ट होती है जिनसे वह सामाजिक वातावरण बनता है जिसमें हम रहते हैं।''

इस तरह हम पाते हैं कि सामाजिक क्रिया को सामाजिक विधान तथा सामाजिक नीति में बदलाव के जरिए सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाओं में सरंचनात्मक बदलाव लाने की ओर लक्षित समाज कार्य की प्रैक्टिस का एक तरीका माना गया है। लक्षित जनसंख्या, वंचित समूह है और सामूहिक संचालन अति-महत्वपूर्ण है, फिर भी लक्षित समूह नियोजित मध्यस्थता में सक्रिय भागीदारी कर भी सकता है और नहीं भी। यह समानता, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्रियान्वित की जाने वाली विनिर्दिष्ट रणनीतियों तथा तकनीकों सहित नियोजित तथा सजग प्रयास होता है।

अब अपना ध्यान कुछ सामाजिक मध्यस्थताओं तथा प्रक्रियाओं की ओर आकृष्ट करें जिनके लक्ष्य और उद्देश्य सामाजिक क्रिया के समान ही होते हैं। एक ऐसा शब्द अधिवक्ता/एडवोकेसी है। यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है- दूसरों की ओर से आवाज उठाना (एड- दूसरों की ओर से तथा वोका- आवाज उठाना)। यह एक ऐसी गतिविधि है जो लोकतांत्रिक शक्तियों को दलित तथा हाशिए पर पड़ी जनसंख्या के पक्ष में विभिन्न सामाजिक मुद्दों तथा समस्याओं पर निर्णय लेने के लिए प्रभावित, प्रोत्साहित तथा प्रवृत्त करती है।

अधिवक्ता, अपने लक्ष्य, तथा रणनीतियों के इस्तेमाल तक में भी सामाजिक क्रिया के बहुत समान होता है। संसाधनों, मानवाधिकारी तथा सामाजिक न्याय के सामाजन वितरण में अपने विश्वास की तरह उनके मूलय तथा नैतिकताएं भी समाजन होती हैं। वासतव में कुछ सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता को सामजिक क्रिया की ही एक रणनीति मानते हैं। जिनमें सामाजिक क्रिया अधिक व्यापक और अधिक जटिल होती है।

एक अन्य शब्द पर जो सामाजिक क्रिया के समान होता है। वह 'सामाजिक आंदोलन' होता है। विल्किन्सन (1971) ने सामाजिक आंदोलन को (किसी भी दिशा में अथवा किसी भी तरीके जिनमें हिंसा, अवैधानिकता, 'यूटोपियन' समुदाय में परिक्रमण अथवा आहरण भी शामिल हो सकते हैं- द्वारा बदलाव के एक नियोजित सामूहिक प्रयास'' के रूप में परिभाषित किया है। एक अन्य परिभाषा में ब्लूमर (1957) कहते हैं कि ''सामाजिक आंदोलन एक नई जीवनशैली स्थापित करने के सामूहिक उद्यम होते हैं।'' किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन आदि सामाजिक आंदोलनों के कुछ उदाहण हैं। दलित तथा हाशिए पर पड़े समुदायों ने अपने आप को संचालित करके अपनी जीविका और अधिकारों की रक्षा करने में राज्य तथा समाज की विफलता के विरूद्ध आवाज उठाई है। बहरहाल, आप याद करें कि नर्मदा बचाओं आंदोलन का नेतृत्व एक समाज कार्य पेशेवर सुश्री मेधा पाटेकर द्वारा किया गया है।

सामाजिक क्रिया को व्यवसायिक समाज कार्य के एक सहायक तरीके के रूप में लिया जाता है। यह सामाजिक तथा आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन अथवा सुधार का एक संगठित प्रयास होता है। दहेज प्रथा, प्राकृतिक, संसाधनों का क्षय, नशाखोरी, आवास, स्वास्थ्य आदि जैसी कुछ सामाजिक समस्याओं का सामना सामाजिक क्रिया के माध्यम से किया जा सकता है, और किया जा चुका है। सामाजिक क्रिया का उद्देश्य सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण को निश्चित आकार देकर उसका विकास करना है जिसमें सभी नागरिकों के लिए सम्रद्धतर जीवन सम्भव हो सके। उपरोक्त चर्चा से सामाजिक क्रिया की कतिपय विशिष्टताएं उद्धत की जा सकती है। यह अनिवार्यतः एक मध्यस्थता है जो बहुजन की समाज समस्याओं के समाधान की ओर निर्दिष्ट होती है और जिसका लक्ष्य बहुजन की स्थितियों में सुधार करना है।

## 11.3 सामाजिक क्रिया की पद्धतियां

सामाजिक क्रियावादी के लिए आवश्यक विनिर्दिष्ट पद्धतियों पर नजर डालना, विशेषकर नियोजन स्तर पर लाभकारी होगा। इन्हें मोटेतौर पर निम्नानुसार चिन्हित किया जा सकता है।

संबंधगत पद्धतियां-सामाजिक कार्यकर्ताओं (अथवा सामाजिक क्रियावादियों अथवा सामाजिक कार्यवादियों) के पास व्यक्तियों तथा समूहों के साथ सौहार्द स्थापित करने के लिए और इन संबंधों के अनुरक्षण के पद्धतियांहोने चाहिए। उन्हें सेवार्थियों के साथ पेशेवर संबंध बनाने और अनुरक्षित करने में सक्षम होना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ताओं में सेवार्थी समूह के बीच नेतृत्व के गुणों को पहचाननेकी क्षमता होनी चाहिए और इन गुणों को सामाजिक क्रिया के लिए उपयोग करने के लिए कुशल होना चाहिए। इसके साथ, स्थापित स्थानीय नेताओं के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से काम करने की आवश्यकता होती है। उन्हें समूह के भीतर तथा समूहों के बीच के विवादों से प्रभावी तरीके से निपटने में सक्षम होना चाहिए। समुदाय के लोगों के बीच एकीकरण विकसित और अनुरक्षित करने के लिए सेवार्थियों के बीच समस्यामूलक व्यवहार के निदान की क्षमता भी आवश्यक है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को तनाव उत्पन्न करने वाली स्थितियों को पहचानने और उनके गम्भर हो जाने से पहले उनका शमन करना चाहिए। समान भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत अन्य एजेंसियों तथा एनजीओ, तथा समान उद्देश्य के लिए कार्यरत समूहों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना और अनुरक्षित करना भी अपेक्षित होता है।

**विश्लेषणात्मक तथा शोध संबंधी पद्धतियां-**

सामाजिक क्रिया में संलिप्त सामाजिक कार्यकर्ताओं सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक विशेषताओं का वस्तूनिष्ठ अध्ययन करने की क्षमता होनी चाहिए। उन्हे भारी समस्याओं तथा सेवार्थी समूह की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए सक्षम होना चाहिए। उन्हें सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण करने, जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचाराधारात्मक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय पहलुओं पर समस्या में ईजाफा करने वाले कारकों के प्रभावों का विश्लेषण करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें शोध करने तथा (अथवा एक कार्यकारी रूप में शोध अध्ययनों के संभावित प्रभावों को समझने में सक्षम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सामाजिक कार्यकर्ताओं को इसमें सक्षम होना चाहिए कि वे समुदाय के लोगों को अपनी आनुभाविक आवश्यकताओं के बारें में मुखर होकर बोल सकें और उन्हें प्राथमिकता प्रदान कर सकें। उन्हें कभी भी सामाजिक स्थिति और समस्याओं के बारें में खुद की समझ सामुदायिक लोगों पर थोपने का प्रयत्न नही करना चाहिए।)

**मध्यस्थता पद्धतियां-**

आवश्यकता की पहचान के बाद, सामाजिक कार्यकर्ताओं में यह क्षमता होनी चाहिए कि सेवार्थी समूह समस्या से निपटने के लिए व्यवहारिक मध्यस्थता रणीनति तैयार कर सकें। उन्हे सेवार्थी समूह का विभिनन विकल्प उपलब्ध कराने चाहिए और उपयुक्त कदम उठाने के लिए प्रत्येक विकल्प की कमी पेशी के विश्लेषण में उनकी मदद लेनी चाहिए। सामाजिक क्रिया के लिए प्राधिकारियों के साथ टकराव अपेक्षित होता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को धरनो, प्रर्दशनों, बहिष्कारों, हडतालों आदि जैसे कठोर कदम उठाने के दुष्परिणामों के बारें में समुदाय को अवगत कराना चाहिए। उन्हें समुदाय के लोगों के बीच आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए असंतोष तथा भावनात्मक उद्देश्य की अनुभूति, उत्साह तथा साहस का वांछित स्तर काफी लम्बे समय तक बनाये रखने में सक्षम होना चाहिए ताकि निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने से पहले जन समूह संचालन की विफलता की गुजांइश न्युनतम की जा सके। सामाजिक कार्यकर्ताओं को धैर्यपूर्ण और शान्त व्यवहार बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। चूंकि उन्हें एक तर्कपूर्ण तरीके से सेवार्थी समूह के भावनात्मक आवेग का सामना करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त सामाजिक कार्यकर्ता के पास ऐसा वातावरण सृजित करने की क्षमता होनी चाहिए, जिसके भीतर व्यक्ति तथा समूह सक्रिय भागीदारी कर सकें। मध्यस्थता प्रक्रियाओं का विकास आवश्यकता, संसाधनों (मानवीय तथा भौतिक) तथा समुदाय के सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। लक्षित मध्यस्थताओं के लिए स्थितियों में सुधार के लिए सक्षम होना चाहिए।

**प्रबन्धकीय पद्धतियां-**

सामाजिक कार्यकर्ताओं को संगठन को सम्भालने का ज्ञान और क्षमता की भी आवश्यकता होती है, जो लोगों के सस्थानीकरण का परिणाम हो सकता है। उन्हें विभिन्न समूहों तथा स्थानीय नेताओं के साथ समन्वय और सहयोग में सक्षम होना चाहिए ताकि सेवार्थी समूह को अपेक्षित मध्यस्थता के लिए एकजुट किया जा सकें। उन्हें नीतियों तथा कार्यक्रम बनाने, कार्यक्रम नियोजन, समन्वय, रिकार्डिंग बजटिंग तथा तात्विक लेखांकन और विभिन्न रिकार्ड का अनुरक्षण करने के लिए कुशल होना चाहिए। उन्हें धन, मनुष्यों, सामग्री, उपस्कर आदि के रूप में आन्तरिक/बाहरी संसाधनों की निगरानी करने और लक्षित समुदाय के कल्याण तथा विकास के लिए उनकी प्रभावी उपयोगिता के लिए भी पद्धतियांहोना अपेक्षित होता है।

**सम्प्रेषण कौशल-**

ये पद्धतियां सामाजिक क्रिया के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं में स्थानीय संगठनों तथा नेताओं के साथ प्रभावी जन सम्पर्क विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए। उन्हें शक्तिशाली भाषण देने के लिए सक्षम लोगों को पहचानने या भाषण देने के लिए सक्षम होना चाहिए। उन्हें लक्षित समूहों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करने के लिए कार्यक्रम मीडिया तैयार करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें विविध समूहों के अनुकूल लोक तथा जन मीडिया का मूल्यांकन करने और इस्तेमाल करने में सक्षम होना चाहिए। इन कौशलों का उपयोग नारे बनाने, तथा प्रेरक गति तैयार करने, जन समूह संचालन के लिए भाषण तथा आईसीसी सामग्री तैयार करने के लिए किया जाता है। सामाजिक  कार्यकताओं के पास जरूरतमंद स्थानों पर आवश्यक क्रिया कि लिए शिक्षित , सरलीकरण, वार्ता, सम्मति, तथा कला की पद्धतियां होने चाहिए।

**प्रशिक्षण कौशल-**

सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्थानीय नेताओं एवं चिन्हित नेताओं को जनसमूह संचालन का प्रभार संभालने व प्राधिकारियों से टकराव करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए सक्षम होना चाहिए। उन्हें क्रिया के लिए उठाये गए सामाजिक मुद्दे तथा 'टकराव प्रक्रिया' समेत मध्यस्थता करने के लिए कार्यविधि के बारे में जानकारी देने तथा स्थानीय स्तर पर चयनित लोगों को प्रशिक्षित करने में सक्षम होना चाहिए। इन्हें उठाए गये सामाजिक मुद्दे के लिए अथवा विरूद्ध जनमत तैयार करने तथा लोगों को पहचान कर सामाजिक क्रिया में शामिल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें हिंसा का इस्तेमाल किये बिना सामाजिक क्रिया की रणनीतियों तथा युक्तियों (टकराव, प्रत्यायन, वार्ता आदि) का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

नीचे दिये गये प्रमुख शब्द भी इस पहलू पर उल्लेखनीय जानकारी का स्रोत है।

**प्रतिस्पर्धा-**

इस रणनीति में प्रतिस्पर्धी पक्ष, किसी कार्यकारी समझौते पर पहुंचने की इच्छा सहित,  अपनी बात मनवाने, वार्ता करने और सौदेबाजी करनें के लिए सामान्यतौर पर स्वीकृत अभियानों का उपयोग करते है।

**व्यवधान-**

रणनीति में अधिक उग्रवादी दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया है और इसमें हडताल, बहिष्कार, उपवास, कर वंचन, धरने आदि शामिल किये जा सकते है।

सामाजिक क्रिया में प्रयुक्त युक्तियां है - हड़तालें, बहिष्कार, कर-वंचना, अनुनय, धरना , घेराव, सौहार्द, भाईचारा, उत्क्रमण हड़ताल, अवरोध, सम्मान, अस्वीकृत करना आदि।

## 11.4 सारांश

इस इकाई में आपने उन विभिन्न रणनीतियों तथा युक्तियों का अध्ययन किया है जिनका उपयोग सामाजिक क्रिया में किया जाता है। सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न अवस्थाओं की पृष्ठभूमि में रणनीतियों तथा युक्तियों की व्याख्या की गई है। सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया के संचालन और प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रकार की अधिवक्तता रणनीतियों, जैसे विधायी अधिवक्तृता, न्यायिक अधिवकक्तृता, नौकरशाही अधिवक्तृता, नेटवर्क तथा गठजोड़, मीडिया अधिवक्तृता को रेखांकित किया गया है। सामाजिक क्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में संवाद-सम्प्रेषण तथा संवाद की रणनीतियों की महत्ता का भी विवेचन किया गया है। अन्त में, सफल सामाजिक क्रिया के लिए आवश्यक पद्धतियां विस्तार से दिये गए है।

## 11.5 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. सामाजिक क्रिया का अर्थ बताइये?

2. सामाजिक क्रिया की पद्धतिया को स्पष्ट कीजिए।

## 11.6 सन्दर्भ-साहित्य


1. अहमद, मिर्जा रफीउद्दीन- समाज कार्य दर्शन एवं प्रणालिया, ब्रिटिश बुक डिपो, लखनऊ, 1967.

2. आगवर्न एण्ड निमकाफ- ए हैण्डबुक आफ सोसियोलाजी, राउटलेज एण्ड केगनपाल लि0, लंदन 1957.

3. आप्टेकर हरवर्ट - बेसिक कान्सेप्ट्स इन सोशल वर्क, यूनिवर्सिटी आवनार्थ कैरोलिना प्रेस, चैपेल हिल, 1941.

4. आरथर हिलमैन - कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन एण्ड प्लानिंग, द मैकमिलन कम्पनी, न्यूयार्क, 1957.

5. आसबर्न, एल0 डी0 न्यूमेयर, एम0 एच0 - द कम्यूनिटी एण्ड सोसाइटी

6. इण्डियन कान्फ्रेन्स आफ सोशल वर्क, स्पेशल ऐन्निवर्सरी, नवम्बर-दिसम्बर, 1957.

7. इण्डिया - कम्यूनिटी डवैलपमेन्ट प्रोग्राम इन इण्डिया, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1963.

8. इण्डिया - कम्यूनिटी डवैलपमेन्ट ऐट ऐ ग्लान्स, दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1962.

9. इण्डिया - कम्यूनिटी डवैलपमेन्ट एण्ड कोआपरेशन, गाइड टू कम्युनिटी डैवलपमें न्ट सैकेन्ड रेव0 इड0, दिल्ली, गवर्नमेन्ट प्रेस, 1957।

10. इण्डिया - ए रिपोर्ट आन द ऐनुअल कान्फ्रेन्स आन कम्युनिटी डैवलपमेंन्ट एण्ड पंचायत राज, न्यू दिल्ली, जुलाई 1964, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1964.

11. इण्डिया - द स्कोप आफ एक्सटेन्सन इन कम्युनिटी डैवेलपमेंन्ट, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1961.

इकाई- *12*

# सामाजिक क्रिया की रणनीतियां

**इकाई की रूपरेखा**

12.0 उद्देश्य

12.1 प्रस्तावना

12.2 सामाजिक क्रिया की रणनीतियाँ

12.3 रणनीति नियोजन

12.4 सारांश

12.5 अभ्यासार्थ प्रश्न

12.6 सन्दर्भ ग्रन्थ

## 12.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप:

-- सामाजिक क्रिया में रणनीतियों का अर्थ, महत्व तथा प्रासंगिकता।

-- नियोजन, जन समूह संचालक, प्रबंधन तथा मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं में अपेक्षित विनिर्दिष्ट रणनीतियां तथा कौशल।

-- सम्प्रेषण तथा नेटवर्किंग में रणनीतियां

## 12.1 प्रस्तावना

एक सार्थक रणनीति उसे कहा जाता है जिसका इस्तेमाल हिंसा को छोड़कर, अन्य उपयुक्त रणनीतियों का इस्तेमाल करके वांछित परिणाम पाने तथा लोगों को संगठित करने के लिए, संचालित करके तथा उन्हें उनके जीवन को प्रभावित करने वाले आर्थिक यथार्थ के बारे में अवगत कराने की प्रक्रिया के जरिए सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने अथवा होने वाले परिवर्तन को प्रेरित किया जाता है।

## 12.2 सामाजिक क्रिया की रणनीतियाँ

सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में सहयोग , प्रेरणा, बातचीत, मध्यस्थता, दृढ विश्वास, टकराव तथा विवादों का सुलझाव शामिल होता है और प्राधिकरण के विरूद्ध अपने असंतोष को दर्शाने के उद्देश्य से धरनों, भूख हड़ताल, विरोध मार्च, बहिष्कार, नारों के प्रदर्शन और अन्य रणनीतियों तथा युक्तियों का सहारा लेना पड़ सकता है। रणनीतियों तथा युक्तियों जिनका इस्तेमाल अक्सर पारस्परिक परिवर्तनीय रूप से किया जाता है, के अर्थ पर एक नजर डालना इनकी अवधारणा का बेहतर बोध करानें में लाभकारी होगा।

शब्दकोष में रणनीति का अर्थ योजना/नीति/दृटिकोण/नीति/चतुराई होता है। इसी प्राकर युक्ति का अर्थ चाल/दॉव/दॉव पेंच आदि होता है। उल्लेखनीय है कि यद्यपि दोनों शब्द एक जैसे लगते है, तथापि 'रणनीति' एक

व्यापकतर शब्द है जो सामाजिक क्रिया के रूप अथवा मॉडल के समकक्ष होता है जबकि 'युक्ति' का तात्पर्य विनिर्दिष्ट सटीक क्रियासे है। आइए हम सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में प्रयुक्त शिक्षाविदों तथा शोद्यार्थियों द्वारा अपनाई गई विलिन्न रणनीतियों और युक्तियों का अध्ययन करें।

रणनीतियां तथा युक्तियां सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया का ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए सम्भावित और उपलब्ध रणीनतियों पर एक आम सहमति बनना अत्यन्त कठिन है क्योंकि सामाजिक क्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में बदलते समय के साथ नई से नई रणनीतियां तथा युक्तियां प्रयुक्त की जा रही है। लीस ने निम्न प्रमुख रणनीतियों की व्याख्या की हैः

**1. सहभागिता की रणनीति**- इसमें अन्तर्निहित मान्यता यह होती है कि शक्ति समीकरण में परिवर्तन लाने के लिए सदैव संघर्षपूर्ण रणनीतियों का आश्रय लेना आवश्यक नही होता। प्राधिकारी प्रतिक्रियात्मक हो सकते है और वंचित समूहों के साथ संसाधनों का समान बटवारा करने के लिए आवश्यक परिवर्तन ला सकते है। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता मौजूदा सामाजिक नीति में आवश्यक बदलाव लाने के उद्देश्य से स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य प्राधिकारियों अथवा एंजेंसियों से सहयोग करता है। यह रणनीति मूल्यों और हितों की एकरूपता पर आधारित होती है, जिसके माध्यम से प्रस्तावित मध्यस्थता पर पर्याप्त सहमति प्राप्त होती है। सहयोग की नीति में, शान्तिपूर्ण उपायों के माध्यम से सामाजिक संरचना अथवा संस्था में परिवर्तन लाया जाता है। ऐसे उपाय हैः-शिक्षा, प्रदर्शन तथा प्रयोग।

**2. प्रतिस्पर्धा की रणनीति** -प्रतिस्पर्धा अथवा सौदाबाजी, बातचीत, अधिवक्तता आदि रणनीतियों का दूसरा समुच्चय इस कल्पना पर आधारित होता है कि परिवर्तन के रास्ते में थोडा अवरोध या विरोध प्रतीत होता है और एजेंट को एक सी युक्तियों का सहारा लेना पड़ सकता है जो पूरी तरह से प्रत्यायक न हों बल्कि दबाव के जरिए परिवर्तन लाए। इस रणनीति में पक्ष किसी कारगर समझौते पर पहुंचने के लिए दबाव डालने, वार्ता करने तथा सौदेबाजी करने के लिए सामान्य तौर पर स्वीकार्य अभियान की युक्तियों का उपयोग करते है।

**3. व्यावधानात्मक की रणनीति:-** व्यवधान अथवा संपर्क टकराव, तकनीकों का तीसरा समुच्चय इस धारणा पर आधारित होती है कि यथास्थिति के सर्मथकों और परिवर्तन के समर्थकों के बीच संघर्ष में प्रतिरोध परिवर्तन के प्रयास का एक पक्ष होता है और इसलिए द्वन्द का तरीका सामाजिक क्रिया के प्रयास में अन्तर्निहित होता है। इस रणनीति में अधिक उग्रवादी दृष्टिकोण को इंगित किया गया है और इसमें हडतालें, बहिष्कार, उपवास, कर अदायगी न करना, धरना आदि शामिल हो सकते है। लीज ने दगों तथा गुरिल्ला युद्ध को भी शामिल किया है। यद्यपि, अनेक अन्य सामाजिक कार्यकर्ता इसे बाहर कर सकते है। चूंकि हिंसा का कोई भी इस्तेमाल पेशेवर सामाजिक कार्य के मूल्यों तथा नैतिकताओं में अस्वीकार्य होगा। इसी प्रकार लीस ने सामाजिक क्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक क्रियावादियों/ कार्यकर्ताओं द्वारा प्रयोग की गई नौ युक्तियों का सुझाव दिया है। सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में ये तकनीकें सामान्यतः एक-दूसरे को आच्छादित करती है। ये हैः-

1. शोध

2. शिक्षा

3. सहयोग

4. संगठन

5. मध्यस्थता

6. वार्ता

7. सूक्ष्म बल प्रयोग

8. विधिक मूल्यों को न मानना

9. संयुक्त क्रिया

लीस द्वारा सुझाई गई रणनीतियों और युक्तियों दोनो में एक ऐसी श्रंखला का अनुसरण करना प्रतीत होता है, जिसका अर्थ यह है कि यदि एक युक्ति काम न करे तो दूसरी का सहारा लेना चाहिए। रणनीति अथवा युक्ति का प्रयोग चुने गए लक्ष्यों तथा सामाजिक- सांस्कृतिक परिवेश पर भी निर्भर करेगा।

रिचर्ड ब्रायण्ट ने रणनीतियों के दो समुच्चय प्रतिपादित किये हैः-सौदेबाजी तथा टकराव। सौदेबाजी सहमति जुटाना, यचिकाएं दायर करना, सूचना एवं प्रचार आदि शामिल होते है। इसी तरह टकराव में हडतालें, प्रर्दशन तथा धरने शामिल होते है। सिंह ने इनमें एक अन्य रणनीति जोडी है -प्रशासनिक दृष्किोण। उसने कहा है, 'बहुधा' किसी भी अतिवादी परिवर्तन के संघर्ष अथवा प्रयास को प्रशासन द्वारा कानून-व्यवस्था की समस्या के रूप में देखा जाता है और इसलिए स्थिति से निपटने के लिए एक प्रशासनिक दृष्टिकोण अथवा रणनीति अपनाई जाती है '' इसमें प्रत्ययन, सौदेबाजी, बल प्रयोग, घुसपैठ, रियायत , सह - विकल्प, विभाजन आदि शामिल होते है।

इसके अतिरिक्त, हार्नस्टीन ने सामाजिक मध्यस्थता के लिए कुछ निश्चित रणनीतियों सूचीबद्ध की है - वैयक्तिक परिवर्तन, तकनीकी - संरचनात्मक, आंकड़ा - आधारित, संगठनात्मक विकास तथा सांस्कृतिक परिवर्तन, हिंसा तथा बल प्रयोग तथा अहिंसक सीधी क्रिया, समायोजन, परित्याग, जीवंत उदाहरण, जन-सर्मथन, प्रस्तावों की प्रस्तुति, प्रतिस्पर्धा, समर्थन जुटाना विरोध प्रर्दशन तथा समापन। हार्नस्टीन ने सामाजिक क्रिया की इन रणनीतियों और युक्तियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया हैः-

1. सीधी क्रिया की युक्तियां :- घेराव, मार्च मैत्री, तंग करना, इशतहार तथा सम्मान अस्वीकार करना।

2. असहयोगः- हड़ताल, बहिष्कार, कर देने से इन्कार।

3. मध्यस्थताः-धरने, उत्क्रमण हड़ताल, अवरोध।

इसके बाद, गांधीवादी परम्परा में, अहिंसक विरोध तथा असहयोग तथा अहिंसक मध्यस्थता की सामाजिक क्रिया की रणनीतियां अथवा तरीकों को तीन गोष्ठी श्रेणियों के रूप में शामिल किया गया है। वास्तव में गांधीवादी सामाजिक क्रिया की ये तीन विशेषताएं व्यावसायिक सामाजिक क्रिया नैतिकताओं, मूल्यों तथा दर्शन के साथ आश्चर्यजनक समानता रखती है। उल्लेखनीय है कि सामाजिक क्रिया के लिए टकराव, सौदेबाजी की आवश्यकता होती है। इसमें किसी भी हिंसा अथवा शत्रुता, निर्वभता तथा रक्तपात को स्वीकृति नही होती। इसका अर्थ है कि असंतोष को भी शान्तिपूर्ण तरीके से दर्शाया जाता है।

## 12.3 रणनीति नियोजन

नियोजन, सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण पक्षों में से एक है। यह की जाने वाली कार्यवाई का एक खाका (ब्लू प्रिंट) तैयार करता है। अक्सर कहा जाता है कि अच्छी योजना का अर्थ आधा कार्य पूरा हो जाना होता है। सामाजिक क्रिया में नियोजन अवस्था में सामने रखी समस्या के कारणों के बारे में पर्याप्त सूचना एकत्र करके उसका विश्लेषण किया जाता है। सामाजिक क्रिया में कुछ नई तकनीकें और रणनीतियां प्रयुक्त की जा रही है, जैसा कि उन अन्य क्षेत्रों में देखते है जहां कहीं भी लोगों का प्रबंधन तथा कार्यक्रमों का प्रशासन शामिल होता है।

नियोजन प्रक्रिया समस्या के बारे में मूल पृष्ठभूमि की सूचना के संग्रह से आरम्भ होती है। हेतुक तथा भागीदार कारकों की पहचान, समस्या की गंभीरता और सीमा, लोगों के वंचित समुदाय अथवा वर्ग की सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उनकी अनुभाविक, अनानुभविक आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं पर ध्यान दिया जाता है। इस नियोजन अवस्था में उपयोगी होती कुछ रणनीतियां इस प्रकार हैः-

**स्थितिगत विश्लेषण**:-यह रणनीति समस्यापरक वातावरण की एक स्पष्ट और व्यापक तस्वीर पेश करती है और सामाजिक क्रिया को न्यायाचित ठहराती है। सामने की समस्या के आधार पर, शोध अथवा अन्य वस्तुनिष्ठ तरीकों के माध्यम से राजनीतिक कारकों (अनुकूल/प्रतिकूल राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय नीतियों तथा कार्यक्रम, राजनीतिक निर्णयकर्ता तंत्र, प्रासंगिक स्थानीय सुधार नीतियां वरणनीतियां, और संबंधित विधान तथा विनियम।)

संस्थागत कारकों (उत्तरदायित्व प्रशासनिक व्यवस्था तथा समस्या को संभालने में उनकी कुशलता), आर्थिक तथा वित्तीय संसाधनों तथा कारकों (आदिति नीति तथा आर्थिक सुधार तथा सामान्यतः आम लोगों पर और विशेषतय गरीबों पर उनका प्रभाव माइक्रों-क्रेडित तथा ऋण व्यवस्था आदि) अवसंरचना तथा नागरिक सुविधाओं (नागरिक सुविधाओं तथा अवसंरचना में कोई पृथक, सुस्पष्ट अथवा अस्पष्ट सेवा आपूर्ति व्यवस्था) सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियों (सामाजिक तथा जातीय समूह, भाषाई समूह, लैंगिक भूमिकाएं, धार्मिक तथा जाति-व्यवस्था, सामाजिक मूल्य व अभिवृत्तियों तथा उनके प्रभाव) के बारे में सूचना एकत्र की जाती है। इससे उस स्थिति का एक परिदृश्य प्राप्त होगा जिसे परिवर्तित किये जाने की जरूरत है।

**समस्या का विश्लेषण**:-यह और अधिक विनिर्दिष्ट तथा सीमित दृष्टिकोण है जहां न केवल समस्या के मूल कारणों का, बल्कि इसके विविध प्रभावों का भी विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण समस्या के वस्तुनिष्ठ रूप से चिन्हित कारकों तथा प्रत्यक्ष कारणों पर आधारित होगा। उदाहरण के लिए, ठाकुरों तथा दलितों के एक गांव में दलितों को सुरक्षित पेयजल सुलभ नही है। हो सकता है ऐसा पंचायत स्तर पर राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता के चलते हो, और वास्तविक मामला ठाकुरों द्वारा दलितों का दमन किए जाने का न हो। यह बात हमेशा उपयोगी होती है कि यह विश्लेषण भागीदारी सहित होना चाहिए न कि नेतृत्व करने वाली ऐसी द्वारा किया गया अकादमिक कार्य या समाज कार्य पेशेवर द्वारा कोई बौद्धिक कार्यवाई।

**संसाधन विश्लेषण**:-इसमें मानवीय, भौतिक, वित्तीय, तकनीक, सामाजिक तथा राजनैतिक संसाधनो की उपलब्धता। अनुपलब्धता का आंकलन करना शामिल होता है। इसमें उन संबंधित पक्षों की पहचान भी शामिल होती है जिनके पास वे संसाधन होते है जिनकी वंचित समुदाय के पास कमी होती है, और जिस वंचित समूह के लिए सामाजिक क्रिया आरम्भ की जाती है उनके विकास के लिए इन संसाधनों का राजनैतिक पुनर्वितरण आवश्यक होता है।

**संबंधित पक्षों का विश्लेषण**:-यह मध्यस्थता के केन्द्र बिंदु को और तेज बनाने और आगे कार्यवाही के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए एक प्रमुख रणनीति होती है। संबंधित पक्षों का विश्लेषण सभी संबंधित समूहों जैसे लक्षित समूह, प्रत्यक्ष लाभान्वितों तथा अन्तिम लाभान्वितों के बारे में सामाजिक क्रियावादी/क्रिया को सूचना उपलब्ध कराता है, और यह भी एक तथ्य वे समूह अनुकूल है या प्रतिकूल। यह विश्लेषण उन विभिन्न पक्षों की पहचान से आरम्भ होता है जो समस्या द्वारा प्रभावित होते है। (मुख्यतः वंचित समूह) या जो स्थिति को प्रभावित करते है। (राज्य, अभिजात वर्ग आदि जैसे दमनकारी समूह), या जो उपयोगी सहयोगी हो सकते है (जैसे इलेक्ट्रानिक अथवा प्रिंट मीडिया) अथवा विवादित भागीदार हो सकते है या मध्यस्थता के लिए खतरा हो सकते है (जैसे विभिन्न स्तरों पर प्रशासक अथवा चुने हुए प्रतिनिधि)। इन्हें इनकी अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता के स्तर के अनुसार श्रेणीबद्ध करना (जैसे अत्यन्त अनुकूल, अनुकूल, अनिश्चित, पगतिकूल अथवा अत्यन्त प्रतिकूल)

अगला कदम होगा। विभिन्न  संबंधित पक्षों के हितों तथा उम्मीदों की पहचान करना तथा उनकी क्षमताओं और संभावित योगदान का आंकलन करना अगला कदम होगा।

स्वाक (दृढता, दुर्बलता, अवसर तथा चुनौतियां) विश्लेषणः-यह विश्लेषण संबंधित पक्षों के विश्लेष्ज्ञण के साथ-साथ चलता है। यह लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार की गई मध्यस्थता प्रक्रिया में अंतदृष्टि प्रदान करता है। मुख्य कार्यकर्ता/नेता/सुविधाकर्ता विश्लेषण करते है कि उनकी उनके विराधियों की तुलना में उनकी शक्तियां तथा दुर्बलताएं क्या है उनके लिए कौन से अवसर उपलब्ध है तथा उनकी चुनौतियां व बाध्यताएं क्या है। यह मूलतः एक लागत लाभ विश्लेषण होता है जिसके बाद मध्यस्थता की रणनीतियां तैयार की जाती है।

सामाजिक क्रिया की अवधारणा तथा सिद्धान्तों को समझने के आद, आइए एक नजर सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा सामाजिक क्रिया के लिए आवश्यक कौशलों पर एक नजर डालें। ये कौशल उन सामान्य कौशलों से बिल्कुल भी भिन्न नही है। जिन्हें वह पेशेवर सामाजिक क्रिया की प्रतिबद्धताओं व सिद्धान्तों को आत्मसात करके धारित करता है। समाज कार्य रूप में सामाजिक क्रिया का इस्तेमाल करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता को कुछ निश्चित कौशलों की जरूरत होती है जिनमें से कुछ को नीचे संक्षेप में बताया गया है।

रणनीतियों को नियोजित करना अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है चूँकि वे मध्यस्थता की सफलता अथवा विफलता की नीव डालती है। यदि प्रारम्भिक अवस्था में समस्या की गलत पहचान की गई हो अथवा वास्तविक कारण पर ध्यान न दिया गया है अथवा भागीदारों व विरोधियों की शक्तियों तथा दुर्बलताओं को अच्छी तरह से आंकलित नही किया गया हो, तो सफल सामाजिक क्रिया के अवसर न्यूनतम होते है। वस्तुनिष्ठत, अवलोकन, विश्लेषणात्मक कौशल, स्वाफक विश्लेषण जैसी रणनीतियों का उपयोग करने के कौशल, संबंधित पक्षों का विश्लेषण करके उन्हें प्रस्तुत करने के कौशल, शौध में कौशल, लोगों को उनकी समस्याओं और सम्भावित हलों के साथ पहचानने के कौशल, समस्या विश्लेषण के मूल अध्ययन के लक्षित समूह को सम्प्रषित करने के कौशल, ये कुछ ऐसे अत्यन्त महत्वपूर्ण कौशल होते है जिनकी आवश्यकता नियोजन स्तर पर होती है। नियोजन से वास्तविक उद्देश्य निर्धारित करने में मद्द मिलती है जिसे बाद में मध्यस्थता की गिरानी और मूल्यांकन में मदद मिलती है। आइए अब प्रबन्धकीय रणनीतियों पर ध्यान दें।

## प्रबंधकीय या संचालक रणनीतियां

प्रबन्धकीय या संचालक रणनीतियों का लक्ष्य उन लोगों को प्रभावित करने का होगा जिनके पास सामाजिक/राजनैतिक तथा आर्थिक शक्ति है जिससे समाज के वंचित वर्गों के जीवन को सुधारने के उद्देश्य से संसाधनों तथा शक्ति का पुनर्वितरण सुगम हो सके। इसमें शामिल कुछ बातें है - सहमति जुटाना जनता का संचालन, मध्यस्थता, सविनय अवज्ञा, हडताले, धरनें, विरोध प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान तथा विधायी प्रयास। संचालन रणनीति रणनीतियां वंचित समूह को उनके दमन व शोषण के संबंध में आवाज उठाने के लिए तैयार करने के लिए होती है।

अधिवक्ता को सामाजिक क्रिया में प्रमुख रणनीति माना जाता है, जो वास्तव में विभिन्न सामाजिक एजंसियों के बीच शक्ति तथा राजनीतिक संबंधों को प्रभावित करना होता है। यह जनसंख्या के कमजारे वर्गों की ओर से आवाज उठाने की प्रक्रिया है जिनके पास राजनीतिक शक्तियों तथा आर्थिक संसाधनों की कमी होती है, जिनकी आवाज उच्चाधिकारियों  तक पहुंचने से पहले ही दम तोड देती है और जो नौकरशाही की दया पर निर्भर होते है। अधिवक्तता की सफलता रणनीति, युक्तियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं की क्षमता, समस्या के बारे में ज्ञान,

संबंधिक विधानों, नीतियों तथा मीडिया के उपयुक्त प्रयोग पर निर्भिर होती है। अधिवक्ता मध्यस्थता का एक शक्तिशाली अभियान आय, किंतु ज्ञानी और प्रतिबद्ध लोगों द्वारा चलाए गए है।

अधिवक्ता लोगों को एक होने का अवसर उपलब्ध कराने से आरम्भ होती है। इसमें चर्चाओं के जरिए जनमत तैयार करने के लिए विभिन्न समूहों तथा समुदायों को प्रेरित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के जरिए संबंधित मुद्दे उनके संसाधन सामने आते है और लोग अपने आपको प्रभावित करने वाली समस्याओं के प्रति एक अन्तदूरष्टि विकसति करना सीखते है। अनेक बार अधिवक्ता विभिन्न स्तरों पर एक साथ की जाती है। इसके लिए विभिन्न व्यवस्थाओं के बारें में ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। किसी व्यवस्था की औपचारिक तथा अनौपचारिक संरचना हो सकती है। व्यवस्था के बारें में केवल ज्ञान पर्याप्त नही होता, व्यवस्था को प्रभावित करने वाली रणनीतियां तथा युक्तियां भी अपेक्षित होती है। व्यक्ति को यह प्रत्याशा करने में सक्षम होना चाहिए कि विराधी पक्ष आपके समझौते की काट कैसे निकाल सकता है और तब आपका कदम क्या होगा।

अधिवक्ता कई स्तरों पर की जाती है - निजी स्तर (दैनिक जीवन के बारें में मुद्दे उठाना), पारिवारिक स्तर (लैंगिक भेदभाव, आयु से संबंधित मुद्दे जैसे बाल शोषण, वृद्धों का शोषण, किसी सदस्य को उसकी शर्तों पर नही जीने देना, पारिवारिक संसाधनों को असमान वितरण आदि), सामुदायिक स्तर (समुदाय की भलाई से जुड़े मुद्दें, समुदाय का कोई वर्ग समान हिस्सा नही पा रहा हो, तथा जातीयता, धर्म, वंश के कारण भेदभाव), क्षेत्र (पानी, साफ-सफाई, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल तथा आय अवसंरचना, जैसी मूलभूत सुविधाये तथा सेवाएं उत्तरदायी प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध न कराया जाना), राज्य (योजनाएं , कार्यक्रम क्रियान्वयन नीतियां, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, भूमि अधिकार आदि समानता और सामाजिक न्याय के अनुरूप न हों), राष्ट्र ( चंचितों के लाभार्थ नीति, मध्यस्थता को प्रभावित करना, मानव के मूल अधिकार, मध्यस्थता सम्मेलन, सक्रिय तथा सम्बंध तथा) अन्तराष्ट्रीय (विश्व व्यापार संधियों, अन्तराष्ट्रीय ऋण, हथियारों के सौदों, अवैध व्यापार, विश्व तापन आदि से जुड़े मुद्दे आदि।)

एक स्तर पर लिए गये निर्णय अन्य स्तरों पर लोगों को प्रभावित करते है। इसलिए, दीर्घावधिक तथा धारणीय परिवर्तनों के लिए अधिवक्ता अनेक स्तरों पर साथ - साथ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी राष्ट्र ने बहुत सारा अंतराष्ट्रीय ऋण लिया हुआ हो, तो सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना कठिन होगा। इसलिए, यदि हम सभी के लिए शिक्ष्ज्ञा के लिए लड़ते है, तो हमें अंतराष्ट्रीय ऋण का मुद्दा भी उठाना चाहिए।

सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में लोगों की सक्रिय भागीदारी से विश्वसनीयता आती है जो लोगो के संचालन के लिए महत्वपूर्ण होती है। समाज के वंचित वर्गों के संचालन, लक्षित समूहों को सूचित किया जाता है कि लोगों को लोकतंत्र में समान अधिकार मिलने चाहिए और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, हमारा कर्तव्य है कि हम भी अपने अधिकारों तथा संबंधित मुद्दों के प्रति सचेत रहें। हमें ज्ञात है कि आज क संसार में अधिकारों का उल्लंघन असामान्य नही है विशेषकर उन लोगों के लिए जो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक रूप से पिछडें हुए है। सिर्फ सहायता करने वाले लोग अपनी समस्याओं को अधिकारों के नजरिये से देखते है।

मुख्यतः तीन तरह की अधिवक्तियां इंगित की गई है विधायी, नौकरशाही और न्यायिक अधिवक्तता।

**विधायी अधिवक्तता**:-इसका उद्देश्य विधायी प्रक्रिया को प्रभावित करना तथा नये विधान बननो के लिए सिफारिश करना, विधानों में संशोधन करने और प्रस्तावित एवं स्वीकृत अध्यादेशों अथवा ऐसे अभिलेखों जो कानून के कार्यान्वयन के विरोधी हों, के विरूद्ध आवाज उठाना है। विधायी प्रक्रिया, संसद अथवा विधान सभा में

होती है। नीतियां विधायकों द्वारा पारित की जाती है, नये कानून बनाये जाते है तथा पुरानों में संशोधन किया जाता है। विधायी प्रक्रिया, जैसे प्रश्नकाल (सदन का पहला घंटा) निचली तथा उपरी सदन में प्रश्न पूछने तथा जवाब देने के लिए सुरक्षित रखा गया है। शून्य काल (पहले घंटे तथा सदन के अगले सत्र का मध्य), स्थगन प्रस्ताव, संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन, ध्यान आकर्षित प्रस्ताव, आधा घंटा चर्चा, अविश्वास प्रस्ताव, याचिका इत्यादि को विधायी प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है।ये कुछ प्रक्रियाएं है जिन्हे निश्चित आचार-संहिता, नियम एवं नियमनों के तहत संसद तथा विधान सभाओं में बनाये रखा जाता है। इन प्रक्रियाओं की जानकारी एवं इनकी शक्तिशाली कार्यप्रणाली एक अधिवक्ता समूह के लिए एक शक्तिशाली विधायी उपकरण के रूप में कार्य करता है।

**नौकरशाही अधिवक्ता**:-कई बार ठोस व नौकरशाही ढांचा, लालफीताशाही गरीब-सहायक नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में काफी बाधा उत्पन्न करते है, जिसके कारण इस प्रणाली के विरूद्ध सामाजिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। वर्तमान में नौकरशाही प्रणाली के नकारात्मक पहलुओं में लडने तथा पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम एक सशक्त माध्यम बन गया है। इस सूचना अधिकार अधिनियम के अस्तित्व में आने के पश्चात सफलता की अनेक कहानियां सामने आई है।

**न्यायिक अधिवक्ता**:-का मुख्य उद्देश्य जन-हित की रक्षा करना, राज्य की गरीब विरोधी नीतियों और कार्यक्रमों को चुनौती देना संवैधानिक तथा कानूनी अधिकरारों को लागू करना तथा मौजूदा न्यायिक प्रणाली में वांछित परिवर्तनों को लाना। 'एनिकस क्युरा' के रूप में जनहित याचिका दायर करना तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकरों के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना, कुछ ऐसे उपाय है जिनका प्रयोग अधिवक्ता समूह कर सकते है।

इसके अतिरिक्त गठबंधन तथा नेटवर्क तैयार किये जाते है , ये वे समूह होते है जो सांझो उद्देश्य तथा सांझे लक्ष्य को पूरा करने के लिए एकजुट होते है। ये अधिवक्तृता के उद्देश्यों को आगे बढाने के शक्तिशाली उपकरण होते है। कोई भी अधिवक्तृता केवल तभी सफल हो सकती है। यदि इसमें अधिकाधिक लोग शामिल हों। यही कारण है कि गठजोड़और नेटवर्क विकसित किये जाते है। किसी अधिवक्तृता रणनीति की सफलता के अवसर बढ़ जाते है अगर इसमें अनेक भिन्न - भिन्न प्रकार के समूह शामिल हों (जैसे धार्मिक, सामाजिक युवा, महिला आदि), क्योंकि इन समूहों कों इकट्ठा हो जायें जिनका एक होना या सहयोग करना आशातीत समझा जाता है। गठबंधन में विभिन्न समूहों के विविध तथा बहु आयामी गुणवत्ताएं और क्षमताएं होती है, जो एक सामुहिक कारण से इन समूहों के इकट्ठे होने पर आपस में सांझी हो जाती है, जिससे गठबंधन बहुत मजबूत हो जाता है। ये गठबंधन स्थायी भी हो सकते है (आरम्भ में वे अस्थायी होते है किंतु बाद में स्थायी हो जाते है, वे संरचित होते है, इनके नियम होते है, इनके बोर्ड होते है जो सुपरिभाषित विनियमों के तहत काम करते है जैसे टे"ड यूनियनें, आदि) अथवा अस्थायी भी (उद्देश्य के पूरा होने के बाद ये समाप्त हो जाते है), अनौपचारिक (सदस्यता विनिर्दिष्ट और सःशुल्क होती है) अथवा अनौपचारिक, भौगोलिक, बहु-उद्देश्यीय, एकल लक्ष्य - केन्द्रित हो सकते है)।

**मीडिया अधिवक्ता**:-यह सामाजिक परिदृश्य में सबसे लोकप्रिय रणनीति है। सामाजिक क्रिया के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मीडिया का उपयोग मीडिया अधिवक्तृता कहलाता है। रेडियो, रेडियो , टेलीविजन, समाजचार पत्र, नुक्कड नाटक, कहानिया, इन्टरनेट तथा ऐसे ही अन्य माध्यम अधिवक्तृता के लिये इस्तेमाल किये जा सकते है। मीडिया अधिवक्ता का प्रयोग न केवल नीति निर्माताओं और नौकरशाही व्यवस्था पर दबाव डालने के लिए, बल्कि जनमत तैयार करने के उद्देश्य के लिए आम आदमी को संचालित व शामिल करने के लिए भी किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि नेताओं अथवा निर्णयकर्ताओं द्वारा स्थित का नजरिया और उनका अनुभव रणनीति के चयन में बहुत मायने रखता है। उदाहरण के तौर पर पिछड़े वर्गों अथवा किसान आंदोलनों में, प्रत्याहार, स्वयं-संगठन, रूपान्तरण, श्रमिक विभाजन, वंचितों द्वारा अभिजात वर्गों के एकाधिकार पर आक्रमण, धर्मनिरपेक्ष तथा धार्मिक सिद्धान्तों का इस्तेमाल, चुनाव में भागीदारी या बहिष्कार, (लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाएं) प्रतिस्पर्धा, प्रचार, जन अपील, सन्धि, वंचना, विरोध प्रदर्शन आदि का उपयोग किया गया है। इस तरह, हम देखते है सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा अनेक रणनीतियों और युक्तियों का उपयोग किया जाता है। यह सामुदायिक विकास पुनः स्मरणीय है कि यद्यपि सामाजिक क्रिया में टकराव जैसी रणनीतियों तथा बहिष्कार, धरनों , रैलियों, बन्द, मार्च, कर वंचना, तथा शक्ति ओर संसाधनों से युक्त प्राधिकारियों के प्रति अवज्ञा और असंतोष जताने के अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, मुख्य बल शान्तिपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से संसाधनों तथा शक्ति के समान वितरण तथा सामाजिक न्याय पर रहता है।

आइये रणनीतिों के एक भिन्न समुच्चय की बात करें जो सामाजिक क्रिया का ह्दय होता है। ये रणनीतियों सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में 'सर्वव्याप्त' होती है और सम्प्रेषण रणनीतियों' के रूप में समूहबद्ध की गई है। इन सम्प्रेषण रणनीतियों का इस्तेमाल विभिन्न संबंधित पक्षों के बारें में जानकारी जुटाने, उन्हें मनाने, संचालित करने, अधिवक्तृता करने, जोर देने तथा सौदेबाजी करने के लिए किया जाता है। सामाजिक क्रिया की सफलता इस पर निर्भर करती है संबंधित पक्षों के साथ मुद्दे पर कैसे संवाद स्थापित किया गया है।

उपयुक्त रणनीतियों के उपयोग से समुदाय के वंचित वर्गों का संचालन सुनिश्चित होता है। वास्तव में सामुदायिक विकास सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक क्रिया की पूरी प्रक्रिया के दौरान, सौहार्द, निरूपण से लेकर, समस्या के विभिन्न आयामों, कारणों, निहितार्थों की खोज करने, वंचित समुदाय को समस्या और उसके वैकल्पिक संसाधनों के बारें में सूचित करने, उन्हें अन्याय के विरूद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित करने, विवादों को सुलझानें, लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने, बातचीत करने, प्राधिकरण से टकरानें, तर्कपूर्ण वाद विवाद में संलिप्त होने तथा सामाजिक क्रिया के उद्देश्यों के पूरा होने के बाद में संलिप्त होने तथा सामाजिक क्रिया के उद्देश्यों के पूरा होने के बाद सामाजिक क्रिया के प्रत्याहार तक, अनेक भिन्न - भिन्न रणनीतियों का प्रयोग कराता है।

**संवाद** -सम्प्रेषण को एक प्राप्तकर्ता के माध्यम से संदेश भेजने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। सम्प्रेषण की प्रक्रिया का अर्थ सूचना सांझी करना, संदेश भेजना, प्रसारित करना, प्राप्त करना तथा देना होता है। संदेश मौखिक, अमौखिक या दोनो का संयोजन हो सकता है। कौशल संदेश के विवेचन में होता है। जो लोगों को प्रेरित और संचालित करने अथवा दमनकारी व्यवस्था के साथ तर्क करने के लिए हो सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता जिसके पास स्थिति के मुताबिक उपयुक्त शब्दों के उपयोग का ज्ञान होता है, प्रायः इसका इस्तेमाल सामाजिक क्रिया की सफलता के लिए करता है। संदेश आगे भेजने के लिए, अनेक तरीकों, जैसे पोस्टरों तथा बैनरों, नुक्कड़ नाटकों, सकल अथवा समूह बैठकों, रेडियों, टेलीविजन, समाचार पत्रों, ईमेल तथा इंटरनेट आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है।

वांछित परिणाम पाने के उद्देश्य से संदेश देने से पहले संबंधित पक्षों के बारे में सामाजिक, आर्थिक, पृष्ठभूमि, विभिन्न भाषायी विशेषताओं, दृष्टिकोण, मान्यताओं, सांस्कृतिक वातावरण, साक्षरता तथा शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण होता है। संचार के माध्यम का पर्याप्त चयन विभिन्न मानदण्डों पर आधारित होता है जैसे गरीबों तक पहुॅचने के लिए माध्यम की क्षमता, सहयोग मांगने की क्षमता, आम लोगों तक पहुॅचने की क्षमता, लागत की प्रभावोत्पादकता आदि। अच्छा संदेश वह होता है जो साधारण, मुख्य बिन्दु पर केन्द्रित आसानी से स्मरणीय और

उद्धरणीय हो। नारे, तुकबन्दियां, गानों की पैरोड़ी आदि अक्सर लोगों का ध्यान खींचते है और स्पष्टता से संचालन में मद्द करते है।

## 12.4 सारांश

इस इकाई में आपने उन विभिन्न रणनीतियों का अध्ययन किया है जिनका उपयोग सामाजिक क्रिया में किया जाता है। सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न अवस्थाओं की पृष्ठभूमि में रणनीतियों तथा युक्तियों की व्याख्या की गई है। नियोजन अवस्था में, संबंधित पक्षों के विश्लेषण, 'स्वाक' विश्लेषण तथा समस्या विश्लेषण की रणनीतियों की विस्तार से व्याख्या की गई है। सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया के संचालन और प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रकार की अधिवक्तता रणनीतियों, जैसे विधायी अधिवक्तृता, न्यायिक अधिवकक्तृता, नौकरशाही अधिवक्तृता, नेटवर्क तथा गठजोड़, मीडिया अधिवक्तृता को रेखांकित किया गया है। सामाजिक क्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में संवाद-सम्प्रेषण तथा संवाद की रणनीतियों की महत्ता का भी विवेचन किया गया है।

## 12.5 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. सामाजिक क्रिया की रणनीतियों को स्पष्ट कीजिए।

2. सामाजिक क्रिया की रणनीति नियोजन को स्पष्ट कीजिए।

## 12.6 सन्दर्भ-साहित्य


1. अहमद, मिर्जा रफीउद्दीन- समाज कार्य दर्शन एवं प्रणालियाँ, ब्रिटिश बुक डिपो, लखनऊ, 1967.

2. आगवर्न एण्ड निमकाफ- ए हैण्डबुक आफ सोसियोलाजी, राउटलेज एण्ड केगनपाल लि0, लंदन 1957.

3. आप्टेकर हरवर्ट - बेसिक कान्सेप्ट्स इन सोशल वर्क, यूनिवर्सिटी आवनार्थ कैरोलिना प्रेस, चैपेल हिल, 1941.

4. आरथर हिलमैन - कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन एण्ड प्लानिंग, द मैकमिलन कम्पनी, न्यूयार्क, 1957.

5. आसबर्न, एल0 उी0 न्यूमेयर, एम0 एच0 - द कम्यूनिटी एण्ड सोसाइटी

6. इण्डियन कान्फ्रेन्स आफ सोशल वर्क, स्पेशल ऐन्निवर्सरी, नवम्बर-दिसम्बर, 1957.

7. इण्डिया - कम्यूनिटी डवैलपमेन्ट प्रोग्राम इन इण्डिया, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1963.

8. इण्डिया - कम्यूनिटी डवैलपमेन्ट ऐट ऐ ग्लान्स, दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1962.

9. इण्डिया - कम्यूनिटी डवैलपमेन्ट एण्ड कोआपरेशन, गाइड टू कम्युनिटी डैवलपमेंन्ट सैकेन्ड रेव0 इड0, दिल्ली, गवर्नमेन्ट प्रेस, 1957.

10. इण्डिया - ए रिपोर्ट आन द ऐनुअल कान्फ्रेन्स आन कम्युनिटी डैवलपमेंन्ट एण्ड पंचायत राज, न्यू दिल्ली जुलाई 1964, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1964.

11. इण्डिया - द स्कोप आफ एक्सटेन्सन इन कम्युनिटी डैवेलपमेंन्ट, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1961.

12. ऐण्डरसन, जे0 - सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन, सोशल वर्क इयर बुक, रसेल सेज फाउन्डेशन, न्युयार्क, 1947.

इकाई-*13*

# सामाजिक क्रिया के सिद्धान्त

**इकाई की रूपरेखा**


13.0 उद्देश्य

13.1 प्रस्तावना

13.2 सामाजिक क्रिया का महत्व

13.3 सामाजिक क्रिया के उद्देश्य

13.4 सामाजिक क्रिया के स्वरूप

13.5 सामाजिक क्रिया के सिद्धान्त

13.6 सारांश

13.7 अभ्यासार्थ प्रश्न

13.8 सन्दर्भ ग्रन्थ


## 13.0 उद्देश्य

प्रस्तुत अध्याय के अध्ययन के उपरान्त आप -

-- सामाजिक क्रिया के महत्व एवं उद्देश्यों को समझ सकेंगे|

-- सामाजिक क्रिया के विभिन्न स्वरूपों को जान जाएँगे|

-- सामाजिक क्रिया के सिद्दान्तों का महत्व तथा प्रासंगिकता को समझन पायेंगे |

## 13.1 प्रस्तावना

समाजिक क्रिया समाज कार्य दर्शन तथा अभ्यास की संरचना के अंतर्गत एक वैयक्तिक, सामूहिक अथवा सामुदायिक प्रयत्न है जिसका प्रमुख उद्देश्य सामाजिक प्रगति को प्राप्त करना, सामाजिक नीति में परिवर्तन करना तथा सामाजिक विधान, स्वास्थ्य एवं कल्याण सेवाओं में सुधार लाना है। सामाजिक क्रिया के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में विस्तृत चर्चा करने पर ज्ञात होता है कि सामाजिक क्रिया नीतियों में परिवर्तन करती है और स्वस्थ जनमत का निर्माण करती है।

## 13.2 सामाजिक क्रिया का महत्व

हर समाज में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते है। अनेक प्रकार की समस्याओं को व्यापक पैमाने पर अनुभव किया जाता है। इन आवश्यकताओं के समाधान हेतु आवश्यक परिस्थितियों को उत्पन्न करना सामाजिक क्रिया के कार्य है। समाज कार्य की इस सहायक पद्धति का उपयोग जनतांत्रिक मूल्यों तथा आदर्शों के प्रसारण के लिए किया जाता है। इस प्रकार संक्षेप में सामाजिक क्रिया के महत्व को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है:-

### 1. सामाजिक समस्याओं का निराकरण

भारतीय समाज में सामाजिक क्रिया के लिए व्यापक क्षेत्र विद्यमान है। भारतीय समाज के समक्ष अनेक प्रकार की समस्यायें है ऊँच नीच के आधार पर भेद-भाव स्त्रियों और पुरूषों के बीच भेदभाव आदि अनेक समस्यायें है जिनका समाधान जनतांत्रिक आदर्शों के अनुसार बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हरिजनों, जनजातियों, श्रमिकों, महिलाओं, निरक्षरों, विधवाओं आदि की अनेक ऐसी श्रेणियाँ है जिनका समाज में समन्वय होना आवश्य क है। इसके अतिरिक्त अशिक्षा, अंधविश्वास , न्यूनतम जीवन स्तर का अभाव आदि अनेक समस्याओं का समाधान आवश्यक है।

### 2. वैयक्तिक तथा पारिवारिक मूल्यों से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान

समस्याओं के समाधान की दिशा में सरकारी तथा गैर-सरकारी स्तर पर अनेक प्रयास किये जा रहे है । इन प्रयत्नो के बावजूद समस्याओं का रूप अत्यधिक व्यापक है। साथ ही वैयक्तिक तथा पारिवारिक मूल्यों से सम्बन्धित अनेक समस्यायें भी उत्पन्न हो रही है। इसके समाधान हेतु चाहे कानून का सहारा ले, चाहे समूहों, या समुदायों में चेतना जागृत करें, दोनों ही स्थितियों में सामाजिक क्रिया पद्धति अत्यन्त उपयोगी है। इन समस्याओं को जनतांत्रिक आदर्शों के अनुकूल सामाजिक क्रिया की सहायता से हल किया जा सकता है।

### 3. लोकतांत्रिक मूल्य और जनचेतना का प्रसार

समाज कार्य जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। न्याय समानता एवं स्वतंत्रता जनतंत्र के मूलभूत आधार है। यह आदर्श सभी को व्यवहार में सुलभ हो इसीलिए समाज के वर्तमान स्वरूप में काफी परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। सामाजिक क्रिया को इसका आधार बनाया जा सकता है। सामाजिक क्रिया जनचेतना के जागरण के लिए अत्यधिक लाभप्रद है।

### 4. संगठनात्मक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन

समाज में प्रायः विभिन्न व्यक्तियों तथा वर्गो द्वारा अनेक प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। ये प्रक्रियायें संगठनकारी भी होती है और विघटनकारी भी। संगठनात्मक प्रक्रियाओं की सहायता लेकर समाजिक क्रिया की गति को तीव्र किया जा सकता है साथ ही विघटनकारी प्रक्रियाओं से बचाव के उपाय भी खोजे जा सकते है।

इसके द्वारा समाजिक विधानों में सुधार किये जाते है। इसके अतिरिक्त सामाजिक प्रगति तथा सामाजिक दशाओं में उत्पन्न निर्धनता तथा व्याधियों जैसी अनेक समस्याओं को जिन्हें सामाजिक एजेन्सियाँ हल नही कर पाती उन्हें सामाजिक क्रिया द्वारा हल किया जा सकता है।

## 13.3 सामाजिक क्रिया के उद्देश्य

सामान्य रूप से सामाजिक क्रिया के निम्नलिखित उद्देश्य होते है:-

1. स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में स्थानीय प्रातीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर किये जाने वाले कार्यो को करना।
2. समाजिक नीतियों के निर्माण की सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार करना।
3. समाजिक आँकड़ों को एकत्र करना तथा सूचनाओं का विष्लेषण करना।
4. अविकसित समूहों के लिए उनके विकास के लिए आवश्यक सेवाओं की माँग करना।
5. सामाजिक समस्याओं के लिए ठोस सुझाव तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
6. नये सामाजिक स्त्रोतों की खोज करना।
7. सामाजिक समस्याओं के प्रति जनता में जागरूकता लाना।
8. जनका का सहयोग प्राप्त करना।
9. सरकारी तंत्र को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग देने के लिए तैयार करना।
10. नीति-निर्धारण करने वाली सत्ता से प्रस्ताव स्वीकृति करवाना।

## 13.4 सामाजिक क्रिया के स्वरूप

ब्रिटो ने सामाजिक क्रियाओं के दो स्वरूपों का उल्लेख किया है:-

1. जन समुदाय के लाभ के लिए उच्च वर्ग या प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रारंभ किये गये तथा चलाये गये कार्य।
2. लोकप्रिय सामाजिक क्रिया ।

ब्रिटो ने दोनों प्रकार की सामाजिक क्रिया के तीन-तीन उप प्रारूप बताये हैः-

प्रथम उप प्रारूप में अन्तर्गत निम्न तीन प्रकार आते है:-

1. विधानात्मक क्रिया प्रारूप :-इस प्रारूप में कुछ विशिष्ट व्यक्ति समस्या के प्रति जनचेतना उत्पन्न करके सामाजिक नीति में परिवर्तन लाते है।
2. स्वीकृत प्रारूप :- विशिष्ट व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक अथवा धार्मिक कारकों पर नियंत्रण करके समाज से लाभ प्राप्त करते है।
3. प्रत्यक्ष भौतिक प्रारूप :-विशिष्ट व्यक्ति अन्याय करने वाले के प्रति कार्यवाही करते है तथा दण्ड देते है।

दूसरे उप प्रारूप के निम्न तीन प्रकार है:-

1. चेतना जागरण प्रारूप :-यह प्रारूप पालों और फ्यरे के विचारों पर आधारित है। इसके अंतर्गत शिक्षा के द्वारा जनसामान्य में चेतना जागृत की जाती है।
2. द्वंदात्मक प्रारूप :-इस प्रारूप में यह विश्वास दिलाकर संघर्ष उत्पन्न किया जाता है कि बाद में इससे अच्छी व्यवस्था लागू होगी।
3. इस प्रारूप में किसी विशेष कारण को लेकर जन सामान्य को हड़ताल के लिए उत्साहित किया जाता है।

## 13.5 सामाजिक क्रिया के सिद्धान्त

समाजिक क्रिया में जो शक्ति कार्य करती है वह कोई अलग शक्ति नहीं बल्कि सम्पूर्ण समाज कार्य का प्रजातांत्रिक पद्धति में विश्वास ही है। सामाजिक क्रिया का समाज कार्य से किस प्रकार का सम्बन्ध है यह तो समाज सुधार की ऐतिहासिक समीक्षा से स्पष्ट हो सकता है जहाँ कई समाज सुधारकों ने व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से सामाजिक परिस्थितियों को परिवर्तित करने एवं सुधारने का अथक प्रयास किया और प्रयासों में सफल भी हुए। सामाजिक क्रिया के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में विस्तृत चर्चा करने पर ज्ञात होता है कि सामाजिक क्रिया नीतियों में परिवर्तन करती है और स्वस्थ जनमत का निर्माण करती है। समाजिक क्रिया के प्रमुख सिद्धान्तों का वर्णन निम्नलिखित हैः-

### 1. विश्वसनीयता का सिद्धान्त

नेतृत्व के प्रति जनमानस में विश्वास उत्पन्न करना अति आवश्यक होता है। जनता इस बात से जागरुक हो कि जो भी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं वह सब जनकल्याण के लिए हैं। जन-मानस इस बात पर विश्वास करे कि जो आन्दोलन चलाया जा रहा है उनके हित में है तथा उससे किसी व्यक्ति विशेष को ही लाभ नहीं होगा वरन् सम्पूर्ण समूह या समुदाय लाभान्वित होगा।

### 2. स्वीकृति का सिद्धान्त

समूह या समुदाय को उसकी वर्तमान स्थिति में स्वीकार करते हुए प्राथमिकता के आधार पर आवष्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्वस्थ जनमत तैयार किया जाना इस सिद्धान्त की विषेषता है। प्रत्येक सदस्य इस बात को स्वीकार कर ले कि नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति उसकी अगवाई कर रहे हैं वे सच्चरित्र, ईमानदार तथा नेक हृदय हैं तथा जनकल्याण की भावना रखते है।

### 3. वैधता का सिद्धान्त

संदर्भित जनता जिसके लिए आन्दोलन चलाया जा रहा है या कार्य किया जा रहा है तथा जनसामान्य को विष्वास हो कि आन्दोलन नैतिक तथा सामाजिक रूप से उचित है। इस मान्यता के आधार पर ही सहयोग प्राप्त होता है। सामाजिक वैधता स्थापित करने के लिए आन्दोलनकारी, दार्षनिक, नैतिक, वैधानिक, प्राविधिक आदि मार्गो का चयन किया जाता है। इससे सभी प्रकार का ज्ञान जनसामान्य को हो जाता है।

### 4. नाटकीकरण का सिद्धान्त

नेतृत्व जनसामान्य के समक्ष ऐसे कार्याक्रमों को प्रस्तुत करता जिससे जनता स्वयं संवेगात्मक रूप से उस कार्यक्रम से जुड़ जाये तथा अतिआवष्यक मानकर उसके साथ अनवरत एवं सक्रिय रूप से सम्बद्ध हो जाये। कार्यक्रमों के चयन में नेतृत्व द्वारा रूचिकर, नाटकीय कार्यक्रमों का चयन किया जाता है जोकि जनता को भावनात्मक रूप् से जोडने में सफल होते हैं।

### 5. बह आयामी रणनीति का सिद्धान्त

गाँधी जी के अनुसार चार प्रकार की रणनीतियों को सामाजिक क्रिया के उपयोग में लाना हितकर होता है:-

1. शिक्षा सम्बन्धी रणनीति।

(क) प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा

(ख) प्रदर्शन द्वारा

2. समझाने की रणनीति।

3. सुगमता की रणनीति।

4. शक्ति की रणनीति।

6. **बहुआयामी कार्यक्रम का सिद्वान्त**

ये कार्यक्रम तीन प्रकार के होते है:-

1. सामाजिक कार्यक्रम।

2. आर्थिक कार्यक्रम।

3. राजनीतिक कार्यक्रम।

### 7. मूल्यांकन का सिद्वान्त

नेतृत्व के लिए नितान्त आवश्यक होता हे कि वह कार्यक्रमों का निरन्तर मूल्यांकन करे, क्योंकि मूल्यांकन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया होती है। कार्यक्रम की सफलता-असफलता का मूल्यांकन आवश्यक होता है, इससे इस बात की जानकारी होती है कि कार्यान्वयन में कहाँ-कहाँ कमियाँ रह गई, तत्पत् इन कमियों को दूर किया जा सकता है।

## 13.6 सारांश

इस इकाई में आपने उन विभिन्न रणनीतियों का अध्ययन किया है जिनका उपयोग सामाजिक क्रिया में किया जाता है। सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न अवस्थाओं की पृष्ठभूमि में रणनीतियों तथा युक्तियों की व्याख्या की गई है। नियोजन अवस्था में, संबंधित पक्षों के विश्लेषण, 'स्वाक' विश्लेषण तथा समस्या विश्लेषण की रणनीतियों की विस्तार से व्याख्या की गई है। सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया के संचालन और प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रकार की अधिवक्तता रणनीतियों, जैसे विधायी अधिवक्तृता, न्यायिक अधिवकक्तृता, नौकरशाही अधिवक्तृता, नेटवर्क तथा गठजोड़, मीडिया अधिवक्तृता को रेखांकित किया गया है। सामाजिक क्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में संवाद-सम्प्रेषण तथा संवाद की रणनीतियों की महत्ता का भी विवेचन किया गया है। अन्त में, सफल सामाजिक क्रिया के लिए आवश्यक पद्धतियां विस्तार से दिये गए है।

## 13.7 अभ्यासार्थ प्रश्न

1. सामाजिक क्रिया के उद्देष्यों को स्पष्ट कीजिए।

2. सामाजिक क्रिया के स्वरूप तथा उसके सिद्धान्तों को स्पष्ट कीजिए।

## 13.8 सन्दर्भ-साहित्य

1. अहमद, मिर्जा रफीउद्दीन- समाज कार्य दर्शन एवं प्रणालिया, ब्रिटिश बुक डिपो, लखनऊ, 1967.

2. आगवर्न एण्ड निमकाफ- ए हैण्डबुक आफ सोसियोलाजी, राउटलेज एण्ड केगनपाल लि0, लंदन 1957.

3. आप्टेकर हरवर्ट - बेसिक कान्सेप्ट्स इन सोशल वर्क, यूनिवर्सिटी आवनार्थ कैरोलिना प्रेस, चैपेल हिल, 1941.

4. आरथर हिलमैन - कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन एण्ड प्लानिंग, द मैकमिलन कम्पनी, न्यूयार्क, 1957.

5. आसबर्न, एल0 डी0 न्यूमेयर, एम0 एच0 - द कम्यूनिटी एण्ड सोसाइटी.

6. इण्डियन कान्फ्रेन्स आफ सोशल वर्क, स्पेशल ऐन्निवर्सरी, नवम्बर-दिसम्बर, 1957.

7. इण्डिया - कम्यूनिटी डवैलपमेन्ट प्रोग्राम इन इण्डिया, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1963.

8. इण्डिया - कम्यूनिटी डवैलपमेन्ट ऐट ऐ ग्लान्स, दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1962।

9. इण्डिया - कम्यूनिटी डवैलपमेन्ट एण्ड कोआपरेशन, गाइड टू कम्युनिटी डैवलपमेंन्ट सैकेन्ड रेव0 इड0, दिल्ली, गवर्नमेन्ट प्रेस, 1957.

10. इण्डिया - ए रिपोर्ट आन द ऐनुअल कान्फ्रेन्स आन कम्युनिटी डैवलपमेंन्ट एण्ड पंचायत राज, न्यू दिल्ली , जुलाई 1964, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1964.

11. इण्डिया - द स्कोप आफ एक्सटेन्सन इन कम्युनिटी डैवेलपमेंन्ट, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1961.

12. ऐण्डरसन, जे0 - सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन, सोशल वर्क इयर बुक, रसेल सेज फाउन्डेशन, न्युयार्क, 1

# सहभागी अनुसंधान की अवधारणा

**इकाई की रूपरेखा**

14.0 उद्देश्य

14.1 प्रस्तावना

14.2 सहभागी अनुसंधान की अवधारणा

14.3 सहभागी अनुसंधान तकनीक के गुण

14.4 सहभागी अनुसंधान तकनीक के दोष

14.5 सहभागी अनुसंधान तकनीक के प्रकार

14.6 सारांश

14.7 अभ्यासार्थ प्रश्न

14.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

## 14.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप:

-- सहभागी अनुसंधान की अवधारणा,अर्थ को जान सकेंगे।

-- सहभागी अनुसंधान तकनीक के गुण,दोष और प्रकारों से परिचित हो सकेंगे।

## 14.1 प्रस्तावना

सहभागी अनुसंधान एक मानवशास्त्रीय शोध तकनीक है जिसके आधार पर एक शोधकर्ता सामाजिक सच्चाई के संबंध में सूचना प्राप्त करता है।मानवशास्त्र में सहभागी अनुसंधान तकनीक के ऊपर विशेष बल दिया गया है। अगर सत्य कहा जाये तो सहभागी अनुसंधान तकनीक मानवशास्त्रीय शोध की आत्मा एवं आधार है I

## 14.2 सहभागी अनुसंधान की अवधारणा

सहभागी अनुसंधान तकनीक में एक मानवशास्त्री को उन लोगों के बीच जाकर सामाजिक सदस्य के रूप् में रहना पड़ता है जिनका वह अध्ययन करना चाहता है। एक मानवशास्त्री को सहभागी अनुसंधान के प्रयोग हेतु संबंध स्थापन का सहारा लेना पड़ता है। वह अध्ययन समूह के बीच जाकर निवास स्थान की खोज करता है। वह अपने उद्देश्यों से लोगों को परिचित कराता है तथा जब एक अजनबी के रूप में अपने बारे में प्रचलित भ्रांतियां दूर हो जाती हैं, तब शोधकर्ता तथा अध्ययन समूह के सदस्यों के बीच संबंध स्थापित हो जाता है। उस समाज के सदस्य शोधकर्ता को अपने समाज के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं।

**सहभागी अनुसंधान एवं प्रत्यक्ष अनुसंधान** - यहां सहभागी अनुसंधान एवं प्रत्यक्ष अनुसंधान के बीच अंतर स्पष्ट करना छात्रोपयोगी प्रतीत होता है। सहभागी अनुसंधान में अनुसंधान कर्ता की सहभागिता अध्ययन समूह के सदस्यों के साथ बनी रहती है, लेकिन प्रत्यक्ष अनुसंधान में अध्ययन समूह तथा शोधकर्ता के बीच सहभागिता का अभाव पाया जाता है। एक सहभागी अनुसंधान कर्ता सहभागिता के साथ-साथ प्रत्यक्ष अनुसंधान भी करता है, लेकिन एक प्रत्यक्ष अनुसंधान कर्ता सहभागी अनुसंधान नहीं कर पाता है। इस प्रकार सभी सहभागी अनुसंधान प्रत्यक्ष अनुसंधान के उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रत्यक्ष अनुसंधान सहभागी अनुसंधान नहीं हो सकते।

मानवशास्त्र में सहभागी अनुसंधान का प्रयोग- मानवशास्त्रीय अध्ययन में सहभागी अनुसंधान तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटिश मानवशास्त्री बी0के0मैलिनोवस्की द्वारा ट्रोब्रिएंड द्वीपवासियों के अध्ययन में किया गया था। मैलिनोवस्की प्रकार्यवाद सिद्धांत के जनक थे। उन्होने मानवजाति वर्णनशास्त्र में सहभागी अनुसंधान तकनीक का प्रमुख स्थान स्थापित कराने में सफलता प्राप्त की थी। मैलिनोवस्की ने लगातार चार वर्षों तक (1914-18) ट्रोब्रिएंड द्वीपवासियों के बीच उस समाज के सदस्य के रूप में रहकर सहभागी अनुसंधान तकनीक के माध्यम से अनुभवाश्रित तथ्यों का पता लगाया था। सहभागी अनुसंधान तकनीक के प्रयोग के आधार पर उन्होने ट्रोब्रिएंड द्वीप वासियों की सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था के रूप में सूचनाओं का भंडार स्थापित करने में सफलता पाई थी। सहभागी अनुसंधान तकनीक के प्रयोग के आधार पर उन्होंने यह दर्शाने का प्रयास किया कि किस प्रकार ट्रोब्रिएंड द्वीप समाज समग्रता के रूप में कार्य करता है। ट्रोब्रिएंड द्वीपवासियों की संस्कृति, सामाजिक संगठन, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था इत्यादि के बारे में उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वह उनके सहभागी अनुसंधान तकनीक से प्राप्त तथ्यों एवं अनुभवों पर आधारित है।

मैलिनोवस्की के बाद मानवशास्त्र में सहभागी अनुसंधान तकनीक के माध्यम से क्षेत्र कार्य की परंपरा स्थापित हुई। आजकल सभी मानवशास्त्री मैलिनोवस्की द्वारा स्थापित इस परंपरा का पालन करते हैं। अतः सहभागी अनुसंधान तकनीक मानवशास्त्रीय शोध की आत्मा का रूप धारण कर चुकी है।

## 14.3 सहभागी अनुसंधान तकनीक के गुण

सहभागी अनुसंधान तकनीक में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं-

1. **सूचनादाताओं से संबंध स्थापना**- सहभागी अनुसंधान में एक शोधकर्ता को अपने सूचनादाताओं से संबंध स्थापित करना पड़ता है। बगैर संबंध स्थापन के एक सहभागी अनुसंधान कर्ता अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल नहीं हो सकता है। संबंध स्थापन के आधार पर एक शोधकर्ता सूचनादाताओं के मध्य अपनी सहभागिता दर्शा पाता है तथा सहभागी अनुसंधान करने में सफल होता है। अतः सूचनादाताओं से संबंध स्थापन सहभागी अनुसंधान का एक प्रमुख गुण है। संबंध स्थापन के द्वारा एक सहभागी अनुसंधान कर्ता बेहिचक अपने सूचनादाताओं से सब कुछ जान पाने में सफल होता है।

2. **सूचनादाताओं के सुख-दुख में भागीदारी-** एक सहभागी अनुसंधान कर्ता को अपने अध्ययन समूह के सदस्यों द्वारा अपने समाज के सदस्य के रूप में मान्यताप्राप्त हो जाती है। शोधकर्ता एवं सूचनादाता के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। सूचनादाताओं एवं शोधकर्ता के बीच अपनापन का भाव विकसित हो जाता है। सूचनादाताओं द्वारा शोधकर्ता की भावना की कद्र की जाती है तथा शोधकर्ता भी सूचनादाताओं की भावनाओं का आदर करता है। दोनों एक-दूसरे के सुख-दुख के भागीदार भी बन जाते है। ऐसे घनिष्ठ संबंधों का लाभ एक सहभागी अनुसंधान कर्ता को प्राप्त होता है।

3. **प्राकृतिक व्यवहार का अध्ययन-** सहभागी अनुसंधान में सूचनादाताओं एवं शोधकर्ता के बीच संकोच का भाव खत्म हो जाता है। अतः शोधकर्ता एवं सूचनादाता एक-दूसरे से बिना हिचक के बातचीत करते हैं। ऐसी स्थिति में एक शोधकर्ता अपने सूचनादाताओं के प्राकृतिक व्यवहार का अनुसंधान करने में सफल होता है। सूचनादाताओं के प्राकृतिक व्यवहार का अध्ययन अन्य मानवशास्त्रीय शोध तकनीक से संभव नहीं है। अन्य मानवशास्त्रीय तकनीक के प्रयोग में सूचनादाता तथा शोधकर्ता के बीच दूरी बनी रहती है। सूचनादाता शोधकर्ता को जवाब देते समय बिल्कुल सतर्क रहता है। अतः सूचनादाताओं के प्राकृतिक व्यवहार का अध्ययन संभव नहीं हो पाता है।

4. **सामाजिक क्रिया-कलापों का अध्ययन**- एक सहभागी अनुसंधान कर्ता अपने सूचनादाताओं के समाज का अभिन्न अंग बन जाता है। सूचनादाताओं के समाज का सदस्य होने के कारण एक सहभागी अनुसंधान कर्ता उस समाज के क्रिया-कलापों में भाग लेने लगता है तथा उस समाज के क्रिया-कलापों का अध्ययन करने में सफल होता है। वह दिन-रात उस समाज के बीच रहता है जिसका वह अध्ययन करता है। वह इस तथ्य का अनुसंधान करने में सफल होता है कि किस प्रकार उस समाज में विभिन्न प्रकार के सामाजिक क्रियाकलापों का निर्वह्न किया जाता है। एक शोधकर्ता उस समाज की विभिन्न संस्थाओं तथा उसके प्रकार्य को समझने में सफल होता है।

5. **सामाजिक संबंधो का अध्ययन-** एक सहभागी अनुसंधान कर्ता तथा सूचनादाताओं के बीच भावनात्मक संबंध का विकास होता है। वह सूचनादाताओं के साथ संबंध विकसित कर लेता है। साथ ही साथ वह उस समाज के विभिन्न व्यक्तियों के बीच प्रचलित सामाजिक संबंध से अवगत होता है। वह परिवार, वंश, गोत्र तथा ग्राम समुदाय में प्रचलित सामाजिक संबंधों को बहुत नजदीक से देखता है तथा सामाजिक सच्चाई से अवगत होता है।

6. **सामाजिक समस्या की जानकारी**- एक सहभागी अनुसंधान कर्ता उन लोगों के समाज में जाकर रहता है जिसका वह अध्ययन करता है। वह उस समाज का एक सदस्य बन जाता है। अतः वह उस समाज की विभिन्न समस्याओं से अवगत होता है। वह उन समस्याओं से संबंधित सच्चाई को जानने में सफल होता है।

7. **बातचीत की सुविधा**- सहभागी अनुसंधान में एक शोधकर्ता हमेशा सूचनादाताओं के मध्य रहता है। अतः वह सूचनादाताओं से हमेशा सूचना प्राप्त करने की स्थिति में रहता है। वह बेहिचक किसी सूचनादाता से बातचीत कर लेता है। इस सुविधा के कारण एक शोधकर्ता अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में जल्द सफल हो जाता है।

**8. समस्याओं के समाधान के उपाय**- एक सहभागी अनुसंधान कर्ता केवल अपने सूचनादाताओं के समाज की समस्याओं से ही अवगत नहीं होता है, वरन् वह उस समाज की समस्याओं को सुलझाने में भी सहायक होता है। उस समाज के सदस्य शोधकर्ता के ऊपर भरोसा करने लगते हैं तथा अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान में उसकी मदद लेते हैं। समस्याओं को सुलझाकर एक सहभागी अनुसंधान कर्ता अपनी स्थिति और मजबूत कर लेता है तथा सूचनादाताओं से सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी प्राप्त कर लेता है।

**9. अंतरदृष्टि का विकास**- सहभागी अनुसंधान कर्ता सूचनादाताओं के समाज में दिन-रात रहता है। अतः वह उस समाज की सच्चाई से अवगत होता है तथा सामाजिक सच्चाई के बारे में उसके मस्तिष्क में एक अंतरदृष्टि का विकास होता है। उसी अंतरदृष्टि के आधार पर वह सामाजिक सच्चाई का विवरण प्रस्तुत करता है।

**10. सूक्ष्म से सूक्ष्म घटनाओं की जानकारी-** चूँकि एक सहभागी अनुसंधान कर्ता अपने सूचनादाताओं के साथ-साथ रहता है, अतः वह उस समाज के सूक्ष्म-से-सूक्ष्म घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सफल होता

है। वह कुछ वैसी सामाजिक घटनाओं के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर लेता है जिसे समाज के सदस्य एक अनजान व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन सहभागी अनुसंधान में शोधकर्ता तथा सूचनादाता के बीच संकोच समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि एक सहभागी अनुसंधान कर्ता सूक्ष्म से सूक्ष्म घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने में सफल होता है।

**11. ज्यादा सत्य सूचनाओं का संकलन-** एक सहभागी अनुसंधान कर्ता सूचनादाताओं के प्राकृतिक व्यवहार तथा सामाजिक सच्चाई को प्रत्यक्ष रूप से देखने में सफल होता है, अतः वह ज्यादा सत्य सूचनाओं को संकलित करने में सफल होता है।

**12. परंपराओं एवं रीति-रिवाजों का गहराई से अध्ययन-** एक सहभागी अनुसंधान कर्ता उस समाज की परंपराओं एवं रीति-रिवाजों को गहराई से अध्ययन करने में सफल होता है। चूँकि वह रीति-रिवाजों में भाग लेकर उसका क्रमबद्ध ढंग से अनुसंधान करता है, अतः वह सामाजिक सच्चाई की गहराई तक पहुंच पाने में सफल होता है।

**13. सूचनादाताओं से स्पष्टीकरण की सुविधा-** चूँकि एक सहभागी अनुसंधान कर्ता सूचनादाताओं के संपर्क में रहता है, अतः वह किसी भी विषय पर सूचनादाताओं से स्पष्टीकरण प्राप्त करने में सफल होता है। वह स्पष्टीकरण के आधार पर सामाजिक सच्चाई को अच्छा ढंग से समझ पाता है।

**14. समाजीकरण प्रक्रिया की जानकारी-** एक सहभागी अनुसंधान कर्ता समाज के सदस्य के रूप में मान्यता मिलने के कारण समाजिकरण प्रक्रिया को बहुत समीप से देख तथा समझ पाता है। वह समाज के विभिन्न सदस्यों के व्यवहार तथा सामाजिक गुण से परिचित होता है। वह यह भी बहुत आस-पास से देख पाता है कि किस प्रकार समाज में एक व्यक्ति को जीवन की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश कराया जाता है।

**15. कुरीति तथा कुप्रथाओं के संबंध में जानकारी-** सहभागी अनुसंधान कर्ता समाज के बीच रहने का अवसर प्राप्त करता है। अतः वह उस समाज में व्यास विभिन्न प्रकार की कुरीतियों तथा कुप्रथाओं से परिचित होता है तथा सही जानकारी प्राप्त करने में सफल होता है। जैसे डायन, कुदृष्टि, बाल विवाह इत्यादि।

16. संघर्ष एवं सहयोग की जानकारी- समाज के बीच रहने के कारण एक सहभागी अनुसंधान कर्ता लाभप्रद स्थिति में रहता है। वह समाज में प्रचलित संघर्ष तथा सहयोग प्रक्रियाओं से परिचित होता है तथा सामाजिक सहयोग एवं संघर्ष पर सामाजिक सच्चाई से अवगत होता है।

**17. प्रतियोगिता की जानकारी-** प्रतियोगिता भी एक सामाजिक प्रक्रिया है तथा सभी समाज में प्रतियोगिता किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चूँकि एक सहभागी अनुसंधान कर्ता समाज के बीच रहता है तथा सामाजिक क्रिया-कलापों का अंग बन जाता है, अतः उसे समाज में प्रचलित प्रतियोगिता प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त होती है।

**18. स्थानीय भाषा जानने में सहायक**- एक सहभागी अनुसंधान कर्ता अपने सूचनादाताओं से काफी लंबी अवधि तक संपर्क में रहता है। अतः वह सूचनादाताओं से बातचीत करते-करते उनकी स्थानीय भाषा की जानकारी भी प्राप्त कर लेता है। स्थानीय भाषा का ज्ञान प्राप्त कर एक सहभागी अनुसंधान कर्ता अपने सहभागी अनुसंधान में विशेष सफलता प्राप्त करने में सफल होता है।

**19. क्रमबद्ध अनुसंधान में सहायक**- एक सहभागी अनुसंधान कर्ता सूचनादाताओं के मध्य हमेशा रहता है, अतः वह सामाजिक सच्चाईयों का क्रमबद्ध अनुसंधान करने में सफल होता है। अगर उसे किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, तब वह सूचनादाताओं से मिलकर उसे आसानी से दूर कर लेता है।

**20. स्थिर अभिलेखन में सहायक-** सहभागी अनुसंधान एक शोधकर्ता को सामाजिक सच्चाई के स्थिर अभिलेखन में सहायक होता है। सहभागी अनुसंधान कर्ता धीरे-धीरे सभी सामाजिक सच्चाइयों का क्रमबद्ध अनुसंधान कर उसे लिखित रूप प्रदान करने में सफल होता है।

**21. शारीरिक भाषा के अध्ययन में सहायक-** शारीरिक अंगों की गति के अध्ययन द्वारा सहभागी अनुसंधान कर्ता सूचनादाताओं की शारीरिक भाषा को समझ पाने में सफल होता है।

### 14.4 सहभागी अनुसंधान के दोष

हालांकि सहभागी अनुसंधान तकनीक को मानवशास्त्रीय शोध की आत्मा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, लेकिन सहभागी अनुसंधान तकनीक की भी अपनी सीमाएं हैं जिसके कारण सभी प्रकार के अध्ययन एवं सभी प्रकार की सूचना पाने के लिए सहभागी अनुसंधान तकनीक का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सहभागी अनुसंधान तकनीक के निम्नलिखित दोष प्रकट होते हैं-

1.भावनात्मक संबंध के कारण सूचना प्रभावित - एक सहभागी अनुसंधान कर्ता अपने सूचनादाताओं के समूह के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। उसके तथा सूचनादाताओं के बीच भावनात्मक संबंध का विकास हो जाता है। भावनात्मक संबंध के कारण एक सहभागी अनुसंधान कर्ता दृष्टि दोष का शिकार हो जाता है। इसके कारण वह सच्चाई जानने में विफल हो जाता है। इस प्रकार शोधकर्ता तथा सूचनादाता के बीच भावनात्मक संबंध के विकास के कारण सूचनाएं प्रभावित हो जाती हैं।

2.पक्षपातपूर्ण निर्णय - एक मानवशास्त्री को सामाजिक मूल्य निर्धारण में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। सामाजिक मूल्य निर्धारण में उसे सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा को आचारशास्त्रीय नियम के रूप में पालन करना पड़ता है। वह किसी समाज की संस्कृति का वर्णन पक्षपातरहित ढंग से प्रस्तुत करता है।वह अपनी साँस्कृतिक मूल्यों के साथ तुलना नहीं करता है तथा उस संस्कृति को ऊंच-नीच, विकसित-अविकसित, अमीर-गरीब इत्यादि सापेक्षिक शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं करता है। लेकिन जब एक सहभागी अनुसंधान कर्ता अपने सूचनादाताऔ से भावनात्मक संबंध का विकास कर लेता है, तब वह सूचनादाताओं का पक्ष लेना प्रारम्भ कर देता है जिसके कारण उसके द्वारा संकलित तथ्य पक्षपातपूर्ण हो जाते हैं। वह सही मूल्य निर्धारण में भी विफल हो जाता है।

3.अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं की अनदेखी - एक सहभागी अनुसंधान कर्ता सूचनादाताओं के बीच हमेशा रहता है तथा सूचनादाताओं तथा उस शोधकर्ता के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। एक सहभागी अनुसंधान कर्ता उस समाज का सदस्य बन जाता है। सूचनादाताओं एवं शोधकर्ता के बीच इतनी घनिष्ठता बढ़ जाती है कि शोधकर्ता अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं को नजरअंदाज कर देता है। वह उन सूचनाओं की महत्ता को भूल जाता है। इस प्रकार एक सहभागी अनुसंधान कर्ता द्वारा अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं की अनदेखी कर दी जाती है।

4.मूल्य निर्धारण में पक्षपात की संभावना - सूचनादाताओं तथा एक सहभागी अनुसंधान कर्ता के बीच ऐसे भावनात्मक संबंध विकसित हो जाते हैं जिसके कारण शोधकर्ता की दृष्टि प्रभावित हो जाती है। उसकी दृष्टि तटस्थ नहीं रह पाती। उसकी दृष्टि सूचनादाताओं का पक्ष लेना आरंभ कर देती है। इसके कारण मूल्य निर्धारण में पक्षपात की संभावना बढ़ जाती है।

5.संकीर्ण अनुभव - एक सहभागी अनुसंधान कर्ता का अनुभव संकीर्ण हो जाता है। उसका अनुभव उन्हीं लोगों तक सीमित हो जाता है जिनके बीच रहकर वह अपना अध्ययन करता है। उसी स्थान पर निवास करने वाले अन्य

लोगों के ऊपर वह ध्यान नहीं देता है। अतः एक सहभागी अनुसंधान कर्ता अपना संकीर्ण अनुभव लेकर वापस लौटता है।

6.सहभागिता की अनुमति नहीं मिलने पर विफलता - एक सहभागी अनुसंधान कर्ता को अगर सूचनादाताओं द्वारा सहभागिता की अनुमति नहीं मिलती है, तब उसे अपने लक्ष्य में विफल होना पड़ता है। सहभागी अनुसंधान के लिए सहभागिता की अनुमति अनिवार्य होती है। क्योंकि बगैर अनुमति के एक सहभागी अनुसंधान कर्ता अपनी सहभागिता नहीं दर्शा सकता है। कुछ ऐसे सामाजिक क्रियाकलाप होते हैं जिनमें बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति अशुभ मानी जाती है। उन क्रियाकलापों में केवल समाज के लोग ही भाग ले सकते हैं। उदाहरण के लिए गर्भधारण अनुष्ठान, नामकरण अनुष्ठान, अन्न प्रासन अनुष्ठान, मुंडन इत्यादि। इन क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए एक शोधकर्ता को सामाजिक अनुमति नहीं मिल पाती है। अतः वह इस प्रकार के सामाजिक क्रियाकलापों का अनुसंधान अपनी सहभागिता के आधार पर नहीं कर पाता है।

7.सामाजिक निषेधों के कारण अध्ययन संभव नहीं - प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे नियम होते हैं जिन्हें निषेध के रूप में पालन किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रसवगृह में प्रवेष वर्जित होता है, देवता घर में बाहरी लोगों का प्रवेष वर्जित होता है, जादू करते समय किसी का होना वर्जित होता है, नामकरण के समय बाहरी लोगों का प्रवेष वर्जित होता है। इसी प्रकार समाज में कई निषेधात्मक नियम प्रचलित रहते हैं। हालांकि एक सहभागी अनुसंधान कर्ता को उस समाज के सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त होती है तथा उसके एवं सूचनादाताओं के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है, लेकिन एक सामाजिक सदस्य के रूप में उसे भी उन सभी निषेधात्मक नियमों का पालन करना पड़ता है। अतः निषेधात्मक नियमों के पालन के कारण एक सहभागी अनुसंधान कर्ता को अपनी सहभागिता नहीं दर्शाने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

8.व्यक्तिगत संबंध का अध्ययन संभव नहीं - समाज में व्यक्ति-व्यक्ति के बीच कुछ गुप्त संबंध होते हैं। उन गुप्त संबंधों का अध्ययन सहभागी अनुसंधान द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि दो व्यक्तियों के गुप्त संबंधों के बीच तीसरे व्यक्ति की सहभागिता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अतः व्यक्तिगत संबंधों का अध्ययन सहभागी अनुसंधान द्वारा संभव नहीं है।

9.समाजिक सहमति पर निर्भरता- सहभागी अनुसंधान की सफलता समाज की सहमति पर निर्भर करती है। मान लिया जाये कि एक शोधकर्ता किसी समाज के विवाह संबंधी रीति-रिवाजों का अपनी सहभागिता द्वारा अध्ययन करना चाहता है, लेकिन समाज ने न तो उसे रीति-रिवाजों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है और न ही उसे समाज ने भाग लेने की अनुमति प्रदान की है, इस परिस्थिति में एक शोधकर्ता सहभागी अनुसंधान तकनीक के आधार सूचना नहीं संकलित कर सकता है। अतः एक सहभागी अनुसंधान की सफलता सामाजिक आमंत्रण अथवा सहमति पर निर्भर करता है।

10.अतीत की घटनाओं के अध्ययन में विफल - मान लिया जाये कि कोई घटना पहले ही घटित हो गई है, तब उस स्थिति में उस घटना का अध्ययन सहभागी अनुसंधान द्वारा संभव नहीं है। अतः अतीत की घटनाओं के अध्ययन में सहभागी अनुसंधान तकनीक को विफलता का सामना करना पड़ता है।

11.यौन जीवन का अध्ययन संभव नहीं - यौन जीवन एक सामाजिक सच्चाई है। यौन जीवन जीने के लिए समाज में विवाह नामक प्रथा प्रचलित है लेकिन साथ ही समाज में कुछ अवैध यौन संबंध की घटना भी प्रकाश में आती हैं। वैध यौन एवं अवैध यौन संबंध दो व्यक्ति तक ही सीमित होते हैं। यौन जीवन को प्रत्येक व्यक्ति अपने तक

सीमित रखना चाहता है। इस गुप्त व्यवहार में किसी तीसरे व्यक्ति की सहभागिता संभव नहीं है। अतः सहभागी अनुसंधान तकनीक द्वारा यौन जीवन से संबंधित सूचनाओं को संकलित नहीं किया जा सकता है।

12.वेश्यावृत्ति का अध्ययन संभव नहीं - वेश्यावृत्ति एक सामाजिक रोग है। कोई भी समाज वेश्यावृत्ति को मान्यता नहीं देता है। लेकिन वेश्यावृत्ति गुप्त रूप से एक पेशे के रूप में प्रचलित रहती है। समाज में अवैध यौन संबंध में लिप्त महिलाओं को वेश्या, छिनार, रखनी, रखैल इत्यादि नामों से जाना जाता है। ऐसी महिलाएं अपनी यौन सेवा के माध्यम से पुरूष ग्राहकों को संतुष्ट कर पैसा कमाती हैं। समाज में इन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है। चूँकि समाज में वेश्यावृत्ति गुप्त दैहिक धंधा के रूप में प्रचलित है तथा वेश्यागामी पुरूषों को भी हेय नजर से देखा जाता है, अतः वेश्यावृत्ति का अध्ययन सहभागी अनुसंधान तकनीक से संभव नहीं है।

13.अपराधियों के अध्ययन में असफल - अपराधियों के कृत्य समाज विरोधी होते हैं, यही कारण है कि समाज अपराधियों को हेय दृष्टि से देखता हैं चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, आगजनी, दंगा इत्यादि में शामिल व्यक्तियों को अपराधी कहा जाता है। अपराधियों तथा अपराधिक घटनाओं का सहभागी अनुसंधान तकनीक के आधार पर अध्ययन नहीं किया जा सकता हैं।

14.सामाजिक राजनीति में निर्लिप्तता - एक सहभागी अनुसंधान कर्ता के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि वह उस समाज की राजनीति तथा गुटबाजी में शामिल हो जाता है जिसका वह अध्ययन करता है। ऐसी स्थिति में वह निष्पक्ष नहीं रह जाता है। वह किसी गुट से प्रभावित होकर उसका पक्ष लेने लगता है। कभी-कभी गुटबाजी के कारण एक सहभागी अनुसंधान कर्ता को अपमानित भी होना पड़ता है।

15.गुप्त व्यवहारों के अध्ययन में विफल - प्रत्येक समाज में कुछ संकेतों के माध्यम से सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है तथा कई प्रकार के सामाजिक क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। गुप्त व्यवहारों में किसी बाह्य व्यक्ति का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाता है। हालांकि एक सहभागी अनुसंधान कर्ता को समाज के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, फिर भी अनेक प्रकार के गुप्त व्यवहारों में उसे सहभागी नहीं बनाया जाता है। अतः गुप्त व्यवहारों का अध्ययन सहभागी अनुसंधान तकनीक से संभव नहीं है।

16.काला जादू के अध्ययन में असफल - काला जादू का संबंध हानि पहुंचाने वाली जादुई क्रियाओं से है। काला जादू करने वालों को डायन, कमाईन इत्यादि नामों से जाना जाता है । काला जादुई क्रियाएं सुनसान स्थान में संपन्न की जाती हैं। वहां किसी अन्य व्यक्ति की सहभागिता संभव नहीं है। अतः काला जादू का अध्ययन सहभागी अनुसंधान कर्ता द्वारा संभव नहीं है।

17.पत्रकारिता दृष्टिकोण- एक सहभागी अनुसंधानर्ता के ऊपर पत्रकारिता का दृष्टिकोण अपनाने के कारण आलोचना की जाती है।

## 14.5 सहभागी अनुसंधान के प्रकार

सहभागी अनुसंधान को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-

(अ) पूर्ण सहभागी अनुसंधान

(ब) अर्द्ध सहभागी अनुसंधान

(स) असहभागी अनुसंधान

**पूर्ण सहभागी अनुसंधान** - पूर्ण सहभागी अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें एक शोधकर्ता की पूर्ण भागीदारी रहती है। मान लिया जाये कि एक शोधकर्ता किसी समाज में प्रचलित विवाह संबंधी अनुष्ठानों का अध्ययन करना चाहता है तथा वह आदि से अंत तक सभी प्रकार के अनुष्ठानों का अध्ययन अपनी सहभागिता के आधार पर करता है, तब उसका सहभागी अनुसंधान पूर्ण सहभागी अनुसंधान कहलाता है। लेकिन जब वह सभी प्रकार के अनुष्ठानों में अपनी सहभागिता न दर्शाकर कुछ महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में अपनी सहभागिता दर्शाता है, तब इस प्रकार के सहभागी अनुसंधान को अपूर्ण सहभागी अनुसंधान कहा जाता है।

**अर्द्ध सहभागी अनुसंधान** - अर्द्ध सहभागी अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें एक शोधकर्ता की भागीदारी पूर्ण नहीं रहती है, वरन उसकी भागीदारी अर्द्ध होती हैं इस प्रकार की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब एक सहभागी अनुसंधान कर्ता किसी कारणवश बीच में ही अपनी सहभागिता छोड़ कर चला जाता है। बाद में बचे हुए तथ्यों की जानकारी वह उन लोगों से प्राप्त करता है जिनकी सहभागिता रहती है। इस प्रकार एक शोधकर्ता का अपना सहभागी अनुसंधान अर्द्ध सहभागी अनुसंधान कहलाता है। आकस्मिक घटना, सामाजिक निषेध, दो शोधकर्ताओं द्वारा एक ही अध्ययन, बड़ी-बड़ी शोध परियोजनाओं में अर्द्ध सहभागी अनुसंधान तकनीक का सहारा लिया जाता है।

**असहभागी अनुसंधान -** असहभागी अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें एक शोधकर्ता की सहभागिता नहीं हो ती है। अपने लक्ष्य पूर्ति हेतु एक शोधकर्ता उस व्यक्ति से संपर्क स्थापित करता है तथा पूछताछ करता है जिसकी सहभागिता उस घटना से रहती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि एक सहभागी अनुसंधान कर्ता एक असहभागी अनुसंधान कर्ता के लिए सूचनादाता का काम करता है। यही कारण है कि एक सहभागी अनुसंधान के गुण असहभागी अनुसंधान के दोष तथा एक सहभागी अनुसंधान के दोष असहभागी अनुसंधान के गुण में बदल जाते हैं। जहां सहभागी अनुसंधान विफल हो जाता है वहां असहभागी अनुसंधान सफल होता

## 14.6 सारांश

प्रस्तुत इकाई के अन्तर्गत सहभागी अनुसंधान की अवधारणा तथा सहभागी अनुसंधान तकनीक के गुणों, दोषों एवं प्रकारों को समझाने का प्रयास किया गया है। इसके साथ-साथ यह स्पष्ट किया गया है कि सहभागी अनुसंधान एक महत्वपूर्ण एवं नई तकनीक के रूप में समाज कार्य अनुसंधान की ही प्रणाली है।

## 14.7 अभ्यासार्थ पश्न

1. सहभागी अनुसंधान का क्या अर्थ है?
2. सहभागी अनुसंधान एवं प्रत्यक्ष अनुसंधान के मध्य अन्तर को स्पष्ट कीजिए।
3. सहभागी अनुसंधान के विभिन्न गुणों को बताइये।

14.8 सन्दर्भ-साहित्य


1. अहमद, मिर्जा रफीउद्दीन- समाज कार्य दर्शन एवं प्रणालिया, ब्रिटिश बुक डिपो, लखनऊ, 1967.
2. आगवर्न एण्ड निमकाफ- ए हैण्डबुक आफ सोसियोलाजी, राउटलेज एण्ड केगनपाल लि0, लंदन 1957.
3. आप्टेकर हरवर्ट - बेसिक कान्सेप्ट्स इन सोशल वर्क, यूनिवर्सिटी आवनार्थ कैरोलिना प्रेस, चैपेल हिल, 1941.

4. आरथर हिलमैन - कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन एण्ड प्लानिंग, द मैकमिलन कम्पनी, न्यूयार्क, 1957.

5. आसबर्न, एल0 डी0 न्यूमेयर, एम0 एच0 - द कम्यूनिटी एण्ड सोसाइटी.

6. इण्डियन कान्फ्रेन्स आफ सोशल वर्क, स्पेशल ऐन्निवर्सरी, नवम्बर-दिसम्बर, 1957.

7. इण्डिया - कम्यूनिटी डवैलपमेन्ट प्रोग्राम इन इण्डिया, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1963.

8. इण्डिया - कम्यूनिटी डवैलपमेन्ट ऐट ऐ ग्लान्स, दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1962।

9. इण्डिया - कम्यूनिटी डवैलपमेन्ट एण्ड कोआपरेशन, गाइड टू कम्युनिटी डैवलपमेंन्ट सैकेन्ड रेव0 इड0, दिल्ली, गवर्नमेन्ट प्रेस, 1957.

10. इण्डिया - ए रिपोर्ट आन द ऐनुअल कान्फ्रेन्स आन कम्युनिटी डैवलपमेंन्ट एण्ड पंचायत राज, न्यू दिल्ली , जुलाई 1964, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1964.

11. इण्डिया - द स्कोप आफ एक्सटेन्सन इन कम्युनिटी डैवेलपमेंन्ट, दिल्ली गवर्नमेन्ट प्रेस, 1961.

12. ऐण्डरसन, जे0 - सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन, सोशल वर्क इयर बुक, रसेल सेज फाउन्डेशन, न्युयार्क, 1